

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2017 की प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2017 की प्रतिवेदन सं. 2

..... को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
मुख्य बातें	iii-vi
अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	1-16
i. संघ सरकार के संसाधन	1
ii. प्रत्यक्ष करों का स्वरूप	2-5
iii. सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व	5
iv. प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग	5-6
v. प्रत्यक्ष करों की वृद्धि	6-8
vi. कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव	8-9
vii. कर आधार का विस्तारण	9-10
viii. संवीक्षा निर्धारणों का निपटान	10-11
ix. प्रतिदाय दावों का निपटान	11-12
x. बकाया मांग	12
xi. अपील मामलों के निपटान	12-13
xii. अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण	13-14
xiii. अभियोजन मामलों की प्रास्थिति	14
xiv. परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज	14-15
xv. आयकर विभाग की आईटी पहलें	15-16
xvi. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	16
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	17-24
i. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार	17
ii. प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता	17-19
iii. लेखापरीक्षा उत्पाद और लेखापरीक्षा को प्रतिक्रिया	19-21
iv. लेखापरीक्षा प्रभाव-लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली	21
v. समय बाधित मामले	22
vi. अभिलेखों को उपलब्ध न कराना	23-24
अध्याय III: निगम कर	25-70
i. प्रस्तावना	25
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	25-35

iii.	कर रियायतों/छूट/कटौतियों का प्रशासन	35-55
iv.	चूकों के कारण निर्धारणों से रह गई आय	55-68
v.	ब्याज/कर का अधिक प्रभार	68-70
अध्याय IV: आयकर और धन कर		71-95
i.	प्रस्तावना	71
ii.	निर्धारणों की गुणवत्ता	71-78
iii.	कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	78-88
iv.	चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	88-94
v.	कर/ब्याज का अधिक प्रभार	94-95
अध्याय V: छद्म कम्पनियों/हवाला प्रचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री तथा खरीद		97-120
i.	अवास्तविक संव्यवहार	97
ii.	आयकर विभाग की भूमिका	97-98
iii.	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	98-99
iv.	फर्जी प्रविष्टि प्रदाता	99-100
v.	फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं के लाभार्थी	100-105
vi.	अवास्तविक संव्यवहारों की लिंक न होना	105-109
vii.	अवास्तविक प्रविष्टियों/खरीदों वाले मामलों में अभिवृद्धि को नामंजूर करने/अभिवृद्धि करने में विसंगति	109-114
viii.	अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं तथा लाभार्थियों के मामले में असमान अभिवृद्धि	114-116
ix.	संदेहास्पद खरीदों के अन्य अनुपालन मामले	116-118
x.	अपील में अपास्त किए गए संवर्धन	119
xi.	निष्कर्ष	120
अध्याय VI: आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्यपद्धति		121-137
i.	प्रस्तावना	121-122
ii.	लेखापरीक्षा उद्देश्य	122
iii.	लेखापरीक्षा मानदंड	122
iv.	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्य प्रणाली	123
v.	परियोजनाओं की योजना और निष्पादन	123-129
vi.	वित्तीय प्रबंधन	129-136
vii.	निष्कर्ष	136-137

अध्याय VII: केंद्रीकृत संसाधन केंद्र, बेंगलुरु	138-157
i. प्रस्तावना	138
ii. संगठनात्मक ढांचा	138
iii. लेखापरीक्षा उद्देश्य	139
iv. लेखापरीक्षा मानदंड	139
v. लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली	140-141
vi. नमूना आकार का चयन	141
vii. आईटीआर का प्रसंस्करण, अभिलेख संग्रहण और पुनर्प्राप्ति प्रबंधन प्रणाली, लेखाकरण प्रणाली और करदाता सेवाएं	142-144
viii. एप्लीकेशन नियंत्रण	144-150
ix. परियोजना कार्यान्वयन एवं निष्पादन	150-157
परिशिष्ट	159-220
संकेताक्षर	221-223

प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष करों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वह मामले उल्लिखित हैं जो 2015-16 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वो मामले भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझा गया, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों से प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन, लेखापरीक्षा अधिदेश उत्पाद एवं प्रभाव और अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है जिसमें छद्म कम्पनियों/हवाला प्रचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री तथा खरीद, आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्यपद्धति तथा केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र, बेंगलुरु शामिल हैं।

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2015-16 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 7,42,012 करोड़ थीं, जो जीडीपी के 5.5 प्रतिशत को दर्शाती हैं। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 55.9 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 51.0 प्रतिशत हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटक अर्थात् निगम कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 4.29 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 4.53 लाख करोड़ और आयकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 2.58 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 2.80 लाख करोड़ हो गया।

गैर निगमित निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2014-15 में 360.55 लाख से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 398.04 लाख हो गई, इसमें 10.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।

निगमित निर्धारितियों की संख्या 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 6.75 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.88 लाख हो गई।

संवीक्षा निर्धारण के कुल 7.05 लाख मामलों में से विभाग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 3.39 लाख (48.06 प्रतिशत) मामलों का निपटान किया था जिससे निपटान दर में कमी आई।

बकाया मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 7.00 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 8.24 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 97.3 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2.32 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.95 लाख हो गई। सीआईटी (अपील) में इन मामलों में अवरूद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 5.16 लाख करोड़ थी। उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अवरूद्ध राशि वि.व. 2014-15 में ₹ 1.9 लाख करोड़ (77,448 मामले) से बढ़कर वि.व. 2015-16 में ₹ 3.0 लाख करोड़ (70,371 मामले) हो गई।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में उन यूनिटों में जिनमें वि.व. 2015-16 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी, 2.28 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए, जिनमें से हमने 2.19 लाख मामलों की जांच की। इसके अलावा, हमने वि.व. 2015-16 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों में पूरे किए गए 0.25 लाख मामलों की भी लेखापरीक्षा की। वि.व. 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारणों में 0.18 लाख (7.3 प्रतिशत) मामलों में गलतियाँ थीं।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 463 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है जिन्हें अध्याय III तथा IV में शामिल किया गया है। इनमें से मंत्रालय/आयकर विभाग ने 20 दिसम्बर 2016 तक 298 मामले (89 प्रतिशत) स्वीकार कर लिए जबकि इसने 37 मामले स्वीकार नहीं किए। शेष मामलों में मंत्रालय/आयकर विभाग ने उत्तर नहीं दिए। इसके अलावा “छद्म कम्पनियों/हवाला प्रचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री तथा खरीद” पर एक दीर्घ पैरा अध्याय V में शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में दो विषय ‘आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्यपद्धति तथा ‘केंद्रीकृत संसाधन केंद्र, बेंगलुरु’ पर विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर भी चर्चा की गई है जिन्हे क्रमशः अध्याय VI तथा VII में शामिल किया गया है।

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित उत्तरों के संचय के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 तक 48,106 मामले इकट्ठे हो गए जिनमें ₹ 72,391.68 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा निर्धारणों में बताई गई त्रुटियों में परिशोधन से सृजित मांग से वि.व. 2015-16 में ₹ 525.68 करोड़ की वसूली की।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,230.72 करोड़ के कर प्रभाव के 2,074 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए।

अध्याय III: निगम कर

हमने निगम कर से संबंधित 320 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 3,298.93 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है नामतः निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 1,442.94 करोड़ (105 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 1,433.82 करोड़ (145 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 245.44 करोड़ (47 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 176.73 करोड़ (23 मामले) शामिल थे।

अध्याय IV: आयकर और धनकर

हमने आयकर से संबंधित 136 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 460.70 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामतः निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 107.27 करोड़ (68 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 63.28 करोड़ (38 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 15.02 करोड़ (21 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 275.13 करोड़ (नौ मामले) शामिल थे। इसके अलावा, हमने धन कर से संबंधित ₹ 0.47 करोड़ के कर प्रभाव वाले सात मामलों के बारे में भी बताया है।

अध्याय V: छद्म कम्पनियों/हवाला प्रचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री तथा खरीद

यह उन अवास्तविक संव्यवहारों के सम्बन्ध में है जो फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं तथा उनके लाभार्थियों के बीच हुए थे जिसके कारण बेहिसाबी आय का सृजन हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि आयकर विभाग तथ्यों की स्वतः विस्तृत जांच करने हेतु अपने अधिकार में आने वाले विभिन्न साधनों का प्रभाविकता से उपयोग करने तथा गंभीर आर्थिक दोषियों का पता लगाने के लिए संवीक्षा हेतु मामले को उठाने में विफल रहा।

अध्याय VI: आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्यपद्धति

हमने निदेशालय/प्र. सीसीआईटी द्वारा संरचनात्मक कार्यों की योजना तथा कार्यान्वयन में कमियों के बारे में बताया है। सीसीआईटी ने सभी पहलुओं में पूर्ण भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा जिसके परिणामस्वरूप

अनुमोदन लेने में विलम्ब हुआ। ऐसे मामले देखे गए जहां कार्यालय/आवासीय भवनों का निर्माण नहीं हुआ था क्योंकि अधिग्रहित भूमि निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं थी। भूमि की अनुपयुक्तता भूमि के अधिग्रहण से पूर्व यथोचित जांच पढताल की कमी दर्शाती है। निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन लेने में विलम्ब हुए जिसके कारण परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकी। परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए योजना तथा अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है। निदेशालय द्वारा निर्माण कार्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय प्रबंधन में कमी थी। निदेशालय बजट आबंटन का पूर्ण रूप से उपयोग करने में समर्थ नहीं था यद्यपि कार्यालय जगह की कमी थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां निधि खर्च करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन नहीं दिया था तथा पट्टा विलेख के नवीनीकरण के बिना ही पट्टा किराया का भुगतान किया जा रहा था।

अध्याय VII: केंद्रीकृत संसाधन केंद्र, बेंगलुरु

हमने टीडीएस की प्रस्तुत आय के साथ मिलान से संबंधित बिजनस रूल्स में त्रुटि के बारे में बताया है। सीपीसी की पूर्ण क्षमताओं, जैसेकि मांग/प्रतिदाय सूचना प्राप्त करने हेतु एएसटी-सीपीसी इंटरफेस, एओ के पास उपलब्ध सूचना का रिटर्नों के संसाधन में उपयोग नहीं करना, पिछले वर्षों के आईटीआर को सम्बद्ध नहीं करना जिसके कारण अधिक कटौती हुई, का 'संसाधन' की परिभाषा न बदलने के कारण लाभ नहीं उठाया गया। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सम्मत प्रक्रियाओं से विचलन देखे गए थे। इनमें से एक विचलन टीडीएस/कर भुगतान दावों के मिलान से संबंधित था जिसके परिणामस्वरूप कर क्रेडिट का मिलान न होने के कारण अधिक संशोधन हुआ। मास्टर सर्विस करार का उल्लंघन करते हुए संशोधन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ₹ 5.86 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। सर्विस लेवल करार (एसएलए) मेट्रिक्स फिजिकल आईटीआर के संसाधन के संबंध में वि. व. 2012-13 के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे। हालांकि आईटीआर की ई-फाइलिंग की संख्या में प्रक्षेपित की तुलना में वृद्धि हुई थी, तथापि, एसएलए में संशोधन नहीं किया गया और एसपी के निष्पादन की मूल लक्ष्यों के साथ तुलना जारी रही।

अध्याय 1

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2015-16 तथा वि.व. 2014-15 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)	
	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	19,42,353	16,66,717
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	7,42,012	6,95,792
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ¹	7,13,879	5,49,343
iii. गैर-कर प्राप्तियां	4,84,581	4,19,982
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,881	1,600
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ ²	42,132	37,740
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ³	41,878	26,547
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ ⁴	43,16,950	42,18,196
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	63,43,313	59,49,200

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की संगणना संघ वित्त लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 2015-16 में ₹ 5,06,193 करोड़ तथा वि.व. 2014-15 में ₹ 3,37,808 करोड़ शामिल है।

1.1.2 वि.व. 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि से मुख्यतः संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वृद्धि को बढ़ावा मिला। प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 38.2 प्रतिशत था तथा पिछले वर्ष से वि.व. 2015-16 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1 अप्रत्यक्ष करों जैसे सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि को माल एवं सेवाओं पर उदग्रहित किया जाता है;
 2 इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;
 3 संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;
 4 भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियों

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं,

- i. कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत निगम कर;
- ii. व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत आयकर (कम्पनियों को छोड़कर);
- iii. अन्य प्रत्यक्ष कर जिनमें प्रतिभूति लेनदेन कर⁵, धनकर⁶ आदि शामिल हैं।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन					
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
	₹ करोड़ में				
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	4,93,987	5,58,989	6,38,596	6,95,792	7,42,012
2. प्रतिदाय	93,814	83,766	89,060	1,12,163	1,22,596
3. प्रतिदाय पर ब्याज	6,486	6,666	6,598	5,332	6,886
	संख्या लाख में				
4. अभिलिखित निर्धारिती ⁷	363.5	373.8	470.3	607.6	644.01
5 निम्न द्वारा फाइल वास्तविक रिटर्न					
क. गैर निगमित निर्धारिती	357.6	367.9	304.0	360.6	398.0
ख. निगमित निर्धारिती	5.9	5.9	6.4	6.8	6.9
6. पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण	3.7	3.1	2.9	5.35	3.39
7. लम्बित संवीक्षा निर्धारण	4.1	2.9	4.2	4.96	3.66
स्रोत: क्रम 1-संघ वित्त लेखे, क्रम सं.2- प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं.3 से 7-डीजीआईटी (लौजिस्टिक्स), सीबीडीटी					

कर प्रशासन का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।


1.2.3 निम्न तालिका 1.3 आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

- 5 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। हालांकि, धारा 88ई के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2009-10 से किसी छूट की अनुमति नहीं है।
- 6 निवलधन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
- 7 वह मामले शामिल हैं जहां गैर-शून्य टीडीएस-26एस मौजूद है किंतु आयकर विभाग के अभिलेख में कोई आईटीआर दर्ज नहीं है (159.93 लाख-वि.व. 2013-14, 169.35 लाख-वि.व. 2014-15 तथा 163.45 लाख-वि.व. 2015-16)। वि.व. 2014-15 तथा वि.व. 2015-16 के आंकड़ों में पिछले दो वर्षों के दौरान डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा कवर किए गए सभी निर्धारिती शामिल हैं।

तालिका 1.3 गैर-निगमित निर्धारिती						(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	क ⁸	ख ₁ ⁹	ख ₂ ¹⁰	ग ¹¹	घ ¹²	कुल
2011-12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04

स्रोत: महानिदेशालय, आयकर (लॉजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्नों पर आधारित हैं।

गैर निगमित निर्धारितियों ने वि.व. 2014-15 में 18.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वि.व. 2015-16 में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। जैसाकि उपरोक्त तालिका 1.3 तथा चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान कई निर्धारितियों ने निम्न आय श्रेणी 'क' से माध्यम आय और उच्च आय श्रेणियों ख₁, ख₂ तथा ग में सुस्थिर स्थानांतरण किया है।



- 8 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण;
- 9 श्रेणी "ख₁" निर्धारिती (कम आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;
- 10 श्रेणी "ख₂" निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दस लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;
- 11 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;
- 12 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

1.2.4 निम्नलिखित तालिका 1.4 आय की विभिन्न श्रेणियों में निगमित निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.4 निगमित निर्धारिती								(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	क ¹³	ख ₁ ¹⁴	ख ₂ ¹⁵	ग ¹⁶	घ ¹⁷	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्यरत कम्पनियां
2011-12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00*	6.75	0.69	10.16
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00^	6.88	0.76	10.82

स्रोत: महानिदेशालय, आयकर (लॉजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्नों पर आधारित हैं।

* 256 निर्धारिती; ^ 337 निर्धारिती

निगमित निर्धारितियों ने वि.व. 2014-15 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2015-16 में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। गैर-निगमित निर्धारितियों को तरह इसमें भी वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 की पांच वर्षों की अवधि में निर्धारितियों के आय प्रोफाइल में सुस्थिर परिवर्तन हुआ और उच्च आय कोष्ठकों में अधिक प्रविष्टियां हुईं।


13 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;

14 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ पाँच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

15 श्रेणी "ख2" निर्धारिती (उच्च आय समूह) -₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दस लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

16 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;

17 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;



1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसके साथ साथ यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आय कर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, कर दाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र के मामलों से संबंधित मामलों को देखता है।

1.3.2 31 मार्च 2016 को आयकर विभाग की समस्त स्टाफ संख्या तथा कार्यरत संख्या क्रमशः 78,552 तथा 45,045 हैं। अधिकारियों¹⁸ की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमशः 11,052 और 9,200 है। वर्ष 2015-16 के लिए राजस्व व्यय ₹ 4,688.6 करोड़¹⁹ है।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट अनुमानों की तदनुसारी वास्तविक से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक

18 प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/अपर डीआईटी, डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी/डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

19 वि.व. 2015-16 के संघ वित्त लेखे।

अप्रत्याशित और यादृच्छ रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकता है या कभी किसी महत्वपूर्ण पैरामीटर को कम प्रक्षेपित/अधिक प्रक्षेपित करना सुविधाजनक हो सकता है।

1.4.2 निम्नलिखित तालिका 1.5 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान बजट अनुमानों(बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाती है।

तालिका 1.5 वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान						(₹ करोड़ में)	
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक माइनस बजट अनुमान	वास्तविक माइनस संशोधित अनुमान	बजट अनुमान प्रतिशत के रूप में	संशोधित अनुमान प्रतिशत के रूप में
2011-12	5,32,651	5,00,651	4,93,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.3	(-) 1.3
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 2.0	(-) 1.2
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3

टिप्पणी: बजट अनुमान और संशोधित आंकड़े संबंधित प्राप्त बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार है।

1.4.3 संशोधित अनुमानों वास्तविक पाये गए थे क्योंकि वास्तविक संग्रहण में अंतर वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों के (-) 1.4 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत के बीच रहा।

1.5 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.6 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान सकल कर प्राप्तियों²⁰ (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

20 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं।

तालिका 1.6: प्रत्यक्ष कर में वृद्धि					(₹ करोड़ में)
वि.व.	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर
2011-12	4,93,987	8,89,118	55.6	90,09,722	5.5
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.9	99,88,540	5.6
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,45,056	5.6
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5
2015-16	7,42,012	14,55,891	51.0	1,35,76,086	5.5

स्रोत: डीटी तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन: वि.व. 2015-16 हेतु जीडीपी-31 मई 2016 को सीएसओ द्वारा प्रकाशित प्रैस नोट। जीडीपी के आंकड़े सीएसओ द्वारा लगातार संशोधित किए जा रहे हैं।

1.5.2 यद्यपि वि.व. 2014-15 की तुलना में वि.व. 2015-16 में प्रत्यक्ष कर 6.6 प्रतिशत तक बढ़ गया था फिर भी जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वि.व. 2014-15 की तुलना में वि.व. 2015-16 में 4.9 प्रतिशत की कमी आई थी। यह वि.व. 2015-16 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में 30 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था जैसाकि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

1.5.3 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.7: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और इसके मुख्य संघटकों की वृद्धि (₹ करोड़)						
वि.व.	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	आय कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011-12	4,93,987	10.8	3,22,816	8.1	1,64,525	18.3
2012-13	5,58,989	13.2	3,56,326	10.4	1,96,843	19.6
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5

1.5.4 डीटी, सीटी और आईटी की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान क्रमशः 10.7 प्रतिशत, 8.9 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न तरीके जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर और

नियमित निर्धारण कर है। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व निर्धारण संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण पश्च निर्धारण पर होता है।

1.5.6 निम्न तालिका 1.8 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान निगम कर और आय कर के पूर्व निर्धारण तथा पश्च निर्धारण संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगम कर और आय कर का संग्रहण				(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	पूर्व-निर्धारण संग्रहण	पश्च निर्धारण संग्रहण	अन्य प्राप्तियां अधिप्रभार तथा शामिल है	जिनमे कुल संग्रहण उपकर
2011-12	4,77,853	51,512	50,134	5,79,499
2012-13	5,25,918	62,418	48,596	6,36,932
2013-14	5,85,192	72,528	63,884	7,21,604
2014-15	6,37,681	80,189	81,589	7,99,459
2015-16	6,95,171	63,814	96,940	8,55,925

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़ें संबंधित वर्षों के दौरान प्र.सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त किए गए थे। संग्रहण के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है।

1.5.7 वि.व. 2015-16 के दौरान निगम कर तथा आय कर का स्वैच्छिक अनुपालन वि.व. 2014-15 में 79.8 प्रतिशत की तुलना में 81.2 प्रतिशत था।

1.6 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

1.6.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधिपूर्ति हेतु राजस्वों को बढ़ाना है। सृजित राजस्व की राशि काफी हद तक सामुहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करती है। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट शामिल है। इन उपायों को सामुहिक रूप से “कर अधिमान या कर वरीयता” कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.6.2 अन्य बातों के साथ-साथ आय कर अधिनियम, व्यक्तियों द्वारा बचत तथा धर्मार्थ दान को प्रोत्साहित करने के लिए, निर्यात संवर्धन हेतु कर प्रोत्साहनों, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र और पूंजी निवेश हेतु त्वरित मूल्यहास का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट निगमित और गैर निगमित करदाताओं द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। नीचे तालिका 1.9 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.9 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव				(₹ करोड़ में)	
वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रभाव			
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर	
2011-12	1,01,140	1.1	20.5	11.4	
2012-13	1,02,256	1.0	18.3	9.9	
2013-14	93,047	0.8	14.6	8.2	
2014-15	1,18,593	0.9	17.0	9.5	
2015-16	1,28,693	0.9	17.3	8.8	

टिप्पणी: कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के आंकड़े प्राप्ति बजट के अनुसार वास्तविक हैं, वि.व. 2015-16 (प्रक्षेपित) को छोड़कर। यह धर्मार्थ संस्थाओं को कवर नहीं करते। हालांकि, प्राप्ति बजट 2016-17 के अनुसार धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा आवेदित राशि नवम्बर 2015 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई 1,19,317 रिटर्न के संदर्भ में ₹ 2,36,326 करोड़ है।

1.6.4 कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव में वर्षों से (वि.व. 2013-14 को छोड़कर) निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 87वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में देखा कि सरकार ने 'हालांकि विलंब से' इस दिशा में कुछ उपाय प्रस्तावित किए थे किंतु यह महसूस किया कि सरकार को अनुचित कर छूटों/कटौतियों को हटाने के लिए कुछ अंतरिम उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने 2015 के अपने बजट भाषण में घोषणा की कि निर्धारित के लिए छूट को तर्क संगत बनाया तथा हटाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 35, 35एसी, 35एडी, 35 सीसीसी, 35सीसीडी, 80आईए, 80आईएबी तथा 80 आईबी (9) के अंतर्गत कटौती को तर्क संगत करने के लिए कतिपय उपाय किए हैं।

1.7 कर आधार का विस्तारण

1.7.1 आयकर विभाग के पास निर्धारित आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक जानकारी विवरणियों (एआईआर) में उपलब्ध तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है। आयकर विभाग की केंद्रीय कार्य योजना 2015-16 में कर आधार के विस्तारण हेतु मुख्य परिणाम क्षेत्र हैं:

क. टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन में सुधार करना;

ख. उच्च मूल्य संव्यवहारों के बारे में सूचना का प्रभावी संग्रहण;

ग. वैध पैन के बिना सूचना की प्रभावी व्यवस्था; और


घ. विभिन्न तरीकों से निर्धारित नॉन-फाइलर्स से अनुपालन सुनिश्चित करना।

1.7.2 परिशिष्ट 1 में दर्शाए गए टीडीएस का डाटा वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 की अवधि में 44.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, जो टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन में सुधार करने का संकेत देता है। कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसीज)²¹ के डाटा के अनुसार कुल कार्यरत कम्पनियों के आंकड़ों की आयकर विभाग के अनुसार कुल फाइलरों के साथ तुलना से पता चला कि चिन्हित नॉन फाइलर्स द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना प्रभावी नहीं है। चूंकि वि.व. 2014-15 में आरओसी में 10.16 लाख कम्पनियां पंजीकृत थी जिसके प्रति यह देखा गया कि वि.व. 2015-16 में, 6.88 लाख कम्पनियां ही आयकर रिटर्न फाइलकर्त्ता हैं। चूंकि, सभी कार्यरत कम्पनियों (चाहे लाभ अर्जित करने वाली या हानि वहन करने वाली) को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार उनके आय के रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है, ऐसी 47.7 प्रतिशत कम्पनियों ने वि.व. 2014-15 में उनके आय के रिटर्न फाइल नहीं किए थे।

1.8 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.8.1 चार्ट 1.3 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

21 स्रोत: कार्पोरेट मामलों का मंत्रालय (सांख्यिकी डिविजन)



1.8.2 वि.व. 2015-16 में संवीक्षा निर्धारण मामलों के निपटान में वि.व. 2014-15 में 52.16 प्रतिशत की तुलना में 48.06 प्रतिशत तक कमी आई है।

1.9 प्रतिदाय दावों का निपटान

1.9.1 निम्न तालिका 1.10 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.10: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान (संख्या लाख में)				
वि.व.	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	प्रतिशतता में लम्बन
2011-12	52.8	40.3	12.5	23.7
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.9
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5
2014-15	31.5	22.6	8.9	28.1
2015-16	38.9	33.4	5.5	14.2

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), शोध एवं सांख्यिकी विंग,

1.9.2 वि.व. 2015-16 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के लम्बन में काफी कमी हो गई है।

1.9.3 वि.व. 2015-16 में सरकार ने ₹ 1,22,596 करोड़ वापस किये जिसमें ₹ 6,886 करोड़ (5.6 प्रतिशत) ब्याज शामिल है। वि.व. 2014-15 में प्रतिदाय

पर दिया गया ब्याज ₹ 5,332 करोड़ (₹ 1,12,163 करोड़ का 4.8 प्रतिशत, वापस की गई राशि) था।

1.10 बकाया मांग

1.10.1 निम्नलिखित तालिका 1.11 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 की अवधि के दौरान बकाया मांग की प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 1.11 बकाया मांग				(₹ करोड़ में)	
वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षों का बकाया मांग	चालू वर्ष की मांग	कुल बकाया मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग	
2011-12	2,65,040	1,43,378	4,08,418	3,87,614	
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854	
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538	
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032	
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256	

स्रोत: निदेशक आयकर (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं) द्वारा उपलब्ध कराए गए संबंधित वि.व. के मार्च माह के विश्लेषण सहित सीएपी। मांग एवं संग्रहण विवरण।

1.10.2 संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के मांग एवं संग्रहण विवरण में विभिन्न कारकों अर्थात् वसूली हेतु अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत मामलों, निर्धारिती का पता न लगना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा स्थागित मांग आदि जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर हो गई, का विश्लेषण किया गया था। यह मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और यह वि.व. 2014-15 में 96.1 प्रतिशत के प्रति वि.व. 2015-16 में मांग के कुल बकाया का 97.3 प्रतिशत हैं।

1.10.3 कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओ) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा को निर्धारित करते हुए प्रमाणपत्र तैयार करता है और राशि की वसूली को शुरू करने के लिए कार्यवाही करता है। असंग्रहीत रह गई प्रमाणित मांग वि.व. 2014-15 में ₹ 2.36 लाख करोड़ की तुलना में वि.व. 2015-16 में ₹ 2.40 लाख करोड़ पर स्थिर थी। टीआरओज वि.व. 2015-16 में लंबित प्रमाणित मांग के 8.5 प्रतिशत (₹ 22,089.31 करोड़) का निपटान कर सके।

1.11 अपील मामलों के निपटान

1.11.1 निम्न तालिका 1.12 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.12: सीआईटी (अपील) द्वारा अपील मामलों का निपटान					
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपील मामले	निपटाए गए अपील मामले	लंबित अपील मामले	प्रतिशतता में लम्बन	अपील मामलों में अवरुद्ध राशि
	(संख्या लाख में)				(₹ करोड़ में)
2011-12	3.06	0.76	2.30	75.3	2,42,182
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), शोध एवं सांख्यिकी विंग।

1.11.2 सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरोधित राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में संशोधित राजस्व घाटे के 1.1 गुना के प्रति वि. व. 2015-16 में भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के लगभग 1.5 गुना है।

1.11.3 निम्न तालिका 1.13, 31 मार्च 2016 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटीज)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.13: आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील/याचिकाएँ और अन्य मामले		
प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरोधित राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटीज	32,834	1,35,984
उच्च न्यायालयों	32,138	1,61,418
सर्वोच्च न्यायालय	5,399	7,092
कुल	70,371	3,04,494

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), शोध एवं सांख्यिकी विंग नई दिल्ली

1.11.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरुद्ध राशि 31 मार्च 2015 को (77,448 मामले) में ₹ 1.9 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2016 को (70,371 मामले) में ₹ 3.0 लाख करोड़ थी।

1.12 अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण

अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण, मुख्य प्रमाण चयन तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहाँ कर-वंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आईटीडी के अधीन है। निम्न तालिका 1.14 वि. व. 2011-12 से वि.व.

2015-16 के दौरान किए गए अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण और अप्रकटित आय/दाखिल की गई/पता लगाई गई को दर्शाती है।

तालिका 1.14: अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण मामलों की प्रास्थिति				(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	अन्वेषण किए गए समूहों की संख्या	दाखिल की गई अप्रकटित आय	किए गए सर्वेक्षण की संख्या	पता लगाई गई अप्रकटित आय
2011-12	621	15,071	3,706	6,573
2012-13	422	10,292	4,630	19,337
2013-14	569	10,792	5,327	90,391
2014-15	545	10,288	5,035	12,820
2015-16	447	11,226	4,428	9,700

स्रोत: जाँच विंग, सीबीडीटी

अन्वेषण एवं जब्ती के दौरान दाखिल की गई अप्रकटित आय वि.व. 2015-16 में 9.1 प्रतिशत तक बढ़ गई थी, तथापि, सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अप्रकटित राशि उसी अवधि में 24.3 प्रतिशत तक घट गई।

1.13 अभियोजन मामलों की प्रास्थिति

निम्न तालिका 1.15, वि. व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 तक शुरू किए गए अभियोजन कार्यवाही की प्रास्थिति, निर्णित मामलों अर्थात् अभिशंसित, संयोजित और विमुक्त को दर्शाती है।

तालिका 1.15: अभियोजन कार्यवाही मामलों की प्रास्थिति				(संख्या)	
वित्तीय वर्ष	शुरू किए गए अभियोजन	मामलों का निपटान			कुल मामले
		अभिशंसित	संयोजित	विमुक्त	
2011-12	209	14	397	182	593
2012-13	283	10	205	50	265
2013-14	641	41	561	62	664
2014-15	669	34	900	42	976
2015-16	552	28	1,019	38	1,085

स्रोत: जाँच विंग, सीबीडीटी

1.13.2 संयोजित मामलों की संख्या वि. व. 2011-12 में निपटाए गए 66.9 प्रतिशत मामलों से विव 2015-16 में 93.9 प्रतिशत तक मजबूती से बढ़ गई और निपटाए गए अभियोजन मामलों में विमुक्तियाँ 2011-12 में 30.7 प्रतिशत से वि.व. 2015-16 में 3.5 प्रतिशत बहुत अधिक घट गई।

1.14 परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज

वि.व. 2015-16 के लिए आईटीडी के लिए परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) में करदाताओं के साथ बेहतर संव्यवहार, करदाता सेवाओं को

बढ़ाने के लिए बेहतर मानव संसाधन का प्रबंधन, सूचना तकनीक बढ़ाने के द्वारा करदाता सेवाओं को मजबूत करना, कर प्रशासन में कार्यक्षमता और टिएआरसी की संस्तुतियों का कार्यान्वयन, उद्देश्यों के तहत शामिल हैं।

1.15 आयकर विभाग की आईटी पहलें

1.15.1 प्रभावी योजना सहित कर आधार को भी विस्तारित करने के प्रति कर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार और प्रबंधन को विश्वसनीय और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयकर विभाग ने समय-समय पर कई आईसीटी एप्लीकेशन शुरू की।

1.15.2 आईटीडी ने करदाता का प्रोफाइल तैयार करने के लिये डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर के रूप में एकीकृत करदाता डेटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) तैयार किया। यह उपभोक्ता को डेटा की उच्च मात्रा और अधिक लिंकेज के साथ करदाताओं को पूरा प्रोफाइल तैयार करने में सक्षम बनाता है। उन्नत संस्करण डेटा की अधिक मात्रा संभालता और बेहतर संपर्क बनाता है।

1.15.3 आईटीडी ने आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) नाम वाली एक अलग परियोजना शुरू की है जिससे इसने वर्तमान आईटीडी एप्लीकेशन को नई संरचना और रूपरेखा में पुनः तैयार करने की योजना बनाई। इस एप्लीकेशन की कुछ विशेषताएं कार्यप्रवाह पर आधारित प्रबंधन प्रणाली, चेतावनी एवं अधिसूचना सेवाएं, करदाताओं का समेकित मत, सभी (प्राधिकृत उपाभोक्ताओं) के लिए बहुत बड़ी संख्या में मानक एवं कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बनाने की क्षमता, सभी को एक समान मेलिंग उपाय आदि हैं। यह एप्लीकेशन अब भी विकासशील है।

1.15.4 आईटीडी ने कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सूचना की प्रभावी उपयोगिता और अनुपालन में सुधार के लिए गैर-दखल सूचना चालित दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए डाटा वेयरहाउस पर “प्रोजेक्ट इनसाइट” और व्यापारिक असूचना (डी डब्ल्यू एंड बीआई) प्लेटफार्म प्रारंभ किया है। इसमें डाटा वेयरहाउस, डाटा माइनिंग, वेबमाइनिंग, प्रागाकित मॉडलिंग, डाटा विनिमय, मास्टर डाटा प्रबंधन, केन्द्रीय प्रसंस्करण, अनुपालन जोखिम प्रबंधन और मामला विश्लेषण क्षमताएं सम्मिलित हैं। परियोजना विव 2016-17 में प्रारंभ होनी अपेक्षित है।

1.15.5 तकनीक की सहायता से विभाग में मुकदमेबाजी प्रबंधन को सुधारने के उद्देश्य से आईटीडी ने “राष्ट्रीय अदालती संदर्भ प्रणाली” एक परियोजना प्रारंभ की है। अपील एवं निर्णयों का कम्प्यूटराईज्ड डाटाबेस उन मामलों का पता

लगाने में मदद करेगा जो कि व्यवस्थापित मामलों पर मुकदमेबाजी को छोड़कर, समान मामलों को एकत्रित करना, महत्वपूर्ण मामलों की प्राथमिकता, क्षमता निर्माण और करनीति विश्लेषण में निश्चिंतात्मकता प्राप्त की है। सॉफ्टवेयर बनाया एवं कार्यान्वित किया गया है। यह परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों/आईटीएटीज से अपील डाटा की प्रयोग करती है।

1.16 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.16.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसोधित किए जा रहे हैं। आईटीडी ने 2007 के निर्देश सं. 3 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए कार्ययोजना बनाता है और वि.व. 2014-15 में लेखापरीक्षित 1,66,229 मामलों के विरुद्ध वि.व. 2015-16 में 1,78,793 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.16.2 तालिका 1.16 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 तक प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.16: जोड़े गए, निपटान किए गए और लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण								(₹ करोड़ में)	
वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष		जमा		निपटान		लम्बन		
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2011-12	34,940	8,516	13,771	1,880	14,148	1,118	34,563	9,278	
2012-13	34,563	9,278	18,275	4,135	16,626	2,736	36,212	10,677	
2013-14	36,212	10,677	14,423	8,951	26,322	8,610	24,313	11,018	
2014-15	20,834 [^]	8,368	9,927	2,292	15,586	3,805	15,175	6,855	
2015-16	19,137 [^]	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281	

स्रोत: आयकर (आयकर एवं लेखापरीक्षा); [^]मार्च को समाप्त तिमाही के लिए विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संशोधित सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े

1.16.3 वि.व. 2014-15 में 10,624 मामलों में से 4,973 मामले (46.8 प्रतिशत) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 11,509 मुख्य आपत्तियों के मामलों²² में से, एओज ने, वि.व. 2015-16 में 3,730 मामलों (32.41 प्रतिशत) पर कार्य की।

22 आयकर में ₹ दो लाख के ऊपर और अन्य करों में 30,000 से ऊपर लेखापरीक्षा आपत्ति

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी कानून के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षा का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों(राजस्व और पूंजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत् पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है।

2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी क्षमता की जांच को शामिल किया जाता है:

क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;

ख. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;

ग. विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्यवाही;

घ . राजस्व प्रशासन को सुदृढ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;

ड. राशि जो बकाया हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाही;

च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया है और न ही कम किया गया है;

उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए, हमने वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयकर विभाग द्वारा पूर्ण की गई निर्धारणों की जांच की। इसके अतिरिक्त, कुछ निर्धारण जो कि पिछले वर्षों में पूर्ण किए गए थे, की भी जांच की गई।

2.2.2 आईटीडी ने वि.व. 2014-15 में 2,27,859 संवीक्षा निर्धारण²³ उन यूनिटों में जिनकी हमने वि.व. 2015-16 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान लेखापरीक्षा की थी, में पूरे किए थे इनमें से हमने 2,18,957 मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त वि.व. 2015-16 में पिछले वित्तीय वर्षों में पूर्ण किए गए 25,320 मामलों की भी हमने जांच की। लेखापरीक्षा में की गई जांच में निर्धारणों में 17,775 मामलों (7.3 प्रतिशत) में त्रुटियां थीं जो पिछले साल से कम (7.4 प्रतिशत) थीं। हमने 12,115 मामलों में गलतियाँ देखी जिन्हें आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा पता लगाने में विफल हुई थी।

2.2.3 निर्धारण में राज्य-वार गलतियां परिशिष्ट- 2.1 में दी गई हैं। नीचे तालिका 2.1 में शीर्ष आठ राज्यों के विवरण, जहाँ 10,000 से अधिक निर्धारण 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गए थे, दर्शाती है।

तालिका 2.1: 10,000 से अधिक निर्धारण वाले शीर्ष आठ राज्यों का विवरण (₹ करोड़ में)					
राज्य	2014-15 के दौरान पूरे किये गये निर्धारण	2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारण	गलतियों वाले निर्धारण	लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल राजस्व प्रभाव	गलतियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता
क. दिल्ली	41,101	31,573	1,340	2,756.55	4.2
ख. गुजरात	26,622	26,055	1,373	1,514.83	5.3
ग. महाराष्ट्र	72,610	54,869	3,337	3,581.44	6.1
घ. राजस्थान	11,805	11,342	735	77.58	6.5
ड. तमिलनाडु	17,084	14,836	1,887	1,285.71	12.7
च. उत्तर प्रदेश	13,176	12,665	907	971.50	7.2
छ. पश्चिम बंगाल	39,997	39,055	3,102	2,460.35	7.9

23 विव 2014-15 के दौरान आईटीडी में पूर्ण की गई कुल संवीक्षा निर्धारण

यह दर्शाती है कि तमिलनाडु में गलतियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता उच्चतम (12.7 प्रतिशत) थी। उसके पश्चात दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल (7.9 प्रतिशत) था। यह भी देखा गया है कि इन दोनों राज्यों में त्रुटियों के साथ निर्धारणों का प्रतिशत उच्चतम था।

2.2.4 नीचे दी गई तालिका 2.2 में वि.व. 2015-16 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में देखी गई त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: निर्धारणों में त्रुटियों का कर - वार ब्यौरा		(₹ करोड़ में)
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क) निगम कर और आय कर	19,647	16,564.18 ²⁴
ख) धन कर एवं अन्य प्रत्यक्ष कर	552	159.39
योग	20,199	16,723.57

नोट: उपरोक्त निष्कर्ष तथा सभी अनुवर्ती निष्कर्ष विशेष रूप से चयनित निर्धारणों की लेखापरीक्षा पर आधारित है।

2.2.5 नीचे दी गई तालिका 2.3 निगम कर और आय कर से संबंधित कम निर्धारण के श्रेणी वार ब्यौरे दर्शाती है। परिशिष्ट-2.2 उनके तहत उप-श्रेणियों के संबंध में ब्यौरे दर्शाता है।

तालिका 2.3: त्रुटियों का श्रेणी-वार ब्यौरा		(₹ करोड़ में)
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	4,616	3,750.99
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	8,267	8,542.98
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय	2,351	1,684.24
घ. अन्य	3,251	1,744.29
योग	18,485	15,722.50

2.3 लेखापरीक्षा उत्पाद एवं लेखापरीक्षा को प्रतिक्रिया

2.3.1 हमने लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर लेखा परीक्षित इकाइयों से प्रतिक्रियाएँ मांगीं। स्थानीय लेखापरीक्षा के समापन पर विनियम 193 के प्रावधानों के अनुसार हम आईटीडी को टिप्पणियों के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी करते हैं।

2.3.2 नीचे दी गई तालिका 2.4 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान जारी स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल किये गये मामले और उनके संबंध में प्राप्त उत्तरों और स्वीकृत अभ्युक्तियों की स्थिति दर्शाती है।

24 841.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले अधिक निर्धारण के 1162 मामले शामिल हैं।

तालिका 2.4: स्थानीय लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया						
वि.व.	की गई अभ्युक्तियाँ	प्राप्त किये गये उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं हुए	स्वीकृत मामलों की प्रतिशतता	उत्तर प्राप्त न होने की प्रतिशतता
		स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले			
2011-12	19,624	3,945	2,971	12,708	20.1	64.8
2012-13	18,548	3,343	4,124	11,081	18.0	59.7
2013-14	19,312	3,642	3,131	12,534	18.9	64.9
2014-15	17,626	3,631	3,535	10,450	20.6	59.3
2015-16	20,737	3,281 ²⁵	5,196	12,260	15.8	59.1

2.3.3 नीचे दी गई तालिका 2.5 अभ्युक्तियों के लंबन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.5: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के ब्यौरे							(₹ करोड़ में)	
अवधि	नि.कर		आ.कर		अ.प्र.कर		योग	
	सं	कर प्रभाव	सं	कर प्रभाव	सं	कर प्रभाव	सं	कर प्रभाव
मार्च 2012 तक	5,358	17,910.80	7,162	2,182.99	1,594	120.31	14,114	20,214.10
2012-13	2,149	5,005.50	2,975	2,643.19	1,010	112.29	6,134	7,760.98
2013-14	2,997	8,046.35	5,242	1,965.92	1,069	64.77	9,308	10,077.04
2014-15	4,531	20,226.53	5,463	4,395.96	1,034	80.58	11,028	24,703.07
2015-16	2,877	7,880.24	3,954	1,671.23	691	85.02	7,522	9,636.49
योग	17,912	59,069.42	24,796	12,859.29	5,398	462.97	48,106	72,391.68

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों के लंबन में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 तक ₹ 72,391.68 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 48,106 मामले जमा हो गए थे।

विभाग के प्रयत्न यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा को उत्तर निर्धारित अवधि में भेजे गए, संतोषजनक नहीं थे। विनियम 202 एवं 203 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है।

2.3.4 विनियमों 205 से 209 के प्रावधानों के अनुसार, इनमें से महत्वपूर्ण और अधिक मूल्य वाले मामलों को हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी किया। हमने मामलों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समावेश करने से पूर्व मंत्रालय को टिप्पणी के लिए छह सप्ताह दिए। चार सौ तिरेसठ²⁶ मामले वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल

25 1,690 मामले स्वीकृत किए गए और उपचारात्मक कार्यवाही की गई - 1591 मामले स्वीकार किए गए किंतु उपचारात्मक कार्यवाई नहीं की गई।

26 परिशिष्ट 2.3 मंत्रालय को जारी 463 मामलोंका विवरण देता है।

किए गए हैं, जिनमें से 335 मामलों के लिए उत्तर प्राप्त हुए। मंत्रालय/आईटीडी ने 20 दिसंबर 2016 तक 298²⁷ मामले (89 प्रतिशत) स्वीकार किए जबकि इसने 37²⁸ मामलों को स्वीकार नहीं किया था। शेष 128 मामलों पर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तालिका 2.6 इन मामलों²⁹ का श्रेणी वार विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.6 उच्च मूल्य मामलों का श्रेणीवार विवरण (₹ करोड़ में)						
श्रेणी	सीटी		आईटी		कुल	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	105	1,442.94	68	107.27	173	1,550.21
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबन्धन	145	1,433.82	38	63.28	183	1,497.10
ग. चूको के कारण निर्धारण से बच गई आय	47	245.44	28*	15.49	75	260.93
घ. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	23	176.73	9	275.13	32	451.86
कुल	320	3,298.93	143	461.17	463	3,760.10

*₹ 0.47 करोड़ के टीई वाली सम्पत्ति के निर्धारित के सात मामलों सहित

2.3.5 निगम कर, आय कर और धन कर के संबंध में निर्धारणों की उपरोक्त त्रुटियों का विवरण अध्याय III और IV में क्रमानुसार दर्शाया गया है।

2.3.6 उपरोक्त के अतिरिक्त 'छद्म कम्पनियों/हवाला प्रचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री एवं खरीद' पर एक लम्बा पैरा मंत्रालय को जारी किया गया था जिसे वर्तमान रिपोर्ट के अध्याय V में समावेशित किया गया है। अध्याय VI और VII में दो विषय विनिर्दिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों 'आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्य पद्धति और 'केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र, बेंगलुरु' को शामिल किया गया है।

27 मंत्रालय - 263 (सीटी-184, आईटी और डब्ल्यूटी 79) मामले: आईटीडी-35 (सीटी 23, आईटी और डब्ल्यूटी 12) मामले


28 मंत्रालय-13 (सीटी 11, आईटी और डब्ल्यूटी-2) मामले; आईटीडी-24 (सीटी-23, आईटी-1) मामले

29 उपश्रेणियों वार विवरण परिशिष्ट 2.4 में दिए गए हैं।

2.4 लेखापरीक्षा प्रभाव

2.4.1 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

आईटीडी ने निर्धारणों में गलतियों, जो हमने दर्शायी थी, को सुधारने के लिए उठाई गई मांगों से पिछले पाँच वर्षों में ₹ 6,122.43 करोड़ वसूल किए। इनमें वि.व. 2015-16 में वसूले गए ₹ 525.68 करोड़ शामिल हैं।



2.5 समय बाधित मामले

2.5.1 नीचे तालिका 2.7 वि.व. 2011-12 से 2015-16 के दौरान समय-बाधित मामलों का विवरण देती है।

तालिका 2.7: समय बाधित मामलों का विवरण			(₹ करोड़ में)
वि.व.	मामले	कर प्रभाव	
2011-12	3,907	1,083.0	
2012-13	2,207	899.9	
2013-14	2,427	1,121.2	
2014-15	3,881	2,490.8	
2015-16	2,074	1,230.72	

2.5.2 वि.व. 2015-16 के दौरान ₹ 1,230.72 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,074 मामले उपचारात्मक कार्यवाही के लिए समय बाधित हो गये, जिसमें से केवल तमिलनाडु ही 69 प्रतिशत राशि के लिए जिम्मेदार है। परिशिष्ट 2.5 वि.व. 2015-16 के लिए राज्यवार ऐसे मामलों को दर्शाती है। ऐसे मामलों में उपचारात्मक कार्यवाही नहीं करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपचारात्मक कार्यवाही समय पर हो ताकि ऐसी घटनाएँ भविष्य में पुनः न हो।

2.6 अभिलेखों को उपलब्ध न कराना

2.6.1 हमने करों के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के मद्देनजर और यह जाँचने के लिए कि नियमावलियों और क्रियाविधियों का अनुपालन किया जा रहा है, नियंत्रक-महालेखापरीक्ष (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की। आईटीडी के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखापरीक्षा को अविलंब अभिलेख उपलब्ध कराये और सुसंगत सूचना प्रस्तुत करें।

2.6.2 हमने आईटीडी से जून 2015 में लेखापरीक्षा नियोजन के उद्देश्य के लिए संवीक्षा मामलों के चयन के लिए जोखिम विश्लेषण को मजबूत और सरल बनाने के लिए पिछले चार वित्तीय वर्षों के लिए सीएएसएस द्वारा संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित निर्धारिती के आय कर/निगम कर के डाटा की माँग की थी। तथापि, निरंतर अनुस्मारकों के बावजूद, बीजाकार डाटा के प्रति जैसा की माँगा गया केवल कुछ मदों के संबंध में अपूर्ण और कुल सार डाटा सितम्बर 2016 में प्रदान किया गया था। हमने 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान किए गए खोज, अधिग्रहण और सर्वेक्षणों की सूचना/ डाटा प्रदान करने और 2005-06 से 2015-16 के निर्धारण वर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक कृषि आय वाले निर्धारिती के संबंध में डाटा/सूचना प्रदान करने की माँग की। तथापि कितने ही अनुस्मारकों के बावजूद नवम्बर 2016 तक आईटीडी द्वारा कोई डाटा प्रदान नहीं किया गया। डाटा प्रदान नहीं करने के कारण वर्ष 2017-18 के लिए सीएजी की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के निर्धारण में अत्यधिक विलंब हुआ और इसलिए सीएजी को अपना अधिदेश पूरा करने में विघ्न आया।

2.6.3 हिमाचल प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अभिलेखों को उपलब्ध न कराना वि.व. 2015-16 के दौरान पिछले वर्षों में बढ़ गया है। आईटीडी ने विव 2015-16 के दौरान मांगे गए 2,74,974 अभिलेखों में 29,513 अभिलेख (10.74 प्रतिशत) उपलब्ध नहीं कराए जो विव 2014-15 से कम (12.02 प्रतिशत) है।

नीचे तालिका 2.8 तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में समान निर्धारितीयों से संबंधित लेखापरीक्षा को उपलब्ध ना कराए गए अभिलेखों के विवरण दर्शाती है। परिशिष्ट 2.6 वि.व. 2013-14 से विव 2015-16 के दौरान अभिलेखों को उपलब्ध ना कराने के विवरण दर्शाता है।

तालिका 2.8: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये गये अभिलेख	
राज्य	अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें
क. महाराष्ट्र	24
ख. ओडिसा	9
कुल	33

विव 2015-16 में दो राज्यों में समान निर्धारितियों से संबंधित 33 अभिलेख पिछले तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 यह अध्याय मई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान मंत्रालय को भेजे गए महत्वपूर्ण एवं उच्च मूल्य निगम कर के 320 मामलों पर चर्चा करता है। इसमें 297 मामलों में से ₹ 3,122.20 करोड़ के कम प्रभार के मामले और ₹ 176.73 करोड़के अधिक प्रभार³⁰ वाले 23 मामलों निहित है। गलत निर्धारण के यह मामलें आयकर विभाग द्वारा किए गए निर्धारण प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों में कमियों की ओर इशारा करते हैं।

3.1.2 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारण से बचन वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

तालिका 2.6 (पैरा 2.3.4) गलतियों की व्यापक श्रेणियों तथा उनके कर प्रभार के विवरण दर्शाती है।

3.1.3 मंत्रालय ने ₹ 1,345.80 करोड़ के कर प्रभाव वाले 184 मामलों में अपनी स्वीकार्यता बता दी है। मंत्रालय ने ₹ 167.24 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों को स्वीकार नहीं किया है। शेष 125 मामलों में, विभाग आईटीडी ने ₹ 251.02 करोड़ के कर प्रभाव वाले 23 मामलों को स्वीकार किया है जबकि ₹ 488.50 करोड़ के कर प्रभाव वाले 23 मामलों को स्वीकार नहीं किया गया है। 320 मामलों में से, आईटीडी ने एक मामले में ₹ 3.99 करोड़ की वसूली प्रभावित की, ₹ 2,426.96 करोड़ के कर प्रभाव वाले 252 मामलों में उपचारात्मक कार्यवाही की और ₹ 191.95 करोड़ के कर प्रभाव वाले 25 मामलों में उपचारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की

30 अधिक प्रभार सही आंकड़ों को अपनाने में गलतियों, आय की गणना में अंकगणितीय गलतियों, कर/ब्याज की दरों का गलत अनुप्रयोग इत्यादि के कारण है।

आवश्यकता है। तालिका 3.1 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों की उप-श्रेणिया (₹ करोड़ में)			
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	45	922.95	आंध्र प्रदेश (एपी), बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश (एमपी), महाराष्ट्र, ओडिसा, तमिलनाडू (एनटी), और पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबी).
ख. कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग	5	15.73	गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (यूपी)
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ	39	163.84	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
घ. अधिक्या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	6	49.46	आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और महाराष्ट्र
ड. अपीलीय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में गलतियाँ	10	290.96	दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
कुल	105	1,442.94	

3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम एस सात निदर्शी मामलें नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

3.2.2.1 महाराष्ट्र में, प्र. सीआईटी-6 मुम्बई प्रभार नि.अ. ने ₹ 4,208.31 करोड़ पर आय निर्धारणित करते हुए मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 144 सी के साथ देखी गई धारा 144 के तहत नि.व 2011-12 के लिए मेसर्स एस्सर कैपिटल लि. के निर्धारण को पूर्ण किया। करारोप्य आय की गणना के दौरान नि.अ. ने “ऋण पत्र पर छूट प्रभारों” के कारण ₹ 379.57 करोड़ की राशि को जोड़ा नहीं, यद्यपि दावा को निर्धारण के दौरान अस्वीकार किया गया। उक्त को सितम्बर 2015 में धारा 154 के तहत परिशोधन आदेश पारित करने के

दौरान वापस जोड़ा नहीं गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 126.09 करोड़ के कर की कम उगाही सहित ₹ 379.57 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154³¹ के तहत त्रुटि (मई 2016) को परिशोधित किया।*

3.2.2.2 तमिलनाडू में, सीआईटी-1 चेन्नै प्रभार, नि.अ. ₹ 4199.24 करोड़ पर आय निर्धारण के साथ मार्च 2015 में नि.व 2012-13 के लिए **मेसर्स तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लि.** के निर्धारण की संवीक्षा को पूर्ण किया। जबकि करारोप्य आय की गणना के दौरान नि.अ. ने “तमिलनाडू सरकार को निर्धारिती द्वारा प्रदत्त/भुगतये विक्रय शुल्क” के कारण ₹ 307.53 करोड़ की राशि को जोड़ा नहीं था, यद्यपि संविदा निर्धारण के दौरान दावे को अस्वीकार किया गया। इस चूक के कारण ₹ 99.78 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 307.53 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मई 2015) किया।*

3.2.2.3 सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, नि अ ₹ 2706.47 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2015 में नि.व 2011-12 के लिए मै. पारादीप फास्फेट लि. का संवीदा निर्धारण पूरा किया। करयोग्य आय का आंकलन करते समय, नि.अ.ने ₹ 240.77 करोड़ की उचित राशि के स्थान पर ₹ 24.08 करोड़ की रिटर्नड आय गलती से स्वीकृत की और 7.5 प्रतिशत के अनुमत दर के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर पर उप प्रभार का उद्ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, ₹ 2,944.83 करोड़ के स्थान पर ₹ 2706.47 करोड़³² की निर्धारित आय का गलत आंकलन किया गया। चूकों के कारण ₹ 86.24 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 238.36 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (जनवरी 2016) किया।*

3.2.2.4 सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 83.39 करोड़ की कुल हानि; जिसे बाद में मार्च 2015 में ₹ 89.43 करोड़ के रूप में संशोधित किया गया का निर्धारण दिसंबर 2011 में निव 2009-10 के लिए **मै. 9एक्स मीडिया प्राइवेट लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। संशोधित निर्धारण में कर योग्य आय का आंकलन करते हुए, नि.अ. ने संवीक्षा निर्धारण के बाद आंकी गई ₹ 83.39 करोड़ की हानि का उचित राशि के स्थान पर आय की रिटर्न के

31 निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश में अभिलेखों से स्पष्ट पता चलती गलतियों को आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत संशोधित किया जा सकता है।

32 ₹ 2701.99 करोड़ और ₹ 2.06 करोड़के गैर अनुमति सहित 2706.47 करोड़ की आय

अनुसार ₹ 266.34 करोड़ की हानि पर प्रारंभिक आंकड़े गलती से स्वीकृत किये। इस गलती के कारण ₹ 62.18 करोड़ के कम संभावित कर उद्ग्रहण सहित ₹ 182.94 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (अप्रैल 2016) किया।*

3.2.2.5 प्र. सीआईटी-2, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निअ. ने ₹ 10.04 करोड़ आय निर्धारण करते हुए मार्च 2015 में निव 2012-13 के लिए मै. एपोक्सी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लि. के संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निअ ने धारा 68 के अंतर्गत अस्पष्ट निवेश के रूप में ₹ 99.86 करोड़ के शेयर प्रीमियम की वास्तविक राशि के स्थान पर ₹ 9.99 करोड़ राशि को वापस जोड़ा। चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 39.66 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 89.87 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मई 2015) किया।*

3.2.2.6 सीआईटी (केन्द्रीय)-1 दिल्ली प्रभार, दिल्ली में, निअ. ने ₹ 4920.93 करोड़ आय और उस पर ₹ 1634.61 करोड़ के कर का निर्धारण करते हुए नवम्बर 2014 में निव 2011-12 के लिए मै. सहारा इंडिया कमर्शियल कार्पोरेशन लि. ने संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निअ ने ₹ 5355.54 करोड़ की उचित राशि के स्थान पर ₹ 5312.72 करोड़ के रूप में सभी गैर-अनुमतियों की कुल राशि के रूप में स्वीकार किया। चूक के कारण ₹ 20.48 करोड़ के कम प्रभाव सहित ₹ 42.82 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (दिसम्बर 2015) किया।*

3.2.2.7 प्र. सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निअ. ने ₹ 61.02 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में निव 2012-13 के लिए मै. ईस्ट हैदराबाद एक्सप्रेस वे लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निअ. ने निर्धारण आदेश के अनुसार विभिन्न गैर-अनुमतियों को ध्यान में रखने के बाद ₹ 19.92 करोड़ के उचित राशि के स्थान पर ₹ 61.02 करोड़ के रूप में हानि का गलत आंकलन किया। इस चूक के कारण ₹ 13.33 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 41.10 करोड़ हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (फरवरी 2015) किया।*

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरें लागू करना

ऐसे तीन निदर्शी मामले हम नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) दर्शाती है कि निअ. को उचित ढंग से आय का निर्धारण और आकलन करना चाहिए। लेखों के साथ विभिन्न प्रकार के दावे, रिकॉर्ड और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के संवीक्षा निर्धारणों की सिस्तृत जांच की जानी आवश्यक है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय-समय पर कई निर्देश जारी किये हैं।

3.2.3.1 प्र. सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निअ ने ₹ 53.86 करोड़ के लघु अवधि पूंजीगत लाभ के सहित ₹ 592.69 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2011 में निव 2009-10 के लिए **मै. एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर देयता का आंकलन करते समय, निअ ने नकद निधि, धन बाजार निध, नकद प्रबंधन निधि आदि जिस पर 30 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की दर पर सुरक्षा लेन-देन कर पर छूट देय नहीं थी, के संबंध में लघु अवधि पूंजीगत लाभ पर ₹ 9.15 करोड़ का कर का गलत आंकलन किया। चूक के कारण ₹ 9.15 करोड़ का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।*

3.2.3.2 प्र. सीआईटी-5, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निअ ने ₹ 140.03 करोड़ आय का निर्धारण करते समय मार्च 2015 में निव. 2008-09 के लिए **मै. कल सरिया डायमंडस प्रा. लि.** का निर्धारण पूरा किया। कर देयता का आंकलन करते समय, निअ ने 10 प्रतिशत अधिभार की उचित दर के स्थान पर एक प्रतिशत का गलत अधिभार उद्ग्रहित किया। गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मई 2015) किया।*

3.2.3.3 प्र. सीआईटी-2 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में निअ ने अधिनियम के अंतर्गत ₹ 69.55 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) और विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 69.70 करोड़ के बुक लाभ ₹ 69.57 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2014 में निव 2012-13 के लिए **मै. ज्ञानेश्वर इंफरास्ट्रक्चर प्राइवेट लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। आईटीएनएस-150 में कर देयता की गुणना करते समय, निअ ने ₹ 1.60 लाख आय पर 30 प्रतिशत के सामान्य दर और के स्थान पर ₹ 69.70 करोड़ के बुक लाभ पर 18.5 प्रतिशत की दर पर और ₹ 69.55 करोड़ के एलटीसीजी पर 20 प्रतिशत कर प्रभारित किया। चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 1.24 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (सितम्बर 2015) किया।*

3.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटि

हम नीचे ऐसे पांच निदर्शी मामले दे रहे हैं:

अधिनियम समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारितियों की ओर से विभिन्न चूकों के लिए ब्याज उद्ग्रहण दर्शाता है। धारा 234ए विनिर्दिष्ट दरों के लिए और विनिर्दिष्ट समय अवधि पर आय की रिटर्न प्रस्तुत चक के कारण ब्याज का उद्ग्रहण दर्शाता है। धारा 234बी विनिर्दिष्ट दरों के लिए और विनिर्दिष्ट समय अवधि पर अग्रिम कर के भूगतान में चूक के कारण ब्याज का उद्ग्रहण दर्शाता है।

3.2.4.1 प्र. सीआईटी-नोयडा प्रभार, उत्तर प्रदेश में, निअ ने फरवरी 2015 में निव 2010-11 से 2012-13 के लिए **मै. न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट अथरिटी** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर देयता का आंकलन करते समय, निअ ने तीन वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 39.14 करोड़, ₹ 40.64 करोड़ और ₹ 8.12 करोड़ की उचित राशि के स्थान पर आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक हेतु धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 31.61 करोड़, ₹ 30.11 करोड़ और ₹ 5.22 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, निअ ने इन निव के लिए क्रमशः ₹ 44.41 करोड़, ₹ 47.75 करोड़ और ₹ 10.16 करोड़ की उचित राशिके स्थाप पर अग्रिम कर के भूगतान में चूक हेतु धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 35.38 करोड़, ₹ 35.13 करोड़ और ₹ 6.67 करोड़ ब्याज का उद्ग्रहण किया। चूक के कारण समुच्चयित ₹ 49.09 करोड़ (धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 20.96 करोड़³³ और धारा 234 बी के अंतर्गत ₹ 25.14 करोड़³⁴) का ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (नवम्बर 2015) किया।*

3.2.4.2 प्र. सीआईटी-2, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निअ ने ₹ 16.44.79 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2011 में निव 2009-10 के लिए **मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। इसके पश्चात अप्रैल 2013 में पास किये गये आदेश के अनुसार सीआईटी (अपील) द्वारा दी गई राहत के बाद ₹ 1574.71 करोड़ की आय संशोधित करते हुए मार्च 2014 में आय कर अधिनियम की धारा 250 के साथ पठित धारा 147³⁵ के साथ पठित धारा 143(3)³⁶ के अंतर्गत मामले का पुनर्निर्धारण किया गया। रिटर्न के साथ संलग्न आय के अनुसार, निर्धारिती ने ₹ 35.65 करोड़ के

33 ₹ 20.96 करोड़ = (₹ 39.14 करोड़ + ₹ 40.64 करोड़ + ₹ 8.12 करोड़) - (₹ 31.61 करोड़ + ₹ 30.11 करोड़ + ₹ 5.22 करोड़)

34 ₹ 25.14 करोड़ = (₹ 44.41 करोड़ + ₹ 47.75 करोड़ + ₹ 10.16 करोड़) - (₹ 35.38 करोड़ + ₹ 35.13 करोड़ + ₹ 6.67 करोड़)

35 निअ. द्वारा पूरे किये गये संवीक्षा निर्धारण संदर्भित धारा 143(3)

36 आयकर अधिनियम की धारा 147 का प्रावधान किसी निर्धारण अधिकारी को निर्धारण को पुनः खोलने के लिए सशक्त करता है यदि वह इस बात के लिए अश्वस्त है कि आय की निर्धारण नहीं हुआ है।

टीडीएस और का दावा किया तथा देय कर के प्रति क्रमशः 29.05.2009 और 25.09.2009 को ₹ 460.43 करोड़ और ₹ 49.03 करोड़का स्वयं निर्धारण कर अदा किया। आईटीएनएस 150ए की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि विभाग ने अग्रिम कर के रूप में निर्धारिती द्वारा अदा किये गये दर्शाये गये स्वयं निर्धारित कर समुच्चयित ₹ 509.47 करोड़ को गलत माना। चूक के कारण धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 20.20 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण और धारा 244ए(1)(बी) के अंतर्गत ₹ 2.63 करोड़ ब्याज की वापसी हुई। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (सितम्बर 2014) किया।*

3.2.4.3 सीआईटी, (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) 2 प्रभार, दिल्ली में, निअ ने ₹ 5,149.35 करोड़ आय और उस पर ₹ 689.83 करोड़ कर का निर्धारण करते हुए जनवरी 2015 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144सी के अंतर्गत निव 2010-11 के लिए **मै. नोकिया कार्पोरेशन** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 30 सितम्बर 2010 (15 अक्टूबर 2010 तक बढ़ाई गई) की फाइलिंग की तय तिथि के प्रति 18 अगस्त 2011 पर कार्पोरेशनकर रिटर्न फाईल की। कर मांग का अंगलन करते समय, आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में विलंब के लिए ब्याज 11 महीनों के प्रति केवल 10 महीनों के लिए उद्ग्रहित किया गया था। चूक के कारण ₹ 6.9 करोड़ का कम उद्ग्रहण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (फरवरी 2015) किया।*

3.2.4.4 सीआईटी-1 चेन्नै प्रभार, तमिलनाडू में, निअ ने ₹ 175.72 करोड़ आय और ब्याज को छोड़कर ₹ 57.01 करोड़ सकल कर का निर्धारण करते समय मार्च 2015 में निव 2012-13 के लिए **मै. चोलामंडलम इवेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि.** के लिये निर्धारण पूरा किया। कर अधिवार निर्धारित करते समय निर्धारिती द्वारा स्रोत पर छूट प्राप्त कर समायोजित और अग्रिम कर अदा करने के बाद ब्याज छोड़कर निवल देय कर ₹ 17.37 करोड़ आंका गया। यद्यपि, अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक 234बी (1) के अंतर्गत 36 महीने का ₹ 6.25 करोड़ ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मई 2015) किया।*

3.2.4.5 सीआईटी (केन्द्रीय) भोपाल प्रभार, मध्य प्रदेश में, निव 2009-10 से 2012-13 तक के लिए **मै. अजीतनाथ रियलटी प्रा. लि.** इंदौर का निर्धारण क्रमशः ₹ 42.97 करोड़, ₹ 89.10 करोड़, ₹ 15.70 करोड़ और ₹ 13.47 करोड़

की आय पर मार्च 2015 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत पूरा किया गया। निर्धारिती ने इन सभी निव के लिए 30 जून 2013 तक आय की रिटर्न फाईल करने के लिए धारा 153ए के अंतर्गत जारी किये गये नोटिस की प्रतिक्रिया में निव 2009-10 से 2012-13 के लिए 27 मार्च 2014 तक आय की अपनी रिटर्न फाईल की। कर देयता का आंकलन करते समय, धारा 234ए(3) के अंतर्गत आय की रिटर्न विलंबित फाइलिंग के लिए कोई उद्ग्रहण नहीं किया गया था जबकि रिटर्न प्रस्तुत करने में 9 महीनों³⁷ का विलंब था। चूक के कारण ₹ 4.78 करोड़ ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (जनवरी 2015) किया।*

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिगम/प्रतिगमों पर ब्याज:

हम नीचे दो ऐसे उदाहरण दर्शक देखे हैं:

धारा 143(3) दर्शाती है कि नि.अ.ज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार को जुड़ाव के बाद कुल आय के सही निर्धारण और कटौतियों को अनुमत करना होगा। और जैसी की दशा हो, एकदम सही भुगतये या वापसी योग्य राशि निर्धारित करनी होगी।

3.2.5.1 केरल में सीआईटी-थ्रिशूर प्रभार, नि.अ. ने दिसम्बर 2005 में संवीक्षा के बाद नि. व 2004-15 के लिए **मै. साउथ इंडियन बैंक लि.** के निर्धारण को पूर्ण किया जो कि बाद में कई बाद संशोधित किया गया। ₹ 140.15 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए मार्च 2013 में पिछला संशोधन पूर्णकिया गया था और विभिन्न चरणों पर माँगों एवं प्रतिदायों के समायोजन के बाद ₹ 39.05 करोड़ के प्रतिदाय को प्राधिकृत किया गया। ₹ 39.05 करोड़ के प्रतिदाय की गणना के दौरान, दिसम्बर 2010 में नि.व 2010-11 से संबंधित प्रतिदाय के समायोजन द्वारा ₹ 33.43 करोड़ का क्रेडिट दिया गया था। चूँकि ₹ 48.49 करोड़ का सम्पूर्ण प्रतिदाय दिसम्बर 2010 में नि.व 2010-11 के लिए निर्धारिती को देय नि.व 2003-04 और 2008-09 के लिए माँगों के प्रति समायोजित किया गया था, ₹ 33.43 करोड़ का क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 37.94 करोड़ के अधिक प्रतिदाय का निर्धारण हुआ। आईटीडी ने यह कहते हुए अवलोकन को स्वीकार नहीं किया (जून 2015) के 9 अगस्त 2011 और 11 मार्च 2013 को पारित आदेश के दौरान, क्रेडिट को एएसटी प्रणाली के अनुसार सही ढंग से किया गया था। तथापि, मार्च 2015 में धारा 143(3) के साथ धारा 254 के तहत उपचारात्मक कार्यवाही की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूँकि निव 2004-05 के लिए 9 अगस्त 2011 के

37 जुलाई 2013 से मार्च 2014

आदेश में विनिर्दिष्ट ₹ 33.43 करोड़ को नि.व 2010-11 से प्रतिदाय समायोजन किया गया जबकि 2004-05 के लिए चालान विवरण रजिस्टर के अनुसार कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। नि.व 2010-11 में, ₹ 48.49 करोड़ का एक प्रतिदाय वर्ष 2010-11 के लिए खाता विवरण के अनुसार निव 2003-04 और 2008-09 का प्रतिदाय समायोजन को प्राधिकृत किया गया था।

धारा 220(2) दर्शाती है कि धारा 156 के तहत यदि कोई भुगतये मांग का नोटिस, जैसीकि विनिर्दिष्ट राशि हो यदि सेवा के नोटिस के 30 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया, निर्धारिती को अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारिती दरो के अनुसार साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

3.2.5.2 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सीआईटी-5 हैदराबाद प्रभार में, नि.अ. ने ₹ 55.64 करोड़ की हानि के निर्धारण पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात निव. 2009-10 के लिए **मै. विओम नेटवर्कर्स लि.** के निर्धारण की पूर्ण किया। चूँकि मार्च 2011 में पहले से ही ₹ 60.21 करोड़ एक प्रतिदाय आदेश जारी हो चुका था कोई प्रतिदाय दिसंबर 2011 के निर्धारण आदेश में नहीं था। ₹ 25.23 करोड़³⁸ की सकल राशि निव 2006-07 और 2008-09 के लिए ₹ 34.98 करोड़ की बकाया माँग के समायोजन के बाद मार्च 2011 में निर्धारिती को वापस किया गया। तथापि प्रतिदाय जारी करने दौरान विव 2006-07 और 2008-09 के लिए बकाया माँग पर धारा 220 (2) के तहत करारोप्य ब्याज करारोपित नहीं किया गया। चूक के परिणाम स्वरूप निर्धारिती को ₹ 1.18 करोड़ का अधिक प्रतिदाय हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 220(2) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई (अक्टूबर 2015) की।*

3.2.6 अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करते समय निर्धारण में चूक

हमने ऐसे पांच निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

धारा 254 के अंतर्गत, एक असंतुष्ट निर्धारिती एओं के आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील) को अपील कर सकता है जो अपीलीय आदेश में दिए गए निदर्शों का पालन करेगा। तथ्यों एवं कानून के पश्नों पर आईटीएटी को अगली अपील करने की भी अनुमति दी गई है। अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी त्रुटि के परिधामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण होता है।

3.2.6.1 दिल्ली सीआईटी-2 प्रभार में नि.अ. ने ₹ 796.57 करोड़ की अग्रानीत व्यापार हानियों तथा अनावशोषित मूल्यहास के समंजन के पश्चात ₹ 838.83 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए अक्टूबर 2013 में नि.व 2010-11 के

38 ₹ 25.23 करोड़ = ₹ 60.21 करोड़ - ₹ 34.98 करोड़

लिए **मै. बीएसईएस राजधानी पावर लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया था। निर्धारित आय को जनवरी 2014 में ₹ 816.59 करोड़ पर परिशोधित किया गया था। धारा 250 के अंतर्गत अपील आदेश को कार्यान्वित करते समय (जुलाई 2014) निर्धारण को ₹ 1402.90 करोड़ की राहत की अनुमति के पश्चात ₹ 564.52 करोड़ की हानि पर पूरा किया गया था। चूंकि निर्धारित आय की गणन ₹ 796.57 करोड़ की अग्रानीत हानियों के समंजन की अनुमति के बाद की गई थी, अतः चालू वर्ष में आय को उपलब्ध आय की सीमा तक अग्रानीत हानियों के समंजन के पश्चात 'शून्य' पर निर्धारित करना अपेक्षित था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 564.52 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 191.88 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का परिशोधन कर दिया था (मई 2016)।*

3.2.6.2 उत्तर प्रदेश, सीआईटी-नोयडा प्रभार में, नि.अ. ने ₹ 654.97 करोड़ की आय 4 नवम्बर 2012 में नि.व. 2008-09 के लिए **मै. एल.जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया था। तत्पश्चात निर्धारण का परिशोधन जनवरी 2013 में ₹ 740.72 करोड़ की आय पर किया गया तथा मार्च 2015 में ₹ 704.35 करोड़ की आय पर धारा 263 के तहत पूनः निर्धारण किया गया था। नि.अ. ने मार्च 2015 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत पास किए गए अपीलीय आदेश को लागू करते समय गलती से जनवरी 2013 में धारा 154 के तहत संशोधित ₹ 740.72 करोड़ की बजाय नवम्बर 2012 में धारा 143(3)/144सी के अंतर्गत निर्धारित ₹ 654.97 करोड़ की आय को अपनाया। इस चुक के परिणामस्वरूप ₹ 85.75 करोड़³⁹ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 45.47 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 263 तथा 143 (3) के साथ पठित धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में परिशोधन किया (जून 2015)।*

3.2.6.3 दिल्ली, सीआईटी-2 प्रभार में नि.अ. ने ₹ 86.21 करोड़ की अग्रानीत हानि तथा अनावशोधित मूल्यहास के समंजन के पश्चात ₹ 687.27 करोड़ की आय को निर्धारित करते हुए अक्टूबर 2013 में नि.व. 2010-11 के लिए **मै. बीएसईएस यमूना पावर लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया था। निर्धारित आय को धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन के पश्चात ₹ 674.87 करोड़ पर संशोधित किया गया था (जनवरी 2014)।

39 ₹ 85.75 करोड़ = ₹ 740.72 करोड़ - ₹ 654.97 करोड़

धारा 250 (जुलाई 2014) के अंतर्गत अपील आदेश को लागू करते हुए, निर्धारण ₹ 740.92 करोड़ की राहत अनुमत करने के बाद ₹ 53.65 करोड़ की हानि पर पूरा किया। चूँकि निर्धारित आय अग्रणीत ₹ 86.21 करोड़ की हानियां संमंजित करना अनुमत करने के बाद आंकलित की गई, मौजूदा वर्ष की आय उपलब्ध आय की सीमा की अग्रणीत हानियों के समंजन अनुमत करने के बाद 'निरंक' पर निर्धारित की जानी आवश्यक है। इस गलती के कारण ₹ 18.24 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 53.65 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती (मई 2016) में सुधार किया।*

3.2.6.4 प्र.सी.आई.टी (केन्द्रीय)-3 मुंबई, प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ ने ₹ 160.84 करोड़ आय निर्धारण करते हुए मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 हेतु **मैं. गैनन डंकरले एंड क.लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। मार्च 2015 में सीआईटी (अपील) आदेश को लागू करते हुए ₹ 149.18 करोड़ की आय संशोधित की। कर देयता की गणना करते समय, कर मांग के 10 प्रतिशत की दर पर अधिभार उदग्राही नहीं किया गया था। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती (जनवरी 2016) में सुधार किया।*

3.2.6.5 प्र.सी.आई.टी-2, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में नि.अ ने ₹ 5.26 करोड़ की अग्रणीत हानियों के समंजन के बाद ₹ 5.15 करोड़ की आय निर्धारण में मार्च 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **मैं. गिंजा इंडस्ट्रीज लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण वर्ष 2009-10 और 2010-11 हेतु अपील आदेश को लागू करने के निर्धारण आदेश के अनुसार, समंजन के लिए केवल ₹ 77.32 लाख की व्यापार हानि उपलब्ध थी। इस गलती के कारण ₹ 1.49 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 4.48 करोड़ की हानि का अधिक समंजन हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती (अगस्त 2014) में सुधार किया।*

3.3 कर रियायतों/छूट/कटौतियाँ का प्रशासन

3.3.1 अध्याय VI-क के अंतर्गत कुल आय आंकलन में और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की विशिष्ट श्रेणियों के लिए निर्धारिती को कर रियायतें/छूट/कटौतियाँ अनुमत की जाती हैं। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने लाभार्थियों जो उक्त के लिए हकदार नहीं थे, को कर रियायतें/छूट/कटौतियों के अनियमित लाभ प्रदान किये। आईटीडी की ओर से कर रियायतें/छूट/कटौतियों के प्रशासन में ये अनियमितताएं कमजोरी को दर्शाते हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। तालिका 3.2 में उप श्रेणियाँ दर्शाई गई हैं

जिन्होंने कर रियायतें/छूट/कटौतियों के प्रशासन में इन अनियमितताओं के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 3.2: कर रियायतें/छूट/कटौतियों के प्रशासन के अंतर्गत गलतियों की उप श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. मूल्यहास/व्यापार हानियां/पूर्जीगत हानियों को अनुमत करने में अनियमितताएं	71	590.75	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब.
ख. अनियमित छूट/कटौतियां/रिबेट/कर छूट/मैट क्रेडिट	27	328.98	दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब.
ग. व्यापार व्यय की गलत अनुमति	47	514.09	आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, और पंजाब
कुल	145	1,433.82	

3.3.2 मूल्यहास अनुमत और व्यापार/पूर्जीगत हानियों का समजंन और अग्रनयन करने में अनियमितता

नीचे ऐसे 10 निदर्शी मामले दशाये गये हैं:

सीबीडीटी ने स्पष्ट किया⁴⁰ कि निर्माण-संचालन हस्तारण (बीओटी) के अंतर्गत सड़क/राजमार्ग के आधारभूत सुविधा के विकास पर निर्माण की लागत का परिशोधन किया जा सकता है और आय कर अधिनियम के अंतर्गत व्यापार व्यय स्वीकार्य के रूप में दावा किया। इसके अतिरिक्त, टोल रोड पर मूल्यहास के दावे के मामले का निर्णय लेते हुए, आइटीए, मुंबई ने निर्णय⁴¹ दिया कि धारा 32 (1) का प्रावधान उस भूमि जिस पर निर्माण किया गया था, के संबंध में पट्टाधारी अधिकारी प्राप्त करते हुए निर्धारिती के मामले में धारा 32 (1) का प्रावधान लागू नहीं होगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2014 पर घोषित अपने निर्णय में न्यायाधिकरण (2012 की आईटीए सं 499) के निर्णय को बरकरार रखा।

3.3.2.1 प्र.सीआईटी-8, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में नि.अ ने दिसम्बर 2012, फरवरी 2014 और मार्च 2015 में क्रमश ₹ 48.96 करोड़, ₹ 79.59 करोड़ और ₹ 191.66 करोड़ का हानि का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2012, फरवरी 2014 और मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 से 2012-13 के लिए मै.वैस्टर्न एमपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टॉल रोड्स प्राइवेट लि. के निर्धारण पूरे किये। निर्धारिती को 25 वर्षों (रियायत अधकार) के आधार पर बीओटी⁴² पर

40 दिनांक 23.04.2014 के सीबीडीटी परिपत्र सं. 09

41 मै.नार्थ कर्नाटक एक्सप्रेसवे लि. बनाम सीआईटी (आईटीए सं; 3978/मुं/2010)

42 निर्माण-प्रचालन-स्थानांतरण

राज्य राजमार्ग सं. 31 के निर्माण विकास और अनुरक्षण के लिए 30 अगस्त 2007 को एमपीआरडीसी⁴³ द्वारा एक परियोजना सौंपी गई। परियोजना का चरण-I और चरण-II क्रमशः नवंबर 2009 और जून 2011 में पूरे किये गये थे और इस पर व्यय किये गये ₹ 372.39 करोड़ तथा ₹ 528.59 करोड़ अमूर्त परिसंपत्तियों के ब्लॉक के अंतर्गत 'रियायत अधिकार' के रूप में प्राप्त किये गये। निर्धारिती ने दावा किया और 1 अप्रैल 2011 तक उपरोक्त अमूर्त परिसंपत्तियों के हासित मूल्य पर 25 प्रतिशत की दर पर ₹ 193.24 करोड़⁴⁴ का मूल्यहास अनुमत किया जो उपरोक्त न्यायिक निर्णय के अनुसार नहीं था। इसके विपरीत, निर्माण लागत का 25 वर्षों की करार अवधि तक परिशोधन किया जाना चाहिए था, जो ₹ 193.24 करोड़ के अनुमत मूल्यहास के प्रति ₹ 36.04 करोड़⁴⁵ तक आंकी गई थी। मूल्यहास की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 83.87 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 157.20 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने नि.व. 2012-13 के लिए आपत्ति (जुलाई 2015) यह कहते हुए स्वीकृत नहीं कि 23 अप्रैल 2014 सीबीडीटी परिपत्र सं. 09 नि.व. 2014-15 से लागू हुआ था। उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि निर्धारण ओदश 14 अक्टूबर 2014 को दिये गये उच्च न्यायालय निर्णय के बाद पास किया गया था जिसको ध्यान रखना आवश्यक था।

3.3.2.2 प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 153.88 करोड़ ही हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए मै.मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 7.57 करोड़ के लाभ बुक किये। निर्धारिती को बीओटी आधार पर एनएच-3 पर एनएचआई परियोजना सौंपी गई। निर्धारिती द्वारा अपने बही-खातों में परियोजना की लागत को पूंजीकृत किया गया था और उक्त का निर्माण पूरा करने से 19 वर्षों के बीओटी ठेके की अवधि तक बड़े खाते में डाल दिया। कर योग्य आय की गणना करते समय, निर्धारिती ने दावा किया और उपरोक्त संदर्भित न्यायिक निर्णय के मददेनजर 19 वर्षों की अवधि हेतु व्यय के परिशोधन के आधार पर ₹ 38.48 करोड़⁴⁶ के स्वीकार्य व्यय के स्थान पर अमूर्त परिसंपत्ति पर लागू 25 प्रतिशत की दर ₹ 182.79 करोड़ का

43 मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

44 ₹193.24 करोड़ = ₹61.09 करोड़ (चरण-I) + ₹ 132.15 करोड़ (चरण-II)

45 ₹ 36.04 करोड़ = ₹ 14.90 करोड़ (चरण-I) + ₹ 21.14 करोड़ (चरण-II)

46 (आदि डब्लूडीवी ₹ 415.29 करोड़ + ₹334.40 करोड़ की परियोजना लागत - ₹ 18.52 करोड़ का प्राप्त किया गया पूर्णगत अनुदान)/ 19 वर्षों की ठेका अवधि

मूल्यहास अनुमत किया गया था। इस चूक के कारण ₹ 46.82 करोड़ के संभावित कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 144.31 करोड़ हानि का अधिक निर्धारण किया गया। आईटीडी ने आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया कि नि.अ. ने मौजूदा वर्ष के (अगस्त 2016) लिए और पूर्व वर्षों में स्वीकृत मूल्यहास का ध्यान में रखने के बाद ₹ 139.67 करोड़ के मूल्यहास के दावा अस्वीकृत करने के बाद नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया तथा ₹ 32.28 करोड़ की राशि स्वीकृत कर 15 वर्षों की शेष रियायत अवधि में ₹ 555.49 करोड़ का शेष व्यय परिशोधित किया। इसलिए, नि.व. 2012-13 के लिए कोई आगामी कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी। टोल रोड पर मूल्यहास के जारी करने पर न्यायिक निर्णय⁴⁷ के मद्देनजर उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था जबकि यह निर्णय था कि धारा 32 (1) के प्रावधान उस भूमि, जिस पर निर्माण किया गया है, के संबंध में पट्टा अधिकारी निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने नि.व. 2012-13 जिससे ले.प. आपत्ति संबंधित थी, के लिए निर्धारण में सुधार करने के स्थान पर नि.व. 2013-14 के निर्धारण में सुधार किया।

अधिनियम की धारा 35एबीबी -दर्शाती है कि प्रांसगिक विगत वर्षों से प्रत्येक के लिए छूट अनुमत होगी। दूर संचार सेवाओं को संचालित करने के लिए कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए खर्च किये गये पूंजीगत व्यय के संबंध में और जिसके लिए वास्तव में भुगतान एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया है। छूट की राशि ऐसे व्यय की राशि को उचित भाग के समान होगी।

3.3.2.3 प्र.सीआईटी-8 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में नि.अ. ने ₹ 668.47 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए में टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि. की संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने विगत वर्ष के दौरान टेलीकॉम एक्सेस सेवाओं के प्रावधान के लिए 3जी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सरकार से ₹ 1,257.82 करोड़ की एकल लाइसेंस फीस अदा की। बही खातों में, निर्धारिती ने 19.25 साल की अवधि के उधार लागत के साथ ₹ 1,257.82 करोड़ के व्यय का परिशोधन किया। यद्यपि, आयकर उद्देश्य के लिए ,निर्धारिती ने दावा किया और अमूर्त परिसंपत्तियों; के लिए स्वीकार्य धारा 32 के अंतर्गत ₹ 249.35 करोड़ का मूल्यहास अनुमत किया जो आदेश में नहीं थी और उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। प्रांसगिक विगत वर्ष के लिए अनुमत परिशोधन उपरोक्त फीस पर स्वीकृत ₹ 249.35 करोड़ के मूल्यहास के प्रति ₹ 68.71 करोड़ तक आंका गया था।

47 मै. नार्थ कर्नाटका एक्सप्रेसवे लि. (आईटीए न. 2012 केए 499 - बोम्बे हाई कोर्ट निर्णय - 14 अक्टूबर 2014)

इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 58.61 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 180.64 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

आईटीडी ने यह कहते हुए आपत्ति (अगस्त 2015) को स्वीकार नहीं किया कि महाराष्ट्र सर्कल (गोवा सहित और मुंबई को छोड़कर) के लिए बोलियां जीतने पर 3जी स्पैक्ट्रम की खरीद के लिए फीस अदा की गई और ग्राह्यता के लिए कोई नया लाइसेंस से प्राप्त करने के लिए अदा नहीं की गई थी उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निर्धारिती दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा संशोधित न किये गये उनके लाइसेंस वाली 3जी सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो सकता था। परिणामतः सितंबर 2010 में वह बोलियां जीत गया। इस प्रकार, सितंबर 2010 का डीओटी का लाइसेंस संशोधन पत्र 3जी सेवाओं के लिए लाइसेंस के रूप में उचित था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 19.25 वर्षों की अवधि में 3जी स्पैक्ट्रम के उपयोग के लिए ₹ 1257.82 करोड़ की एकल फीस अदा की। इसलिए, इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एबीबी के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवाएं संचालित करने के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया पूंजीगत व्यय माना जाना चाहिए। चूंकि अधिनियम में, सेवाओं पर व्यय के प्रशोधन हेतु एक विशिष्ट प्रावधान है, निर्धारिती द्वारा दावाकृत दूरसंचार मूल्यहास को अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लेखा टिप्पणियों⁴⁸ के अनुसार, संबंधित लाइसेंस फीस के प्रति औसतन ₹ 1,257.82 करोड़ की अदा की गई बोली कीमत चल परिसंपत्तियों के अंतर्गत लाइसेंस फीस के रूप में पूंजीगत किया गया था और उक्त को ठेके की अवधि के रूप में परिशोधित किया जाना चाहिए था।

आयकर अधिनियम की धारा 71 (3) के अनुसार, यदि पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत गणना का निवल परिणाम एक हानि है निर्धारिती के पास आय के अन्य शीर्ष के अंतर्गत निर्धारण योग्य आय है, अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति निर्धारित की गई ऐसी हानि के प्रति नहीं होगी।

3.3.2.4 प्र.सी.आई.टी-5 प्रभार, दिल्ली में, नि.अ. ने नि.व. 2007-08 से संबंधित ₹ 86.91 करोड़ के अग्रणीत अनावशोषित मूल्यहास समंजन के बाद आय पर 'निरंक' पर दिसंबर 2012 में नि.व. 2010-11 के लिए **मै. पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और नि.व. 2007-08 से संबंधित ₹ 63.15 करोड़ और नि.व. 2008-09 के संबंध में ₹ 45.18 करोड़ के बकाया अनुमत किये। नि.व. 2007-08 और 2008-09 से संबंधित रिकॉर्ड के निर्धारण के अनुसार, केवल नि.व. 2007-08 के संबंध में

48 वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पण 24.12

₹ 55.26 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास ही अग्रनेयन हेतु उपलब्ध थे और नि.व. 2008-09 में अग्रनेयन हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं थी। इन गलतियों के कारण ₹ 18.04 करोड़ के कर संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 53.07 करोड़⁴⁹ की गलत हानि का अग्रनेयन हुआ। आईटीडी ने अधिनियम 154 के अंतर्गत गलती में (फरवरी 2016) सुधार किया।

3.3.2.5 प्र.सीआईटी-16 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 50.17 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 के लिए **मै.9 एक्स मीडिया प्रा.लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और उपलब्ध आय की सीमा तक ₹ 45.72 की हानि का समंजन अनुमत करने के बाद अगस्त 2013 में इसका सुधार किया। समंजित हानि में नि.व. 2009-10 से संबंधित ₹ 83.39 करोड़ की अग्रनेयन हानि भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2009-10 हेतु निर्धारित के निर्धारण मामले को ₹ 89.43 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2015 में धारा 147 के अंतर्गत दोबारा खोला गया। इस प्रकार, नि.व. 2009-10 के संबंध में 'निरंक' हानि अग्रनेयन के लिए उपलब्ध थी और नि.व. 2010-11 में समंजित की गई। ₹ 45.72 करोड़ की हानि के गलत समंजन के परिणामस्वरूप ₹ 15.54 करोड़ कर के कम उदग्रहण सहित उक्त सीमा तक आय का कम निर्धारण किया गया। आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत सुधार (अप्रैल 2016) के लिए सुधारात्मक कार्यवाही आरंभ की।

धारा 143 (3) दर्शाती है कि नि.अ. को पूर्ववत वर्षों की अग्रनेयन हानि के समंजन सहित उचित रूप से आय को निर्धारित और आकलित करना पड़ता है तथा अदा करने योग्य और वापसी योग्य कर निर्धारित करना पड़ता है, जैसा कि मामला हो। रिटर्न के साथ संलग्न लेखे, रिकॉर्ड और सभी दस्तावेजों सहित की विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारण में विस्तृत जांच करने की आवश्यक होती है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय समय पर निर्देश भी जारी किये हैं।

3.3.2.6 सीआईटी-3 बेंगलूर प्रभार, कर्नाटक में, नि.अ. ने ₹ 87.90 करोड़ की रिटर्नड हानि के प्रति ₹ 17.79 करोड़ और बढ़ाने के बाद ₹ 105.70 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए जनवरी 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **मै. द मैसूर पेपर मिल्स प्रा.लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण पूरा करते हुए, मौजूदा वर्ष हानि ₹ 70.10 करोड़ के स्थान पर ₹ 105.70 करोड़ तक गलत निर्धारित की गई। इस गलती के कारण ₹ 35.59 करोड़ तक हानि की अधिक गणना की गई जो ₹ 11.82 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित

49 ₹ 53.07 करोड़ = (₹ 63.15 करोड़ + ₹ 45.18) – ₹ 55.26 करोड़

अग्नेनीत की जानी स्वीकृत की गई। मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत सुधार (अप्रैल 2016) के लिए सुधारात्मक कार्यवाही आरंभ की।

3.3.2.7 सीआईटी एलटीयू चेन्नै प्रभार, तमिलनाडु में, नि.अ. ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 59.05 लाख की हानि अग्नेनयन समंजित करने के बाद 'निरंक' आय निर्धारित करते हुए धारा 92 सीए के साथ पठित संवीक्षा के बाद फरवरी 2014 में नि.व 2010-11 के लिए **मै. एक्सलस इंडिया लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 55.60 लाख का लाभ बुक किया। निर्धारण पूरा करते समय, ए.ओ ने नि.व. 2010-11 के संबंध में ₹ 13.35 करोड़ की व्यापार हानि और ₹ 10.14 करोड़ की अनावशोषित हानि का अग्नेनयन स्वीकृत किया। रिकॉर्ड के अनुसार नि.व. 2010-11 के संबंध में कोई हानि राशि अग्नेनयन और समंजन के लिए उपलब्ध नहीं थी। इस गलती के कारण ₹ 7.99 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 23.50 करोड़⁵⁰ की हानि का अधिक अग्नेनयन किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (अप्रैल 2015)।*

3.3.2.8 सीआईटी-1 चेन्नै प्रभार, तमिलनाडु में नि.अ. ने ₹ 4.26 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व 2011-12 के लिए **मै. अंबातुर क्लोदिंग लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और लाभ और हानि लेखे में 'बिक्री, प्रशासन और अन्य व्यय' शीर्ष के अंतर्गत सहायक फर्म से हानि के भाग के प्रति ₹ 6.92 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। सहायक फर्म से हानि में निर्धारिती की हानि नहीं थी, उक्त के संबंध में छूट अस्वीकृत की जानी अपेक्षित थी। गलत स्वीकृती के कारण उक्त सीमा तक अधिक हानि अग्नेनयन के परिणामस्वरूप ₹ 13.84 करोड़ की हानि और ₹ 4.60 करोड़ के संभावित कर प्रभाव की अधिक गणना की गई। *आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (अक्टूबर 2015) किया।*

3.3.2.9 प्र.सीआईटी-7 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 11.48 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2011 में नि.व 2009-10 के लिए **मै.टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। ₹ 11.48 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास अग्नेनयन के समंजन के बाद 'निरंक' पर आय पुनः निर्धारण करते हुए फरवरी 2012 में निर्धारण में सुधार किया। 20 मार्च

50 ₹ 23.50 करोड़ = (₹ 13.35 करोड़ + ₹ 10.14 करोड़)

2013 को निर्धारण में पुनः सुधार किया गया और 20.16 करोड़ की आय को अग्रेणीत हानि में समंजित किया गया। निर्धारण दोबारा खोला गया था और 25 मार्च 2013 ₹ 20.46 करोड़ की निर्धारण हानि में पर को पूरा किया गया। पुनः निर्धारण आदेश (मार्च 2013) में कर योग्य आय की गणना करते समय, नि.अ. ने अग्रेनयन हानियां के समंजन से पहले दिसंबर 2011 में पास किये गये आंशिक निर्धारण आदेश में दिये गये ₹ 11.48 करोड़ के स्थान पर 20 मार्च 2013 को पास किये गये सुधार आदेश के अनुसार आय निरंक मानी। इस गलती के कारण ₹ 3.90 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 11.48 करोड़ की हानि की अधिक स्वीकृति दी गई। *आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मार्च 2016) किया गया।*

धारा 70 दर्शाती है कि यदि आय के किसी शीर्ष के अंतर्गत किसी स्रोत के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष हेतु निवल परिणाम हानि है तो निर्धारिती निर्धारण वर्ष 2003-04 से छोड़कर आय के उक्त शीर्ष के अंतर्गत किसी अन्य स्रोत से आय के प्रति समंजित ऐसी हानि की राशि के लिए हकदार होता है, दीर्घावधि पूर्णगत हानि केवल दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के प्रति समंजित नहीं की जा सकती ।

3.3.2.10 सीआईटी-3 प्रभार, दिल्ली में, नि.अ. ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 216.76 करोड़ का लाभ बुक किया। सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 5.17 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व 2012-13 के लिए **मै.डीएलएफ यूटीलिटिज लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 216.76 करोड़ का लाभ बुक किया। निर्धारिती ने 'निरंक' व्यापार आय (₹ 71.32 करोड़¹ की उपलब्ध आय सीमा के अग्रेनीत अनावशोषित मूल्यहास कर समंजन करने के बाद) पर और अग्रेनीत की गई ₹ 9.87 करोड़ की दीर्घावधि हानि पर रिटर्न फाईल की। कर योग्य आय की गणना करते समय, नि.अ. ने ₹ 4.70 करोड़ (निर्धारण के दौरान की गई अस्वीकृति के संबंध में) की व्यवसाय आय के प्रति ₹ 9.87 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत हानि समंजित की और 'निरंक' आय (अतिरिक्त सीमा तक ₹ 4.70 करोड़ के अग्रेनीत अनावशोषित मूल्यहास समंजन के बाद) के स्थान पर ₹ 5.17 करोड़ की हानि का निर्धारण पूरा किया। इस गलती के कारण ₹ 5.17 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण तथा ₹ 3.20 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 4.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार (मार्च 2016) किया गया।*

3.3.3. अनियमित छूट/कटौतियां/कर छूट/रियायत/मैट क्रेडिट

हम नीचे छः ऐसे निदर्शी मामले दर्शा रहे हैं:

अधिनियम की धारा 10ए लाभ और प्राप्ति की छूट स्वीकृत की जो कि सामान या सामग्री या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से एक उपक्रम द्वारा प्राप्त किये गये हैं। अधिनियम की धारा 92सी(4) के प्रथम नियम के अनुसार, यदि कम कीमत के संबंध में कुल आय बढ़ाई गई है, धारा 10ए, 10बी या अध्याय VI-ए के अंतर्गत कोई छूट आय की बढ़ी हुई मात्रा के संबंध में स्वीकृत होगी। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया⁵¹ कि धार 10ए अधिनियम की धारा 71/72 के प्रावधानों के लागू होने के बाद स्वीकृत की जाएगी और न्यायालय द्वारा दिया गया परिपत्र विभाग अपील में मामलों को चलाये रखने के लिए बाध्य करेगा।

3.3.3.1 प्र.सीआईटी-2 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने अधिनियम की धारा 10 ए के अंतर्गत ₹ 559.47 करोड़ की छूट स्वीकार करने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 250.87 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए जनवरी 2015 में धारा 153 और 144 सी(4) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. 2010-11 के लिए मै.सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। नि.अ. ने ₹ 24.02 करोड़ के स्थानांतरण मूल्य समायोजन तथा ₹ 22.08 करोड़ के लघु अवधि पूंजीगत लाभ स्थानांतरण मूल्य समायोजन राशि सहित धारा 10 ए के अंतर्गत छूट से पूर्व आय पर सहित कई स्वीकृतियों प्रदान की। लघु अवधि पूंजीगत लाभ और स्थानांतरण मूल्य समायोजन पर छूट की स्वीकृति आदेशानुसार नहीं थी। छूट की अनियमित स्वीकृति के कारण ₹ 46.10 करोड़ की आय का कम निर्धारण और ₹ 15.67 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण और ₹ 85.27 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 250.87 करोड़ की अनियमित हानि अग्रेनयन का कम निर्धारण किया गया। आईटीडी ने आपत्ति (अक्टूबर 2015) को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि धारा 10ए अधिनियम की धारा 172 के प्रावधानों के लागू करने से पहले बाहर थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हानि के संग्रह के बाद 10ए छूट विनिर्दिष्ट करते हुए सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया 2013 की परिपत्र संख्या 07 के अनुसार निर्धारण अधिकारी इसके प्रति बाध्य था।

आय कर अधिनियम की धारा 115जेएए किसी निर्धारिती को मैट क्रेडिट का अग्रेनयन अनुमत करती है जब सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर से अधिक है। यद्यपि, ऐसे क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर के अंतर तक सीमित होंगे।

3.3.3.2 प्र.सीआईटी-2, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, ₹ 6,335.59 करोड़ की प्रतिदाय निर्धारण करते हुए मार्च 2014 में सार रूप में नि.व. 2012-13 के

51 दिनांक 16 जुलाई 2013 की परिपत्र स.07

लिए **मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** की आय का रिटर्न प्रसंस्कृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 154 के अंतर्गत संशोधन आदेश ₹ 8,471.56 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित करते हुए मार्च 2014 में पास किया गया था। नि.अ. ने नि.व 2011-12 के संबंध में ₹ 53.32 करोड़ का मैट क्रेडिट अनुमत किया जो कि उपलब्ध नहीं था क्योंकि नि.व. 2011-12 के लिए निर्धारण मई 2014 में धारा 154 के अंतर्गत पास किये गए संशोधन आदेश को मानते हुए मार्च 2013 में सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत संवीक्षा के आद पूरा किया गया था। इस गलती के कारण ₹ 53.32 करोड़ के मैट क्रेडिट की अनियमित स्वीकृति हुई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2015) और मैट क्रेडिट वापस लेते हुए धारा 144सी (13) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाई (फरवरी 2015) पूरी की।*

धारा 143 (3) दर्शाती है नि.अ. उचित ढंग से आय को निश्चित और निर्धारित करता है। रिटर्न के साथ संलग्न लेखे, रिकॉर्ड और सभी दस्तावेजों सहित की विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारण में विस्तृत जांच करने की आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त, धारा 35एडी के अनुसार, निर्धारिती को उसके द्वारा किये गये विशिष्ट बिजनेस पर व्यय किये गये पूंजीगत रूप से खर्च के संबंध में छूट अनुमत की गई, जिस पर उसके द्वारा किया गया ऐसा व्यय अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगा।

3.3.3.3 प्र.सीआईटी.-2 प्रभार, दिल्ली में, नि.अ. ने धारा 35एडी कं अंतर्गत ₹ 124.34 करोड़ की छूट स्वीकृत करने के बाद ₹ 125.86 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए फरवरी 2015 में धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. 2011-12 के लिए **मै.बुटीक होटलस इंडिया प्रा. लि. का निर्धारण पूरा किया। धारा 35एडी के अंतर्गत ₹ 124.34 करोड़ का अपना दावा निर्धारिती ने वापस ले लिया (जनवरी 2014) क्योंकि आवश्यक शर्तें⁵² पूरी नहीं की गई थीं। कर योग्य आय की गणना करते समय, नि.अ. ने दावे की स्वयं वापसी के बावजूद ₹ 124.34 करोड़ की छूट अस्वीकृत नहीं की। इस गलती के कारण ₹ 41.30 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 124.34 करोड़ तक हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत गलती (फरवरी 2016) में सुधार किया।***

52 निर्धारिती ने जयपुर में अपनी दो होटल संपत्तियों के लिए पर्यटन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार से स्टार श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार निर्धारिती ने दिनांक 31 जनवरी 2014 के पत्र द्वारा धारा 35एडी के अंतर्गत अपना दावा वापस ले लिया।

आय कर अधिनियम की धारा 115जेएए किसी निर्धारिती को मैट क्रेडिट का अग्रोनयन अनुमत करती है जब सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर से अधिक है। यद्यपि, ऐसे क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर के अंतर तक सीमित होंगे।

3.3.3.4 प्र.सीआईटी-8 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में , नि.अ. ने ₹ 850.70 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए फरवरी 2015 में नि.व 2010-11 के लिए मै. वोडाफोन इंडिया लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ 29.81 करोड़ का मैट क्रेडिट स्वीकृत किया था जबकि पूर्व वर्षों के रिकॉर्डों के सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर अदा किया था और बाद के वर्षों में अग्रोनयन और समंजन के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। ₹ 29.81 करोड़ मैट क्रेडिट के समंजन की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 29.81 करोड़ के कर का उद्ग्रहण किया गया। आईटीडी का उत्तर प्रतिक्षित (नवंबर 2016) था।

सीबीडीटी ने स्पष्ट⁵³ किया कि धारा 10ए छूट अधिनियम की धारा 71 और 72 के प्रावधानों को लागू करने के बाद अनुमत की जानी है।

बाम्बे हाईकोर्ट ने भी निर्णय लिया कि धारा 10ए एक छूट धारा है। इसके अतिरिक्त, धारा 92सी (4) के अनुसार धारा 10ए के अंतर्गत कोई छूट दिये गये स्थानांतरण मूल्य वृद्धि पर अनुमत नहीं हैं।

3.3.3.5 प्र.सीआई.टी-15 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2010-11 के लिए मै. 3 आई इंफोटेक लि. की संवीक्षा निर्धारण ₹ 23.30 करोड़ की कुल हानि निर्धारित करते हुए जनवरी 2015 में पूरा किया। निर्धारण पूरा करते समय, नि.अ. ने ₹ 88.03 करोड़ जिसमें अन्य विषय सहित स्थानांतरण मूल्य समायोजनों के संबंध में ₹ 43.78 करोड़ की वृद्धि शामिल थी का वर्धन किया। धारा 10ए के अंतर्गत छूट की स्वीकृति से पहले ₹ 59.84 करोड़ की आय में ₹ 2.25 करोड़ की अन्य आय और ₹ 43.78 करोड़ के स्थानांतरण मूल्य वृद्धि शामिल थी जिसपर धारा 10ए छूट उपलब्ध नहीं थी। कर योग्य आय की गणना करते समय, नि.अ. ने ₹ 13.81 करोड़⁵⁴ के स्वीकार्य छूट के प्रति धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 85.26 करोड़ की छूट अनुमत की। चूक के कारण ₹ 24.29 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 71.45 करोड़ की अनियमित छूट प्रदान की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतिक्षित था (नवंबर 2016)।

53 दिनांक 16 जुलाई के 2013 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 07 (पैरा 5)।

54 ₹13.81 करोड़ = (₹59.84 करोड़- ₹2.25 करोड़- ₹43.78 करोड़)

19 अगस्त 2009 से लागू वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार शर्त है कि धारा 80 आईबी (10) के अंतर्गत छूट उस मामले में उपलब्ध नहीं होगी जहां एक इकाई से ज्यादा किसी व्यक्ति या उसके निर्दिष्ट परिवार के सदस्य को आंबटित की गई हो। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए विस्तारित 80 आईबी के लिए तर्क का विवरण करते हुए वित्त अधिनियम, 2009 की विवरणात्मक टिप्पणी से स्पष्ट किया कि उपरोक्त प्रोजेक्ट के लाभ के उद्देश्य निम्न और मध्यम आय परिवार के लिए हाउसिंग स्टॉक का निर्माण करना था और इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने आवासीय इकाईयों⁵⁵ के आकार पर प्रतिबंध लगाया।

3.3.3.6 प्र.सीआईटी-केन्द्रीय-2 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, धारा 80 आईबी (10) के अंतर्गत ₹ 56.14 करोड़ की छूट स्वीकृत करने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 35.66 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2014 में नि.व 2011-12 के लिए मै. रनवाल रियल्टी प्रा. लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। धारा 80 आईबी (10) के अंतर्गत छूट रिकॉर्ड के अनुसार, प्रत्येक फ्लैट के संबंध में कारपेट क्षेत्र के आधारपर निर्धारिती को अनुमति प्रदान की गई थी और न कि बिल्ट अप क्षेत्र के आधार पर। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती के एक प्रस्तुतीकरण से पता चला कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति या उनके निर्दिष्ट परिवार के सदस्य को विभिन्न इकाईयां आंबटित की गई हैं और एक मामले में, बुकिंग की तिथि और करार की तिथि दोनों अधिनियम में संशोधन की लागू तिथि के बाद की थी। नि.अ. ने दिनांक 2 नवंबर 2010 के व्यवसाय अनुमति के आधार पर छूट स्वीकृत की जबकि अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एक पूर्णता प्रमाण-पत्र होना चाहिए। चूंकि निर्धारिती ने धारा 80 आईबी के अंतर्गत ₹ 56.14 करोड़ के छूट प्राप्त करने के लिए अधिनियम की आवश्यक अपेक्षाओं का पूरा नहीं किया, अतः अनुमत छूट अनियमित थी। छूट की अनियमित अनुमति के कारण ₹ 18.65 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के कारण ₹ 56.14 करोड़ आय का कम निर्धारण किया गया। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाही (जून 2016) की पहल की।

55 एक खरीदार से बहल आसन्न इकाईयों के बिक्री करार करके आकार प्रतिबंध पर कुछ डेवलपर्स, द्वारा प्रावधानों के न मानने के कारण, संशोधन किया गया था

3.3.4 व्यापार व्यय की गलत अनुमति

नीचे हम 11 ऐसे निदर्शी मामले दे रहे हैं:

आय कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 36(1)(vii) किसी डुबत ऋण या इसके भाग की राशि की छूट अनुमत करती है, जिसे विगत वर्ष के दौरान निर्धारिती ने लेखों में गैर वसूली योग्य के रूप में बट्टे खाते में डाले गये हैं। ऐसे किसी ऋण या इसके भाग के संबंध में छूट की राशि उस राशि तक सीमित होगी जहां तक ऐसे किसी ऋण या इसके भाग इस खंड के अंतर्गत तैयार डुबत और संदिग्ध ऋण लेखे के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष अधिक होगा। इस खंड के उद्देश्य के लिए, निर्धारिती के लेखों में गैर वसूली योग्य के रूप में बट्टे खाते में डाले गये डुबत या उनके कोई भाग निर्धारिती के खाते के डुबत और संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।

3.3.4.1 सीआईटी-3, हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, नि.अ. ने क्रमशः ₹ 1792.35 करोड़ और ₹ 1551.19 करोड़ आय का निर्धारण करते हुए फरवरी 2013 और मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि.व 2010-11 और 2011-12 के लिए **मै. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती के पास इन नि.व के लिए ₹ 345.27 करोड़ और ₹ 662.58 करोड़ के एनपीए प्रावधान थे जिनके प्रति बही खातों में क्रमशः ₹ 88.41 करोड़ और ₹ 170.23 करोड़ के अग्रिम बट्टे खाते में डाले गये। यद्यपि, आय की गणना के अनुसार, निर्धारिती ने अलग गैर-शहरी शाखा अग्रिम के प्रति ₹ 75.03 करोड़ और ₹ 186.75 करोड़ का दावा किया जिसके परिणामस्वरूप दो नि.व के लिए क्रमशः ₹ 75.03 करोड़ और ₹ 170.23 करोड़ सीमा तक अग्रिम की दोहरी छूट प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने दावा किया और नि.व. के लिए भूमि, भवन और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि के प्रति क्रमशः ₹ एक करोड़ और ₹ 2.48 करोड़ राशि अनुमत की गई थी। इसके अतिरिक्त, नि.अ. ने क्रमशः नि.व 2010-11 और 2011-12 के दौरान धारा 115पी के अंतर्गत ₹ 13.08 लाख और ₹ 7.47 लाख ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप इन नि.व के लिए ब्याज सहित औसतन ₹ 118.20 करोड़ कर के कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने नि.व 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः फरवरी 2014 और जनवरी 2015 में सुधारात्मक कार्यवाई की गई।*

अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के प्रावधान के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गये डुबत ऋण के संबंध में अनुमत छूट की राशि ऐसे किसी ऋण या इसके भाग के संबंध में छूट की राशि उस राशि तक सीमित होगी जहां तक ऐसे किसी ऋण या इसके भाग इस खंड के अंतर्गत तैयार डुबत और संदिग्ध ऋण लेखे के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष अधिक होगा।

3.3.4.2 प्र. सीआईटी-2 मुंबई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 6738.07 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में नि.व 2011-12 के लिए आईसीआईसीआई बैंक लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 146.62 करोड़ की छूट अनुमत की गई थी जो धारा 36(1)(viiक) के अंतर्गत प्रासंगिक विगत वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाले गये ₹ 556.05 करोड़ के डूबत ऋणों के प्रति आय की वास्तविक रिटर्न के अनुसार डूबत और संदिग्ध ऋणों के प्रति ₹ 409.43 करोड़ के पूर्व वर्ष प्रावधान समायोजित करने के बाद प्राप्त हुये थे। नि.अ. ने नि.व 2010-11 के लिए निर्धारण⁵⁶ के दौरान धारा 36(1)(viiक) के अंतर्गत डूबत ऋणों के प्रावधान के संदर्भ में ₹ 738.02 करोड़ की छूट अनुमत की। वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाले गये डूबत ऋणों के रूप में अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के अंतर्गत किये गये ₹ 738.02 करोड़ के आदि क्रेडिट शेष से कम थे, अधिनियम की धारा 36(1)(viiक) के अंतर्गत छूट निर्धारिती को अनुमत नहीं थी। इस चूक के कारण ₹ 48.70 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 146.62 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

आईटीडी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि निर्धारिती ने की गई बढोतरी के लिए आगामी निर्धारण वर्ष के लिए अपील की थी। डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष नि.व 2010-11 के लिए अपील के निपटान पर परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए, डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नि.व 2010-11 के लिए आय के वास्तविक रिटर्न के अनुसार ₹ 409.43 करोड़ पर लिये गये थे। उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि नि.व 2010-11 के लिए संवीक्षा निर्धारण मार्च 2014 में पूरा किया गया था अर्थात् नि.व 2011-12 के लिए संवीक्षा निर्धारण से पहले ही पूरा कर लिया गया था (मार्च 2015)। निर्धारण की तिथि तक रिकार्ड पर उपलब्ध सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा निर्धारण पूरा किये जाने की आवश्यकता थी। चूंकि नि.व 2010-11 के लिए अपील आदेश नि.व 2011-12 के लिए निर्धारण की तिथि तक पास नहीं किया गया था, धारा 36 (1) (vii क) के अंतर्गत अनुमत ₹ 738.02 करोड़ की छूट की राशि डूबत ऋण दावे के प्रति समंजित करने के लिए उपलब्ध आदि शेष के रूप में मानी जानी चाहिए।

56 दिनांक 12 मार्च 2014 अधिनियम की धारा 144सी (3) के साथ धारा 143 (3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश पूरा किया।

अधिनियम की धारा 35 डी (2) के प्रावधान (सी) (iv) के अनुसार, जहां कोई निर्धारिती किसी भारतीय कंपनी के रूप में अपने उपक्रम के विस्तार के लिए या एक नई इकाई स्थापित करने के बाद हामीदारी कमीशन, ब्रोकरेज के रूप में शेयरों की सार्वजनिक भागीदारी या कंपनी के ऋणपत्र के लिए जारी करने के संबंध में व्यय करता है, और ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग और सूचीपत्र को विज्ञापन के लिए प्रभार प्रत्येक पांच आगामी विगत वर्षों के लिए ऐसे व्यय के 1/5 भाग के समान राशि की छूट अनुमत होगी।

3.3.4.3 प्र. सीआईटी - एलटीयू मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने धारा 115 जेबी के अंतर्गत ₹ 3031.84 करोड़ के बक लाभ निर्धारित करते हुए दिसंबर 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए मै. टाटा मोटर्स लि. का संवीक्षा निर्धारण किया। निर्धारिती ने दावा किया और प्रसंस्करण फीस, विधिक और व्यवसायिक प्रभार, हामीदारी शुल्क, बैंक गारंटी कमीशन आदि के रूप में गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों (एनसीडी) के जारी करने के संबंध में ₹ 139.62 करोड़ का व्यय अनुमत किया गया था। रिकॉर्ड⁵⁷ के अनुसार, एनसीडी कंपनी की तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए और जेगुआर तथा लैंडरोवर बिजनैस अधिग्रहण के लिए विश्वस्तर पर आटोमेटिव व्यापार विस्तार के कारण निधियां प्राप्त करने के लिए जारी की गई थी। इस प्रकार, उपक्रम के विस्तार के संबंध में ये व्यय किये गये। धारा 35 डी के प्रावधान के अनुसार, निर्धारिती ₹ 139.62 करोड़ की कुल राशि के स्थान पर ₹ 27.92 करोड़ (₹ 139.62 करोड़ का 1/5) के व्यय के दावे का हकदार था। व्यय की गलत अनुमति के कारण ₹ 37.96 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 111.70 करोड़ के आय का कम निर्धारण किया गया।

मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखा परीक्षा आपत्ति (अगस्त 2016) को स्वीकार किया कि निर्धारिती पहले ही ऑटोमोबाइल निर्माण बिजनैस में था और वर्ष के दौरान न तो किसी मौजूदा उपक्रम का विस्तार किया गया था, न ही किसी नई इकाई की स्थापना की गई थी। जेगुआर और लैंड रोवर (जेएलआर) के बिजनैस पहले ही निर्धारिती द्वारा अधिग्रहित किये हुए थे। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया स्पष्टीकरण⁸ मांगा गया था और न्यायिक निर्णय⁹ और जहां भी निर्णय दिये गये थे कि ऋण उठाने के संबंध में किया गया व्यय बिजनैस व्यय के रूप में अनुमति योग्य था। इसलिए ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय अनुमतियोग्य व्यय था और अधिनियम की धारा 35 डी के प्रावधानों के अंतर्गत कवर नहीं किया

57 आय की गणना की टिप्पण 27

58 दिनांक 19 मार्च 1971 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 56

59 इंडिया सीमेंट लि.(60 आईटीआर 52) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय और सिक्थोर मीटर्स लि. (611 आईटीआर 321) के मामले में माननीय सर्वोच्च राजस्थान उच्च न्यायालय

गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने आय की गणना टिप्पण 27 में प्रकट की थी कि उसने विश्व स्तर पर ऑटोमेटिव बिजनेस विस्तार के लिए और जेगुआर और लैंडरोवर बिजनेस अधिग्रहण के लिए ये निधियां प्राप्त की थी। यह एक सत्यापित तथ्य है कि कंपनी ने इस वर्ष में जेगुआर और लैंडरोवर बिजनेस अधिग्रहण किया। इसलिए उपक्रम के बिजनेस विस्तार के लिए ऋण प्राप्त के करने के संबंध में किया गया व्यय अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों द्वारा प्रशासित होगा। इसके अतिरिक्त, न्यायिक रूप से यह निर्णय⁶⁰ लिया गया कि विस्तार के लिए किया गया व्यय जिसमें उपक्रम का विस्तार शामिल होता है, यह आयकर अधिनियम की धारा 35 डी की सीमा में आता है। न्यायालय के मद्देनजर जब विधानमंडल (अधिनियम) उनकी बिजनेस गतिविधि में निर्धारिती द्वारा किये गये व्यय की विशिष्ट श्रेणी के संबंध में छूट का दावा करते हुए विशेष प्रावधान करता है, तब उस मामले में इस विषय से संबंधित सामान्य प्रावधान कार्यान्वित नहीं होते।

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमतियोग्य छूट अधिनियम की धारा 30 से 43 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हैं। वे व्यय जो केवल प्रावधान मात्र हैं और पूर्णतः व्यय नहीं किये हैं तथा केवल बिजनेस के उद्देश्य के लिए ही हैं वे अनुमति योग्य नहीं हैं। सीबीडीटी ने स्पष्ट⁶¹ किया कि बाजार आधार के रूप में चिन्हित करने पर निर्धारित हानियों की प्रकृति आकस्मिक है और इसलिए ये अनुमत नहीं की जानी चाहिए।

3.3.4.4 प्र. सीआईटी-12 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 58.57 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए जनवरी 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए मै. डुरो इंवेस्टमेंट इंडिया प्रा. लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लाभ और हानि लेखे के अनुसार निर्धारिती ने 'बाजार आधार के चिन्हित करने पर गैर परिवर्तनीय ऋणपत्रों के पुनः मूल्यांकन' के संबंध में ₹ 87.63 करोड़ और अन्य आय शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियम के निवल इंडैक्स विकल्पो पर पुनः मूल्यांकन के संबंध में ₹ 6.31 करोड़ की हानि बुक की। लेखा टिप्पण⁶², के अनुसार व्यय वास्तविक आधार पर बुक नहीं किये गये थे। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 31.93 करोड़ के कम उदग्रहण सहित ₹ 93.94 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। मंत्रालय ने लेखा परीक्षा स्वीकार की और धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई (मार्च 2016) की।

60 श्री सिंथेटिक लि. बनाम सीआईटी (303 आईटीआर 451), मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय निर्णय

61 दिनांक 23 मार्च 2010 की सीबीडीटी निर्देश संख्या 03

62 अनुसूची 2.8 और 2.11

अधिनियम की धारा 14ए के अनुसार, कुल आय जो कि कुल आया का हिस्सा नहीं होती, के संबंध में निर्धारिती द्वारा किया गया व्यय के संबंधमें कोई छूट अनुमत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आय कर नियमावली, 1962 का नियम 8 डी गैर अनुमति की गणनाके तरीके दर्शाती है।

3.3.4.5 सीआईटी 9 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने स्वतः निर्धारिती द्वारा विचार करने पर छूट प्राप्त आय के अर्जन के प्रति धारा 14ए के अंतर्गत ₹ 23.40 करोड़ की अनुमति न देते हुए ₹ 477.33 करोड़की हानि पर मार्च 2013 में निव 2010-11 के लिए मै. आदित्य बिरला रिटेल लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। ₹ 23.40 करोड़ के गैर अनुमति के आकड़ो प्राप्त करते हुए, निर्धारिती ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1,551.65 करोड़ के लाभ और हानि लेखे - डेबिट शेष में शामिल किये और औसत परिसंपत्ति का निर्धारण करने के लिए 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹ 1,010.50 करोड़ शामिल किये जो उचित नहीं था। ये समायोजन हेतु विपरीत आंकड़ें दर्शाते हैं और किसी मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रोत्साहित नहीं थे। धारा 14 ए के अंतर्गत कुल गैर-अनुमति स्वतः निर्धारिती द्वारा निर्णित ₹ 23.30 करोड़ के प्रति ₹ 89.39 करोड़ आंकी गई। इस चूक के कारण ₹ 22.43 के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 65.99 करोड़ का कम गैर अनुमति हुई। *मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की और मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की।*

अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, बिजनैस के लिए व्यय या प्रोद्भूत व्यय अनुमत व्यय है। यद्यपि, असंभावित देयता प्राप्त करने के लिए बनाये गये प्रावधान बिजनैस के लाभ और प्राप्तियों की गणना करते समय एक छूट अनुमत नहीं है। यह एक न्यायिक निर्णय⁶³ है कि मंद गति वाली प्रविष्टियों के प्रावधान एक अनुमति योग्य छूट नहीं है।

3.3.4.6 प्र. सीआईटी, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने क्रमशः ₹ 994.53 करोड़ और ₹ 1426.79 करोड़ आय निर्धारित करते हुए फरवरी 2014 और मार्च 2015 में निव. 2010-11 और 2011-12 के लिए मै. **अंबुजा सीमेंट्स लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और निर्धारण वर्षों के दौरान मंदगति वाली प्रविष्टियों के लिए बनाये गये प्रावधानों के संबंध में क्रमशः ₹ 52.80 करोड़ और ₹ 9.60 करोड़ अनुमत किये गये थे। प्रकृति में आकस्मिक रहने वाले संयंत्र और मशीनरी के अतिरिक्त पूर्ण के मूल्य में कमी के लिए बनाये गये प्रावधान की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी। गलत

63 मोलेक्स मफतलाल लि. बनाम आईटीओ गांधीनगर और जीपालिन मोबाईल सिस्टम (इंडिया) बनाम एसीआईटी सर्क.- 8 अहमदाबाद- आईटैट अहमदाबाद (7 दिसंबर 2006)

अनुमति के कारण ₹ 21.14 करोड़ के कर प्रभावरहित ₹ 62.40 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति अगस्त 2016 को लेखांकन मानक के अनुसार स्वीकार नहीं किया और न्यायिक निर्णय⁶⁴ यह दर्शाता है कि लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो पर लेखांकन वर्षके प्रारंभ और अंत तक ट्रेड में स्टॉक के लाभ और हानि लेखे को मानना वाणिज्यिक लेखांकन का प्रसिद्ध सिद्धांत होता है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि लेखांकन का उचित सिद्धांत लागत के बहीखातों में स्टॉक में प्रवेश करना होता है। मंत्रालय का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि मंत्रालय द्वारा उद्धृत निर्णयप्रासंगिक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने संयंत्र और मशीनरी के अतिरिक्त पूर्ण के मूल्य में कमी के लिए बनाये गये प्रावधानको चुनौती दी है और न कि उसको मूल्य या मंत्रालय द्वारा की गई चर्चा के अनुसार वास्तविक लागत से नीचे माल के बाजार मूल्य में गिरावट के कारण संभावित लागत को इस मामले में मोलैक्स मफतलाल लि. बनाम आईटीओ गांधीनगर और जीर्पालनमोबाईल सिस्टम (इंडिया) बनाम एसीआईटी 8 अहमदाबाद के मामले में आईटैट अहमदाबाद का निर्णय प्रासंगिक है, जबकि यह निर्णय किया गया था कि मंद गति वाली प्रविष्टियों के लिए प्रावधान अनमत छूट नहीं है। इसके अतिरिक्त, आईटीडी ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत नि व 2010-11 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई (मार्च 2016) प्रारंभ की है।

अधिनियम की धारा 43 बी (एफ) के अनुसार अवकाश नकदीकरण के लिए बनाया गया कोई प्रावधान केवल तभी अनुमत है जब यह वास्तविक रूप से अदा किया गया है। इसका न्यायिक निर्णय⁶⁵ आ चुका है कि धारा 43 बी (एफ) के अंतर्गत बनाया गया प्रावधान एक अनुमत छूट नहीं है और प्रावधान स्वैच्छिक और अनुचित मानते हुए नकार दिया गया।

3.3.4.7 सीआईटी - एलटीयू मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने अधिनियम के ₹ 1287.74 करोड़ सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत और विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 3031.84 करोड़ आय निर्धारित करते हुए मई 2011 और दिसंबर 2014 में नि व. 2007-08 और 2010-11 के लिए **मै. टाटा मोटर्स लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और नि.व. 2007-08 और 2010-11 के लिए अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान के संबंध में क्रमशः ₹ 30.14 करोड़ और ₹ 29.61 करोड़ अनुमत किये गये। उपरोक्त न्यायिक निर्णय के आधार पर धारा 43 बी के अंतर्गत राशि को गैर अनुमत माना गया। इस कारण नि.व. 2007-08 के लिए ₹ 10.15 करोड़ के कर

64 सीआईटी बनाम ब्रिटिश पेंटस इंडिया लि. (1991), 188 आईटीआर 44 (एससी)

65 मै. एक्सार्ड इंडस्ट्रीज लि. बनाम यूनीयम आफ इंडिया (292 आईटीआर 470-कोलकाता हाई कोर्ट)

उदग्रहण और नैट क्रेडिट को अधिक अग्रहण के कारण नि. वि. 2010-11 के लिए ₹ 10.06 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित क्रमशः नि.व. 2007-08 और 2010-11 के लिए ₹ 30.14 करोड़ और ₹ 29.61 करोड़ आय का कम निर्धारण किया गया। आईटीडी ने नि.वि. 2007-08 के लिए आंशिक रूप से आपत्ति (अक्टूबर 2012) में स्वीकार की और धारा 154 के अंतर्गत गलती में (जनवरी 2015) सुधार किया। निर्धारिती ने धारा 154 (जनवरी 2015) के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध सीआईटी(अपील) के समक्षा याचिका दायर की। आईटीडी ने यह कहते हुए नि.व. 2010-11 (जून 2015) के लिए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि अवकाश नकदीकरण की छूट का दावा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय के आधार पर था। उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि धारा 43 बी (एफ) के अंतर्गत छूट केवल तब अनुमत थी जब कर वास्तव में अदा किया गया हो और न कि बनाये गये प्रावधान के आधार पर। इसके अतिरिक्त, कोलकाता उच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्चन्यायालय द्वारा बदला नहीं गया।

अधिनियम की धारा 36 (1)(vii ए) कुल आय (इस खंड और अध्याय VI ए के अंतर्गत कोई छूट देने के लिए की गई गणना) के सात और 1/5 प्रतिशत से कम राशि और विनिर्दिष्ट रूप से गणना की गई ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये औसतन औसत अग्रिम के दस प्रतिशत से कम की राशि किसी प्राथमिक कृषि सोसाइटी या किसी प्राथमिक कॉर्पोरेटिव कृषि और ग्रामिण विकास बैंक की अपेक्षा किसी अनुसूचित बैंक या गैर - अनुसूचित बैंक या किसी कॉर्पोरेटिव बैंक द्वारा दिये गये डुबत और संदिग्ध ऋणों के किसी प्रावधान के संबंध में छूट प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीसी ने स्पष्ट⁶⁶ कि अनिश्चित देयता या प्रोद्भूत न की गई किसी देयता के संबंध में प्रावधान छूट प्रदान नहीं करता।

3.3.4.8 प्र. सीआईटी-2 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के प्रति धारा 36 (1) (vii ए) के अंतर्गत ₹ 211.02 करोड़ की छूट अनुमत करते हुए ₹ 1,466.12 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए जनवरी 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए मै. कोटक महिंद्रा बैंक लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹ 25.57 करोड़ के प्रावधान सहित डुबत और संदिग्ध ऋण के लिए ₹ 197.55 करोड़⁶⁷ के प्रावधान अनुमत किये गये। चूंकि मानक परिसंपत्तियां के प्रावधान छूट⁶⁸, के लिए योग्य नहीं था, धारा 36 (1)(vii ए) के अंतर्गत

66 दिनांक 26/11/2008 का 2008 की सीबीडीटी निर्देश संख्या 17

67 पैरा 10 प्रावधान और आकस्मिकताएं 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे के साथ पठित लेखा टिप्पण की अनुसूची 18

68 सीबीडीटी आदेश संख्या 17-2008 दिनांक 26 नवम्बर 2008 की धारा (xi)

अनुमत छूट ₹ 211.02 करोड़ के स्थान पर ₹ 171.98 करोड़ तक प्रतिबंधित कर दी जानी चाहिए थी। इस चूक के कारण ₹ 12.67 करोड़ के कम कर उदग्रहणसहित ₹ 39.05 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2016)।*

अधिनियम की धारा 37 के अनुसार कोई व्यय पूर्णगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न होने के कारण का व्यय किया गया या पूर्णतः खर्च किया गया और केवल बिजनैस या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए बिजनैस या व्यवसाय के लाभ औरी प्राप्तियाँ शीर्षके अंतर्गत प्रभारयोग्य आय की गणना में अनुमत होंगे।

3.3.4.9 प्र. सीआईटी-8 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 749.96 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए जनवरी 2014 में नि.व. 2009-10 के लिए **मै. वोडाफोन इंडिया लि.** का संवीदा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और शेयर आधारित भुगतान रिजर्व के संबंध में ₹ 5.42 करोड़⁶⁹ का व्यय अनुमत किया गया था। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, लेखापरीक्षक ने आकस्मिक प्रकृति की देयता के रूप में ₹ 5.42 करोड़ का सत्यापन किया जो अनुमत नहीं किया जाना था। इस चूक के कारण ₹ 1.84 करोड़ के कम कर उदग्रहण सहित ₹ 5.42 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *मंत्रालय ने ले.प. आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मार्च 2016)।*

3.3.4.10 प्र. सीआईटी -I कोलकाता प्रभार, परिचय बंगाल में, नि.अ. ने ₹ 60.94 करोड़ की हानि निर्धारितकरते हुए मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए **मै. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि.** का संवीक्षानिर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ 76.10 करोड़ की कर राशी से पूर्व निवल हानि तक पहुँचने के लिए कर से पूर्व वर्ष के लिए हानि से विशिष्ट मर्दों के प्रति ₹ 55.91 करोड़ डेबिट किये। वित्तीय विवरणों के अनुसार, उपरोक्त विशिष्ट मर्दों में आस्थगित कर परिसंपत्ति (बट्टे खाते में डाले गये) के संबंध में ₹ 14.57 करोड़ की राशि शामिल थी। चूंकि उक्त अनुमत व्यय नहीं था, इसे निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अनुमत नहीं किया जाना चाहिए था। चूक के कारण ₹ 4.73 करोड़ के संभावित कर प्रभावसहित ₹ 14.55 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई (अगस्त 2016) की।*

69 तुलन पत्र - रिजर्व और सरप्लस की अनुसूची 2 के अनुसार

अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान है कि व्यवसाय और संव्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूर्णतः और विशेष रूप से विस्तारित और बाहर रखे हुए किसी भी व्यय को (धारा 32 से 36 में वर्णित व्यय की प्रकृति में और निर्धारिती के पूंजीगत व्यय एवं निजी व्यय की प्रकृति में मौजूद नहीं है) व्यवसाय और संव्यवसाय के लाभ और मुनाफा शीर्ष के अन्तर्गत आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी। पूर्ण और विशेष शब्द व्यवसाय के उद्देश्य के लिए, वित्तीय अधिनियम 2014 की धारा 37(1) के लिए एक स्पष्टीकरण दो जोड़ने से स्पष्ट होता है, जिसका अर्थ है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियों पर एक निर्धारिती द्वारा किया गया कोई व्यय व्यवसाय और संव्यवसाय के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा किया जाने वाला व्यय नहीं समझा जायेगा।

3.3.4.11 पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता प्रभार में लेखापरीक्षा अधिकारी ने फरवरी 2015 में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए **मै. बालमेर लॉरी एंड कम्पनी लि.** की जांच के निर्धारण को पूरा किया और ₹ 189.86 करोड़ की आय का निर्धारण किया। निर्धारिती ने दावा किया और विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के कारण ₹ 3 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गयी थी। क्योंकि यह व्यय निर्धारिती के व्यापार के उद्देश्य के लिए पूर्ण और विशेष रूप से नहीं किया गया था, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। चूक अस्वीकृत करने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.31 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 3 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने प्रेषण को स्वीकार नहीं किया और कहा कि धारा 37(1) का स्पष्टीकरण 2, 01 अप्रैल 2015 अर्थात् नि.व. 2015-16 और बाद के वर्षों के संबंध में से प्रभावी था, और यह नि.व. 2015-16 से पहले लागू नहीं किया गया था। यद्यपि, निर्धारण वर्ष 2011-12 के दौरान इस प्रकार के व्ययों का अनुमति नहीं देने के प्रश्न को उठाया नहीं गया था।* उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सीएसआर से संबंधित गतिविधियों पर ऐसे निर्धारिती द्वारा वहन किये गये किसी भी व्यय को व्यवसाय और संव्यवसाय के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा वहन किये गये व्यय के रूप में निर्धारित नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 37(1) के लिए स्पष्टीकरण 2 का स्वरूप परिशोधन करने योग्य था और संशोधन करने वाला नहीं था क्योंकि यह संदेहों के निवारण के लिए जोड़ा गया था।

3.4 चूकों के कारण निर्धारणों से रह गई आय

3.4.1 अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से ली गयी वास्तव में प्राप्त या उपर्जित एवं प्राप्त या उपर्जित मानी गयी समस्त आय में सम्मिलित होगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने कुल आय का कम निर्धारण/गैर

निर्धारण किया था जिसे कर के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक था। तालिका 3.3 उप-श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है जो आय निर्धारण से रह गई हैं।

तालिका 3.3 चूकों के कारण निर्धारण से रह गई आय के तहत गलतियों की उप श्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियाँ	संख्या	टीई	राज्य
क. विशेष प्रावधान के तहत आय का कम निर्धारण /गैर निर्धारण	13	62.35	दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ख. सामान्य प्रावधान के तहत आय का कम निर्धारण /गैर निर्धारण	19	140.76	गुजरात,कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ग. पूंजीगत लाभ की गलत वर्गीकरण और गणना	4	6.47	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
घ. आर्म्स लेंथ मूल्य का गलत अनुमान	9	23.28	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ड. अस्पष्टीकृत निवेश नकदी ऋण	2	12.58	दिल्ली और महाराष्ट्र
कुल	47	245.44	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत आय का कम निर्धारण/गैर निर्धारण

हमने इस प्रकार के मामलों के छः उदाहरण नीचे दिये हैं:

धारा 115जेबी के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के उदग्रहण के लिए बही लाभ के निर्धारित प्रतिशत पर सामान्य प्रावधान के तहत देय कर मैट की तुलना में कम है।

3.4.2.1 उत्तर प्रदेश, प्र. सीआईटी नोएडा प्रभार में, लेखापरीक्षा अधिकारी ने मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए **मै. जुबिलंट एनप्रो प्राइवेट लि.** के निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया और विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 66.46 करोड़ के बहि लाभ और सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 23.22 करोड़ की आय का निर्धारण किया था। निर्धारिती ने लाभ और हानि खाते में 'हस्तांतरण पर हानि/निवेशो को बढ़े खाते में डालने के कारण ₹ 118.45 करोड़ डेबिट किये और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत इसे वापस आय में जोड़ा और शेयरो के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी हानि के रूप में इसका दावा किया था। नि.अ. ने शेयरो के विक्रय पर पूंजी हानि के दावे को अस्वीकार किया परन्तु आस्तियों⁷⁰ के मूल्य में हास के रूप में इसको ध्यान में रखते हुए

70 विक्रय के निवेश पर हानि के संबंध में ₹ 118.45 करोड़= ₹ 25.53 करोड़ और निवेशों को निरस्त करने के संबंध में ₹ 92.91 करोड़ (पूंजीगत कटौती)

₹ 118.45 करोड़⁷¹ को वापस जोड़ा नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 32.23 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और अधिनियम की धारा 236 के तहत (नवम्बर 2015) सुधारात्मक कार्रवाही प्रारम्भ की गयी थी।*

धारा 143(3) प्रावधान करता है कि लेखापरीक्षा अधिकारियों को निर्धारिती की आय का सही निर्धारण और इन निर्धारण के आधार पर प्रति देय के लिए और उनके द्वारा देय सही राशि का निर्धारण करना होगा। खातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के दावों, अभिलेखों और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के निर्धारणों की संविक्षा में विवरण में जांच करने के लिए आवश्यक है।

3.4.2.2 महाराष्ट्र में, प्र. सीआईटी -10 मुम्बई प्रभार, में नि.अ. ने मार्च 2014 में निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए **मै. ऑरैकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लि.** के निर्धारण की संविक्षा को पूरा किया और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 748.25 करोड़ के बहि लाभ और सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 240.82 करोड़ की आय का निर्धारण किया था। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, नि.अ. ने धारा 10ए के तहत निर्धारिती के लिए ₹ 587.76 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। सामान्य प्रावधानों के तहत कर योग्य आय की गणना करते समय नि.अ. ने ₹ 587.76 करोड़ की कटौती की सही मूल्य राशि के बजाए धारा 10ए के तहत ₹ 630.80 करोड़ की कटौती का गलत विचार किया था। जैसा कि धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारण पूरा किया गया था, कटौती के अतिरिक्त भत्ते के परिणामस्वरूप ₹ 14.63 करोड़ के मैट क्रेडिट के अतिरिक्त अग्रेषण को सम्मिलित करते हुए ₹ 43.04 करोड़ से आय का अल्प निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत त्रुटि को फरवरी 2016 में सुधारा गया था।*

धारा 115जेबी अनुसार के यदि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के उदग्रहण के लिए बहिलाभ की निर्धारित *प्रतिशत* पर सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर मैट की तुलन में कम है। धारा 115जेबी के तहत स्पष्टीकरण (1) के अनुसार, बहिलाभ का अर्थ है उप धारा (2) के तहत तैयार कुछ परिवर्धन /विलोपन के विषयों के लिए पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाये गये शुद्ध लाभ से है। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ, देनदारियों को पूरा करने के लिए बनाये गये प्रावधानों के लिए अलग मात्राओं को निर्धारित करना सम्मिलित है।

71 आईटीएटी, मुम्बई बैंच प्रधानाचार्य द्वारा आयोजित मामलों में आईटीओ बनाम टीसीएफसी फाइनेन्स लि. आईटीए सं. 1299/एमयूएम /2009 दिनांक 09.03.2011

3.4.2.3 गुजरात में, प्र. सीआईटी-111 अहमदाबाद प्रभार में, नि.अ. ने दिसम्बर 2008 में निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए मै. निरमा लि. के संवीक्षा निर्धारणो को पूरा किया था और ₹ 449.08 करोड़ की आय का निर्धारण किया जिसे मार्च 2011 में धारा 154 के तहत परिशोधित किया था। ₹ 343.85 करोड़ से बहि लाभ और आय की सीमा तक ₹ 449.08 करोड़ के अनवशोषित मूल्यहास और हानियों को आगे लाकर समायोजित करने के बाद सामान्य प्रावधानो के तहत आय का 'शून्य' पर निर्धारण किया। निर्धारण को धारा 154 के तहत (जून 2013) पुनः परिशोधित किया गया और बहिलाभ को ₹ 343.49 करोड़ निर्धारित किया गया। आगे दिसम्बर 2013 के अपीलीय आदेश को प्रभाव में लेते हुए, नि.अ. ने मार्च 2014 में ₹ 343.49 करोड़ के बहि लाभ और ₹ 270.78 करोड़ की आय की सीमा तक अग्रनित अनवशोषित मूल्यहास और हानियों को समायोजित करने के बाद सामान्य प्रावधानो के तहत आय को 'शून्य' पर संशोधित किया था। अपील प्रभाव आदेश (मार्च 2014) और परिशोधन आदेश (जून 2013) में बहि लाभ की गणना करते समय पुर्वोक्त प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए ₹ 48.96 करोड़ के संदिग्ध अग्रिमो के लिए प्रावधान को जोडा नहीं गया है। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.12 करोड़ के कम कर उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 48.96 करोड़ द्वारा बहि लाभ का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत मार्च 2015 में भूल का परिशोधन किया।*

धारा 115जेबी के अनुसार, बहि लाभ से तात्पर्य किसी भी छूट प्राप्त आय के सम्बद्ध में व्यय की गई राशि के द्वारा यदि यह मैट के अधीन नहीं है। अन्य लोगो के बीच बडे हुए पिछले प्रासंगिक वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित शुद्ध लाभ से है। इसके अतिरिक्त, धारा 14ए के अनुसार आय के संबंध में निर्धारित द्वारा वहन किये गये व्यय के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं है जो अधिनियम के तहत कुल आय के हिस्से से नहीं है। आय कर नियमावली, 1962 के नियम 8डी के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने नियम के प्रावधान के अनुपात में इस प्रकार के व्यय की मात्रा का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है।

3.4.2.4 तमिलनाडु में, सीआईटी-4 चैन्नई प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2015 में नि.व 2012-13 के लिए मै. एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रचर डिवेलपेमेन्ट प्रोजेक्टस लि. के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया अधिनियम के सामान्य प्रावधानो के तहत ₹ 4.09 करोड़ के बहि लाभ और ₹ 14.20 करोड़ की मूल्यहास हानि को आगे बढ़ाकर समायोजित करने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानो के तहत आय का 'शून्य' पर निर्धारण किया था। निर्धारण को पूरा करते समय यद्यपि नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के तहत ₹ 8.92 करोड़ के मूल्य को अस्वीकृति दी थी, यह बहि लाभ की गणना करने के लिए, इस

पर विचार नहीं किया गया था। व्यय अस्वीकृति की त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ की कम कर उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 8.92 करोड़ द्वारा बहि लाभ का अल्प निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग का उत्तर प्रतिक्षित है (नवम्बर 2016)।*

3.4.2.5 राजस्थान में, सीआईटी-2 जयपुर प्रभार में, नि.अ. ने फरवरी 2015 में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए **मै. सेफफलेक्स इन्टरनेशनल लि.** के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया, अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 4.83 लाख के कर और ₹ 15.64 लाख की आय का निर्धारण किया। जैसाकि ₹ 1.36 करोड़ के न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट), ₹ 6.84 करोड़ के बहि लाभ को 18.5 प्रतिशत की दर पर उदग्रहण करने योग्य अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत भुगतान किये गये कर की तुलना में अधिक था, निर्धारिती अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत मैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 1.78 करोड़ को कर के कम उदग्रहण सहित विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 6.84 करोड़ के बहि लाभ का गैर निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने त्रुटि को स्वीकार किया और मई 2016 में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की थी।*

3.4.2.6 सीआईटी-7 दिल्ली प्रभार में, नि.अ. ने दिसम्बर 2013 में निर्धारित वर्ष 2011-12 के लिए **मै. पवन हंस हैलीकोप्टर लि.** के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 50.86 करोड़ के बहि लाभ और सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 28.10 करोड़ की हानि का निर्धारण किया गया। लाभ और हानि खाते में अशोध्य और संदेहास्पद डेबिट के प्रावधान के प्रति ₹ 98.78 लाख और अचल इन्वेस्ट्री/इन्वेन्ट्री की कमी के लिए प्रावधान के संबंध में ₹ 3.12 करोड़ के व्यय कर निर्धारिती द्वारा दावा किया गया और अनुमति की गयी थी। जब गैर निर्धारित देनदारियों के संबंध में ₹ 4.10 करोड़ के प्रावधान बनाये गये थे, तब इन व्ययों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 1.09 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 4.10 करोड़ के द्वारा बहि लाभ का अल्प निर्धारण हुआ था। *मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और (जुलाई 2015) धारा 154 के तहत त्रुटियों का सुधारा गया।*

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत आय का गैर निर्धारण/अवनिर्धारण

हमने इस प्रकार के मामलो के छः उदाहरण नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 8डी के अनुपालन में छूट प्राप्त आय के अर्जन के लिए वहन किये गये व्ययों की अस्वीकृति के लिए अधिनियम की धारा 14ए प्रावधान करती है।

यह न्यायिक अधिकार⁷² में किया गया है कि जहां निवेश को शेयरों में निवेश किया गया, जिसमें विचाराधीन वर्ष में कोई भी लाभांश उपज नहीं थी, आय अर्जन के लिए किया गया व्यय इस तथ्य के होते हुए कि ऐसी कोई आय अर्जित नहीं की गयी थी यह कटौती योग्य नहीं थी। नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए हुए प्राप्त अर्जित आय के लिए अस्वीकृति के लिए कार्य करना निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त सीबीडीटी ने भी स्पष्ट किया⁷³ कि नियम 8डी जहां करदाता ने विशेष वर्ष में किसी छूट प्राप्त आय को अर्जन नहीं किया है व्यय की अस्वीकृति के लिए अधिनियम की धारा 14ए के साथ पठित का प्रावधान प्रदान करता है।

3.4.3.1 महाराष्ट्र प्र. सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2015 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए मै. आईसीआईसीआई बैंक लि. की कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया, धारा 14ए के तहत ₹ 531.40 करोड़ की अस्वीकृति बनाने की अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 6,738.07 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। अस्वीकृति के लिए औसत निवेश की संगणना करते समय, निर्धारिती ने तुलन-पत्र के अनुसार क्रमशः ₹ 6,222.68 करोड़ और 2,755.74 करोड़ के रूप में संयुक्त उपक्रमों और सहायक कंपनी में और 'शेयरों में निवेश' (इक्विटी और वरीयता शेयर) के प्रारंभिक जमाओं पर विचार किया था। निवेशों के अंतर्शेष के संबंध में, निर्धारिती ने ₹ 1,049.46 करोड़ और ₹ 2,870.95 करोड़ के केवल उन निवेशों पर विचार किया था जिनमें से तुलन पत्र के अनुसार ₹ 2,813.41 करोड़ और ₹ 6,479.69 करोड़के स्थान पर वर्ष के दौरान छूट प्राप्त आय वास्तव में प्राप्त की गयी थी। संगणना ऊपर उद्धृत सीबीडीटी परिपत्र और न्यायिक विनिर्णय के अनुरूप नहीं थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 43.79 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए धारा 14ए के तहत कम अस्वीकृति के कारण ₹ 131.80 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (अक्टूबर 2015) और कहा कि धारा 14अ के प्रावधानों के अनुसार, आय के संबंध में व्यय अस्वीकृत नहीं किये जा रहे थे जो कि अधिनियम के तहत कुल आय के भाग से नहीं था। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था जैसा कि यह

72 मैसर्स टेक्नोपक एडवाजस प्र. लि.18 टेक्समन कॉम 146 (दिल्ली आईटीएटी)

73 सीबीडीटी सर्कुलर सं. 5/2014 दिनांक 11/02/2014

विधायी प्रयोजन का स्पष्ट करते हुए मई 2014 के अपने स्वयं के परिपत्र का खण्डन करता है, जो अदालतों के द्वारा खारिज नहीं किया गया है। इसका अनुपालन किया जाना विभाग के लिए बाध्यकारी था।

आयकर अधिनियम की धारा 41(1) प्रदान करती है कि इन कारोबार देनदारियों के संबंध में क्रमशः कुछ लाभ प्राप्त किये गये और कारोबार देनदारियां और व्यय, जहां हानि के संबंध में बनाये गये भत्ते छूट एवं उसकी समाप्ति के माध्यम से उस पूर्व वर्ष के संव्यवहार एवं व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति के लिए माना जाना चाहिए इसके अतिरिक्त, यह नयायिक अधीन⁷⁴ किया गया था धारा 41(1) के तहत अभिव्यक्त व्यय काफी व्यापक है और जिसमें केवल राजस्व ही नहीं अपितु पूंजी में, व्यय भी सम्मिलित है।

3.4.3.2 महाराष्ट्र प्र.सीआईटी मुम्बई प्रभार में, नि.अ. ने नि.व. 2011-12 के लिए **मै. स्टेनलैस इंडिया प्राइवेट लि.** के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया था और ₹ 2.70 करोड़ की आय का निर्धारण किया। खातों पर टिप्पणियों⁷⁵ के अनुसार, निर्धारिती ने अक्टूबर 2008 में इसके संचालन को निलंबित किया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने मै. मुकुन्द लि. से ₹ 53.50 करोड़ के व्यापार अग्रिमों को प्राप्त किया जो कि एक समूह कंपनी थी और निर्धारिती के 44.09 प्रतिशत शेयरों को संघटित किया गया। मुकुन्द लि. ने अपने बहि-खाते में ₹ 53.50 के व्यापार अग्रिमों को बड़े खाते में डाल दिया था। इन्होंने अपने डेबिट के दावों को जारी रखा था और उसी रूप में निर्धारिती द्वारा वापस नहीं लिखा गया था। मै. मुकुन्द लि. के वि.व. 2011-12 के अभिलेखों के प्रति सत्यापन से पता चलता है कि ये बड़े खाते वास्तव में खातों में किये गये और नि.व. 2010-11 के दौरान आंशिक रूप से इनका दावा किया गया था और पूर्व वर्षों में बनाये गए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में आंशिक रूप से समायोजित किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि ऋणदाता ने अशोध्य ऋणों के माध्यम से कटौती का दावा किया था और अपने खातों से इसको बड़े खाते में डाल दिया था। ऋणदाताओं से छूट या देनदारियों भी राशि के द्वारा अशोध्य ऋणों को बड़े खाते में डालना गलत था और उसके द्वारा अधिनियम की धारा 41(1) के प्रावधानों को आकृष्ट किया था त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 17.77 करोड़ के द्वारा संभावित कर के अल्प उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 53.50 करोड़ से आय का अल्प निर्धारण हुआ था।

आयकर विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया था (जून 2016) और कहा था कि इस मामले में धारा 41(1) के प्रावधान नहीं लिये गये थे। क्योंकि

74 मै. नेक्टर बेवरेजेस प्र. लि. बनाम सीआईटी 2004 (139 टेक्समैन 70 बोम्बे हाई कोर्ट

75 टिप्पणी 8ब अनुसूचि 18, खातों की टिप्पणियां

प्रश्न की गयी राशि किसी भी पिछले वर्ष के कारोबार दायित्व के रूप में स्वीकार नहीं की गयी थी। इसके आगे, में. मुकुन्द लि. निर्धारिती का एक ऋणदाता नहीं था। और निर्धारिती को केवल अग्रिम दिया गया था। तर्क के समर्थन में, आयकर विभाग ने कुछ मामले उद्धृत किये जो विधि प्रासंगिक नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने इसे नियत कार्य के विरुद्ध अग्रिम/आपूर्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसको न्यायिक रूप से बताया गया⁷⁶कि कारोबार जमा प्राप्ति के समय पूंजीगत प्रकृति के थे और समय के प्रवाह के साथ कारोबार प्राप्तियों के लिए उनका स्वभाव परिवर्तित हो गया था। आगे, जहां कंपनियों संबंधित हो और उनमें से एक कंपनी ने आय से अशोध्य ऋण की कटौती के दावे किये हो परन्तु दूसरी कंपनी से इस प्रकार की आय का प्रस्ताव नहीं मिला था ऐसे मामलों में राजस्व ब्याजों को बचाने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान अस्तित्व में नहीं था। आयकर विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 147 के तहत (मार्च 2016) सुधारात्मक कार्रवाही प्रारम्भ की गयी थी।

3.4.3.3 पीसीआईटी-नोएडा प्रभार में, नि.अ. ने अक्टूबर 2011 में नि.व. 2007-08 के लिए में. एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि. के निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया था और ₹ 583.91 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। मामले को अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत ₹ 597.80 करोड़ की संशोधित आय पर पुनः निर्धारित किया था। निर्धारिती को महाराष्ट्र सरकार से ₹ 20.58 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार से ₹ 61.01 करोड़ की सब्सिडी (कर प्रोत्साहनों) प्राप्त हुई थी। कर योग्य आय की संगणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सब्सिडी को अस्वीकृत किया और वापस जोड़ कर इनको राजस्व प्राप्तियों के रूप में लिया गया था। यद्यपि, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी की अनुमति नहीं दी गयी थी और कर योग्य आय को वापस जोड़ा गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 10.74 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 20.58 करोड़ के द्वारा आय का अल्प निर्धारण किया गया था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के तहत (फरवरी 2016) सुधारात्मक कार्रवाही प्रारम्भ की गयी थी।

76 टी वी सुन्दरम आयंगर एण्ड सन्स लि. के मामले में

धारा 143(3) प्रावधान करती है कि निर्धारण अधिकारी को इस तरह के कर निर्धारण के आधार पर पुनः प्रतिदेय के लिए और उसके द्वारा देय सही राशि का निर्धारण और निर्धारिती की आय का सही कर निर्धारण और निरूपण करना होगा। विभिन्न प्रकार के दावों के साथ-साथ खातों, अभिलेखों और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा में कर निर्धारणों के विवरणों की जांच करना आवश्यक है।

3.4.3.4 ओडिशा सीआईटी-सम्भलपुर, प्रभार में, लेखापरीक्षा अधिकारी ने जनवरी 2014 में नि. व. 2011-12 के लिए में. महानदी कोल फील्ड लि. के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित ₹ 110.67 करोड़ के सभी प्रावधान को अस्वीकृति करने के बाद ₹ 5,772.71 करोड़ पर आय का निर्धारण किया गया। नि.अ. द्वारा ₹ 110.67 करोड़ के प्रावधान को अस्वीकृत किया गया और भूमि के सुधार के संबंध में ₹ 23.85 करोड़ के ऋणात्मक आंकड़ों को सम्मिलित किया गया, जो कर के लिए नहीं लाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.61 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 23.85 करोड़ के द्वारा आय का अल्प निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत (अप्रैल 2015) सुधारात्मक उपायों को पूरा किया था।

3.4.3.5 पश्चिम बंगाल, प्र. सीआईटी-4 कोलकाता प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए में. सुबीर सिरकार ज्वैलर्स प्राइवेट लि. के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया था और ₹ 5.42 लाख की हानि का निर्धारण किया। लाभ-हानि खातों के अनुसार, नि.व 2012-13 के लिए प्रारंभिक स्टॉक को ₹ 21.22 करोड़ पर प्रदर्शित किया गया था जबकि अंतिम स्टॉक नि.व. 2011-12 के लिए केवल ₹ 74.31 लाख पर प्रदर्शित किया गया था। यद्यपि, प्रारंभिक स्टॉक नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 20.48 करोड़ से अतिदर्शित था जो कि कर निर्धारण में स्वीकृत किया गया था। प्रारंभिक स्टॉक के अधिक डेबिट की अनुमति देने में त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.01 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 20.28 करोड़ की आय का कम अवनिर्धारण हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और दिसम्बर 2015 में धारा 144 और 143(3) के साथ पठित धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गयी।

धारा 28 में प्रावधान है कि किसी भी व्यापार और संव्यवसाय के लाभ और मुनाफा जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर निर्धारिती द्वारा किया गया व्यापार और संव्यवसाय के लाभ और मुनाफा शीर्ष के तहत आयकर के दायरे में होगा।

3.4.3.6 गुजरात में, प्र. सीआईटी-2 अहमदाबाद प्रभार में, नि.अ. ने दिसम्बर 2011 में नि.व. 2011 में नि.व. 2009-10 के लिए में. गणेश हाऊसिंग कार्पोरेशन लि. के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया, ₹ 34.17 करोड़ के एलटीसीजी को सम्मिलित करते हुए ₹ 63.55 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया। निर्धारिती अचल संपत्ति विक्रय और ग्रामीण गतिविधियों में लगा हुआ था, एकीकृत कंपनी (नचिकेत प्रोपर्टीज प्रा. लि.) के द्वारा मूलरूप से वर्ष 2002-03 में क्रय की गयी भूमि का विकास किया था। फिर, निर्धारिती ने परिवर्तन कर का भुगतान करके भूमि को गैर-कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया था। इससे यह पता चलता है कि भूमि को निवेश के रूप में उपार्जित और क्रय नहीं किया गया था परन्तु कंपनी के व्यवसाय के अनुसार लाभ अर्जन और पुनर्विक्रय के लिए किया गया था। यद्यपि, उपार्जित भूमि निर्धारिती का बिक्री-माल था और अर्जित लाभ पूंजीगत लाभ के बजाय व्यापार आय थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.29 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और नवम्बर 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक उपाय किये गये।

3.4.4 गलत संगणना/पूंजीगत मुनाफे का वर्गीकरण

हमने नीचे इस प्रकारके मामलों के दो उदाहरण दिये हैं:

धारा 143(3) प्रावधान करता है कि निर्धारण अधिकारी को इस प्रकार के कर निर्धारण के आधार पर पुनः प्रतिदेय के लिए और उसके द्वारा देय सही राशि का निर्धारण और निर्धारिती की आय का सही कर निर्धारण और निरूपण करना होगा। विभिन्न प्रकार के दावों के साथ-साथ खातों अभिलेखों और रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा में कर निर्धारणों के विवरणों की जांच करना आवश्यक है।

3.4.4.1 कर्नाटक सीआईटी-1 बेंगलूर प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 के लिए में. हिन्दुजा रियाल्टार प्रा. लि. कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया, उस पर ₹ 83.38 लाख के कर और ₹ 1.91 करोड़ की आय का निर्धारण किया था। निर्धारिती द्वारा अपनी संगणना के विवरण में इक्विटी शेयरों की विक्रय से ₹ 7.08 करोड़ के दीर्घावधि पूंजी मुनाफे को बताया गया था। कर निर्धारण को पूरा करते समय, नि.अ. ने दीर्घावधि पूंजी मुनाफे पर विचार नहीं किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.18 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 7.08 करोड़ की आय का अल्प निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और जून 2014 में धारा 154 के तहत त्रुटि को परिशोधित किया।

अधिनियम की धारा 45 प्रावधान करता है कि पिछले वर्ष में प्रभावित पूंजीगत अस्तियां के हस्तांतरण से प्राप्त किसी भी लाभों और मुनाफों को पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य होगी और पिछले वर्ष की आय के रूप में मानी जायेगी जिसमें अंतरण वही रखी गयी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय पूंजीगत अस्तियों के हस्तांतरण के परिणाम में जमा की गयी और प्राप्त किये गये प्रतिफल के पूरे मूल्य से कटौती के द्वारा संगणना की जायेगी निम्नलिखित मूल्यराशि अर्थात्: (i) इस प्रकार के हस्तांतरण के संबंध में पूरी तरह से और सम्पूर्ण वहन किया गया व्यय (ii) परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण की लागत और इसके अतिरिक्त किसी भी वृद्धि की लागत।

3.4.4.2 पश्चिम बंगाल, प्र. सीआईटी कोलकाता प्रभार में, नि.अ. ने दिसम्बर 2010 में नि.व. 2007-08 के लिए **मैं. बाटा इंडिया लि.** के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया और ₹ 66.49 करोड़ से अल्पावधि लाभ और व्यवसायिक आय को 'शून्य' के रूप में निर्धारित किया गया। कर निर्धारण फरवरी 2012 में धारा 251 के साथ पठित धारा 154 के तहत संशोधित कर ₹ 28.26 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ और व्यवसायिक आय का 'शून्य' के रूप में निर्धारित किया गया। कर निर्धारण को मार्च 2014 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के तहत दोबारा संशोधित कर ₹ 47.77 करोड़ के अल्पावधि पूंजीगत लाभ को निर्धारित किया गया। कर निर्धारण को आगे धारा 154 के तहत (जुलाई 2014) में परिशोधित कर ₹ 47.77 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ को निर्धारित किया गया। पूंजीगत लाभ एकीकृत आधुनिक उपनगर के लिए 262 एकड़ की भूमि का विकास करने के लिए इसके संयुक्त उपक्रम अर्थात् रीवर बैंक होल्डिंग प्राइवेट लि. (आरएचपीएल) के कर निर्धारिती को द्वारा अधिकारियों के हस्तांतरण के कारण विभिन्न कर निर्धारण आदेशों में (अल्पावधि पूंजीगत लाभ या दीर्घावधि पूंजीगत लाभ दोनों में से एक) निर्धारित किया गया था। निर्धारिती ने ₹ 77.53 करोड़ पर भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के पूरे मूल्य को लिया था, जिसे पुनः ₹ 97.02 करोड़ को संशोधित (मार्च 2014) किया गया था। प्रतिफल मूल्य में अन्य बातों के साथ-साथ अनुमोदित मूल्यांकक के द्वारा निर्धारित मूल्य पर दो वर्षों के लिए 8 प्रतिशत की दर पर छूट का दावा करने के बाद कर्मचारियों के लिए हाऊसिंग प्रोजेक्ट की ₹ 55.94 करोड़ के विनिर्माण की लागत को सम्मिलित किया गया था। भूमि स्वामित्वों को मार्च 2006 में बने एक विकसित समझौते के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था। अनुमोदित मूल्यांकक भूमि स्वामित्वों को हस्तांतरण के संबंध में प्राप्त प्रतिफल को निर्धारित करते समय हाऊसिंग प्रोजेक्ट की विनिर्माण लागत के साथ-साथ सितम्बर 2007 में ₹ 65.28 करोड़ पर भूमि का मूल्यांकन किया गया था।

स्वामित्व का हस्तांतरण (मई 2006) और विनिर्माण के मूल्य के निर्धारण के बीच की अवधि केवल एक वर्ष थी, निर्धारिती द्वारा दावा किये हुए दो वर्षों के स्थान पर एक वर्ष के लिए आठ प्रतिशत की छूट स्वीकार्य थी। इस प्रकार, निर्धारिती के लिए अनुमति प्राप्त ₹ 55.94 करोड़ के स्थान पर ₹ 60.44 करोड़ पर विनिर्माण की लागत को निर्धारित किया जाना आवश्यक था। त्रुटि के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ के मैट क्रेडिट के अतिरिक्त भत्ते सहित ₹ 4.50 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के तहत मार्च 2016 में सुधारात्मक कार्रवाई की गयी।

3.4.5 आर्म्स लेन्थ प्राइस का गलत आकलन

हमने नीचे इन उदाहरणों के तीन मामले दिये हैं:

यदि आयकर अधिनियम की धारा 92वीं के तहत परिभाषित अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार का मूल्य 15 करोड़ रुपये से अधिक होता है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92सी के तहत आर्म्स लेन्थ प्राइस की संगणना को हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को भेजा जाना चाहिए। टीओपी द्वारा निर्धारिती को सुनने के बाद, किसी भी विशेष बिन्दु पर आवश्यकता अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद, और उसके द्वारा एकत्र किये गये संबंधित सभी सामग्रियों को साथ में लेने के बाद, लिखित आदेश के द्वारा धारा 92सी (3) के प्रावधानों के अनुपालन में अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में एएलपी का निर्धारण किया जायेगा और उसके आदेश की एक प्रति का कर निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को प्रेषित की जायेगी।

3.4.5.1 कर्नाटक प्र.सीआईट-6 बेंगलूर प्रभार में, जनवरी 2015 में धारा 92सीए के तहत नि.व.2011-12 के लिए **मै. एस्केएफ टैक्नोलजी इंडिया प्रा. लि.** के हस्तांतरित मूल्य निर्धारण समायोजन किया ₹ 13.74 करोड़ पर कुल हस्तांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन को निर्धारित किया गया। टीओपी द्वारा निर्धारिती के द्वारा संगणित ₹ 107.13 करोड़ के विरुद्ध ₹ 131 करोड़ पर परिचालन लागत (ओसी) की पुनः संगणना की गयी थी। एएलपी की संगणना करते समय, टीओपी ने ₹ 131 करोड़ के संबंध ₹ 107.13 करोड़ के रूप में ओसी को गलत रूप से अपनाया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 7.93 करोड़ के कर प्रभाव सहित धारा 92 सीए के तहत ₹ 23.87 करोड़ से अल्प समायोजन हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 92 सीए के साथ पठित धारा 154 के तहत (मार्च 2016) भूल को परिशोधित किया गया।

3.4.5.2 कर्नाटक प्र. सीआईटी-3 बेंगलूर प्रभार में, धारा 92 सीए के तहत नि.व. 2011-12 के लिए जनवरी 2015 में **मै. गुगल इंडिया प्रा. लि.** के

हस्तांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन पूरा किया गया था। एएलपी की संगणना करते समय, टीओपी ने ₹ 325.49 करोड़ और ₹ 383.76 करोड़ के बजाए क्रमशः ₹ 205.31 करोड़ और ₹ 241.43 करोड़ पर मूल्य प्राप्त किया और परिचालन लागत को गलत रूप से अपनाया था परिणामस्वरूप ₹ 5.55 करोड़ के अल्प कर उदग्रहण सहित धारा 92 सीए के तहत ₹ 10.51 करोड़ के द्वारा अल्प समायोजन हुआ। आयकर विभाग ने बताया कि टीपीओ ने भूल को परिशोधित किया, जिसको फरवरी 2016 में धारा 144 सी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत कर निर्धारण को पूरा करते समय नि.अ. द्वारा ध्यान में रखा गया था।

3.4.5.3 आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाणा सीए(3) (आईटी एवं टीपी) हैदराबाद प्रभार में, जनवरी 2016 में धारा 92 सीए(3) के तहत नि.व. 2012-13 के लिए में. विविमेड लैब्स लि. के हस्तांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन को पूरा किया, निगमित प्रतिभूति और अग्रिमों के संबंध में ₹ 17.13 करोड़ पर कुल हस्तांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन को निर्धारित किया गया। एएलपी की संगणना करते समय, टीओपी ने ₹ 196.13 करोड़ के निगमित प्रतिभूति की सही मूल्यराशि के स्थान ₹ 522.95 करोड़ पर 2 प्रतिशत कि दर पर निगमित गारंटी फीस का गलत आकलन किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 6.54 करोड़⁷⁷ से अतिरिक्त समायोजन हुआ। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के साथ पठित धारा 92 सीए(5) के तहत त्रुटि का परिशोधन किया गया।

3.4.6 अस्पष्ट निवेश/नकदी क्रेडिट

हमने इस प्रकार के उदाहरणों के मामले नीचे दिये हैं:

धारा 68 प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती अधिकारी निर्धारिती के खातों में क्रेडिट किसी भी मूल्य राशि के स्रोत और प्रकृति के विषय को स्पष्ट नहीं करता है, तो क्रेडिट की गयी मूल्य राशि निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित की जायेगी।

3.4.6.1 प्र. सीआईटी-6 दिल्ली प्रभार में, नि.अ. ने धारा 144 (मार्च 2014) के तहत नि.व. 2011-12 के लिए में. नॉर्थ वेस्ट सेल्स एण्ड मार्किटिंग लि. के कर निर्धारण को पूरा किया 3स पर ₹ 2.87 लाख के कर और 8.71 करोड़ पर आय का निर्धारण किया। निर्धारण की संगणना करते समय, नि.अ. ने निर्धारिती से ₹ 32.48 करोड़ को उठाये गये असुरक्षित ऋण के विवरणों की मांग की भी जिसके विपरित ₹ 8.64 करोड़ के असुरक्षित ऋण की सूची आवश्यक विवरणों अर्थात् पैन, पता और दलों के अन्य ब्यौरों के बिना के

77 ₹ 6.54 करोड़= (₹10.46 करोड़- ₹ 3.92 करोड़)

प्रस्तुत किये गये थे। आवश्यक विवरणों के आभाव में नि.अ. ने ₹ 8.64 करोड़ के असुरक्षित ऋण की मूल्य राशि को निर्धारित की अस्पष्ट आय के रूप में लिया था। क्योंकि ₹ 32.48 करोड़ के असुरक्षित ऋण के विवरणों को उपलब्ध नहीं कराया गया था सम्पूर्ण मूल्यराशि को अस्पष्ट आय के रूप में लिया जाना आवश्यक था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.72 करोड़ के अल्प कर उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 23.83 करोड़⁷⁸ से आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और धारा 154 के तहत परिशोधन किया था (दिसम्बर 2015)।*

3.5 ब्याज/कर का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने इंगित किया था कि नि.अ. ने आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, ओडिसा, तमिलनाडु, के. शा. चंडीगढ़, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में ₹ 176.73 करोड़ के ब्याज और कर के अधिक प्रभार को सम्मिलित करते हुए 23 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया था।

धारा 234(बी) प्रावधान करती है कि अग्रिम कर के भुगतान के चूक के कारण उदग्रहित ब्याज निर्दिष्ट अवधि के लिये निर्दिष्ट दर पर देय हैं।

3.5.1.1 सीआईटी-एलटीयू दिल्ली प्रभार में, नि.अ. ने उस पर ₹ 931.62 करोड़ के कर और 2,871.64 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए **में. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लि.** के कर निर्धारण की संवीक्षा की थी। कर मांग की संगणना करते समय, नि.अ. ने अधिनियम 234 ब के तहत ₹ 42.29 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया इस लक्ष्य के बावजूद कि निर्धारित द्वारा जमा किया गया ₹ 957 करोड़ के अग्रिम कर की मूल्यराशि निर्धारित कर से अधिक थी (₹ 931.62 करोड़)। त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 42.29 करोड़ के ब्याज का अधिक उदग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया (जुलाई 2015)।*

धारा 143(3) प्रावधान करती है कि नि.अ. को आय का निर्धारण और निरूपण सही ढंग से करना है, रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों और अभिलेखों, खातों के साथ-साथ सभी प्रकार के दावों की कर निर्धारण संवीक्षा में विस्तृत रूप में जांच करने की आवश्यकता है।

3.5.1.2 सीआईटी (केन्द्रीय) दिल्ली प्रभार में, मार्च 2013 में नि.व. 2011-12 के लिए **में. पिक्सियन मीडिया प्रा. लि.** के कर निर्धारण संवीक्षा को पूरा किया गया उस पर ₹ 263.09 करोड़ के कर और ₹ 792.04 करोड़ की आय का

78 ₹ 23.83 करोड़ = (₹ 32.48 करोड़ - ₹ 8.65 करोड़)

निर्धारण किया था। कर योग्य आय की संगणना करते समय, नि.अ. ने ₹ 48.53 करोड़ की हानि की सही मूल्यराशि के स्थान पर शून्य पर स्वीकार किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 22.73 करोड़ से संभावित कर की अधिकता सहित ₹ 48.53 करोड़ से आय का अधिक निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया था (फरवरी 2016)*

3.5.1.3 सीआईटी-7 दिल्ली प्रभार में, मार्च 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **में. रेलिगेयर सिक्योरिटीज लि.** के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा किया, धारा 234ब के तहत ब्याज सहित ₹ 16.96 करोड़ के कर मांग बढ़ोत्तरी और ₹ 39.37 करोड़ पर आय का निर्धारण किया गया। कर मांग की गणना करते समय नि.अ. ने ₹ 13.08 करोड़ के निवल कर पर धारा 234ब के तहत ₹ 3.88 करोड़ के ब्याज का गलत उद्ग्रहण किया। निर्धारिती ने ₹ 7 करोड़ के अग्रिम कर और ₹ 11.64 करोड़ के टीडीएस का भुगतान किया, जो कि निर्धारित कर का 90 प्रतिशत से भी अधिक था, धारा 234ब के तहत ब्याज उद्ग्रहणीय नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 3.88 करोड़ के ब्याज को अतिरेक उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2016) धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया (अगस्त 2016)।*

धारा 143 (3) प्रावधान करती है कि नि.अ. को निर्धारिती को आय और हानि का सही कर निर्धारण और निरूपण करना है। विभिन्न प्रकार के दावों के साथ-साथ संलग्न सभी दस्तावेजों, अभिलेखों, खातों के साथ संवीक्षा निर्धारणों में विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 139(5) प्रावधान करता है कि यदि एक व्यक्ति धारा 139(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत कर रहा है, उसमें कोई भी त्रुटि और कोई भी गलत विवरण का पता लगता है, वह निर्धारण पूरा होने से पहले या संबंधित कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से एक वर्ष के अवसान के पहले, जो भी पहले हो किसी भी समय पर, संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

3.5.1.4 दिल्ली सीआईटी-3 प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **में. दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन** के कर निर्धारण की संवीक्षा को पूरा कर ₹ 2,419.80 करोड़ की हानि को निर्धारित किया। निर्धारिती 27 सितम्बर 2011 को प्रस्तुत आय की मूल रिटर्न के अनुसार ₹ 2,422.69 करोड़ की हानि की तुलना में ₹ 2,618.40 करोड़ की हानि पर 28 सितम्बर 2012 को आय की संशोधित रिटर्न प्रस्तुत की थी। निर्धारण हानि की संगणना करते समय, नि.अ. ने हानि की संशोधित विवरण पर विचार नहीं किया यद्यपि निर्धारिती द्वारा अनुबन्धित समय पर मूल और संशोधित दोनों रिटर्न प्रस्तुत किये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 195.71 करोड़ से हानि को कम कर निर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत (मार्च 2016) त्रुटिका परिशोधन किया था।

3.5.1.5 दिल्ली सीआईटी (केन्द्रीय)-1 प्रभार में, नि.अ. ने मार्च 2013 में अधिनियम की धारा 144 के तहत नि. व. 2011-12 के लिए **मै.पल स्टूडियो लि.** के कर निर्धारण को पूरा किया, उस पर ₹ 47.87 करोड़ के कर और ₹ 144.12 करोड़ पर आय का निर्धारण किया गया। कर योग्य आय की संगणना करते समय, नि.अ. ने ₹ 46.53 करोड़ की वापस की हुई हानि की सही राशि के विपरीत वापस की गयी आय को 'शून्य' माना था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 21.79 करोड़ से कर का अधिक मूल्य सहित ₹ 46.53 करोड़ से आय का कम निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत (फरवरी 2016) त्रुटि का परिशोधन किया था।*

अध्याय IV: आयकर और धनकर

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 इस अध्याय में 133 आय कर मामलों पर चर्चा की गई है, जिनमें से ₹ 183.53 करोड़ के कम प्रभार वाले 133 मामले और ₹ 277.64 करोड़ के अधिक प्रभार के 10 मामले शामिल हैं, जिन्हें मई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान मंत्रालय को जारी किया गया था। गलत निर्धारण के इन मामलों से आयकर विभाग में प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है।

4.1.2 गलतियों के वर्गीकरण को व्यापक रूप से निम्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से बची आय
- अन्य कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

4.1.3 मंत्रालय ने ₹ 3.06 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों को स्वीकार न करते हुए ₹ 365.51 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) वाले 79 मामलों में अपनी स्वीकृति प्रकट की है। आईटीडी ने ₹ 451.93 करोड़ के कर प्रभाव वाले 132 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की है तथा ₹ 0.61 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले में सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की है।

इस रिपोर्ट की तालिका 2.6 (पैरा 2.3.4) व्यापक श्रेणी की चूकों तथा उनके कर प्रभाव के विवरण को दर्शाती है (परिशिष्ट 2.3 देखें)।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओ ने निर्धारणों में गलतियां की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में अनवरत कमजोरी को दर्शाते हैं जिसके सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 4.1 गलतियों की उप श्रेणियां दर्शाती है जिसने निर्धारण की गुणवत्ता पर प्रभाव डाला।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	मामले	टीई	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	19	33.44	बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश (एमपी), महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (यूपी).
ख. कर, अधिप्रभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	11	11.39	दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु (टीएन) और यूपी.
ग. ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियां	36	61.97	आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल.
घ. अपीलीय आदेशों को प्रभावित करते समय निर्धारण में त्रुटियां	02	0.47	महाराष्ट्र और राजस्थान
कुल	68	107.27	

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

हमने नीचे पांच निदर्शी मामले दिए हैं:

अधिनियम में प्रावधान है कि जैसा भी मामला हो, एओ को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण और कर या प्रतिदाय के सही राशि का मूल्यांकन करना अपेक्षित है।

4.2.2.1 दिल्ली सीआईटी (केन्द्रीय)-2 प्रभार में, एओ ने मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्ति रमेश चन्द्र की ₹ 38.89 करोड़ की आय तथा उस पर ₹ 12 करोड़ के कर का निर्धारण पूर्ण⁷⁹ किया। कर योग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने निर्धारिती के विभिन्न बैंक खातों में अघोषित जमा के कारण कुल नामंजूरी को ₹ 44.12 करोड़ की बजाय ₹ 38.79 करोड़ संगणित किया। इसके अलावा, एओ ने निश्चित तिथि के अन्दर आय की रिटर्न न भरने के लिए अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.38 करोड़ के कर तथा ब्याज के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 5.33 करोड़ की आय का निर्धारण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (जून 2015)।

79 अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत

4.2.2.2 सीआईटी सम्बलपुर प्रभार, उड़ीसा में, एओ ने ₹ 29.77 करोड़ की हानि पर मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात् नि. व. 2012-13 के लिए एक एओपी, **बोलंगीर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि.** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय, एओ ने ₹ (-)37.58 करोड़ की बजाय ₹ (-)50.72 करोड़ की रिटर्न आय को लिया। इसके अलावा, एओ ने अधिनियम की धारा 36(1) (viiए) के तहत कटौती को परिमाणित करते समय ₹ (-)50.72 करोड़ की बजाय शून्य पर लाभ तथा हानि खाते के अनुसार निवल लाभ को लिया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.24 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 16.94 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) तथा धारा 147/143 (3) (दिसम्बर 2015) के तहत तथा धारा 154/147/143 (3) (अप्रैल 2016) के तहत त्रुटि का परिशोधन किया था।

4.2.2.3 महाराष्ट्र, सीआईटी (केन्द्रीय) IV प्रभार में एओ ने दिसम्बर 2011 में ₹ 198.84 करोड़ की आय की संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2010-11 के लिए एक व्यक्ति, **मनोज कुमार बाबुलाल पुनामिया** का निर्धारण पूरा किया था। एओ ने अस्पष्ट निवेश तथा लघु अवधि पूंजीगत प्राप्ति के आधार पर निर्धारिती की कुल आय में क्रमशः ₹ 9.38 करोड़ और ₹ 5.51 करोड़ के संवर्धन किए थे। तथापि, निर्धारिती की कुल आय तथा कर की गणना के समय संवर्धन हेतु केवल ₹ 5.51 करोड़ पर विचार किया गया था इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.38 करोड़ की आय, जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.80 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल है, का अवर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया था (मार्च 2016)।

4.2.2.4 दिल्ली सीआईटी (केन्द्रीय)-1 प्रभार में एओ ने ₹ 5.95 करोड़ की आय तथा उस पर ₹ 1.84 करोड़ के कर की नवम्बर 2014 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2011-12 के लिए एक कम्पनी, **सहारा इंडिया** का निर्धारण पूरा करते समय ₹ 183.99 करोड़ की बजाय ₹ 177.66 करोड़ के अस्वीकरण की संगणना की थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 6.33 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.95 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि में परिशोधन किया था (दिसम्बर 2015)।

4.2.2.5 मध्य प्रदेश, सीआईटी-1, भोपाल प्रभार में एओ ने ₹ 6.47 करोड़ की आय के लिए मार्च 2015 में नि.व. 2010-11 के लिए एक व्यक्ति **आर. के. लालवानी** का निर्धारण पूरा⁸⁰ किया था एओ ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय गलती से ₹ 1.93 करोड़ के बजाय ₹ 0.93 करोड़ की आय कर की गणना की थी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.56 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा अगस्त 2015 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का परिशोधन किया था।

4.2.3 कर और अधिभार की गलत दर लगाना

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

धारा 115 एडी (1)(बी) प्रावधान करता है कि जहां विदेशी निवेशक संस्था (एफआईआई) की कुल आय प्रतिभूतियों के हस्तारण से लघु अवधि पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) से सृजित होती है, वहां ऐसी कुल आय पर निर्धारिती द्वारा देय कर की गणना 30 प्रतिशत की दर पर की जाएगी। इसके अलावा, धारा 111ए प्रावधान करता है कि यदि ऐसे संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य है तो एसटीसीजी के माध्यम से प्राप्त आय पर संगणित आय कर राशि 15 प्रतिशत की दर पर होगी।

4.2.3.1 महाराष्ट्र, सीआईटी (आईटी) III प्रभार में एओ ने अधिनियम की धारा 111ए के अनुसार 15 प्रतिशत की रियायती दर पर प्राप्त एसटीसीजी के साथ ₹ 19.47 करोड़ की रिटर्न आय को स्वीकार करते समय नवम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2009-10 के लिए **ट्रस्ट प्लेटिनम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लि.ए/सी प्लेटिनम इंटरनेशनल फंड** का निर्धारण पूरा किया। चूंकि व्युत्पन्न से ट्रेडिंग कार्यकलाप से प्राप्त ₹ 19.47 करोड़ की एसटीसीजी पर कोई एसटीटी नहीं लगता, अतः उक्त को 15 प्रतिशत की बजाय 30 प्रतिशत की दर पर प्रभारित करना अपेक्षित था, इस चूक के परिणाम स्वरूप ₹ 19.47 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 4.37 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल है। आयकर विभाग ने इसे स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का परिशोधन किया (मार्च 2016)।

अधिभार तथा शिक्षा उपकर सहित आय कर को सुसंगत वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

4.2.3.2 उत्तर प्रदेश, सीआईटी गाजियाबाद प्रभार में एओ ने ₹ 7.89 करोड़ के दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय सहित ₹ 791 करोड़ की आय पर

80 अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144/147 के अन्तर्गत

फरवरी 2015 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व 2008-09 के लिए एक व्यक्ति, **राम कुमार त्यागी** का निर्धारण पूरा करने समय दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत की लागू दर की बजाय 10 प्रतिशत की दर पर कर लगाया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.04 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया (जनवरी 2016) ।

4.2.3.3 महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी III (सेन्ट्रल) प्रभार में एओ ने 'शून्य' आय पर नवम्बर 2007 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2005-06 के लिए एक एओपी, **भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड** का निर्धारण पूरा किया था, जिसे ₹ 168.60 करोड़ की आय पर मई 2012 में धारा 147 के अंतर्गत पूनः निर्धारण किया गया था, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय एओ ने नि.व. 2005-06 के लिए लागू⁸¹ शिक्षा उपकर का उदग्रहण नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया था (जनवरी 2016)।

4.2.4 ब्याज उदग्रहण में चूकें

हमने नीचे ऐसे पांच सोदाहरण मामले दिए हैं:

अधिनियम सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से विभिन्न चूकों के लिए ब्याज के उदग्रहण के प्रावधान करती है।

4.2.4.1 पूर्व आन्ध्रप्रदेश प्रभार में सीआईटी-IV हैदराबाद के एओ ने नवम्बर 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत नि.व 2010-11 के लिए ₹ 466.65 करोड़ की आय के लिए **आन्ध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड** का निर्धारण पूरा करते समय धारा 234 ए के तहत 40 महीने के लिए ₹ 57.01 करोड़ के उदग्रहणिय ब्याज के प्रति 30 महीने के लिए ₹ 42.76 के ब्याज का उदग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.25 करोड़ का कम ब्याज उदग्रहित हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (दिसम्बर 2016) और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (सितम्बर 2015)।

4.2.4.2 सीआईटी (सी)-2 प्रभार दिल्ली में एओ ने मार्च 2015 में अधिनियम के लिए क्रमशः की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत नि.व

81 वि.व 2005-06 के लिए आयकर तथा अभिभार पर दो प्रतिशत की दर पर शिक्षा उपकर उदग्रहणीय था

2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 0.55 करोड़, ₹ 15.23 करोड़, ₹ 135.93 करोड़, ₹ 13.44 करोड़ और ₹ 57.86 करोड़ की आय पर एक व्यक्ति **रमेश चन्द** का निर्धारण पूरा किया। जांच के दौरान, निर्धारिती को नि.व 2007-08 से 2011-12 के लिए उसकी आय के रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए 19 सितम्बर 2013 को नोटिस देने के सोलह दिन के अन्दर निर्धारिती को धारा 153ए के अन्तर्गत नोटिस जारी किए थे। यद्यपि, निर्धारण की समाप्ति तक निर्धारिती द्वारा इन निर्धारण वर्षों की आय के रिटर्न फाइल नहीं किए गए थे, एओ ने अधिनियम की धारा 234 ए के अन्तर्गत ब्याज उदग्रहण नहीं किया। इसके अलावा, नि.व. 2011-12 के लिए, ₹ 56.86 करोड़ की निर्धारित आय को पूर्णान्कित कर ₹ 57.86 करोड़ कर दिया गया था। इन चूकों के परिणाम स्वरूप ₹ 12.75 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम (जून 2015) की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटियों में सुधार किया।

4.2.4.3 प्र. सीआईटी पंचकुला प्रभार हरियाणा में एओ ने जनवरी 2013 में अधिनियम की धारा 148 के साथ पठित धारा 143 (3) के अन्तर्गत नि.व. 2006-07 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के **हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** का क्रमशः ₹ 9.60 करोड़, ₹ 14.18 करोड़, ₹ 18.96 करोड़ ₹ 34.06 करोड़ और ₹ 12.67 करोड़ के लिए निर्धारण पूरा किया। 31 अक्टूबर 2012 को धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिसों की प्रतिक्रिया में, निर्धारिती ने 30 नवम्बर 2012 को नि.व. 2006-07, 2008-09 से 2011-12 के लिए आय के अपने रिटर्न दाखिल किए और अतः धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज सभी निर्धारण वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने की वास्तविक तिथि से उदग्रहण था। तथापि, एओ ने इन नि.व. के लिए उदग्रहण ब्याज के ₹ 10.86 करोड़ के बजाय ₹ 0.12 करोड़ का ब्याज उदग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.74 करोड़ का कम ब्याज उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम (जनवरी 2016) की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।

4.2.4.4 प्र.सीआईटी-III अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में एओ ने नि.व 2011-12 के लिए ₹ 23.88 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत एक व्यक्ति **राजेश सिंह जी राजपूत** का निर्धारण पूरा किया। यद्यपि निर्धारिती ने धारा 148 (मार्च 2014) के तहत जारी नोटिस की प्रतिक्रिया में अपनी आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया था, एओ ने आय का रिटर्न दाखिल न करने के लिए धारा 234 ए के

तहत ब्याज उदग्रहित नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 3.24 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। प्र. सीआईटी-3 अहमदाबाद ने धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुमोदन दिया था (जनवरी 2016)।

4.2.4.5 सीआईटी-1 चेन्नई प्रभार तमिलनाडु में एओ ने मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2007-08 से 2012-13 के लिए एक फर्म **रत्ना स्टोर्स** का निर्धारण पूरा किया था। निर्धारिती ने न तो धारा 139(1) के तहत अपेक्षित आय का रिटर्न भरा न धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिस की प्रतिक्रिया में उसे दाखिल किया (जनवरी 2014)। तथापि, एओ ने धारा 234ए के अन्तर्गत रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि से ब्याज उदग्रहित करने के बजाय नोटिस जारी होने की तिथि से ब्याज उदग्रहित किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ का कम ब्याज उदग्रहित हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और फरवरी 2016 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा।

4.2.5 अपीलीय आदेशों को प्रभावित करते समय निर्धारण में त्रुटियां

नीचे हम ऐसे दो सोदाहरण मामले दे रहे हैं:

आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक पीड़ित निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आय कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है जो उसे दिए गए अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। आयकर अधिनियम की धारा 250 के तहत अपील प्रभावित करते समय, निर्धारण अधिकारी को अपीलीय आदेश देखने के बाद सही कुल आय की गणना करनी होती है और छूट के बाद देय कर का निर्धारण करना होता है।

4.2.5.1 प्र. सीआईटी 1 नागपुर प्रभार महाराष्ट्र में एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 3.56 करोड़ की आय पर **द वाशिम अरबन को. ओप. बैंक लि.** एक सहकारी समिति (बैंक) का निर्धारण पूरा किया जिसे फरवरी 2015 में सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावित करते समय संशोधित कर ₹ 3.68 करोड़ कर दिया गया था। सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावित करते समय संगणित कुल आय को आईटीडी सिस्टम में गलती से ₹ 2.86 करोड़ प्रविष्ट किया गया था और इसलिए कर ₹ 1.14 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 88.47 लाख पर उदग्रहित किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज सहित ₹ 25.35 लाख का कम कर उदग्रहित किया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और दिसम्बर 2015 में धारा 154 के तहत सुधार किया।

4.2.5.2 सीआईटी- III जयपुर प्रभार, राजस्थान में, एओ ने नि.व 2010-11 के लिए संविक्षा के बाद दिसम्बर 2012 में ₹ 1.34 करोड़ की आय पर एक व्यक्ति **मनोज कुमार जोहरी** का निर्धारण पूरा किया जिसे नवम्बर 2013 में धारा 250 के तहत संशोधित कर ₹ 1.03 करोड़ की आय पर किया गया। सीआईटी (अपील) ने सितम्बर 2013 के अपने आदेश द्वारा धारा 80 आईबी के तहत ₹ 31.17 लाख के अस्वीकरण के प्रति ₹ 29.62 लाख की छूट अनुमत की थी और ₹ 1.80 करोड़ की शुल्क फिरती की आय के संबंध में निर्धारिती और धारा 80 आईबी के तहत कटौती के दावे के लिए ₹ 4.68 लाख के आयात लाइसेंस की बिक्री जिसका कुल निवल लाभ के भाग के रूप में ₹ 1.85 करोड़ बनता है कि अपील खारिज की थी। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में शुल्क फिरती सहित ₹ 1.32 करोड़ और ₹ 1.85 करोड़ की आयात लाइसेंस की बिक्री का निवल लाभ दर्शाया गया था। चूंकि शुल्क फिरती और आयात लाइसेंस की बिक्री से आय धारा 80 आईबी के अन्तर्गत छूट के लिए योग्य नहीं है, धारा 80 आईबी के तहत कटौती का दावा करने के लिए ₹ 53.11 लाख की निवल हानि हुई थी। इसलिए, धारा 80 आईबी के तहत अनुमत ₹ 29.62 लाख की कटौती/रियायत नियमानुसार नहीं थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 29.62 लाख की छूट की गलत अनुमति हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 12.26 लाख का कर उदग्रहणीय था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अक्टूबर 2015 में धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम अध्याय IV-ए के तहत कुल आय की संगठना करने में निर्धारिती तथा इससे प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए रियायत/छूट/कटौती को स्वीकृत करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने अनियमित रूप से उन लाभार्थियों जो इसके हकदार नहीं हैं के लिए कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ का विस्तार किया है। ये मामले आय कर विभाग की ओर से कर प्रशासन में कर रियायतों/छूटों/कटौतियों में कमी दर्शाते हैं, जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। तालिका 4.2 उन श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव डाला है।

तालिका 4.2: कर रियायत/छूट/कटौती के प्रबंधन के तहत चूक की उप श्रेणियां (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/रियायत	06	3.92	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, यूपी और पश्चिम बंगाल
ख. ट्रस्टो/फर्मो/सोसाइटी/एओपीज को दी गई अनियमित छूट/कटौती/रियायत	17	41.09	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड एमपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ग. व्यवसायिक व्यय की गलत स्वीकृति	06	2.56	बिहार, दिल्ली, ओडिसा, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड पश्चिम बंगाल
घ. मूल्यहास/व्यवसायिक हानि/पूँजीगत हानि की स्वीकृति में अनियमितताएं	09	15.71	गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी चण्डीगढ़ और पश्चिम बंगाल
जोड़	38	63.28	

4.3.2 व्यष्टियों को अनियमित छूट/कटौती/रियायत

हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिये हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 54 एफ में प्रावधान है कि इस धारा के अन्तर्गत छूट का दावा करने के लिए, निर्धारिती नई परिसम्पत्ति के अलावा वास्तविक परिसम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथिसे एक आवासीय गृह से अधिक का स्वामी नहीं होगा।

4.3.2.1 सीआईटी-सेन्ट्रल, हैदराबाद प्रभार, आन्ध्र प्रदेश में, एओ ने ₹ 22.31 करोड़ की आय पर मार्च 2014 को नि.व. 2010-11 के लिए धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत एक व्यक्ति **सबिनेनी सुरेंद्र** का निर्धारण पूरा किया। यद्यपि निर्धारिती के पास **मै. कोस्टल प्रोजेक्टस लि.** में शेयरों के हस्तांतरण की तिथि पर सात आवासीय भवन संपत्तियां थी, एओ ने अधिनियम की धारा 54 एफ के तहत ₹ 9.54 करोड़ की कटौती अनुमत की। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.54 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.91 करोड़ का कम कर उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति यह कहते हुए स्वीकार नहीं की कि सम्पत्तियां वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किराए पर दी गई थी और अधिनियम में शब्द आवासीय भवन को परिभाषित नहीं किया गया था और वह सम्पत्ति के उपयोग के अनुसार विवेचित किया गया था। आयकर विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि करारों के अनुसार, सम्पत्तियों की प्रकृति केवल आवासीय थी और निर्धारिती ने 'गृह सम्पत्ति से आय' के शीर्ष के अन्तर्गत

इन यूनिटों से आय दर्शाई हुई थी। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 263 के तहत गलती को सुधारा (मार्च 2016)।

आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी(1) में प्रावधान है कि जहां दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति (इस भाग में आगे से हस्तांतरित पूंजीगत परिसम्पत्ति को वास्तविक परिसम्पत्ति के रूप में संदर्भित किया गया है।) के हस्तांतरण से अर्जित पूंजीगत लाभ होता है और निर्धारिती ने ऐसे हस्तांतरण से छः महीने की अवधि में किसी भी समय, पूंजीगत लाभ का पूर्ण या कोई भाग दीर्घावधि विनिर्दिष्ट परिसम्पत्ति में निवेश किया हो, पूंजीगत लाभ इस सीमा तक कर से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, श्रीमती दक्षाबेन आर पटेल बनाम एसीआईटी सर्किल 2(1) बडोदरा (2012) 22 टेक्समैन डॉट काम 237 (अहमदाबाद) के मामले में क्षेत्राधिकारी आईटीएटी के निर्णय जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि 'जहां निर्धारिती ने सम्पत्ति की बिक्री से पूर्व आरईसी बांड की खरीद की हो, धारा 54ईसी के तहत छूट अनुमत नहीं है।

4.3.2.2 प्र. सीआईटी-III, अहमदाबाद प्रभार गुजरात में, एओ ने फरवरी 2014 में नि.व 2011-12 के लिए ₹ 28.53 लाख की आय पर एक व्यक्ति **राजेन्द्र एच प्रजापति** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने भूमि की तीन यूनिटों की बिक्री द्वारा ₹ 8.04 करोड़ का दीर्घावधि पूंजीगत लाभ अर्जित किया और धारा 54 ईसी के तहत ₹ 1.50 करोड़ की कटौती का दावा आरईसी बांड में निवेश के रूप में इस तथ्य के बावजूद किया कि ₹ 50 लाख मूल्य के आरईसी बांड 31 मार्च 2010 को खरीदे गए थे अर्थात् सम्पत्तियों के हस्तांतरण की तिथि से पूर्व, जो की अनुमत नहीं था। इसके अलावा, निर्धारिती ने ₹ 50 लाख के लिए आरईसी बांड की प्रत्येक खरीद 21 जुलाई 2010 और 08 अप्रैल 2011 को की थी जबकि आरईसी बांड की खरीद के समय निवेश के लिए केवल ₹ 55.10 लाख का पूंजीगत लाभ उपलब्ध था। अतः ₹ 94.90 लाख के आरईसी बांड में निवेश के लिए कटौती का दावा और स्वीकृति अनियमित थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 94.90 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 26.39 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। प्र. सीआईटी-3, अहमदाबाद ने अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुमोदन दिया था (जुलाई 2015)।

4.3.2.3 सीआईटी-17, कोलकाता प्रभार पश्चिम बंगाल में, एओ ने नि.व. 2013-14 के लिए मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद ₹ 28.07 लाख की आय पर एक व्यक्ति **मानस राय चौधरी** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने एक फ्लैट के मूल्य को विक्रेय स्टॉक से ₹ 76.40 लाख के कुल प्रतिफल पर पूंजीगत परिसम्पत्ति के रूप में परिवर्तित किया। एओ ने विक्रेय स्टॉक के परिवर्तन को ₹ 76.40 लाख की अल्पावधि पूंजीगत लाभ के रूप में पूंजीगत

परिसम्पत्ति के रूप में निर्धारण किया और धारा 54 ईसी के तहत आरईसी के कर योग्य बांड में उसे निवेश करने के लिए ₹ 50 लाख की कटौती अनुमत की। तथापि, चूंकि पूंजीगत लाभ किसी दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए देय नहीं थी, निर्धारिती को ₹ 50 लाख की कटौती अनुमत नहीं थी। अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 50 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 21.94 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और जनवरी 2016 में धारा 154 के तहत गलती को सुधारा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10बी ऐसे लाभ और प्राप्तियों की कटौती का प्रावधान करता है जो कम्प्यूटर साफ्टवेयर के वस्तुओं या चीजों के निर्यात से सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों से लगातार 10 निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए हुआ हो। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी मामले में ऐसी यूनिटों की कटौती निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

4.3.2.4 प्र. सीआईटी-। कानपुर प्रभार, उत्तर प्रदेश में, एओ ने मार्च 2015 में संविक्षा के बाद नि.व. 2010-11 के लिए धारा 10 बी के तहत ₹ 49.12 लाख की कटौती अनुमत करने के बाद ₹ 3.90 लाख की आय पर एक व्यक्ति **उपेन्द्र सिंह** का निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारिती ने घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) यूनिट के रूप में कार्य प्रारंभ किया और नवम्बर 2002 में उसे 100 प्रतिशत ईओयू की स्थिति प्रदान की गई थी। तथापि, धारा 10बी के अन्तर्गत ₹ 49.12 लाख की कटौती अनुमत की गई थी जबकि योग्य अवधि नि.व 2009-10 से अधिक की थी। अनुमत अवधि से अधिक की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 49.12 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज के ₹ 20.33 लाख सहित कर कम उदग्रहित किया गया। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत गलती को सुधारा (फरवरी 2016)।

4.3.3 ट्रस्टो/फर्मो/सोसाइटियों/एओपीज को अनियमित छूट/कटौति/राहत

हम नीचे ऐसे चार सोदाहरण मामले दे रहे हैं।

4.3.3.1 प्र. सीआईटी विजयवाडा प्रभार आन्ध्र प्रदेश में एओ ने एक निर्धारिती वीजीटीएम अर्बन डेवलेपमेंट अथारिटी का नि.व. 2009-10 और 2010-11 के लिए निर्धारण क्रमशः नवम्बर 2011 और दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के बाद शून्य आय पर किया। निर्धारिती ने नि. व. 2009-10 और 2010-11 के लिए ऋण शोधन निधि हेतु क्रमशः ₹ 11.02 करोड़ और ₹ 9.72 करोड़ की राशि की

कटौती का दावा किया था और उसे अनुमत की गई थी। ऋण शोधन निधि के लिए जमा राशि केवल भविष्य के व्यय को पूरा करने का प्रावधान था, उसे कर योग्य आय में दोबारा जोड़ना अपेक्षित था। चूक के परिणामस्वरूप नि.व 2009-10 के लिए ₹ 1.10 करोड़ और के संभावित कर प्रभाव के अलावा ब्याज सहित क्रमशः ₹ 23.83 करोड़ और ₹ 4.14 करोड़ का कर कम उदग्रहित होने के साथ नि. व 2009-10 और 2010-11 के लिए बराबर राशि की आय की कम संगणना हुई। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 147 के तहत त्रुटियों को सुधारा (मार्च 2015)।

4.3.3.2 प्र.सीआईटी-111 नागपुर प्रभार महाराष्ट्र में, एओ ने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को. ओपरेटिव बैंक लि. एक सहकारी बैंक की संवीक्षा जनवरी 2013 और नवम्बर 2011⁸² में नि.व. 2007-08 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 5.63 करोड़, ₹ 8.14 करोड़, ₹ 9.94 करोड़ और ₹ 14.05 करोड़ की संवीक्षा निर्धारण किया था। पूरी आय की संगणना करते समय एओ ने धारा 36(1)(viiए) के तहत ₹ 0.62 करोड़, ₹ 0.66 करोड़, ₹ 0.81 करोड़ और ₹ 1.14 करोड़ जो निर्धारिती द्वारा दावा की गई आय का कुल 7.5 प्रतिशत बनता है, जेसा निर्धारिती द्वारा दावा किया गया था, की कटौती अनुमत की थी किन्तु ₹ 7.61 करोड़, ₹ 8.14 करोड़, ₹ 9.94 करोड़ और ₹ 14.05 करोड़ की कटौती की अनुमति नहीं दी जो संबंधित वर्षों के लिए बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए औसत अग्रिमों का कुल है, पर कटौती की अनुमति इस आधार पर नहीं दी कि निर्धारिती एक अनुसूचित बैंक नहीं है। निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई अपील के विरुद्ध मार्च 2014 में सीआईटी(ए) ने निर्णय दिया कि धारा 36(1)(viiए) के तहत कटौती अपीलकर्ता के बही खातों के खराब और संदेहास्पद ऋणों के प्रावधानों के कारण डेबिट की गई वास्तविक राशि तक सीमित होना हो। तथापि, सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावित करते समय, एओ ने निर्धारिती द्वारा दावा की गई ₹ 8.23 करोड़, ₹ 8.80 करोड़, ₹ 10.75 करोड़ और ₹ 15.19 करोड़ की पूरी कटौती के दावे के प्रति संबंधित वर्षों के लिए बही खातों में खराब और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधानों के कारण ₹ 5.39 करोड़, ₹ 6.13 करोड़, ₹ 2.99 करोड़ और ₹ 5.81 करोड़ डेबिट किए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.65 करोड़ (₹ 2.84 करोड़ + ₹ 2.67 करोड़ + ₹ 7.76 करोड़ + ₹ 9.38 करोड़) की अधिक कटौती हुई जिसमें ब्याज छोड़ कर ₹ 7.37 करोड़ का कर कम उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 (मार्च 2015) के तहत त्रुटि को सुधारा और

82 नि.व 2009-10 के लिए 82

सभी निर्धारण वर्षों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा संगणित ₹ 7.37 करोड़ के प्रति मार्च 2015 में ₹ 6.99 करोड़ की गई मांग की वसूली की गई थी। आयकर विभाग ने आगे उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि ₹ 0.38 करोड़ की अन्तरीय राशि के लिए धारा 154 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है।

अधिनियम की धारा 11(1) (ए) पूर्ण रूप से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए न्याय के तहत सम्पत्ति से प्राप्त आय के 15 प्रतिशत के संग्रहण का प्रावधान करता है। इसके अलावा, धारा 11(4ए) यदि किसी व्यवसाय से न्यास के उद्देश्यों की उपलब्धि प्रासंगिक है और ऐसे न्यास या संस्थान द्वारा ऐसे व्यवसाय के संबंध में एक पृथक बही खाते का अनुरक्षण किया जा रहा है तो व्यवसाय से लाभ और प्राप्ति की ऐसे न्यास की आय में शामिल किया जाना चाहिए और व्यवसाय से लाभ और प्राप्तियों सहित आय का 15 प्रतिशत अधिनियम की धारा 11 (1)(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत संग्रहित अनुमत किया जाना चाहिए।

4.3.3.3 डीआईटी-छूट प्रभार पश्चिम बंगाल में, एओ ने मार्च 2014 में नि.व 2011-12 के लिए ₹ 24.96 लाख की आय पर धारा 144 के तहत सनमार्ग वेलफेयर सोसाईटी एक न्यास का निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, एओ ने विभिन्न शीर्षों से ₹ 7.82 करोड़ की आय के बजाय ₹ 38.83 करोड़ की निवल प्राप्ति पर छूट (15 प्रतिशत) अनुमत की। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 4.65 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.96 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने कहा (जून 2014) कि धारा 11(1) के तहत संचयन वित्तीय कार्यों से सकल आय के साथ अन्य स्रोतों से आय पर अनुमत होना चाहिए। आयकर विभाग का उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि धारा 11(4ए) के अनुसार, व्यवसायिक कार्यों से लाभ निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए और संचयन निर्धारिती की कुल आय पर प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें व्यवसायिक कार्यों से लाभ पर विचार किया जाना चाहिए और व्यवसायिक कार्यों से कुल प्राप्तियों पर नहीं। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और मार्च 2016 में धारा 144/147 के तहत त्रुटि में सुधार किया।

अधिनियम की धारा 40(बी) एक फर्म के भागीदार की पूंजी पर ब्याज और कार्यकारी भागीदारों के मेहनताने के लिए आय की गणना का प्रावधान करता है, यदि भागीदारों के ऐसे भुगतानों के लिए भागीदारी डीड अनुमति देती है। यह भागीदारों की ओर से कर योग्य है किन्तु फर्म से प्राप्त लाभ का भाग भागीदारों के हाथों में छूट प्राप्त है। इसके अलावा, अधिनियम धारा 80 आईबी (10) के अनुसार, एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च 2008 से पूर्व अनुमोदित विकास और भवन आवासीय परियोजनाओं का कार्य करने वालों के मामले में ऐसी आवासीय परियोजना से किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक कटौती पिछले वर्ष में प्राप्त लाभ का सौ प्रतिशत होगा।

4.3.3.4 प्र.सीआईटी-1, सूरत प्रभार गुजरात में, एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 के लिए **नीलकान्त डेवलेपर्स**, एक फर्म का निर्धारण 'शून्य' आय पर पूर्ण किया। पार्टनरशिप डीड के खण्ड 6 और 7 से यह पाया गया कि भागीदारों को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज और उसके तीन कार्यकारी भागीदारों को मेहनताने का 33 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की दर से भुगतान का प्रावधान किया गया था। तथापि, लाभ और हानि खाते में निर्धारिती ने ब्याज या मेहनताने लिए भागीदारों को ऐसी किसी राशि का भुगतान नहीं किया था, जबकि पार्टनरशिप डीड के अनुसार फर्म द्वारा ऐसा भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इसके अलावा, निर्धारिती फर्म ने अधिनियम की धारा 80 आईबी (10) के तहत ₹ 3.18 करोड़ के पूरे लाभ का दावा कटौती के रूप में और अनुमत किया था। यदि लाभ की गणना भागीदारों को पूंजी पर ब्याज और कटौती अनुमत करने के बाद की जाती तो, फर्म का लाभ इस सीमा से कम होता और भागीदार प्राप्त ब्याज और मेहनताने पर कर के भुगतान के दायी होते। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 37.19 लाख के अदत्त ब्याज और ₹ 1.69 करोड़ के मेहनताने की सीमा तक की अधिक कटौती हुई जो कुल ₹ 2.07 करोड़ है जिसमें भागीदारों की ओर से ₹ 63.85 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की (फरवरी 2016)।

4.3.4 व्यवसाय व्यय की गलत स्वीकृति

हम नीचे ऐसे तीन सोदाहरण मामले दे रहे हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 43बी प्रावधान करता है निर्धारिती द्वारा कर, शुल्क, उपकर या फी द्वारा देय कोई राशि जिसे किसी भी नाम से बुलाए किसी भी कानून के तहत हो जो उस समय लागू हो, केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में स्वीकृत होगी।

4.3.4.1 प्र. सीआईटी 21 प्रभार, दिल्ली में एओ ने दिसम्बर 2011 में नि.व. 2009-10 के लिए **ब्रिज गोपाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी** की ₹ 1.37 करोड़ की आय और ₹ 46.62 लाख के कर निर्धारण की संवीक्षा पूरी करते समय लाभ और हानि खाते में डेबिट बिक्री कर के लिए प्रावधान के कारण ₹ 2.08 करोड़ की कटौती अनुमत की। चूंकि उक्त राशि का भुगतान वास्तव में वर्ष के दौरान नहीं किया गया था, उसे अस्वीकृत करना अपेक्षित था और कर योग्य आय में दोबारा जोड़ा जाना था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 70.65 लाख के कर का कम उदग्रहण शामिल था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अगस्त 2015 में धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।

अधिनियम की धारा 40ए(3) प्रावधान करती है कि जहां कोई ऐसा व्यय करता है जिसके संदर्भ में व्यक्ति को भुगतान या समस्त भुगतान एक दिन में किया गया हो, बैंक से आहरित आदाता खाता चेक या आदाता खाता बैंक ड्राफ्ट ₹ 20,000 से अधिक हो, तब उन मामलों और स्थितियों को छोड़कर ऐसे व्यय के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें नीचे आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6डीडी में निर्दिष्ट किया गया है।

4.3.4.2 प्र.सीआईटी देहरादून प्रभार उत्तरांचल में एओ ने ₹ 40.13 लाख की आय पर फरवरी 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2013-14 के लिए, एक व्यक्ति **इतिशा गोयल** का निर्धारण पूरा करते समय, भूखण्ड की खरीद पर ₹ 1.33 करोड़ का व्यय, जिसकी लागत का भुगतान नकद में किया गया था अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती भूखण्ड के विकास और प्लॉटों की बिक्री के व्यवसाय में लगा था और इसलिए उसे ऐसे कार्यों के लिए ₹ 20,000. से अधिक के नकद भुगतान करने की अनुमति नहीं थी। निर्धारण के समय नकद में किए गए भुगतान के लिए व्यय का दावा एओ द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और व्यय निर्धारिती की कर योग्य आय में जोड़ा जाना चाहिए था। चूक के परिणाम स्वरूप ब्याज सहित ₹ 55.48 लाख का कर कम की उदग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने यह कह कर आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि खरीदी गई भूमि कृषि भूमि थी जिसे खरीद के बाद व्यापार में स्टाक परिवर्तित किया गया था और खरीद के समय पूंजीगत परिसम्पत्ति थी। इसके अलावा, चूंकि भूमि को पूंजीगत परिसम्पत्ति के रूप में खरीदा गया था और व्यय के रूप में नहीं अतः उस पर धारा 40ए (3) के प्रावधान लागू नहीं हैं।* उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निर्धारिती भूखण्ड/प्लॉटों की खरीद और बिक्री से संबंधित या और उक्त कृषि भूमि की खरीद के बाद, निर्धारिती ने इसे एक कालोनी में आवासीय प्लॉट में परिवर्तित किया था, स्पष्ट रूप से अच्छे लाभ के लिए धारा 40ए(3) के प्रावधानों को आकृष्ट करने के लिए निर्धारिती के उद्देश्य और कार्य विधि का पता चलता है। इसके अतिरिक्त, लेन देने जिसके लिए भुगतान किए गए थे को मामलों और परिस्थितियों द्वारा कवर नहीं किया गया था जो आय कर नियमावली, 1962 के नियम 6डीडी के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट थे। न्यायिक निर्णय⁸³ कि यदि लेन देन, निर्धारिती के व्यवसाय से कम में है, तो भूमि सम्पदा में संबंधित एकल लेन देन व्यवसाय की प्रकृति में एक जोखिम का काम है, भी प्रासंगिक है।

83 सरोजकुमार मजूमदार बनाम सीआईटी (371 आईटीआर) (एससी)

4.3.4.3 प्र.सीआईटी-1 चण्डीगढ़ प्रभार में एओ ने दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व 2009-10 के लिए एक व्याक्त **सेवक राम** की ₹ 11.33 करोड़ की आय पर शीर्ष खरीद के अन्तर्गत ₹ 94.86 लाख का व्यय अनुमत किया जिसका नकद में भुगतान किया गया था। चूंकि भुगतान अधिनियम की धारा 40ए(3) के प्रावधानों के विपरीत किया गया था, उसे अस्वीकार किया जाना अपेक्षित था और निर्धारिती की कर योग्य आय में दोबारा जमा किया जाना था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 94.86 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 45.46 लाख का कर प्रभाव शामिल था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) और धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अन्तर्गत गलती को स्वीकार किया (मार्च 2016)।

4.3.5 मूल्यहास/व्यवसायिक हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताएं

हम नीचे चार निदर्शी मामले दे रहे हैं:

सीबीडीटी ने दिनांक 11.09.2007 के निर्देश सं. 09/2007 द्वारा उन मामलों को उजागर किया है जिसमें मूल्यहास की गलत अनुमति और अग्रेषित हानियों को गलत क्षतिपूर्ति के कारण राजस्व की भारी हानि हुई थी। अतः बोर्ड ने निर्देश दिए कि निर्धारिती अधिकारी प्रत्यक्ष रिकार्डों के संदर्भ से संवीक्षा निर्धारण करते समय आवश्यक सत्यापन करेंगे और अनावशेषित मूल्यहास सहित हानियों से संबंधित दावों को निर्धारण रिकार्डों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि अग्रेषित हानियों और मूल्यहास के दावों की अनुमति की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

4.3.5.1 प्र. सीआईटी 6 पुणे प्रभार महाराष्ट्र में एओ ने ₹ 53.63 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 के लिए एक सहकारी समिति **लोकनेटे बाबू राव पाटिल एसएसके लि.** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने नि. व. 2010-11 के लिए आय के नि.व. 2005-06, 2007-08, 2008-09, और 2009-10 से संबंधित कुल ₹ 8.29 करोड़ की अग्रेषित व्यवसायिक हानियों और मूल्यहास को निर्धारित कर अपने रिटर्न को 'शून्य' दाखिल किया। तथापि, नि.व 2005-06 और 2007-08 से संबंधित हानियों को नि.व 2008-09 और 2009-10 की आय के प्रति पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। अतः हानियों के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 8.29 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.56 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को

स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि को सुधारा (जून 2014)।

धारा 72 आगामी आठ निर्धारण वर्षों के हानि और लाभ के प्रति निर्धारण वर्ष की कुल हानि के अग्रेषण और निर्धारण का प्रावधान करती है। अधिनियम के अन्तर्गत, निर्धारण अधिकारी को संवीक्षा निर्धारण में आय के निर्धारण या हानि को सही तरीके से निर्धारित करना अपेक्षित है और तदनुसार, हानियों के निर्धारण और अग्रेषण की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, सीबीडीटी ने सभी निर्धारण अधिकारियों को दिनांक 27-07-1973 की निर्देश सं. 574 द्वारा निर्देश दिया था कि अधिक निर्धारण के परिणामस्वरूप अतिशयोक्ति पूर्ण मांग होती है जिससे अनावश्यक रूप से बकाया आंकड़ों को बढ़ा दिया जाता है जिससे बचना चाहिए।

4.3.5.2 सीआईटी कटक प्रभार, ओडिशा में, एओ ने ₹ 35.79 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए एक सहकारी बैंक कटक सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि. का निर्धारण पूरा किया। यह पाया गया कि नि.व 2011-12 के लिए ₹ 5.71 करोड़ की हानियों का अग्रेषण नि.व 2012-13 की आय के प्रति समंजन के लिए अनुमत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ तक की सीमा के कर प्रभाव के साथ आय का अधिक निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का संशोधन किया (जुलाई 2015)। *तथापि, मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (अगस्त 2016) कि धारा 154 के अन्तर्गत आदेश 03 जुलाई 2015 को स्वयं किया गया था, इससे पहले कि आपत्ति की सूचना दी जाती।* मंत्रालय का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति एओ को सूचित कर दी गई थी और आपत्ति को देखने के बाद एओ ने 03 जुलाई 2015 को त्रुटि को संशोधित किया।

4.3.5.3 प्र. सीआईटी वलसाड प्रभार गुजरात में एओ ने नि.व 2011-12 के लिए एक एओपी, मरोली, विभाग खण्ड उद्योग सहकारी मंडली लि. का संवीक्षा निर्धारण फरवरी 2014 में आय की सीमा तक ₹ 27.60 करोड़ की अनाव शोषित व्यवसायिक हानियों पर समंजित करने के बाद 'शून्य' आय पर पूरा किया। एओ ने नि.व. 2008-09 से संबंधित ₹ 4.29 करोड़ की व्यवसाय हानि का अग्रेषण और नि.व. 2003-04 से 2006-07 से संबंधित ₹ 13.24 करोड़ का अनावशोषित मूल्यहास अनुमत किया। तथापि, नि.व. 2003-04 से 2006-07 की व्यवसाय हानि को पहले ही नि.व. 2008-09 की आय के प्रति समंजित किया गया था और नि.व. 2011-12 में ₹ 27.60 करोड़ के बजाय केवल ₹ 18.12 करोड़ (नि.व 2006-07 के लिए ₹ 2.33+ नि.व. 2009-10 के

लिए ₹ 15.79 करोड़) ही समंजन हेतु उपलब्ध था। अतः नि.व. 2009-10 की ₹ 4.29 करोड़ की व्यवसायिक हानि को अग्रेषित करना गलत था क्योंकि हानि को नि. व 2011-12 की आय के प्रति समंजित किया जा सकता था। गलती के परिणाम स्वरूप ₹ 4.29 करोड़ की हानियों का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 1.21 करोड़ के संभावित कर और ₹ 12.22 लाख के सकारात्मक कर, जो कुल ₹ 1.33 करोड़ है का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने धारा 155(4) के अन्तर्गत गलती को सुधारा (फरवरी 2015)।

4.3.5.4 सीआईटी-सेन्ट्रल बेंगलोर प्रभार कर्नाटक में, एओ ने ₹ 1.30 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्ति **बी.वी. श्रीनिवास रेड्डी** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ 1.64 करोड़ की अग्रेषित व्यवसायिक हानि के समंजन के बाद ₹ 0.34 लाख की आय का रिटर्न दाखिल किया जबकि समंजन हेतु कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। ₹ 1.64 करोड़ की हानि के गलत समंजन के परिणाम स्वरूप ब्याज सहित ₹ 81.06 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (मार्च 2016)।

4.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

4.4.1 अधिनियम दर्शाता है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय शामिल होंगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के अंतर्गत ऑफर की जाने वाली अपेक्षित कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूकें थी, जिसके कारण वे कर से छूट गईं। तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण से आय छूट गईं।

तालिका 4.3: चूकों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय के अंतर्गत त्रुटियों की (₹ करोड़ में) उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्यों
क. गलत वर्गीकरण तथा पूंजीगत लाभों की संगणना	07	5.60	गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
ख. आय की गलत गणना	08	6.27	गुजरात और महाराष्ट्र
ग. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान लागू करने में चूकें	03	1.18	छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश
घ. अस्पष्ट निवेश/रोकड़ क्रेडिट	02	0.33	छत्तीसगढ़ और हरियाणा
ङ. आर्मस लेंथ मूल्य का गलत मूल्यांकन	01	1.64	आन्ध्र प्रदेश
च. धन कर का उदग्रहण न करना/कम करना	07	0.47	गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
कुल	28	15.49	

4.4.2 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण तथा संगणना

हम नीचे ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शा रहे हैं:-

धारा 50सी में प्रावधान किया गया है कि जहां पर पूंजीगत भूमि या बिल्डिंग या दोनों के एक निर्धारिती द्वारा हस्तांतरित करने के परिणामतः प्राप्त मुआवजा ऐसे हस्तांतरण के संदर्भ में स्टैम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार के स्टैम्प वेल्थ प्राधिकरण द्वारा अपनाए मूल्य से कम हो तो उसे ऐसे हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त मुआवजे की पूर्ण कीमत माना जाएगा।

4.4.2.1 सीआईटी-। जयपुर प्रभार राजस्थान में, एओ ने नि.व 2011-12 के लिए ₹ 27.94 लाख की आय पर मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति **सुनील संखाला** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने वि.व 2006-07 के दौरान ₹ 19.27 लाख की आय पर कृषि भूमि की खरीद की और कृषि उद्देश्य को आवासीय उद्देश्य में भूमि के परिवर्तन के लिए ₹ 5.62 लाख का व्यय किया, अतः अधिग्रहण की कुल लागत ₹ 24.89 लाख थी। निर्धारिती ने वि.व 2010-11 के दौरान ₹ 53.00 लाख के कुल बिक्री प्रतिफल पर भूमि की बिक्री की और ₹ 27.94 लाख के लिए व्यवसाय से आय के शीर्ष के तहत लेन देन दर्शाया/परिवर्तित आवासीय भूमि के मूल्य के उद्देश्य के लिए स्टाम्प पूंजीकरण विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क का निर्धारण ₹ 8.23 करोड़ किया गया था। इस बिक्री के लेन देन के परिणामस्वरूप ₹ 7.90 करोड़ का दीर्घवधि पूंजीगत लाभ हुआ। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 7.62 करोड़ तक के दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.12 करोड़ का

कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने राजस्व के ब्याज पर पूर्वाग्रही धारा 263 के तहत आदेश पास कर गलती को सुधारा और उसे नए आदेशों के लिए खारिज किया (फरवरी 2016)।

अधिनियम की धारा 45(1) प्रावधान करती है कि पूंजीगत परिसम्पत्त के हस्तांतरण से प्राप्त कोई लाभ और हानि 'पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अन्तर्गत आय कर को प्रभाय होगी और जिस वर्ष हस्तांतरण हुआ था उस वर्ष में कर योग्य है।

4.4.2.2 प्रधान सीआईटी-III, अहमदाबाद प्रभार गुजरात में एओ ने नि.व 2012-13 के लिए जून 2014 में एक व्यक्ति **इलेश भाई पी, शाह** का ₹ 2.82 करोड़ की रिटर्न आय पर निर्धारण पूरा किया था। निर्धारिती ने मार्च 2009 में ₹ 84.00लाख और ₹ 19.19 लाख के लिए गांधीनगर पर दो कृषि भूमि की खरीद की और मई 2011 में दोनो भूमि क्रमशः ₹ 84.00 लाख और ₹ 19.19 लाख पर बेच दी। निर्धारिती ने ₹ 84.00 लाख बिक्री मूल्य से ₹ 19.19 लाख (दोनों भूमि की) की अधिग्रहण लागत से कटौती के बाद गांधी नगर में भूमि की बिक्री से ₹ 64.81 लाख का लघु अवधि पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) घोषित किया था। तथापि, निर्धारिती ने दूसरी भूमि से प्राप्त ₹ 1.16 करोड़ के बिक्री प्रतिफल को कर के लिए प्रस्तावित नहीं किया था। गलती के परिणाम स्वरूप ₹ 1.16 करोड़ के एसटीसीजी का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 45.52 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने कहा कि आपत्ति स्वीकार करने योग्य है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्र. सीआईटी-3 अहमदाबाद को प्रस्तुत कर दिया गया था।

4.4.3 आय की गलत गणना

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

4.4.3.1 प्र.सीआईटी-I पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में एओ ने बताई गई हानियों का निर्धारण करने के पश्चात 'शून्य' आय पर नवम्बर 2011 में नि.व. 2009-10 के लिए एक एओपी (सहकारी समिति), **वृद्धेश्वर सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड** की निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। निर्धारण आदेश में एओ ने यह कहते हुए कि निर्धारिती ने दोनों सीजन 2007-08 और 2008-09 के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एएएमपी) से कम कीमत पर भुगतान किया था, अतिरिक्त गणना अधिक क्रय मूल्य के लिए कोई बढोत्तरी नहीं की। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने सीजन 2008-09 के लिए गैर-सदस्यों को ₹ 1,595.63 प्रति मी.टन और सदस्यों के लिए ₹ 1,600 प्रति.मी.टन के अतिरिक्त गणना मूल्य का भुगतान किया था। हांलांकि, सीजन 2008-09 में खरीदे गए भारत सरकार

के ₹ 1300.03 वाले निर्देशों⁸⁴ के अनुसार केवल 165832 मी.ट. (57804 मी.टन सदस्यों को तथा 108028 मी. टन गैर-सदस्यों को) के लिए ही माना जाना चाहिए था। अतिरिक्त गन्ना मूल्य का समायोजन गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 द्वारा खण्ड 5 ए के तहत गन्ने के लिए निर्धारित सूत्र के अनुरूप नहीं था। ₹ 4.93 करोड़ मूल्य के गन्ने क अधिक भुगतान के कारण आय का इतना कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.52 करोड़ की कर उगाही की संभावना निहित थी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली (दिसम्बर 2016) और धारा 143 (3) के साथ पठित 147 के तहत आदेश जारी करते हुए (मार्च 2015) त्रुटि में सुधार किया।

4.4.3.2 प्र.सीआईटी वलसाड प्रभार, गुजरात में एओ ने जनवरी 2014 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति संजीत जे. विश्वास की नि.व. 2011-12 के लिए आय का निर्धारण ₹ 26.13 लाख किया। निर्धारण आदेश में यह देखा गया कि निर्धारिती के पास जॉब वर्क के लिए ₹ 64.23 लाख की प्राप्ति का कोई अभिलेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, एओ ने निर्धारण किया कि बैंक में नकद जमा ₹ 84.75 लाख की गैर अभिलेखित प्राप्तियां थी और इस पर कर लगाया जाना चाहिए था। हालांकि एओ ने छुपाई गई प्राप्ति पर केवल ₹ 16.80 लाख का लाभ जोड़ा जो बही खाता ओर नकद जमा में दर्ज नहीं थे, चूंकि निर्धारिती ने उक्त नकद जमा के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और जॉब वर्क प्राप्ति को छुपाना स्वीकार कर लिया, ₹ 1.49 करोड़ की कुल राशि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ (₹ 1.49 करोड़ - ₹ 16.79 लाख) जिसके कारण ₹ 54.74 लाख के कर की कम वसूली हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली और मार्च 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया।

4.4.4 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

धारा 40(ए) (i) में प्रावधान है कि ऐसे भुगतान जहां टीडीएस की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात निर्धारित तिथि पर या उससे पूर्व जमा नहीं करायी गया है उसके प्रति व्यय की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

84 गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 (एसएमपी + 5ए) का खण्ड 5 ए

4.4.4.1 प्र. सीआईटी इलाहाबाद प्रभार में एओ ने नवम्बर 2011 में नि.व. 2009-10 के लिए एक व्यक्ति, **लाल चंद यादव** की आय का निर्धारण ₹ 55.91 लाख करते समय क्रेन किराया प्रभारों के प्रति निर्धारिती द्वारा किए गए ₹ 1.83 करोड़ की अनुमति दी जिस पर भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की गई है। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 82.30 लाख की कर प्रभाव वाली ₹ 1.83 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने आपत्ति मान ली और मार्च 2015 में धारा 143(3)/263 के तहत त्रुटि में सुधार किया।

4.4.5 अस्पष्ट निवेश

हमने नीचे ऐसे दो निदर्शी मामले दिए हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 69सी में प्रावधान है कि जहां किसी वित्तीय वर्ष में किसी निर्धारिती ने कोई व्यय किया है और उसने ऐसे व्यय या व्यय के किसी भाग यदि कोई हो, द्वारा के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ऐसे व्यय या उसके किसी भाग, जैसा भी मामला हो तो उसमें निहित राशि को ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय माना जाएगा।

4.4.5.1 प्र. सीआईटी गुड़गाँव प्रभार में एओ ने दिसम्बर 2015 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति, **नरेश** की नि.व. 2009-10 की आय का निर्धारण ₹ 128.61 लाख किया। निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान निर्धारिती ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, वीपीओ नरसिंह पुर में नकद जमा ₹ 111.89 लाख और एक्सिस बैंक, सेक्टर-14 में नकद जमा ₹ 59.50 लाख के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। निर्धारण पूर्ण करते हुए एओ ने उसे 'अघोषित स्रोतों से आय' के रूप में मानते हुए ₹ 1.12 करोड़ के अस्पष्ट जमा को फिर से जोड़ दिया, जबकि ₹ 59.50 लाख की राशि नहीं जोड़ी गई। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 20 लाख के कर प्रभाव वाली ₹ 59.50 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया (दिसम्बर 2015)।

4.4.5.2 सीआईटी बिलासपुर प्रभार, छत्तीसगढ़ में एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2010-11 के लिए एक व्यक्ति, **बिशम्भर दयाल अग्रवाल** की आय का निर्धारण ₹ 10.00 लाख किया और निर्धारिती की प्राप्ति का स्रोत मुख्यतः राज्य सरकार के विभाग अर्थात् पीडब्ल्यूडी से था। पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी फार्म 16ए से जुड़े विवरण की जांच से पता चला कि

विभाग ने बिल की कुल राशि से निष्पादन गारंटी और अन्य जमा राशि के प्रति ₹ 30.45 लाख की राशि की कटौती की। यह कटौती प्रकृति में जमा राशि है और परस्पर सहमति पर एक समय के बाद वापसी योग्य है। इस प्रकार इसे तुलन पत्र की परिसंपत्ति में जमा शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिये। तथापि, तुलनपत्र में यह देखा गया कि इन कटौतियों का लेखांकन नहीं किया गया है जो दर्शाता है कि यह कटौतियां आय के अन्य स्रोतों से की गई है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी और अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत अप्रकटित निवेश के रूप में निर्धारिती की आय में पुनः जोड़ दिया जाना चाहिये था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप आय का कम मूल्यांकन हुआ उस सीमा तक जहां ब्याज सहित ₹ 12.80 लाख के कर की कम वसूली हुई थी। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 143 (3)/147 के अंतर्गत गलती को सुधारा था (जनवरी 2015)।

4.4.6 आर्म्स लेन्थ प्राइस का गलत आकलन

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92 सी के अंतर्गत आर्म्स लेन्थ प्राइस की गणना ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) को संदर्भित करनी चाहिये। टीपीओ, निर्धारिती की सुनवाई के बाद, किसी भी निर्धारित बिन्दुओं पर अपेक्षित साक्ष्य पर विचार करने के बाद उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और सभी उचित सामग्री जो उसने एकत्र की हो को ध्यान में रखते हुए लिखित में, आदेश द्वारा, धारा 92सी(3) के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के संबंध में एएलपी निर्धारित करेगा और अपने आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 92 ई के अंतर्गत, व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित सभी विवरण दर्शाते हूये निर्धारित प्रपत्र 3सीईबी में लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

4.4.6.1 सीआईटी (आईटी एंड टीपी) प्रभार आन्ध्र प्रदेश में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ-3) ने वैल्यू लैब्स एलएलपी के मामले में जनवरी 2016 में नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 2.96 करोड़ का समायोजन किया। सामायोजन समायोजन फार्म 3सीईबी में प्रतिवेदित तीन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस (एई) से जुड़े लेनदेन के संबंध में किया गया था। तथापि, एई मैसर्स वैल्यू लैब एफजेड एलएलसी, यूएई के साथ ₹ 67.41 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन 3 सीईबी में प्रतिवेदित नहीं किया गया था और इसलिये ₹ 42.14 करोड़ के परिचालन राजस्व में शामिल नहीं किया गया था। एई को बिक्री का मूल्य (परिचालन राजस्व) इस प्रकार ₹ 109.54 करोड़ (₹ 42.14 + ₹ 67.41) निकला। आर्म्स लेन्थ प्राइस को ध्यान में रखने के बाद, अनुपाती परिचालन लागत ₹ 117.41 करोड़ बनी और इस राशि के प्रति प्राप्त राशि ₹ 109.54 करोड़ थी। इस प्रकार धारा 92सीए के अंतर्गत ₹ 7.87 करोड़ का समायोजन हुआ और टीपीओ द्वारा की

गई ₹ 2.81 करोड़ नहीं। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के कर की कम वसूली सहित ₹ 5.05 करोड़ का कम समायोजन हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसंबर 2016) और धारा 154 के अंतर्गत गलती को सुधारा (मार्च 2016)।

4.4.7 संपत्ति कर की कम उगाही/गैर-उगाही

₹ 0.47 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े संपत्ति कर के सात मामले मई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान मंत्रालय को प्रतिवेदित किये गये थे। हमने पाया कि गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एओ ने इन मामलों में सीबीडीटी के निर्देशों⁸⁵ का पालन नहीं किया। एक ऐसा उदाहरण नीचे दिया गया है:

4.4.7.1 ए.अब्दुल रफीक की नि.व 2008-2009 से 2012-13 के लिये आयकर जांच आकलन मार्च 2014 में उप आयकर आयुक्त, सेन्ट्रल सर्किल-2(2) बेंगलौर द्वारा किया गया था। यह देखा गया कि निर्धारिती के पास नि.व. 2008-2009 से 2012-13 के लिए ₹ 18.46 करोड़ की सकल संपत्ति थी। तथापि, न तो निर्धारिती ने रिटर्न फाइल किया और न ही विभाग ने कोई संपत्ति कर के आकलन कार्यवाही की। चूक के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 17बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 23.45 लाख के परिणामी कर वाली ₹ 18.46 करोड़ की संपत्ति का आकलन नहीं हुआ। आईटीडी ने संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 16(3)आर डब्ल्यू.एस 17 के अंतर्गत गलती को सुधारा (अक्टूबर 2015)।

4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने असम, दिल्ली और पंजाब में ₹ 275.13 करोड़ के अधिक कर/ब्याज से जुड़े नौ मामलों में आय का अधिक आंकलन देखा। ऐसे दो उदाहरण नीचे दिये हैं।

4.5.1.1 सीआईटी सैन्ट्रल लुधियाना प्रभार, पंजाब में, एओ ने तिलक राज बेदी, पुनीत एक्सपोर्ट्स के मालिक का ₹ 34.02 करोड़ की आय पर नवंबर 2013 में धारा 144 के साथ पठित धारा 153 के अंतर्गत नि.व. 2007-08 हेतु आकलन किया। कर मांग की गणना करते समय एओ ने 47 माह की अवधि हेतु ₹ 5.33 करोड़ की सही राशि के बजाय 80 माह की अवधि हेतु धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 9.07 करोड़ का ब्याज प्रभारित किया। गलती के कारण

85 नवंबर 1973, अप्रैल 1979 और सितंबर 1984 में एओ को जारी सीबीडीटी के निर्देश।

धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज की अधिक उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत गलती को सुधारा (दिसंबर 2015)।

4.5.1.2 प्रधान सीआईटी-2, गुवाहाटी प्रभार, असम में, एओ ने ₹ 22.58 लाख की आय पर मार्च 2014 में ब्लॉक आकलन के अंतर्गत नि.व. 2008-09 के लिये सोविंदर सिंह सेठी का मूल्यांकन करते समय, ₹ 6.86 लाख की बजाय ₹ 31.55 लाख की कर देयता निकाली। गलती के कारण ₹ 24.69 लाख के कर का अधिक प्रभार हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया और अक्टूबर 2015 में धारा 154 के अंतर्गत गलती को सुधारा।

अध्याय V: छद्म कम्पनियों/हवाला परिचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री तथा खरीद

यह अध्याय उन अवास्तविक संव्यवहारों की चर्चा करता है जो फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं तथा उनके लाभार्थी के बीच हुए जिसके फलस्वरूप अघोषित आय का सृजन हुआ। लेखापरीक्षा ने तथ्यों की विस्तृत जांच करने तथा गंभीर आर्थिक अपराधियों को बुक करने में संवीक्षा हेतु मामलों को लेने के लिए उसके पास उपलब्ध विभिन्न साधनों का प्रयोग प्रभावी रूप से करने में आईटीडी की विफलता को नोटिस किया।

5.1 अवास्तविक संव्यवहार

काले धन पर श्वेत पत्र काले धन को "परिसम्पत्तियों अथवा संसाधनों जिसे न तो उनके सृजन के समय पर सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचित किया गया न ही उनके कब्जे के दौरान किसी भी समय उन्हें दर्शाया गया है, के रूप में" परिभाषित करता है। काले धन की महत्वपूर्ण राशि कानूनी रूप से स्वीकार्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से सृजित की जाती है जिसे हिसाब में नहीं किया जाता है तथा कानून अथवा विनियमों के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रदर्शित अथवा सूचित नहीं किया जाता है। काले धन के सृजन हेतु मूल कारण लाभों को कम करके करो के भुगतान से बचना है।

लाभों को कम करने के सर्वाधिक सामान्य तरीकों में से एक तरीका खरीद/कच्चे माल की लागत, मजदूर प्रभारों, मनोरंजन व्ययों तथा कमीशन जैसे व्ययों को बढ़ाना है। ऐसे मामलों में, बहियों में बड़े हुए व्ययों को दर्शाने के लिए फर्जी बिल बनाए जा सकते हैं। इसमें उन तथाकथित 'बिल मास्टर्स' से फर्जी अथवा बड़े हुए बीजक प्राप्त करना शामिल है जो फर्जी वाउचर्स बनाते हैं तथा इस सुविधा के लिए नाममात्र कमीशन चार्ज करते हैं। ऐसी पद्धति में 'हवाला' परिचालक भी शामिल होते हैं जो कुछ कमीशन चार्ज करने तथा बाजार में काले धन को बढ़ाने के पश्चात् नकदी विनिमय में व्यय के रूप में दावा किए गए भुगतानों के लिए चेकों को स्वीकार करने के लिए स्वामित्ववाली फर्मों, भागीदारी फर्मों, कम्पनियों तथा ट्रस्टों के रूप में शेल सत्त्वों का परिचालन करते हैं।

5.2 आयकर विभाग की भूमिका

आईटीडी प्रमुख रूप से काले धन के संकट का मुकाबला करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रयोजन हेतु, यह कर अपवंचन की पहचान करने तथा कर अपवंचन के प्रति निवारकता सृजन के उद्देश्य से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो कर अपवंचन के दोषी पाए जाते हैं उन पर शास्ति

लगाने के लिए संवीक्षा निर्धारण के साथ-साथ सूचना आधारित जांच के साधनों का उपयोग करता है। ऐसा करने में, आईटीडी अघोषित काले धन⁸⁶ के सृजन, संग्रहण तथा उपभोग को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग (एमएसटीडी) ने बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष यह बताया⁸⁷ कि इसने लगभग 39,488 लाभार्थी डीलरो सहित लगभग 1,555 हवाला परिचालकों की जांच की थी जिन्होंने पिछली तीन वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 1333 करोड़ का एक इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित किया था। इस कार्य प्रणाली में माल की बिक्री तथा खरीद सहित वास्तविक संव्यवहारों के बिना फर्जी कर बीजको की घोषणा के प्रति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा तथा उसे प्राप्त करना शामिल था। वास्तविक संव्यवहार को दर्शाने के लिए, चेक या बैंक स्थानांतरण द्वारा बीजको के प्रति भुगतान किए गए तथा इसके बाद हवाला डीलरो के बैंक खाते से राशि को वापिस/उसकी फिरती की गई।

एमएसटीडी ने 21 नवम्बर 2011 और उसके बाद अपनी वेबसाइट पर “उन संदिग्ध डीलरो की सूची जिन्होंने माल की डिलिवरी के बिना झूठे बिल जारी किए” डालनी आरम्भ की। वर्तमान में इस सूची में लगभग 2,059 डीलर शामिल हैं जिन्होंने ₹ 10,640 करोड़ (महाराष्ट्र में 12.5 प्रतिशत की दर पर अधिकतम वेट सहित) से अधिक के कर अपवंचन वाले बीजक जारी किए थे।

संवीक्षा निर्धारण के साथ-साथ सूचना आधारित जांच के साधनों का उपयोग करने में आईटीडी की प्रभावोत्पादकता की पुष्टि करने के लिए, हमने उन निर्धारितियों जिनके नाम फर्जी समायोजन बीजक⁸⁸ जारी करने के रूप में एमएसटीडी द्वारा बनाई सूची में सामने आए थे तथा उनसे जुड़े हुए लाभार्थियों के डाटा को शेयर करने के लिए आईटीडी की अन्वेषण विंग के साथ-साथ प्रधान सीसीआईटी से अनुरोध किया गया (नवम्बर 2015)। एक अनुस्मारक तथा उनके साथ एक बैठक (मई 2016) के बावजूद ऐसा कोई डाटा लेखापरीक्षा के साथ शेयर नहीं किया गया। परिणामस्वरूप हमने एमएसटीडी द्वारा अपनी वेबसाइट पर दर्शाए गए संदिग्ध समायोजन प्रविष्टि

86 दिनांक 16 मई 2012 को काले धन पर श्वेत पत्र

87 मै. टाइम्स आर्ट डेकोर प्रा. लि. बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अन्य । बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा 25 मार्च 2013 को दिया गया निर्णय।

88 समायोजन बीजक, एक गारंटर के रूप में, एक पक्ष के रूप में और प्रतिपूर्ति के बिना कार्य करने वाली प्रतिष्ठित तीसरी पार्टी (समायोजन पार्टी या इन्डॉर्सर कहा गया) द्वारा समर्थित विनियम बिल है जिसे गारंटर जो बिल के भुगतान तक दायी रहेगा, की क्षमता के आधार पर छूट दी जा सकती है।

प्रदाताओं तथा लाभार्थियों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफो में की गई है।

5.4 फर्जी प्रविष्टि प्रदाता⁸⁹

हमने एमएसटीडी में फर्जी खरीद सूची में पैन वाले 35 मामले (अनुबंध 5.1) के नि.व. 2009-10 से 2013-14 तक से संबंधित अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने या तो (i) रिटर्न को फाइल नहीं किया अथवा (ii) अत्यल्प आय अथवा (iii) शून्य आय के साथ रिटर्न फाइल की या (iv) बाद के वर्षों में रिटर्न फाइल करना बन्द कर दिया। आईटीडी ने संवीक्षा हेतु केवल उन मामले को लिया जहां आय सूचित की गई थी। आईटीडी ने इसके तहत सूचित तथ्यों की सत्यता की जांच करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की न ही उन्होंने अपने स्वयं की अन्वेषण विंग द्वारा प्रदत्त सूचना का पूर्ण रूप से अनुसरण किया। दो मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

5.4.1 सीआईटी सेन्ट्रल IV, मुम्बई में, मै. सुपरफाइन् ट्रेडिंग कॉ. प्रा. लि. (पैन-AAJCS3337G) ने नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बद्ध वर्षों के दौरान जारी समायोजन बीजको के प्रति कुल ₹ 95.38 करोड़ की व्यवसाय अथवा पेशे की बिक्री/सकल प्राप्त दर्शाई थी। इसकी आय की संगणना में, निर्धारिती ने दो नि.व. के लिए क्रमशः ₹ 12.07 लाख तथा ₹ 10.05 लाख की रिटर्न आय निकाली परन्तु इस पर किसी कर का भुगतान नहीं किया। आईटीडी ने फर्म द्वारा जारी नकली समायोजन बीजको की अधिक संख्या को एमएसटीडी द्वारा प्रकाशित सूची से इशारे के बावजूद निर्धारिती द्वारा फाइल की गई रिटर्न की संवीक्षा नहीं की जो काली आय के सृजन का सूचक था।

मंत्रालय⁹⁰ ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के मामले की क्रमशः ₹ 12.07 लाख तथा ₹ 10.05 लाख की रिटर्न की गई आय के प्रति ₹ 1.77 करोड़ तथा ₹ 1.14 करोड़ की आय की संवीक्षा धारा 144/153 सी के तहत की गई। टर्नओवर को बैंक खातों में सभी क्रेडिटों के अनुसार लिया गया। निर्धारिती ने निर्धारण प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया अतः समायोजन प्रविष्टि के लाभार्थियों की पहचान नहीं की जा सकती।

मंत्रालय का उत्तर आईटीडी के लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है क्योंकि एओ ने बैंक खातों की जांच करते समय अन्वेषण विंग के पास उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया न ही लाभार्थियों को निधियों को

89 कम्पनी/व्यष्टि जो फर्जी समायोजन बिल जारी करता है।

90 वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वापिस करने को स्थापित करने का कोई प्रयास किया। निर्धारित आय के प्रति निर्धारण से बचने वाली अधिक कर योग्य आय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

5.4.2 सीआईटी नासिक में, **मै. केतन इंजीनियर्स** (पैन DASPS1751R) तथा **मै. ब्रिज कॉरपोरेशन** (पैन BBYPS6024G) के मामले में, एओ ने डीजीआईटी (अन्वेषण) पुणे से प्राप्त सूचना के आधार पर जनवरी 2015 में नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 1.06 करोड़ तथा ₹ 7.43 करोड़ की अभिवृद्धि की। तथापि, निर्धारितियों ने कोई रिटर्न/विवरण दाखिल नहीं की। विभाग सांविधिक नोटिस भेजे जाने के बावजूद इन कारोबारों के मालिकों के ठिकाने का पता नहीं लगा सका तथा इसलिए की गई मांगों की वसूली संदेहास्पद थी।

मंत्रालय ने कहा (16 नवम्बर 2016) कि विभाग ने फर्जी खरीद/हवाला संव्यवहारों के कारण अभिवृद्धि करने के पश्चात धारा 143(3)/147 के तहत नि.व. 2011-12 में दो मामलों क्रमशः ₹ 78.67 लाख तथा ₹ 5.80 करोड़ की मांग की। नासिक तथा मुम्बई में विभाग क्षेत्रीय पूछताछ, पुलिस पूछताछ तथा उप-रजिस्ट्रार-नासिक से पूछताछ सहित विभिन्न प्रयासों ने निर्धारितियों के वर्तमान ठिकाने के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय ने कार्रवाई करने में विलम्ब हेतु कोई कारण नहीं दिया जबकि एमएसडीटी ने 2012 में स्वयं सार्वजनिक पटल पर फर्मों का विवरण प्रस्तुत किया था। एक अकेले नि.व. 2011-12 हेतु संवीक्षा निर्धारण जनवरी 2015 में पूरा किया गया। निर्धारितों जिनका पता नहीं चलने तथा धन के स्रोत का पता लगाने में सक्षम न होने वाले विभाग तथा फर्जी खरीदों के लाभार्थी, आईटीडी की ओर से असामान्य विलम्ब के फलस्वरूप राजस्व की स्थायी हानि हुई।

5.5 फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं के लाभार्थी

हमने नि.व. 2009-10 से 2012-13 तक से संबंधित एमएसटीडी सूची में प्रदर्शित अन्य 13 मामलों जो फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं के लाभार्थी थे तथा उस उत्कंठा ग्रुप से संयोजन प्रविष्टि प्राप्त की थी जो एमएसटीडी सूची में भी थी, के अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीडी ने उनकी विवरणी में प्रदर्शित आय, खाता बहियाँ तथा बैंक खातों तथा अन्य संव्यवहारों जिनका फर्जी खरीदों की बुकिंग द्वारा करो के अपवंचन के क्रम में मुख्य लिंक होना चाहिए था, की उचित प्रकार से संवीक्षा नहीं की। ये मामले नीचे दिए गए हैं:

5.5.1 एओ द्वारा न की गई नामंजूरी

आईटीडी ने मै. हिरन अर्गोचेम लि. (₹ 13.19 करोड़) तथा मै. हाइटेक इंजीनियर्स (₹ 15.17 करोड़) के मामले में कोई नामंजूरी नहीं की। मै. बिरला कोटसाइन के मामले में, आईटीडी ने विशेष रूप से फर्जी खरीदो की जांच करने के लिए धारा 153ए के तहत निर्धारण को पुनः आरम्भ किया परन्तु ₹ 27.68 करोड़ की फर्जी खरीद को अननुमत नहीं किया। मै. एलडर फार्मास्यूटिकल्स लि. के मामले में, आईटीडी ने इस आधार पर कोई अभिवृद्धि नहीं की कि कुल संयोजन खरीद ₹ 76.39 करोड़ थी तथा बिक्री ₹ 77.40 करोड़ थी।

मंत्रालय ने सभी चार मामलों में निम्नानुसार कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016 तथा 16 नवम्बर 2016):

- मै. हायरन आर्गोचेम लि. के मामले में, कथित खरीद के 12.5 प्रतिशत को नि.व. 2009-10 में सीआईटी वर्सस सिमित पी.सेठ¹ के मामले में वर्णित अनुपात के संदर्भ में जोड़ा गया।
- मै. हाइटेक इंजीनियर्स के मामले में, लेखापरीक्षा द्वारा यथाङ्गित नि.व. 2009-10 में ₹ 15.17 करोड़ की संयोजन प्रविष्टियों की कोई सूचना नहीं थी। नि.व. 2010-11 से संबंधित उत्कंठा गुप की चार गुप कम्पनियों से ₹ 26.25 करोड़ (उत्कंठा गुप की दो कम्पनियों से ₹ 15.16 करोड़ की लेखापरीक्षा की सूचना के प्रति) की संयोजन प्रविष्टि हेतु सूचना प्राप्त हुई है। नि. व. 2010-11 हेतु धारा 147 के तहत 07 नवम्बर 2016 को जारी धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।
- मै. बिरला कोटसाइन के मामले में, धारा 153ए के तहत निर्धारण नि.व. 2008-09 से 2013-14 तक के लिए 28 मार्च 2016 को पूर्ण किया गया। ₹ 81.91 करोड़ की फर्जी खरीदो के कारण अभिवृद्धि की गई थी परन्तु किसी सूचना के अभाव में मै. उत्कंठा गुप से फर्जी खरीद के संदर्भ में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। एओ द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही थी।
- मै. एलडर फार्मास्यूटिकल्स लि. के मामले में, ₹ 95.78 लाख की अतिरिक्त मांग करते हुए 29 दिसम्बर 2015 को संशोधित निर्धारण आदेश पारित किया गया।

91 356 आईटीआर 451 (गुजरात उच्च न्यायलय 2013)

हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त चार मामलो में एओ की ओर से कार्रवाई ठीक नहीं थी जैसाकि निम्न से स्पष्ट है:

- (i) मै. हिरन आर्गेचेम लि. के मामले में, निर्धारिती रसायनो का निर्माता था। ऐसे मामले में, संयोजन प्रविष्टियां प्राप्त करने का सम्पूर्ण प्रयोजन कर योग्य आय का घटाना तथा कम्पनी से धन निकालना था। 12.50 प्रतिशत को अस्वीकृत करने के लिए उद्धरित निर्णय व्यापार प्रतिष्ठानों के लिए लागू है तथा विनिर्माण प्रतिष्ठानों को नहीं। इस मामले में निर्धारिती ₹ 11.54 करोड़ (अर्थात फर्जी खरीद का 87.5 प्रतिशत) तक अपनी आय को कम करने में समर्थ होकर अभी भी लाभ उठा रहा था।
- (ii) मै. हाइटेक इंजीनियर्स के मामले में, निर्धारिती ने मै. रियलस्टोन से नि.व. 2009-10 में ₹ 9.95 करोड़ की फर्जी खरीद दर्शाई थी जिसमें विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
- (iii) मै. बिरला कोटसाइन के मामले में, आईटीडी को विवरण प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में संयोजन प्रविष्टि प्रदाताओं (इस मामले में उत्कंठा ग्रुप) के निर्धारण का उपयोग करना चाहिए तथा एमएसटीडी द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर मात्र अभिवृद्धि के बावजूद प्रविष्टि प्रदाताओं से निधियों की वापसी सहित सभी प्रमाणों का उल्लेख करने के पश्चात लाभार्थियों द्वारा की गई खरीदों को अस्वीकृत करने के लिए कथित प्रमाण का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार निर्धारिती अपने परिसरो में अन्वेषण के पश्चात भी उत्कंठा ग्रुप से की गई ₹ 27.68 करोड़ की फर्जी खरीद को छुपाने में सफल हुआ।
- (iv) मै. एल्डर फार्मास्यूटिकल्स लि. के मामले में, आईटीडी ने अवास्तविक खरीद के महज 1.25 प्रतिशत का अल्प समायोजन निर्धारिती के उस तर्क को स्वीकार करते हुए किया कि उसने ₹ 77.40 करोड़ की ऐसी ही अवास्तविक खरीद की थी। इसका तात्पर्य यह है कि निर्धारिती ने ₹ 23.22 करोड़ के कर से बचने में उनकी सहायता करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के लिए अवास्तविक प्रविष्टि पारित की। आईटीडी को उन निर्धारितियों को पहचानना होगा जिसने एल्डर फार्मास्यूटिकल्स लि. से ₹ 77.40 करोड़ की फर्जी खरीद की थी तथा फर्जी खरीद के अंतिम लाभार्थी को कर के लिए ले आने तक फर्जी खरीदों के संव्यवहारों की कमी को पूरा करने के लिए कार्रवाई की थी। इसके अलावा, एफडीए⁹² द्वारा विनियमों के अनुसार फार्मा कम्पनियों को अपने रिकॉर्ड में

92 खादय तथा औषधि प्रशासन

वास्तविक निर्माता की बैच संख्या तथा नाम वर्णित करना अपेक्षित है। एओ को वास्तविक लाभार्थियों के विषय में आवश्यक प्रमाण संग्रहित करने के संदर्भ में इन स्टॉक रिकॉर्डों का सत्यापन करना चाहिए।

5.5.2 अवास्तविक खरीदों के विषय में सूचित न किए गए अंतिम लाभार्थियों के क्षेत्राधिकारी एओज

अन्य प्रमुख लाभार्थियों में जेबी स्टील कॉरपोरेशन (₹ 61.77 करोड़), मै. इंडियन ड्रेप प्रा. लि. (₹ 12.52 करोड़), मै. एरिस्टोन ट्रेडिंग प्रा.लि. (₹ 6.58 करोड़), मै. भविष्य इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन (₹ 13.20 करोड़) तथा मै. मित्तल कॉरपोरेशन लि. (₹ 16.54 करोड़) के मामले में, अंतिम लाभार्थियों के क्षेत्राधिकारी एओज को उपयुक्त रूप से उन्हें कर में लाने के संदर्भ के साथ निर्धारितियों द्वारा की गई अवास्तविक खरीद के विषय में सूचित नहीं किया गया।

मंत्रालय ने मै. मित्तल कॉरपोरेशन लि. के मामले में आपत्ति (16 नवम्बर 2016) को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि मै. मित्तल कॉरपोरेशन लि.को अभिलेखों की आपूर्ति की गई जिसे सर्कल 1(1) इन्दौर (अब सर्कल 3(1), इन्दौर) में निर्धारित किया गया था। श्री अभिषेक एस. मोरारका, निदेशक, मै. उत्कंठा ट्रेडिंग लि. के विवरण में उपलब्ध सूचना से, फर्जी बिलिंग पर भुगतान किए गए कमीशन के कारण नि.व. 2010-11 में मै. मित्तल कॉरपोरेशन लि. के मामले में अभिवृद्धि की गई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग ने यह नहीं बताया कि निर्धारित फर्जी खरीद का अंतिम लाभार्थी था अथवा एक मध्यस्थ था। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि मित्तल कॉरपोरेशन के एओ को सूचना कब दी गई थी तथा अभिवृद्धि कब की गई। मात्रा तथा अधिनियम की धारा जिसके तहत अभिवृद्धि की गई थी तथा क्या विभाग ने धन ट्रेल की स्थापना की थी जो अंतिम लाभार्थी को जानने के लिए महत्वपूर्ण थी, को भी मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

5.5.3 अन्योन्य जांच के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

आईटीडी ने मै. मन्धाना इंडस्ट्रिज लि. (₹ 18.10 करोड़), मै. वर्षराज एक्सपोर्ट (प्रा.) लि. (₹ 5.12 करोड़), मै. लक्ष्मी वेल्वेट (आई) लि. (₹ 1.49 करोड़) तथा मै. नीमनी स्टील (प्रा.) लि. (₹ 1.64 करोड़) द्वारा की गई फर्जी खरीदों की अन्योन्य जांच के लिए अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

मंत्रालय ने मै. मन्धाना इंडस्ट्रिज लि. के मामले में आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (20 सितम्बर 2016) कि निर्धारिती ने आवेदन निपटान आयोग के समक्ष पेश किया तथा आयोग ने 30 अगस्त 2014 को अपना निर्णय दिया जिसे नि.व. 2006-07 से 2013-14 तक लागू किया गया था। परिणामस्वरूप एओ का मामले पर कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उस समय मामला अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय ने यह विनिर्दिष्ट नहीं किया है कि क्या लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई फर्जी खरीद को अधिनियम की धारा 245एच(2)⁹³ के तहत निपटान की अवधि में घोषित किया गया था। इस मामले में, एओ को यह सत्यापित करना अत्यावश्यक था कि क्या निर्धारिती ने अवास्तविक खरीद का विश्वसनीय प्रकटन किया था। झूठे प्रकटन के मामले में, आईटीडी को छूट की वापसी के लिए निपटान आयोग में जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने मै. वर्षराज एक्सपोर्ट (प्रा.) लि. के मामले में आपत्ति को निम्नानुसार कहते हुए स्वीकार किया था (20 सितम्बर 2016):

- नि.व. 2009-10 के लिए लेखापरीक्षा को फाइलें प्रस्तुत की गई थी तथा लेखापरीक्षा के आग्रह पर धारा 154 के तहत सुधार आदेश पारित किया गया।
- नि.व. 2010-11 के लिए पश्च पुनःसंरचना वार्ड 11(3)(4) में फाइले स्थित नहीं थी, पूर्व पुनःसंरचना वार्ड 8(3)(4) द्वारा धारा 143(3) के तहत आदेश पारित किया गया।
- नि.व. 2011-12 के लिए, कोई संवीक्षा नहीं की गई अतः फाइले उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
- नि.व. 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा को मामला रिकॉर्ड प्रदान किए गए तथा एओ के पास उपलब्ध थे।

इस मामले में एओ की कार्रवाई इस आधार पर तर्कसंगत नहीं थी कि नि.व. 2009-10 के लिए मामले के अभिलेख की लेखापरीक्षा जून 2012 में की गई जबकि उत्कंठा ग्रुप से फर्जी संयोजन प्रविष्टियां प्राप्त करने वाले निर्धारिती के संदर्भ में नए प्रमाण जुलाई 2012 में पाए गए। यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि आईटीडी ने धारा 147 के तहत निर्धारण पुनः आरम्भ करके अथवा धारा 263 के तहत समीक्षा करके फर्जी खरीद को नामंजूर करने के लिए

93 धारा 245एच(2) प्रावधान करती है कि व्यक्ति को दी गई किसी छूट को निपटान आयोग द्वारा वापिस लिया जा सकता है, यदि निपटान प्रक्रियाओं की अवधि में ऐसे व्यक्ति ने निपटान हेतु किसी विशिष्ट सामग्री को छुपाया है अथवा झूठे प्रमाण दिए हैं तथा उसके बाद ऐसा व्यक्ति अपराध की कोशिश कर सकता है जिसके संदर्भ में छूट दी गई थी तथा वह शास्ति के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

उपचारात्मक कार्रवाई की थी। विभाग ने लेखापरीक्षा को न तो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए न ही इसका सुस्पष्ट उत्तर दिया कि क्या नि.व. 2009-10 तथा नि.व. 2012-13 से संबंधित वर्षों के दौरान की गई ₹ 5.12 करोड़ की फर्जी खरीद को अस्वीकृत किया गया था।

5.6 अवास्तविक संव्यवहारों का लिंक न होना

आईटीडी ने अगले तथा पिछले लिंकेज के साथ ऐसे नकली संव्यवहारों की सम्पूर्ण श्रृंखला की अन्योन्य लिंकिंग/कवरिंग के बजाय केवल संबंधित निर्धारिती के निर्धारण रिकॉर्ड के लिए अपने निर्धारण को सीमित किया ताकि अंतिम लाभार्थियों का पता लगे तथा लाभार्थियों को निधियों की वापसी करने के लिए पेपर तथा धन ट्रेल का पता लगे। चार निदर्शी मामले निम्नानुसार हैं:

5.6.1 मै. लोहा इस्पात लि. (पैन AAACL1583C) फर्जी प्रविष्टि प्रदात्ता के माध्यम से शेयरों में निवेश के रूप में फर्जी खरीद⁹⁴ तथा उससे सृजित नकद को वापिस लाने के लिए उत्तरदायी थी। वि.व. 2012-13 में, एओ ने पश्च अन्वेषण से यह अतिरिक्त सूचना प्राप्त की कि निर्धारिती मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. तथा कम्पनियों के अन्य ग्रुप से नि.व. 2006-07 से नि.व. 2012-13 तक से संबंधित ₹ 2999.01 करोड़ की फर्जी खरीद तथा ₹ 3031.79 करोड़ की बिक्री के लिए उत्तरदायी था। आईटीडी ने निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार किया कि कथित खरीद/बिक्री पृछताछ अथवा निर्धारिती के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड के साथ अन्योन्य जांच किए बिना टर्नओवर उद्देश्यों हेतु संयोजन खरीद थी।

निर्धारिती ने निर्धारण प्रक्रिया (वि.व. 2013-14) के दौरान यह स्वीकार किया कि मै. एयरफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि. (₹ 141.62 करोड़), मै. फारवर्ड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग (₹ 403.29 करोड़) तथा मै. हेमायरा इंडिया (प्रा.) लि. (₹ 111.05 करोड़) जैसी कम्पनियों को फर्जी बिक्री की गई थी जो संबंधित एओ को सूचित नहीं की गई। नि.व. 2009-10 तथा नि.व. 2010-11 के लिए मै. एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि. के निर्धारण रिकॉर्ड की जांच ने दर्शाया कि आईटीडी ने फर्जी खरीद को अस्वीकृत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

मंत्रालय ने आपत्ति को निम्नानुसार कहते हुए स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016):

94 2006-07 से 2012-13 तक की ब्लॉक अवधि के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट देखें।

मैं. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के साथ फर्जी खरीद/बिक्री को ध्यान में रखते हुए, एओ ने ऐसी संयोजन प्रविष्टि से ₹ 107.60 करोड़ की आय संगणित की। इसके अलावा, एओ ने फर्जी शेयर एप्लीकेशन धन के लिए निर्धारितियों की बहियों में अघोषित आय प्रस्तुतीकरण के कारण ₹ 202 करोड़ की अभिवृद्धि भी की। इसके अलावा, निर्धारिती को टेलीस्कोपिंग का लाभ भी नहीं दिया गया क्योंकि संयोजन टर्नओवर से अघोषित आय को शेयर विनियोग राशि के रूप में ऐसी आय की वृद्धि से अलग से बढ़ाया गया चूंकि निर्धारिती दो के बीच में एक से एक लिंक प्रदान करने में विफल हुआ। इस प्रकार लेखापरीक्षा के प्रतिकूल निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि एओ ने संबंधित निर्धारण वर्षों में उचित रूप से अभिवृद्धि की थी।

- मैं. एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि. तथा अन्यो के साथ लेन देनो के संदर्भ में, एओ ने फर्जी शेयर प्रीमियम सहित निर्धारिती द्वारा की गई फर्जी खरीद/बिक्री के मामले पर विचार किया था तथा नि.व. 2013-14 के लिए मार्च 2016 में निम्न के कारण अभिवृद्धि करते हुए निर्धारण पूर्ण किया:

(i) धारा 68 के तहत ₹ 48 करोड़ की फर्जी /अस्पष्ट शेयर प्रीमियम राशि।

(ii) कमीशन आय के रूप में 77.04 करोड़ की फर्जी संयोजन प्रविष्टियां (₹ 5136.56 करोड़ की कुल संयोजन प्रविष्टियों का @1.5 प्रतिशत)।

(iii) ₹ 94.31 करोड़ की निर्धारित परिसम्पत्तियों की फर्जी खरीद पर मूल्यहास।

(iv) धारा 40ए(3) के तहत ₹ 1.47 लाख के बीस हजार रूपए से अधिक राशि हेतु अकाउंट पेयी चेक के बिना भुगतान करना, तथा

(v) धारा 36 के तहत ₹ 5.06 लाख की कर्मचारी भविष्य निधि का विलम्बित भुगतान ।

- मंत्रालय ने आगे कहा कि फर्जी बिक्री सहित प्रत्येक फर्जी खरीद के रूप में राजस्व की कोई हानि नहीं थी। इन्हें सामान्य तौर पर तुलन पत्र तथा टर्नओवर आकंडो को बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है ताकि अधिक निवल मूल्य दर्शाकर तथा टर्नओवर बढ़ाकर बड़े हुए बैंक ऋण का लाभ उठाया जाए। नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारण करते समय एओ ने इस चक्रीय फर्जी लेन देन के लिए निर्धारिती द्वारा अर्जित कमीशन आय को वापिस जोड़ा । एक तथ्यात्मक मामले में,

निर्धारिती ने कम दर पर बिक्री दर्शाई थी तथा अधिक मूल्य पर ग्रे मार्केट में वास्तविक माल बेचा तथा इस प्रकार, इनके टर्नओवर तथा निवल लाभ में कमी आई। इस दावे की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड में कोई प्रमाण नहीं था कि माल को अधिक मूल्य पर ग्रे मार्केट में बेचा गया है। संबंधित एओज को मै. एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि., मै. एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रिज लि. के संबंधित क्षेत्राधिकारी एओ, मै. फारवर्ड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग तथा मै. हेमीरा इंडिया (प्रा.) लि. जैसी कम्पनियों को की गई फर्जी बिक्री की सूचना न देने के संदर्भ में सूचित किया गया है तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटीडी को निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि फर्जी खरीद को उचित जांच किए बिना समरूपी फर्जी बिक्री द्वारा वापिस किया गया था। इस धारणा कि निर्धारिती ने फर्जी खरीद तथा बिक्री केवल टर्नओवर को बढ़ाने के लिए तथा बैंक ऋणों का प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड की थी, को एओ द्वारा प्रारम्भ में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, ऐसे दावे की अभिलेख में प्रमाण के साथ पुष्टि नहीं की गई। आईटीडी ने केवल निर्धारिती द्वारा दिए विवरण का उत्तर दिया। निर्धारिती बताई गई फर्जी बिक्री पर डाटा की अन्योन्य जांच से पता चलता है कि लाभार्थियों जिन्होंने प्रविष्टियां प्राप्त की थी, ने इसे अपने लाभ कम करने के लिए उपयोग किया था तथा आईटीडी ने लाभार्थियों की खरीदों को नामंजूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। फलस्वरूप लाभार्थियों ने संयोजन प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाया।

इसके अलावा, ₹ 107.60 करोड़ की अस्वीकृति वास्तव में फर्जी खरीद के कारण नहीं थी अपितु फर्जी खरीद तथा फर्जी बिक्री जिसका निर्धारिती ने संवृत स्टॉक में यथाप्रदर्शित बिक्री न हुई फर्जी खरीद होने का दावा किया था, की मात्रा (26,147.96 एमटी) में भिन्नता के मूल्य के कारण था। आईटीडी ने फर्जी खरीदों के लिए व्यवस्थाएं करने हेतु ब्रोकर को नकद भुगतान किए गए कमीशन के कारण ₹ 11.47 करोड़ की अभिवृद्धि की थी तथा उत्कंठा ग्रुप से की गई ₹ 2,999.01 करोड़ की कुल फर्जी खरीद के प्रति कोई अभिवृद्धि नहीं की। एओ ने फर्जी खरीद से सृजित कही जाने वाली निधियों की वापसी का पता लगाए बिना शेयर प्रीमियम में ₹ 202 करोड़ की अभिवृद्धि की। आगामी पैराग्राफ में उल्लिखित गनायका स्टील प्रा. लि. के मामले में, आईटीडी ने सहज रूप से निर्धारिती के इस दावे कि खरीद के साथ-साथ समरूपी बिक्री दोनों फर्जी थे, को इस विवरण की सत्यता की अन्योन्य जांच किए बिना अथवा उन कम्पनियों जिनसे निर्धारिती ने संयोजन प्रविष्टियां प्राप्त की थी,

के बैंक खाते का उचित विश्लेषण किए बिना स्वीकार किया। इन फर्जी बिक्री के क्रेताओं ने कम्पनियां बनाई थी परन्तु आईटीडी ने नि.व. 2006-07 से 2012-13 तक की समयावधि के दौरान ₹ 3031.79 करोड़ की फर्जी बिक्री को नामंजूर करने के लिए लाभार्थियों के एओ को सूचित नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, यदि यह सिद्ध करने हेतु कोई प्रमाण नहीं था कि आईटीडी ने बिक्री के अवास्तविक होने के दावे अन्योन्य जांच की थी। इसके अलावा, यदि वास्तविक बिक्री हेतु सकल लाभ (जीपी) अनुपात 28.72 प्रतिशत था तो न्यूनतम अभिवृद्धि जीपी अनुपात के 28.72 प्रतिशत होनी चाहिए न कि आईटीडी द्वारा बढ़ाई गई आय का 1.5 प्रतिशत। आईटीडी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड तथा स्टॉक रिकॉर्ड जिसने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 के तहत बनाए जाने हेतु अपेक्षित सांविधिक रिकॉर्डों के वास्तविक प्रमाण के आधार पर बिक्री तथा खरीद की मात्रा में वास्तविक अन्तर को सुनिश्चित किया, की कोई जांच नहीं की। स्टॉक खाते के मात्रात्मक डाटा में मिलान न होने के उपयुक्त प्रमाण अथवा ऐसे सत्यापन के अभाव में, आईटीडी द्वारा दिए गए निष्कर्ष उचित नहीं थे। इसके अलावा, आईटीडी ने अवास्तविक खरीद तथा बिक्री के संदर्भ में निधियों के प्रवाह की जांच करने के लिए बैंक खातों की जांच नहीं की।

5.6.2 मै. गनायका स्टील लि. (पैन AADCG3686N) के पास केवल कम्पनी पेंपरो पर हस्ताक्षर करने के लिए दो निदेशक थे। मै. लोहा इस्पात लि. के निदेशको ने जांच के दौरान यह स्वीकार किया (फरवरी 2012) कि उनके ग्रुप ने प्रभावी रूप से उस मै. गनायका स्टील लि. को प्रबंधित किया था जिसने नि.व. 2010-11 में मै. लोहा इस्पात लि. तथा अन्यो को ₹ 111.75 करोड़ की बिक्री दर्शाई थी। निर्धारिती के बैंक खाते से पता चला कि उसने मै. लोहा इस्पात लि. से ₹ 26.30 करोड़ प्राप्त किए थे। लोहा इस्पात तथा अन्यो से प्राप्त ₹ 76.29 करोड़ की भिन्नता विविध देनदार से किसी प्राप्ति के बिना कम हुई थी, जो यह दर्शाती है कि इसे या तो दूसरे काम में लगाया गया था या धन की प्राप्ति के बिना बटटे खाते में डाला गया था। एक निदेशक तथा मै. लोहा इस्पात लि. के परिवार के सदस्य को कोई कारण दिए बिना ₹ 9.38 करोड़ (नि.व. 10-11) तथा ₹ 13.41 करोड़ (नि.व. 2012-13) के हस्तांतरण किए गए। यह मै. लोहा इस्पात लि. के निदेशको के परिवार के सदस्यों को धन के व्यवस्थित विपथन का सूचक था। आईटीडी ने उक्त कमियों की जांच नहीं की तथा ₹ 111.75 करोड़ अर्थात् ₹ 2.24 करोड़ (नि.व. 2010-11) तथा ₹ 19.04 करोड़ का 2 प्रतिशत अर्थात् ₹ 38.07 लाख (नि.व. 2012-13) की बिक्री की मात्रा दो प्रतिशत अभिवृद्धि की।

5.6.3 मै. एसकेएम रियल इन्फ्रा लि. (पैन AAFCS2659R) मै. श्री राम मिल्स की एक ग्रुप कम्पनी थी। फरवरी 2013 में मै. श्रीराम मिल्स ग्रुप के किए गए सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती कम्पनी ने हवाला परिचालको से ₹ 32.46 करोड़ के मूल्य की खरीद हेतु संयोजन बीजक लिए थे तथा ₹ 21.38 करोड़ की समरूपी बिक्री की थी तथा शेष ₹ 11.06 करोड़ को समापन स्टॉक में शामिल किया गया। आईटीडी ने संयोजन प्रविष्टियां होते हुए भी ₹ 21.38 करोड़ की बिक्री के केवल पांच प्रतिशत अर्थात ₹ 1.07 करोड़ (नि.व. 2009-10) को अस्वीकृत किया। फर्जी बिक्री (₹ 3.00 करोड़) के एक प्राप्तकर्ता मै. कृष्णा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जिसने आय की रिटर्न फाइल नहीं की, की अन्योन्य जांच से यह पता चला कि विभाग ने ऐसी फर्जी बिक्री जिसे विभिन्न व्यवसाय प्रतिष्ठानों के माध्यम से पारित किया गया था, के अंतिम लाभार्थियों की खोज नहीं की।

5.6.4 मै. गिनी एंड जोनी लि. ने यह स्वीकार किया कि नि.व. 2012-13 में ₹ 14.52 करोड़ की खरीद उस माल के आवागमन के बिना फर्जी थी जिसे इसकी सहायक मै. जी.जे. फ्रीडम फैशनस प्रा.लि. (पैन AACCG5427E) को बदले में दिया गया था। आईटीडी ने मै. गिनी एंड जोनी लि. की रिटर्न आय के प्रति खरीद राशि के केवल दो प्रतिशत ₹ 29.06 लाख की अभिवृद्धि की। हालांकि सहायक कम्पनी, अंतिम लाभार्थी में कोई अस्वीकृति नहीं की गई।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि ₹ 14.52 करोड़ की फर्जी बिक्री का मामला जांच के अन्तर्गत था, निर्धारण रिकॉर्ड सरलता से उपलब्ध नहीं थे। जांच के पश्चात, सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

5.7 अवास्तविक प्रविष्टिओं/खरीदों वाले मामलों में अभिवृद्धि को नामंजूर करने/अभिवृद्धि करने में विसंगति

हमने लाभार्थियों के 845 मामलो का विश्लेषण किया जिन्होंने कुल ₹ 1167.11 करोड़ के फर्जी बीजक प्राप्त किए थे जिसके प्रति रिटर्न आय के लिए फर्जी खरीदों के औसतन 18.04 प्रतिशत पर ₹ 210.55 करोड़ की अभिवृद्धि की गई। 344 मामलो में, एओज ने की गई अस्वीकृति के समर्थन में आयकर अधिनियम की कोई धारा दर्ज नहीं की। अननुमति के लिए क्रमशः 231 मामलो, 44 मामलो तथा 170 मामलो में आयकर अधिनियम की धारा 37,68 तथा 69 को उद्धरित किया गया था। एओ ने धारा 68 तथा 69 के तहत आनुपातिक अननुमति की हालांकि इन धाराओं में सम्पूर्ण राशि यदि वह अस्पष्ट थी, कि अननुमति हेतु प्रावधान था। एओज ने धारा 145(3) के तहत

19 मामलो में लेखा बहियों को खारिज किया, 17 मामलो में 12.5 प्रतिशत की अननुमति की तथा दो मामलो में पूर्ण अननुमति। अननुमति की प्रतिशतता ₹ 1021.02 करोड़ (मूल्य का 87.48 प्रतिशत) की फर्जी खरीद सहित 536 मामलो में 2 से 30 प्रतिशत तक बनती थी। ₹ 124.61 करोड़ के 279 मामलों में पूर्ण अस्वीकृति की गई। अस्वीकरण प्रक्रिया में उद्यम के विशिष्ट प्रकार अथवा परिचालन की प्रकृति से संबंधित कोई न्यायसंगत पैटर्न लागू किए बिना तदर्थ प्रतिशतता, सकल लाभ मार्जिन अथवा अधिकतम क्रेडिट प्रक्रिया सम्मिलित थी।

5.7.1 लेखापरीक्षा ने मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के लाभार्थियों के लिंक की जांच की तथा निम्नानुसार पाया:

- नि.व. 2009-10 के लिए मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. का निर्धारण दिसम्बर 2011 में पूरा किया गया। हमने श्री अभिषेक एस. मोरारका, निदेशक, मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. द्वारा जनवरी 2010 में एमएसटीडी को दिए हलफनामे से यह देखा कि अन्य कम्पनियों के साथ कम्पनी वास्तविक बिक्री अथवा खरीद के बिना केवल संयोजन बीजक दे रही थी। भुगतान को बैंक के माध्यम से तथा कमीशन को रोककर प्राप्त किया गया, लाभार्थी को पुनः भुगतान किए गए। एमएसटीडी ने कम्पनी को संदिग्ध डीलर के रूप में घोषित किया। इसे आईटीडी को भी बताया गया (जुलाई 2012)। एओ ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा धारा 263 के तहत निर्धारण पुनः आरम्भ करके अभिवृद्धियां की (जनवरी 2014) जैसाकि नीचे दिया गया है:

नि.व.	बिक्री	खरीद	अस्वीकृति का आधार	(₹ करोड़ में) की गई अभिवृद्धि
2009-10	179.68	178.77	खरीद का 0.5 प्रतिशत	0.89
2010-11	43.54	61.77	उच्च क्रेडिट प्रक्रिया	0.66
2011-12	56.14	38.15	उच्च क्रेडिट प्रक्रिया	0.24

बैंको ने 2013 में एओ को यह सूचित किया कि निर्धारिती ने या तो बैंक खाते को बन्द किया या खाते में शून्य बैलेंस अथवा बहुत कम बैलेंस छोड़ा। इस प्रकार, विभाग मांग की वसूली करने की स्थिति में नहीं था।

- इसी प्रकार, आईटीडी ने कार्रवाई के किसी एकसमान पैटर्न को लागू किए बिना मै. उत्कंठा ग्रुप की अन्य ग्रुप कम्पनियों में अभिवृद्धि की थी जैसाकि नीचे दिया गया है:

नि.व.	बिक्री	खरीद	अस्वीकृति का आधार	(₹ करोड़ में) की गई अभिवृद्धि
मै. सिटीबेस मल्टीट्रेड प्रा.लि., (पैन-AADCC4376R) - आईटीओ 4(1), थाणे				
2010-11	405.03	डाटा उपलब्ध नहीं	₹ 405.03 करोड़ का 5 प्रतिशत	20.25
2011-12	122.56	122.44	₹ 8.78 करोड़ का 1.25 प्रतिशत	0.11
2012-13	42.15	8.06	कोई अनुमति नहीं	शून्य
मै. केंडी फिल्टर्स (बम्बई) लि. (पैन-AAACC4124C) - आईटीओ(1)(1)(2), मुम्बई				
2009-10	113.06	112.85	₹ 113.06 करोड़ का 0.25 प्रतिशत	0.28
2010-11	182.86	182.77	₹ 56.80 करोड़ का 0.25 प्रतिशत	0.14
2011-12	5.81	8.31	निर्धारित नहीं	शून्य
2012-13	6.5	6.47	कोई अनुमति नहीं	शून्य
मै. रियलस्टोन एक्सपोर्ट्स लि. (पैन-AACCR8504K) - आईटीओ 11(1)(2), मुम्बई				
2010-11	273.22	290.59	₹ 279.76 करोड़ का 1 प्रतिशत	2.78
2011-12	59.85	85.55	₹ 115.90 करोड़ का 1 प्रतिशत	1.16
2012-13	68.57	68.2	₹ 30.07 करोड़ का 1 प्रतिशत	0.3
मै. सिद्धपाठ ट्रेडिंग प्रा. लि. (पैन-AAMCS2192L) - आईटीओ 1(3)(2), मुम्बई				
किसी निर्धारण वर्ष में कोई अननुमति नहीं की गई				
मै.दुरालॉय कट्टर्स प्रा. लि. (पैन-AABCD4127B) - आईटीओ 6(2)(3), मुम्बई				
लेखापरीक्षा को फाइले प्रस्तुत नहीं की गई				

उक्त से पता चलता है कि मै. सिटीबेस मल्टीट्रेड प्रा.लि. ने नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 8.06 करोड़ की खरीद की। नि.व. 2012-13 के लिए मै. रियलस्टोन एक्सपोर्ट प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच से यह पता चला कि मै. सिटीबेस मल्टीट्रेड प्रा. ले. को की गई कुल बिक्री ₹ 8.06 करोड़ के प्रति ₹ 44.76 करोड़ थी। आईटीडी ने भिन्नता के मिलान के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

- इसके अलावा, उत्कंठा ग्रुप ने 23 कम्पनियों (एमएसटीडी द्वारा जांच की गई छः कम्पनियों सहित) की एक श्रृंखला बनाई जो अपनी बहियों में अवास्तविक व्ययों की बुकिंग से ₹ 647 करोड़ से अधिक आयकर के भुगतान से बचने में लाभार्थियों की सहायता करने के लिए वास्तविक बिक्री तथा खरीद के बिना जटिल सर्कुलर ट्रेडिंग, एक बहुत गंभीर आर्थिक अपराध, में लगे हुए थे। अधिनियम की धारा 276 के प्रावधानों के तहत कम्पनियों के निदेशकों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा उनकी कम्पनियां अल्प वृद्धि करके कर मुक्त हो गईं। लेखापरीक्षा को ₹ 2,183.72 करोड़ की कुल बिक्री राशि के प्रति

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, विभाग ने केवल ₹ 26.94 करोड़ को नामंजूर किया जो औसतन 1.23 प्रतिशत था।

मंत्रालय ने आपत्ति को निम्नवत कहते हुए स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016):

मैं. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के मामले में, निर्धारिती की आय को प्रत्येक वर्ष के तथ्यों के आधार पर आकलित किया गया। लेखापरीक्षा ने आय का आकलन करने के लिए ऐसी प्रक्रिया के उपयोग पर कोई विशिष्ट प्रक्रिया वर्णित नहीं की।

मैं. केन्डी फिल्टर्स (बम्बई) लि. के मामले में; नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए 0.25 प्रतिशत कमीशन आय की अभिवृद्धि अन्वेषण विंग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। नि.व. 2011-12 हेतु मामले का पुनः प्रारम्भ करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। नि.व. 2012-13 में कोई ऐसा सर्कुलर/प्रविष्टि प्रदान करने वाला लेने देन नहीं पाया गया तथा निर्धारिती ने अपना व्यापार परिवर्तित किया था।

मैं. रियलस्टोन एक्सपोर्ट लि. के मामले में, अभिवृद्धियों को समान रूप से बिक्री तथा खरीद पर एक प्रतिशत की दर पर किया गया। शास्ति का उदग्रहण भी किया गया था।

मैं. सिद्धपाठ ट्रेडिंग प्रा. लि. के मामले में, नि.व. 2009-10 में फर्जी खरीद हेतु कोई सूचना नहीं थी। नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 से संबंधित मामलों को पुनः आरम्भ करने हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं।

चार मामले में आईटीडी द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में, लेखापरीक्षा का मत है कि:

मैं. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के मामले में, वर्ष दर वर्ष समान निर्धारण प्रभार में की गई नामंजूरी के संदर्भ में की गई अभिवृद्धियों में सामंजस्य का उस स्थिति में पूर्ण अभाव था जब निर्धारिती संयोजन प्रविष्टियां देने की समान पद्धति का अनुसरण कर रहा था। स्पीकिंग आर्डर में यह विनिर्दिष्ट नहीं था कि एक विशिष्ट प्रक्रिया अधिकतम क्रेडिट प्रक्रिया का उपयोग संबंधित निर्धारण वर्षों में क्यों किया गया तथा स्वीकार न करने की प्रतिशतता को कैसे प्राप्त किया गया। अधिकतम क्रेडिट प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए, निधियों के आवर्तन के स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता थी जबकि आईटीडी ने निधियों का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में बैंक खाते भी प्राप्त नहीं किए। अधिकतम क्रेडिट प्रक्रिया की निर्धारिती द्वारा आपूर्त किए गए डाटा के आधार

पर योजना बनाई गई थी जिसे न तो बैंक खातो के साथ सत्यापित किया गया न ही उसकी लाभार्थियों के अभिलेखों के साथ अन्योन्य जांच की गई।

मै. केन्डी फिल्टर्स (बम्बई) लि. के मामले में, समान ग्रुप कम्पनी में आईटीडी ने पांच प्रतिशत नामंजूर किया। इस कम्पनी में समान रहने वाले सभी पहलुओं में आईटीडी ने इस मामले में केवल 0.25 प्रतिशत की अभिवृद्धि यह विस्तार किए बिना की कि 0.25 प्रतिशत की नामंजूरी को कैसे प्राप्त किया गया तथा इस प्रतिशतता तक पहुंचने के लिए कौन सी कार्य प्रणाली उपयोग की गई। नि.व. 2012-13 के लिए, मै. गिनी एंड जोनी लि. (इस रिपोर्ट के आगामी पैरा 5.6.4 में चर्चित) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 49.82 लाख वाली संयोजन प्रविष्टियां दी थीं। अतः निर्धारिती ने कोई सर्कुलर/प्रविष्टि नहीं की थी न ही नि.व. 2012-13 में अपना व्यापार परिवर्तित किया। कोई भी व्यक्ति मान्य पंजीकरण⁹⁵ के बिना माल नहीं बेच सकता। निर्धारिती ने फर्जी प्रविष्टियां देना जारी रखा भले ही पंजीकरण को रद्द कर दिया गया था। आईटीडी ने संव्यवहारों की पूर्ण कमी की जांच नहीं की जबकि इसके प्रमाण थे। उनका यह निष्कर्ष कि नि.व. 2012-13 में कोई सर्कुलर/प्रविष्टि संव्यवहार नहीं था, तथ्यों पर आधारित नहीं था तथा न ही नियमानुसार था।

मै. रियलस्टोन एक्सपोर्ट लि. के मामले में, एक प्रतिशत की दर पर नामंजूरी का पता लगाने के लिए आधार को स्पीकिंग आर्डर में वर्णित नहीं किया गया। आईटीडी ने निधियों का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंक खातों की जांच नहीं की। इसके अलावा, प्रविष्टि प्रदाताओं की संवीक्षा के बहु उद्देश्य को विफल करने वाली नामंजूरी करने के लिए लाभार्थियों के एओज को फर्जी बिक्री पर सूचना नहीं दी गई।

मै. सिद्धपाठ ट्रेडिंग प्रा. लि. के मामले में, उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था तथा इसे श्री अभिषेक एस. मोरार्का, मै. उत्कंठा ट्रेडिंग प्रा. लि. के निदेशक द्वारा जनवरी 2010 में एमएसटीडी को दिए गए उस प्रमाण हलफनामे पर ध्यान दिए बिना दिया गया था जिसमें यह उल्लेख था कि मै. सिद्धपाठ ट्रेडिंग (प्रा.) लि. सहित अन्य कम्पनियों के साथ कम्पनी वास्तविक बिक्री अथवा खरीद के बिना संयोजन बीजक दे रही थी जिससे यह प्रमाणित हुआ कि कम्पनी संयोजन प्रविष्टियां देने में लगी हुई थी। इस स्पष्ट प्रमाण के बावजूद, निर्धारिती ने लाभार्थियों को अपनी आय घटाकर कर से बचने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए नि.व. 2009-10 में ₹ 176.18 करोड़ की संयोजन

95 एमवीएटी का नियम 9

प्रविष्टियां दी थी परन्तु आईटीडी ने निर्धारिती के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। नि.व. 2009-10 के लिए निर्धारण कालबाधित हो गया जिसके फलस्वरूप राजस्व की हानि हुई। आगामी नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 में, आईटीडी ने लेखापरीक्षा के मामले में कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की। नि.व. 2012-13 जिसमें ₹ 48.63 करोड़ की संयोजन प्रविष्टियां सम्मिलित थी, के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है।

5.7.2 एमएसटीडी ने मै. कलरशॉप ट्रेडिंग (प्रा.) लि. (पैन ACCC6822H) को एक हवाला डीलर के रूप में घोषित किया। कम्पनी के निदेशक श्री राजीव राजेन्द्र मोदी तथा श्री राजेन्द्र भाई मोदी पांच अन्य कम्पनियों में भी निदेशक थे। नि.व. 2012-13 का निर्धारण महज ₹ 1.33 करोड़ अर्थात्, ₹ 266.08 करोड़ की बिक्री के 0.50 प्रतिशत की अभिवृद्धि कर के 20 मार्च 2015 को धारा 144 के तहत पूर्ण किया गया। आईटीडी ने यह जानने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की कि अन्य सहयोगी कम्पनियों का निर्धारण किया जा रहा था अथवा नहीं। हमने देखा कि मै. ऑरबिट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि. ग्रुप में से केवल एक कम्पनी ने नि.व. 2010-11 के लिए तथा उसके बाद से अपनी रिटर्न फाइल की थी परन्तु फर्जी बीजको के प्राप्तकर्ताओं का पता लगाने के लिए इस कम्पनी का संवीक्षा निर्धारण नहीं किया गया।

5.8 अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं तथा लाभार्थियों के मामले में असमान अभिवृद्धि

हमने देखा कि मध्यवर्ती संस्थाओं तथा लाभार्थियों से संबंधित मामलों में, आईटीडी द्वारा फर्जी खरीदों की अभिवृद्धियों तथा अननुमतियों में सामंजस्य का अभाव था।

5.8.1 मै. देव स्टील (पैन-AADFD9093M) ने मै. यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि. को ₹ 108.61 करोड़ के संयोजन बिल दिए थे जिसके लिए एओ ने अन्वेषण विंग द्वारा परामर्शित पांच प्रतिशत के प्रति दो प्रतिशत (नि.व. 2006-07 से 2010-11) पर अननुमति की क्योंकि निर्धारिती द्वारा दर्शाया गया 1.54 का जीपी अनुपात बहुत कम था।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि धारा 263 के तहत आदेश नि.व. 2006-07 से 2010-11 तक के लिए पारित किया गया है तथा नया निर्धारण दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

5.8.2 श्रीमति सुमन विजय गुप्ता (पैन-AHQPG6220P) के मामले में, एओ ने नि.व. 2010-11 के दौरान ₹ 2.70 करोड़ की फर्जी खरीद के ₹ 67.52 लाख अर्थात् केवल 25 प्रतिशत को अस्वीकृत किया था (मार्च 2013)। हालांकि ऐसे ही एक मामले में, एओ ने फर्जी खरीद की कुल राशि को अस्वीकृत किया। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2014)।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि नि.व. 2010-11 के लिए धारा 153ए के तहत कार्रवाई प्रक्रियागत थी तथा इसे लेखापरीक्षा द्वारा यथाइंगित ₹ 2.70 करोड़ की कुल फर्जी खरीद को नामंजूर करके 31.12.2016 तक पूरा किया जाएगा।

5.8.3 एक मध्यस्थ के रूप में श्री मोहित जैन (पैन-AFAPJ6477R) ने हवाला पार्टियों से ₹ 9.69 करोड़ के फर्जी बिल प्राप्त किए थे तथा बाद में उन्हें रेडीमेड स्टील इंडिया लि. को अग्रेषित किया जिसने इसे वास्तविक लाभार्थियों को दिया। एओ ने ट्रेडिंग संबंधित मामले में समान्य तौर पर अपनाई जा रही 12.50 प्रतिशत के प्रति बिक्री (नि.व. 2010-11) के तीन प्रतिशत पर सकल लाभ का आकलन किया। एओ ने रेडीमेड स्टील के एओ को मामला सूचित भी नहीं किया ताकि अस्वीकृति की कमी को पूरा किया जा सके।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (16 नवम्बर 2016) कि निर्धारित अवास्तविक बिलों के प्रविष्टि प्रदाताओं के लिंक का केवल एक भाग था तथा मै. रेडीमेड स्टील इंडिया लिमिटेड के लिए अपने द्वारा व्यवस्थित बिलों का स्व लाभार्थी नहीं था। निर्धारित ने वर्ष के दौरान अपने द्वारा जारी फर्जी बिलों की राशि पर 1.56 प्रतिशत का जीपी घोषित किया था। इस प्रकार निर्धारण आदेश में एओ द्वारा की गई तीन प्रतिशत की अस्वीकृति के अतिरिक्त इस आधार पर ऐसी कोई अतिरिक्त नामंजूरी उचित रूप से नहीं की जा सकती। हालांकि विभाग ने बोर्ड के अनुदेश के मद्देनजर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी और मै. रेडीमेड स्टील इंडिया लि. के साथ निर्धारित के संव्यवहारों को नामंजूर किया था जो पूर्ण रूप से लगभग ₹ 5.75 करोड़ हैं।

यह उत्तर निम्नलिखित कारणों से मान्य नहीं था:

- (i) सामान्यतः व्यापार संबंधित मामलों में, विभाग 12.5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि कर रहा है जबकि इस मामले में की गई अभिवृद्धि केवल 3 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा का उद्देश्य विभाग की विसंगति को दर्शाना था।

- (ii) आदर्शतः फर्जी प्रविष्टि प्रदाता के रूप में निर्धारिती की पहचान करने वाले विभाग को इन फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाकर कमी को पूरा करना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड से यह पता नहीं चला कि विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया था।

5.8.4 मै. सिद्धिविनायक मार्केटिंग (पैन-ABGFS8797K) तथा मै. रवि रियटर्स (पैन-AAEFR0239C) ने तीन हवाला डीलरो से ₹ 6.86 करोड़ तथा ₹ 7.21 करोड़ की फर्जी खरीद की थी परन्तु एओ ने कोई अभिवृद्धि नहीं की (नि.व. 2011-12)।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि यह सुनिश्चित करने योग्य नहीं था कि फर्जी खरीद के संबंध में सूचना को अधिनियम की धारा 263 के तहत अदेश पारित करते समय रिकॉर्ड में उपलब्ध कराया गया। उचित समय में उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा का मत है कि मै. सिद्धिविनायक मार्केटिंग के मामले में, निर्धारण फाइलो में यह साक्ष्य दर्ज था कि आईटीडी ने बिक्री कर विभाग से फर्जी खरीद के विषय में अपेक्षित सूचना प्राप्त की थी। हालांकि आईटीडी ने कोई अभिवृद्धि अथवा नामंजूरी नहीं की। आईटीडी को सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। संयोजन प्रविष्टि प्रदाता (इस मामले में द उत्कंठा ग्रुप) का निर्धारण उपयोग विवरण प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में किया जाना चाहिए तथा प्रविष्टि प्रदाताओं से निधियों की वापसी सहित सभी प्रमाणों को उद्धृत करने के पश्चात लाभार्थियों द्वारा की गई खरीदों को नामंजूर करने के लिए कथित प्रमाण का उपयोग किया जाना चाहिए। संबंधित एओज के बीच समन्वय तथा उचित डाटा शेयरिंग में कमी के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को राजस्व की हानि होगी। रवि रियलटर्स के मामले में, इसे मार्च 2015 में लेखापरीक्षा में बताए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

5.9 संदेहास्पद खरीदों के अन्य अनुपालन मामले

हमने संदेहास्पद खरीदों के विविध मामले देखे जहां आईटीडी ने कोई नामंजूरी नहीं की अथवा वह सही नामंजूरी करने में विफल हुआ। पांच मामले नीचे दिए गए हैं:

5.9.1 मै. श्री राम अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (पैन-AACCS0454P), के मामले में, एओ ने सर्वेक्षण कार्य (फरवरी 2013) के दौरान बताई गई फर्जी खरीदो के कारण नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान ₹ 38.43 करोड़ की कुल राशि को नामंजूर किया (मार्च 2014) तथा इसकी कटौती चालू कार्य से की गई थी। परन्तु आगामी नि.व. 2011-12 में इसकी कटौती चालू कार्य से नहीं की गई।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि निर्धारिती लेखांकन की प्रतिशतता पूर्णता प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा था तथा नि.व. 2012-13 में केवल राजस्व की पहचान हुई है, चूंकि परियोजना 30 प्रतिशत से कम पूरी हुई थी। इसलिए, हालांकि अंतिम डब्ल्यूआईपी को नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए निर्धारण आर्डर में की गई नामंजूरी को ध्यान में न रखकर प्रतिकूल रूप से निकाला गया तथापि, इसमें संबंधित निर्धारण वर्ष अर्थात् नि.व. 2011-12 की आय पर कोई राजस्व प्रभाव नहीं है क्योंकि नि.व. 2011-12 में कोई बिक्री नहीं हुई तथा राजस्व को कथित निर्धारण वर्ष में निर्धारित नहीं किया गया। फलस्वरूप, जब नि.व. 2012-13 में राजस्व को निर्धारित किया गया तो अन्तिम डब्ल्यूआईपी को नि.व. 2009-10 से नि.व. 2012-13 में की गई नामंजूरी को ध्यान में रखकर सही प्रकार से निकाला गया। हालांकि, नि.व. 2011-12 हेतु निर्धारण आदेश में असावधानी से हुई चूको को सही करने के लिए, आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि अंतिम डब्ल्यूआईपी सही प्रकार से परिलक्षित हो।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग ने पिछले निर्धारणों में डब्ल्यूआईपी में कमी पर विचार किए बिना नि.व. 2011-12 के मामले का निर्धारण किया। यह इस तथ्य का सूचक था कि विभाग ने निर्धारण आर्डर बनाते समय अपने स्वयं के रिकॉर्ड को परस्पर सम्बंधित नहीं किया। यह नहीं कहा जा सकता कि चूक में कोई कर प्रभाव नहीं था। यदि लेखापरीक्षा में यह मामला नहीं उठाया गया तो निर्धारिती आगामी नि.व. में डब्ल्यूआईपी में फर्जी खरीदो को सम्मिलित करके करयोग्य लाभ को कम करने में सक्षम होगा।

5.9.2 मै. इरिका हेल्थकेयर प्राइवेट लि. (पैन-AABCN5831E) ने 4 हवाला डीलरो से ₹ 18.35 करोड़ की खरीद की थी। एओ ने इस आधार पर कोई अभिवृद्धि नहीं की (मार्च 2013) कि निर्धारिती ने सर्कुलर ट्रेड किया था जिसमें कर के लिए ₹ 37.89 लाख दिए गए थे (नि.व. 2010-11)। हालांकि, हमने यह देखा कि वास्तव में निर्धारिती ने हवाला पार्टियों के साथ सर्कुलर प्रविष्टियों के माध्यम से ₹ 1.99 करोड़ की हानि बुक की थी।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया है, संवीक्षा कार्य प्रक्रियाधीन है, अंतिम रिपोर्ट संवीक्षा के पूर्ण होने पर प्रस्तुत की जाएगी।

5.9.3 मै. गापाल कृष्णा पेपर्स प्रा. लि.(पैन-AAACG3597M) ने दो हवाला परिचालकों से ₹ 4.89 करोड़ की खरीद की थी। एओ ने नि.व. 2010-11 से संबंधित निर्धारण आर्डर में कोई नामंजूरी नहीं की हालांकि निर्धारिती ने ₹ 4.89 करोड़ की खरीद के प्रति केवल ₹ 79.46 लाख की बिक्री की। निर्धारिती ने विविध देनदारों में समायोजन करके ₹ 2.77 करोड़ की देयता तथा कोई ठोस कारण दिए बिना अप्रतिभूति ऋणों को समाप्त किया।

5.9.4 मै. इंडिगो एजुटेनमेंट प्रा.लि.(पैन-AABCI2949E), के मामले में, आईटीडी ने लेखाओं में दर्ज ₹ 42.13 करोड़ की वास्तविक राशि के बजाय जाली कम्पनी मै. डाटाबेस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. से ₹ 16.18 करोड़ की अघोषित खरीद (नि.व. 2008-09) की अभिवृद्धि की (मार्च 2014)। इस प्रकार, ₹ 25.95 करोड़ का कम निर्धारण हुआ। इसके अलावा दो कम्पनियों मै. बसन्त मार्केटिंग प्रा.लि. तथा मै. हिमाचल फूटूरीसटीक कम्यूनिकेशन लि. से कुल ₹ 82.05 करोड़ की फर्जी खरीद को नामंजूर नहीं किया गया।

मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि धारा 143(3) /263 के तहत आर्डर अघोषित खरीदों के ₹ 112.97 करोड़ की अभिवृद्धि करके 18.03.2016 को पारित किया गया है।

5.9.5 मै. सिद्धार्थ प्रफुल मेहता (पैन-AEXPM2847Q), के मामले में, नि.व. 2010-11 के लिए फर्जी खरीदों की संगणना करते समय, आईटीडी ने नि.व. 2009-10 के दौरान हवाला परिचालकों से खरीद के प्रति एमएसटीडी द्वारा सूचित ₹ 3.78 करोड़ की बजाय नि.व. 2008-09 से संबंधित ₹ 1.40 करोड़ की खरीद को गलती से नामंजूर किया (मार्च 2013)।

यह अस्वीकृति भी वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु एमएसटीडी द्वारा रिपोर्ट किये गये आंकड़ों के अनुरूप नहीं थी और नि.व. 2009-10 के लिए भी सुधारात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी।

मंत्रालय ने यह कहते हुए प्रेक्षण स्वीकार किया (20 सितम्बर 2016) कि धारा 154 के अंतर्गत आदेश 21.11.2013 को पारित किया गया जिसमें खरीद ₹ 1.40 करोड़ की बजाय ₹ 3.78 करोड़ ली गई थी।

5.10 अपील में अपास्त किए गए संवर्धन

हमने आईटीएटी द्वारा निर्णीत 25 मामलों का विश्लेषण किया (परिशिष्ट 5.2) और देखा कि 18 मामलों में किये गये परिवर्धन अपास्त कर दिए गए थे। तीन मामले पुनः निर्णय हेतु वापस किये गये थे और चार मामलों में परिवर्धन अवास्तविक खरीद के 6 से 20 प्रतिशत की रेंज में आंशिक रूप से कायम रहा। परिवर्धन पर ध्यान देने का मुख्य कारण यह था कि परिवर्धन कोई भी स्वतंत्र जांच या विस्तृत जांच किये बिना केवल एमएसटीडी से प्राप्त जानकारी के आधार पर था।

परिवर्धनों को स्थापित करने के लिये राज्य कर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के प्राधिकारियों के साथ समन्वय में अवास्तविक लेन-देन की पूरी श्रृंखला कवर करने वाली जांच समीक्षा प्रक्रिया और साक्ष्य एकत्र करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये उचित दिशानिर्देशों/निर्देशों के अभाव के परिणामस्वरूप वे टिक नहीं पाए और उन्हें अपील में अपास्त कर दिया गया।

मंत्रालय ने कहा (20 सितम्बर 2016) कि अवास्तविक खरीद, हवाला लेन-देन आदि शुरू करने की प्रथा से निपटने और नियंत्रित करने के लिये आयकर अधिनियम में पर्याप्त उपाय हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यवाही करने के लिये क्षेत्रीय प्राधिकारियों के लिये प्रभावी निगरानी की आवश्यकता होगी। सूचना और चूककर्ता से सर्वोत्तम संभव तरीके से निपटने के साथ-साथ सूचना एकत्र करने और सूचना का आदान प्रदान करने में बेहतर समन्वय हेतु क्षेत्रीय आर्थिक खुफिया जाँच समिति (आरईआईसी) का गठन किया गया है। ऐसी जानकारी से निपटने के लिये कोई समान कानून नहीं हो सकता और उनसे निपटने के लिये कानून में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। तकनीक और विशेष वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों की प्रगति के साथ कार्यवाही योग्य सूचना में बाधा को हटाया जा रहा है। उचित मामलों में जुर्माने की वसूली और अभियोजन शुरू करने से संबंधित प्रावधान हैं। प्रभावी निगरानी इस समस्या से भी निपट लेगी।

तथापि, लेखापरीक्षा निष्कर्ष मंत्रालय के आशापूर्ण दृष्टिकोण की पुष्टि नहीं करते क्योंकि विभाग ने एमएसटीडी से प्राप्त जानकारी के बाद कोई भी अर्थपूर्ण जांच नहीं की और साक्ष्य जिसे अपीलीय फोरम में वैध ठहराया जा सके प्रस्तुत किये बिना केवल ऐसी जानकारी के आधार पर परिवर्धन किया।

5.11 निष्कर्ष

एमएसटीडी द्वारा पब्लिक डोमेन में दर्शाई गई खरीद और अवास्तविक बिक्री के मामले में विशिष्ट संदर्भ में काले धन की उत्पत्ति और बेहिसाब आय को न बताने से निपटने के लिए आईटीडी के तरीके की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि विभाग के नियंत्रण में उपलब्ध साधनों का कोई भी प्रभावी उपयोग नहीं किया गया है। विभाग ने अवास्तविक खरीद हेतु समायोजन प्रविष्टियाँ देने से जुड़ी एमएसटीडी की सूची में प्रदर्शित सभी निर्धारितियों की संवीक्षा भी नहीं की। अवास्तविक खरीद से संबंधित जानकारी उन एओज़ जो लाभार्थियों का मूल्यांकन कर रहे थे को उस समय नहीं दी गई जब प्रविष्टि प्रदाता का निर्धारण किया गया था। मौजूदा प्रावधान निवारक के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि समायोजन प्रविष्टियाँ देने और प्राप्त करने हेतु कोई हतोत्साहन नहीं हैं। स्थापित कम्पनियों ने भी अवास्तविक खरीद प्राप्त करने की प्रथा का सहारा लिया जो दर्शाता है कि साक्ष्य एकत्र करने और उस पर कार्यवाही करने के लिये वर्तमान प्रणाली प्रभावी नहीं है। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी पूर्ण नहीं है और जानकारी चुनिन्दा आधार पर प्रयोग की जा रही थी और कई निर्धारित विभाग से कोई भी कार्यवाही किये बिना सजा मुक्त हो जाते हैं। तदर्थ अस्वीकृति करने की वर्तमान प्रणाली ऐसी अवास्तविक बिक्री और खरीद⁹⁶ के माध्यम से सिर्फ काले धन को उत्पन्न करेगी।

96 26 सितम्बर 2014 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत, डॉ पार्थसारथी शोमे की अध्यक्षता में कर प्रशासन सुधार सुधार समिति की दूसरी रिपोर्ट।

अध्याय VI: आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्य पद्धति

6.1 प्रस्तावना

आयकर विभाग (आईटीडी) में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और विस्तार का निर्धारितियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि, राजस्व वसूली और परिणामस्वरूप आईटीडी के कार्य की मात्रा में वृद्धि से तालमेल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप आईटीडी के सुचारु कार्य संचालन में लंबे समय में मूल सुविधाओं में गंभीर कमियाँ उत्पन्न हुई।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने स्थिति की जांच और सुधार के लिये तरीके और उपाय बताने हेतु नवम्बर 2002 में तीन सदस्यों की संरचना पर कार्य दल (टीआईएफ) बनाया। टीआईएफ ने जून 2003 में सीबीडीटी को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में नोट किया कि आईटीडी की आवश्यकताएँ काफी अधिक बढ़ गई हैं। करदाताओं की संख्या में अधिक वृद्धि से व्यय बजट के साथ-साथ भौतिक संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त, आधुनिक तकनीक के अधिक प्रयोग से व्यापार प्रक्रिया की पुनर्रचना, जनशक्ति की पुनः तैनाती, श्रमबल के कौशल का उन्नयन और उनका गहन प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया था। कार्यालय का नक्शा जो मैनुअल स्थिति में कार्य करने के लिये बनाया गया था, वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं लग रहा था। यद्यपि मौजूदा संरचना पर मांग की काफी वृद्धि हुई थी, परन्तु संरचना का सुधार पीछे रह गया था। टीएफआई ने संरचना में कमियों को पूरा करने हेतु कई उपाय बताये।

इस पृष्ठभूमि में, सीबीडीटी के अंतर्गत निदेशालय संरचना (निदेशालय) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का दिनांक 21 नवम्बर 2005 को गजट अधिसूचना के माध्यम से गठन किया गया था। निदेशालय आईटीडी हेतु निर्माण कार्यक्रम बनाने के लिये और अखिल भारतीय आधार पर उनके क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है, जिसमें निवास की अनुसूची बनाने सहित प्रत्येक प्रस्ताव की जांच, योजना और अनुमान की समीक्षा और सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना शामिल हैं। निदेशालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में प्रस्तावों की समीक्षा, निर्माण के संबंध में बजट प्रस्ताव को अंतिम रूप देने, बिल्डिंग की खरीद के लिये भी उत्तरदायी है। विभागीय बिल्डिंग की मरम्मत और छोटे कार्य, कार्यालय/कार्यालय सहित आवासीय आवास किराये पर लेने, प्रतिस्थापना सहित आईटीडी हेतु वाहनों की खरीद

और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्तावों की जांच भी निदेशालय द्वारा की जा रही थी।

निदेशालय को एडीजी (संरचना)-I, एडीजी (संरचना)-II और एडीजी (संरचना)-III की अध्यक्षता में तीन विंगों में विभाजित किया गया है। एडीजी (संरचना)-I कार्यालय बिल्डिंग को किराये पर लेने सहित अखिल भारतीय संरचना परियोजना के लिये उत्तरदायी है। एडीजी (संरचना)-II पूँजी और राजस्व बजट के आबंटन सहित अखिल भारतीय बजट हेतु उत्तरदायी है। एडीजी (संरचना)-III विभिन्न अध्ययन के आयोजन और परिणाम संरचना दस्तावेज के लिये उत्तरदायी है।

6.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये आयोजित की गई थी कि क्या:

क) आईटीडी के संरचना मैनुअल और सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में शामिल निर्देशों का आईटीडी में संरचना के विकास से संबंधित कार्य की योजना और निष्पादन के दौरान पालन किया गया था;

ख) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के प्रावधान और आईटीडी के निर्देशों का सार्वजनिक धन खर्च करते समय पालन किया गया था।

6.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निदेशालय के कार्य के मूल्यांकन हेतु मानदंड के निम्नलिखित स्रोतों पर विश्वास किया गया था:

क) निदेशालय संरचना द्वारा जारी संरचना मैनुअल।

ख) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005

ग) समय-समय पर मंत्रालय/सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश।

घ) सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल

6.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

इस लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि कवर की गई है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सभी स्वीकृत, पूर्ण के साथ-साथ चालू परियोजनाओं की जांच की गई थी। इस लेखापरीक्षा में निदेशालय और प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी के कार्यालयों जहां पर निर्माण कार्य चल रहे थे, के अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच शामिल है। अपेक्षित 838 फाइलों/अभिलेखों में से, आईटीडी ने 712 रिकॉर्ड प्रस्तुत किये, जिनकी लेखापरीक्षा में जांच की गई थी। आईटीडी ने शेष 126 फाइले/अभिलेख (15 प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं किये।

6.5 परियोजनाओं की योजना और निष्पादन

6.5.1 भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव के साथ पूर्ण जानकारी प्रस्तुत न करना

प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी द्वारा भूमि की खरीद हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को उचित समय के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिये। 'संरचना मैनुअल' (मैनुअल) का पैरा 2.4 निर्धारित करता है कि जगह की आवश्यकता की निर्धारित शर्तों के अनुसार गणना करनी चाहिये, भूमि की खरीद हेतु पूर्ण औचित्य दिया जाना चाहिये और अपेक्षित प्रमाणपत्र/जांच सूची को प्रस्ताव के साथ प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये। मैनुअल⁹⁷ निर्धारित करता है कि भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि की उचितता की बारे में सीपीडब्ल्यूडी से प्रमाण पत्र भी होना चाहिये, जिसमें स्थलाकृति, आकार, सुगम्यता, आवश्यक मूल संरचना जैसे पानी, बिजली, सीवर आदि जो प्लॉट की उपयुक्तता को प्रभावित करते हैं, की उपलब्धता शामिल है। निर्धारित जांच सूची के अनुसार, प्रस्ताव के साथ जिला/स्थानीय प्राधिकारी का गैर-बाधा का प्रमाणपत्र भी होना चाहिये। मैनुअल में अपेक्षित है कि एसएफसी/सीएनई⁹⁸ जापन (₹ 20 करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव के लिए) भी प्रस्ताव के साथ भेजा जाना चाहिये।

11 राज्यों⁹⁹ में 17 कमिश्नरियों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के 21 प्रस्तावों में लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी ने सभी पहलुओं में पूर्ण प्रस्ताव नहीं भेजे (परिशिष्ट 6.1)। सीसीआईटी द्वारा प्रमाण-पत्र, जांच सूची, प्रमाणित ले आउट प्लॉन, ऑफर की वैधता की अवधि आदि सहित

97 आईटीडी के संरचना मैनुअल का परिशिष्ट XVI(बी)

98 एसएफसी-स्थाई वित्तीय समिति, सीएनई-गैर-योजना व्यय हेतु समिति

99 चंडीगढ़-1, छत्तीसगढ़-1, गुजरात-1, हरियाणा -2, झारखंड-3, महाराष्ट्र-3, मध्यप्रदेश-3, राजस्थान-2, तमिलनाडु-2, उत्तर प्रदेश-2, उत्तराखंड-1

अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्ताव के साथ नहीं भेजे गये थे। परिणामस्वरूप इन प्रस्तावों को क्लियर नहीं किया जा सका और निदेशालय में लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन 21 प्रस्तावों में से, 13 प्रस्ताव एक वर्ष से नौ वर्ष तक की अवधि के लिये लंबित थे जिसमें से आठ प्रस्ताव दो से पांच वर्ष पुराने थे और दो प्रस्ताव सात वर्ष से अधिक पुराने थे।

केवल भूमि अधिग्रहण के प्रारंभिक स्तर पर ही उचित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएण्डईएस) की सहमति में विलम्ब हुआ।

6.5.2. भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की खराब समीक्षा

लेखापरीक्षा ने 16 राज्यों¹⁰⁰ में 25 कमिश्नरियों से संबंधित 54 मामले देखे (परिशिष्ट 6.2) जहां आईटीडी ने मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किये बिना 1973 से 2014 की अवधि के दौरान भूमि का अधिग्रहण किया था जिसके परिणामस्वरूप यह अनुपयुक्त पड़ी रहीं। जांच से पता चला कि प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में कमियों के बावजूद, निदेशालय ने भूमि अधिग्रहण हेतु एएण्डईएस दिया। इसके परिणामस्वरूप भूमि का उपयोग नहीं हुआ जिससे भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। तीन मामलों के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

6.5.2.1 फाइनेंस सिटी, बेंगलुरु में भूमि - भूमि का अधिग्रहण जहाँ मूल सिविल संरचना नहीं थी और परिणामस्वरूप उपयोग नहीं हुआ

डीआईटी(1) द्वारा कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु, पट्टे के साथ बिक्री आधार पर मैसर्स आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) द्वारा नई विकसित फाइनेंस सिटी परियोजना, देवनहल्ली, निकट बेंगलुरु ग्रामीण जिला में दो एकड़ भूमि की खरीद हेतु प्रधान सीसीआईटी, बेंगलुरु का ₹ 7.50 करोड़ की लागत का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था (जनवरी 2013)। आधिपत्य प्रमाण-पत्र मैसर्स आईआईडीएल को राशि का भुगतान करने के बाद और ₹ 18.83 लाख के स्टॉप शुल्क का भुगतान करने के बाद अक्टूबर 2013 में पट्टे सहित बिक्री करार पंजीकृत करा कर प्राप्त किया गया था। बाद में विभाग ने पानी, बिजली आदि जैसी मूल सुविधाओं की गैर उपलब्धता के कारण निर्माण बंद करने का निर्णय लिया (मई 2014)।

100 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना-3, असम-2, बिहार-3, दिल्ली-1, गोवा-3, गुजरात-6, हरियाणा-5, झारखंड-2, कर्नाटक-2, महाराष्ट्र-4, मध्य प्रदेश-1, ओडिशा-5 राजस्थान-4, उत्तर प्रदेश-4, उत्तराखंड-1 और पश्चिम बंगाल-8

इस प्रकार, प्रधान सीसीआईटी/निदेशालय ने मैनुअल में दिये गये भूमि अधिग्रहण दिशानिर्देश की अनदेखी की और नये विकसित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की, जहां मूल सिविल संरचना सुविधाएँ अभी प्रदान की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप भूमि का उपयोग नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप उद्देश्य अर्थात कार्यालय क्षेत्र में भारी कमी को पूरा करना पूर्ण नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त, प्रधान सीसीआईटी, बेंगलुरु ने पट्टे सहित बिक्री करार विलेख के निष्पादन हेतु स्टॉप शुल्क के प्रति ₹ 18.83 लाख का भुगतान किया यद्यपि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 285(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त है जो कर के भुगतान से संघ सरकार को छूट देता है।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि यह निष्फल निवेश का मामला नहीं था क्योंकि भूमि पर निवेश करने से भविष्य में मूल्य बढ़ेगा और इसके अतिरिक्त भूमि बेंगलौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप थी। उत्तर आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में न रखते हुये भूमि अधिग्रहण के निर्णय को तर्क संगत ठहराने का कमजोर प्रयास है। इस बीच, विभागीय कार्यालय किराये की बिल्डिंग से कार्य करते रहे।

6.5.2.2 साकेत नई दिल्ली में भूमि-अनअधिकृत कब्जे वाली भूमि का अधिग्रहण और परिणामस्वरूप उपयोग न होना

प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से ₹ 15.30 करोड़ की लागत पर साकेत, नई दिल्ली में 2100 वर्ग मीटर भूमि खरीदी (फरवरी 1997), जिसे बाधाओं के कारण 1320 वर्ग कर दिया गया था। यह भूमि बिना यह जांच किये कि भूमि पर कोई अनअधिकृत कब्जा नहीं है, जो भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव हेतु, मैनुअल के अनुसार मूल आश्वासन है, खरीदी गई थी। डीडीए ने आईटीडी को बाधा की भरपाई करने के लिये बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी।

प्रधान सीसीआईटी ने भूमि पर कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु सीपीडब्ल्यूडी से सम्पर्क किया लेकिन सीपीडब्ल्यूडी ने भूमि के छोटे आकार के कारण कार्य करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद, प्रधान सीसीआईटी ने भूमि पर कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु अनुमान के लिये एनबीसीसी से सम्पर्क किया। एनबीसीसी ने ₹ 54.70 करोड़ की कुल लागत पर फर्नीचर और फिकचर्स सहित कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु मई 2008 में अपना विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर निदेशालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस प्रकार 18 वर्ष से अधिक समाप्त होने के बाद भी निदेशालय

को कार्यालय स्थल के निर्माण हेतु तौर-तरीके की योजना बनानी थी। जिसके परिणामस्वरूप भूमि का उपयोग नहीं हुआ और कार्यालय स्थल किराये पर लेने से किराये का खर्च और ऐसी जगह जिसे असुरक्षित घोषित किया गया है अर्थात् मयूर भवन, पर कार्यालय क्रियाशील रहा। निर्माण की शुरुआती लागत जो ₹ 54.70 करोड़ थी (मई 2008), बढ़कर ₹ 71.31 करोड़ (फरवरी 2015) हो गई जो निर्माण शुरू होने के समय तक और बढ़ सकती है।

विभाग ने कहा (मई 2016) कि विलम्ब का मुख्य कारण सीपीडब्ल्यूडी था जिसने परियोजना में कोई रुचि नहीं दिखाई और कई आपत्तियां उठाई जैसे (i) प्लॉट का आकार कम होने से अपर्याप्त बेसमेंट पार्किंग होगी, (ii) केन्द्रीकृत रूप से वातानुकूलित बिल्डिंग का निर्माण संभव नहीं है, (iii) महंगे बाहुधरन निर्माण की सहायता लेनी पड़ेगी, आदि। इसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव में संशोधन हुआ। बाद में, एनबीसीसी से कार्य करवाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद, यह निर्णय लिया गया कि मामले को वित्त मंत्री द्वारा आरएसआरआई (राजस्व सेवा अनुसंधान संस्थान) पर अंतिम निर्णय लेने तक लंबित रखा जाये। विभाग ने प्रक्रियागत औपचारिकताओं को भी निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब का कारण बताया और यह कि ऐसे प्रक्रियागत विलम्ब सरकारी परियोजनाओं में अक्सर देखे जा सकते हैं।

विभाग का उत्तर अति सामान्य और अस्पष्ट है और भूमि अधिग्रहण करते समय उचित निर्णय न लेने और उसके बाद 18 वर्ष से अधिक तक मामले को लंबित करने के लिये कोई भी उचित तर्क नहीं देता है। यह स्पष्ट रूप से मामले को निपटाने में विभाग का लापरवाह दृष्टिकोण दर्शाता है।

6.5.2.3 पहुँचने का मार्ग सुनिश्चित किये बिना स्थलरूढ़ संपत्ति की खरीद

सीसीआईटी पणजी, गोवा को गोवा सरकार द्वारा 3130 वर्ग मीटर भूमि आबंटित की गई थी, जिसका कब्जा अप्रैल 2000 में लिया गया था। सीसीआईटी ने कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा (नवम्बर 2000)। निदेशालय ने 961 वर्ग गज में कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रस्ताव को करीब छह वर्ष समाप्त होने के बाद स्वीकृत किया (अगस्त 2006)। ले आउट प्लान तैयार करते समय सीपीडब्ल्यूडी ने देखा कि भूमि का कोई पहुँच मार्ग नहीं है। पहुँच मार्ग हेतु भूमि का मार्च 2016 तक भी अधिग्रहण किया जाना बाकि था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार से भूमि प्राप्त करते समय और बिल्डिंग का प्रस्ताव स्वीकृत करते समय, सीसीआईटी, पणजी और निदेशालय यह देखने में विफल रहे कि ली जा रही भूमि का कोई पहुँच मार्ग नहीं है, जिसके

परिणामस्वरूप अधिग्रहण के 16 वर्षों के बाद भी भूमि उपयोग में नहीं आई। इसके अतिरिक्त, विभाग का कार्यालय किराये के परिसर में क्रियाशील रहा जो परिहार्य था।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि वो गोवा सरकार के साथ मामले का समाधान निकाल रहा था जो इस तथ्य से अलग नहीं है कि अधिग्रहण स्तर पर प्रस्ताव की खराब समीक्षा हुई थी।

परियोजनाओं की योजना और खाका तैयार करने के स्तर पर उचित निर्णय लेने में निदेशालय की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप भूमि का अधिग्रहण हुआ जो अति आवश्यक कार्यालय स्थल के निर्माण हेतु प्रयोग के लिये अनुपयुक्त थी।

6.5.3 कार्यालय और आवासीय बिल्डिंगों के निर्माण में कमियां

मैनुअल के पैरा 3.1 में विस्तृत अनुमान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार करने हेतु भेजने से पूर्व अधिक समय/लागत से बचने के लिये अनुमान तैयार करते समय प्रस्तावित स्पेशिफिकेशन्स/विशेष विवरणों को निश्चित करने ड्राइंग/डिजाइन बनाने के स्तर पर सीपीडब्ल्यूडी के साथ निकट संपर्क रखना, अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने कार्य के निष्पादन में 21 राज्यों¹⁰¹ में 27 सीसीआईटी के अंतर्गत विभिन्न कमियों वाले अर्थात् उपरोक्त के गैर-अनुपालन के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब और परिणामस्वरूप अधिक लागत, परिहार्य भुगतान और अभिलेखों का रखरखाव करना/अनुचित रखरखाव आदि के 54 मामले देखे। इन मामलों में ₹ 287.07 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहितार्थ था। दो मामलों के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

6.5.3.1 स्पेशिफिकेशन्स के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता और निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि

प्रभार: प्रधान सीसीआईटी पश्चिम बंगाल और सिक्किम

आयकर भवन, शांति पालि में पूर्वा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कार्यालय बिल्डिंग और आरटीआई/कार पार्क के निर्माण हेतु कार्य ₹ 35.12 करोड़ के प्रारंभिक अनुमान पर स्वीकृत किया गया था (नवम्बर 1998)। कार्य, जो मार्च 2005 (प्रशासनिक खण्ड) और मार्च 2006 (आरटीआई/कार पार्क) तक पूर्ण

101 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना-2, असम-2, चंडीगढ़-1, छत्तीसगढ़-1, दिल्ली-2, गोवा-1, गुजरात-3, हरियाणा-1, हिमाचल प्रदेश-3, जम्मू और कश्मीर-2, कर्नाटक-3, केरल-2, महाराष्ट्र-7, मध्य प्रदेश-3, ओडिशा-2, पंजाब-2, राजस्थान-4, तमिलनाडु-1, त्रिपुरा-1, उत्तराखंड-1 और पश्चिम बंगाल-10

किया जाना नियत था, क्रमशः अक्टूबर 2012 और अगस्त 2015 में पूर्ण किया गया था। परियोजना की लागत दिसम्बर 2012 में ₹ 60.15 करोड़ संशोधित की गई थी (परियोजना पर वास्तविक व्यय लेखापरीक्षा में निश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि वो विभाग के पास उपलब्ध नहीं था)। कार्य में सात वर्ष से ज्यादा का अधिक समय लगा और ₹ 25.03 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

पूर्ण करने में विलम्ब मुख्य रूप से 2000 तक सीडीओ,सीपीडब्ल्यूडी से पाइल फाउंडेशन कार्य को करने हेतु संरचनात्मक ड्राइंग्स की स्वीकृति लेने, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) से बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता और केएमसी से बहुमंजलीय इमारत की ऊंचाई की लंबित क्लियरेंस, सीसीआईटी द्वारा ड्रेनेज प्रणाली के लिए विलम्ब से फीस जमा करना, ड्राइंग्स/स्पेशिफिकेशन्स में परिवर्तन, प्रगति कार्य की अपर्याप्त निगरानी जो मुख्य रूप से नियंत्रण योग्य थे, में सीसीआईटी, कोलकाता की विफलता के कारण था। सीसीआईटी, कोलकाता और निदेशालय की प्रगति की निगरानी और डिजाइन विशेषताओं को फ्रीज करने में विफलता के परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण करने में विलम्ब हुआ।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि परियोजना पूर्ण करने में विलम्ब उसके नियंत्रण के बाहर था और पूर्ण रूप से कार्यकारी एजेंसी के कारण था। यह भी कहा गया कि विशिष्टताओं में परिवर्तन हेतु लिया गया निर्णय तर्कसंगत था और इसके पूर्व-नियोजित और व्यवस्थित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप किसी भी सरकारी विभाग की सबसे बेहतरीन, आधुनिक और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग का निर्माण हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिल्डिंग की आवश्यकताओं और विशेषताओं को कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण शुरू करने से पूर्व प्रधान सीसीआईटी द्वारा अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार, विशेषताओं को फ्रीज करने और उचित निगरानी में विफलता के परिणामस्वरूप अधिक लागत और समय लगा।

6.5.3.2 निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप बिल्डिंग के निर्माण में विलम्ब हुआ

सीसीआईटी चण्डीगढ़ ने मार्च 2006 में सेक्टर 39-बी, चण्डीगढ़ में सीआईटी रैंक अधिकारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 3008.33 वर्ग गज भूमि खरीदी। निर्माण तीन वर्ष में अर्थात् मार्च 2009 तक पूर्ण किया जाना था।


निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति मार्च 2009 में प्राप्त हुई थी और बिल्डिंग प्लान मार्च 2011 में पीएसी, यूटी, चण्डीगढ़ से अनुमोदित किया गया था और इस प्रकार, निर्माण तब तक भी शुरू नहीं हुआ था जब तक उसका पूर्ण होना अपेक्षित था। आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्य जुलाई 2015 में दिया गया।

निदेशालय/संबंधित सीसीआईटी द्वारा निगरानी और जांच के अभाव के परिणामस्वरूप आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में विलम्ब हुआ और अपेक्षित उद्देश्य के लिये भूमि का उपयोग नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, निर्धारित अवधि के अंदर निर्माण में विलम्ब के कारण, एस्टेट अधिकारी, यूटी, चण्डीगढ़ ने ₹ 1.67 करोड़ का विस्तार शुल्क लगाया।

6.6 वित्तीय प्रबंधन

6.6.1 उपलब्ध बजट का खराब बजटीकरण और उपयोग न होना

2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान पूंजीगत आउटले एम.एच. 4059 - कार्यालय स्थल का अधिग्रहण, एम.एच. 4075 - संपत्ति का अधिग्रहण और एम.एच. 4216 - आवासीय स्थल का अधिग्रहण के अंतर्गत आईटीडी द्वारा वर्ष-वार बजट और वास्तविक व्यय नीचे चार्ट 6.1 में दिया गया है:



निदेशालय समीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में पूर्ण बजट का उपयोग करने में विफल रहा इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे कई प्रस्ताव थे जहां एएंडईएस पहले से दिये गये थे और कई एएंडईएस का इंतजार कर रहे थे। यद्यपि जगह की कमी 2012-13 में 32 प्रतिशत से बढ़ कर 2015-16 में 45

प्रतिशत हो गई, बजटीय आबंटन के उपयोग की प्रतिशतता 2013-14 में 76 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 17 प्रतिशत हो गई।

6.6.2 खराब वित्तीय प्रबंधन

सामान्य वित्तीय नियम 21 में प्रावधान है कि प्रत्येक अधिकारी जो सार्वजनिक धन से व्यय करता है या व्यय प्राधिकृत करता है, को वित्तीय उपयुक्तता के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय आदेश और कड़ी अर्थव्यवस्था का भी पालन करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि सभी उचित वित्तीय नियम और विनियमों का उसके स्वयं के और अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पालन किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने ₹ 246.81 करोड़ की राशि से जुड़ी निधि का उपयोग न करने, सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करने, भूमि की खरीद में अत्यधिक विलम्ब, भूमि की खरीद पर कर की कटौती न करने, लंबित भुगतान पर ब्याज के कारण परिहार्य भुगतान, स्टॉप शुल्क आदि से संबंधित 51 मामले 17 राज्यों¹⁰² में 25 सीसीआईटी में देखे।

6.6.3 सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न करना

सामान्य वित्तीय नियम 220 के अनुसार, कोई भी प्राधिकारी सरकारी खाते से निवेश या जमा करने हेतु व्यय या धन स्थानांतरण से जुड़ी किसी भी देयता में शामिल या कोई व्यय नहीं कर सकता जब तक वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो। इसके अतिरिक्त, नियम 23, के सरकार की वित्तीय शक्तियां समय-समय पर संशोधित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के माध्यम से विभिन्न अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

संरचना मैनुअल के पैरा 1.2 के अनुसार, प्रस्ताव जिनमें अध्यक्ष, सीबीडीटी की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे व्यय की स्वीकृति अपेक्षित हो, दिनांक 6 अप्रैल 2010 के का.जा. संख्या 1(9)/ई-11(ए)/107 के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन से संबंधित निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि तीन मामलों में ₹ 190.33 करोड़ की राशि का व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था, जैसा नीचे तालिका 6.1 में दिया गया है:

102 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना -1, बिहार-6, छत्तीसगढ़-1, दिल्ली-3, गुजरात-6, हरियाणा-4, झारखंड-2, कर्नाटक-3, केरल-2, महाराष्ट्र-3, ओडिशा-2, पंजाब-1 राजस्थान-2, तमिलनाडु-8, उत्तराखंड-1, उत्तर प्रदेश-4 और पश्चिम बंगाल-2

तालिका 6.1: सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न की गई अनुज्ञा का विवरण						
क्र. सं.	विषय	सीसीआईटी प्रभार	राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	किसके द्वारा स्वीकृत
1	नरीमन प्वाइंट, मुंबई में पट्टे पर/ किराये पर कार्यालय स्थल लेना	मुंबई	107.47 (तीन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिये ₹ 2.98 करोड़ प्रतिमाह)	20.3.2015	प्रभारी मंत्री/वित्त मंत्री	राजस्व सचिव
2.	मैसर्स बीवीजी, सिविक सेन्टर दिल्ली का ठेका बढ़ाना	दिल्ली	49.21	24.6.2015	प्रभारी मंत्री	राजस्व सचिव
3.	अतिरिक्त परिचालन वाहनों को किराये पर लेना	सभी प्रधान सीसीआईटी/ डीजीआईटी	33.65	16.01.2015	प्रभारी मंत्री	राजस्व सचिव

विभाग ने उत्तर दिया (मई 2016) कि अतिरिक्त संचालन वाहनों के किराये पर लेने से संबंधित ₹ 33.65 करोड़ की स्वीकृत राशि के मामले में राजस्व सचिव (रा.स.) ने यह माना कि इस मामले को अनुमोदित करने के लिये वो सक्षम प्राधिकारी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.स. से नीचे का पदक्रम मैनुअल के प्रावधानों से पूर्ण रूप से अवगत था और इस पर स्वीकृति हेतु उचित सक्षम प्राधिकारी के बारे में रा.स. को सूचित करना चाहिये था।

6.6.4 पट्टे/किराये पर स्थल लेने में अनियमितता

दिनांक 15.09.2011 के राजस्व विभाग के का.ज्ञा. के अनुसार सीबीडीटी के नियंत्रण के अंतर्गत विभागाध्यक्ष ए-1 और ए श्रेणी शहर में ₹ 3,00,000/- प्रतिमाह और अन्य शहरों में ₹ 1,50,00 प्रतिमाह तक कार्यालय स्थल किराये पर ले सकता है/किराये को पुनः निर्धारित कर सकता है। संरचना मैनुअल के अनुसार, किराया पुनः निर्धारित करने के प्रस्ताव के मामलों जहां पुनः निर्धारित करने के बाद प्रस्तावित किराया विभागाध्यक्ष की वित्तीय सीमा से अधिक हो जाता है, के संबंध में निदेशालय के माध्यम से स्वीकृति हेतु सीबीडीटी को प्रस्तुत करना चाहिये।

लेखापरीक्षा के दौरान, किराये का अनाधिकृत रूप से भुगतान, मानक पट्टा करार के अनुसार किराया निर्धारित न करने, किराये के पुनः निर्धारण/पट्टा करार में विलम्ब, किराये के अधिक भुगतान से संबंधित 32 मामले नौ राज्यों¹⁰³ में 11 सीसीआईटी से संबंधित किराये के पुनः निर्धारण में ₹ 59.57 करोड़ की अनियमितता देखी।

6.6.5 पट्टे करार के पुनः निर्धारण के बिना पट्टे पर स्थान जारी रखना

संरचना मैनुअल का अध्याय 6 निर्धारित करता है कि समान दर पर या संशोधित दर पर पट्टे पर लिये गये परिसर को किराये पर जारी रखने के लिये मूल/मौजूदा किराया करार/विलेख समाप्त होने की तिथि से कम से कम छह माह पूर्व प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिये।

निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 136 मामलों में किराये के पुनः निर्धारण की स्वीकृति एक से 23 वर्षों तक लंबित थी। चालीस पट्टे के मामले 10 वर्षों से अधिक से पुनः निर्धारण हेतु लंबित है, जिसमें से सात मामले 20 वर्ष से पुराने हैं। दो मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है:

6.6.5.1 पट्टा किराये पर अनियमित व्यय

प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत दिल्ली में, विभाग ने पट्टे पर मयूर भवन और झंडेवालान पर परिसर किराये पर लिया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि मयूर भवन और झंडेवालान बिल्डिंग के संबंध में पट्टा करार क्रमशः 30.03.2009 और 07.08.2013 से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु लंबित थे। मयूर भवन के मामले में मौजूदा दर पर किराये का व्यय ₹ 21.31 करोड़ (अप्रैल 2009 से मार्च 2016) और झंडेवालान में ₹ 17.95 करोड़ (सितम्बर 2013 से मार्च 2016) था। इसके अतिरिक्त, पुनः निर्धारण के अंतर्गत पट्टा अवधि हेतु किराये की मौजूदा दर में किसी भी वृद्धि से पूर्वप्रभावी प्रभाव के कारण अतिरिक्त व्यय होगा।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2016) कि पट्टा करार के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 'गैर-उपलब्धता प्रमाणपत्र' और 'किराया उचितता प्रमाणपत्र' आदि प्राप्त करना शामिल है। प्रमाणपत्र 'प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति' प्राप्त करने के लिये डीआईटी (संरचना) को प्रस्तुत किये गये हैं। जो अभी प्राप्त होनी थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि संरचना मैनुअल में दिये गए मानक पट्टा करार (एसएलए) की धारा 14 में निर्धारित है कि निष्कासन की तिथि या पुनः

103 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना-1, बिहार-3, दिल्ली-1, गुजरात-3, झारखंड-7, केरल-2, महाराष्ट्र-3, तमिलनाडु-7, पश्चिम बंगाल-5

निर्धारण की अंतिम तिथि, जैसा भी मामला हो, तक अनंतिम आधार पर पुरानी दर पर किराये का भुगतान जारी रहेगा और अलग दर पर पुनः निर्धारण के मामले में, पट्टेदार को अतिरिक्त भुगतान या कटौती कर के उचित समायोजन करने की अनुमति होगी।

तदनुसार विभाग ने सीबीडीटी से अनुमोदन प्राप्त करने तक अंतिम अनुमोदित दरों पर किराये पर लिये गये परिसर का मासिक किराये का भुगतान करना जारी रखा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसएलए की धारा 14 में यह भी कहा गया है कि 'बशर्ते पट्टेदार समयावधि समाप्त होने के छः माह के अन्दर जहां तक व्यवहारिक हो, उपरोक्त भवन का नया पट्टा करार करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।' विभाग तीन से छह वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी करने में असमर्थ था। इस प्रकार उपर्युक्त पट्टे पर खर्च की गई राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन न होने के कारण अनियमित थी।

6.6.5.2 पट्टा करार का नवीनीकरण न करने और कार्यालय स्थानांतरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप किराये का परिहार्य भुगतान

प्रधान सीसीआईटी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम प्रभार के अंतर्गत सिक्किम में, विभाग ने पोद्दार कोर्ट बिल्डिंग, कोलकाता की तीसरी से चौथी मंजिल और आठवीं मंजिल पर बने कार्यालय परिसर (134664 वर्ग.गज) को 1971 में किराये पर लिया। अगस्त 2002 के बाद पट्टा करार का नवीनीकरण लंबित था।

विभाग ने शांति पाल्ली, कोलकाता में प्रशासनिक बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया (अक्टूबर 2012)। अक्टूबर 2012 में नई बिल्डिंग पूर्ण होने के बाद सीसीआईटी (सीसीए), कोलकाता ने संबंधित सीआईटी को एक सप्ताह के अंदर नई बिल्डिंग में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने को कहा। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीआईटी ने सीसीआईटी (सीसीए) के निदेशों का अनुपालन नहीं किया। संबंधित सीआईटी की स्थानांतरण में विफलता और पोद्दार कोर्ट बिल्डिंग में पट्टे पर लिये गये पूरे स्थान को शीघ्र डी-हायर न करने के परिणामस्वरूप व्यर्थ किराये के प्रति ₹ 5.46 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जैसा नीचे तालिका 6.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.2: किराये के परिहार्य भुगतान का विवरण						
पोद्दार कोर्ट से नई बिल्डिंग में स्थानांतरण	शांति पाल्ली पर एबीपी पूर्ण होने की तिथि	स्थानांतरण की तिथि	अभ्यर्पण की तिथि	स्थानांतरण में विलम्ब	अभ्यर्पण में विलम्ब	किराये का परिहार्य भुगतान (₹ लाख में)
				नई बिल्डिंग से (माह की संख्या)	पूर्ण होने	
तीसरी और चौथी मंजिल	अक्टूबर 2012	अक्टूबर 2012	जून 2013	शून्य	7	113.41
चौथी और आठवीं मंजिल		जुलाई 2015	जुलाई/ अगस्त 2015	33	शून्य	432.35
कुल						545.76

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि 31 मार्च 2013 तक संवीक्षा निर्धारण कार्यवाही पूर्ण न होना, रिटर्नों की प्राप्ति और नियमित पत्रचार के संबंध में निर्धारितियों की शिकायतों से बचने के लिये, पुराने अभिलेखों को अधिक मात्रा में स्थानांतरित करने में विशेषज्ञता प्राप्त सीमित जन शक्ति और बिल्डिंग में नोड्स की स्थापना और संचालन जो कार्यवाही पूर्ण करने हेतु आवश्यक थे वर्ष के अंत तक न होना, विलम्ब के कारण थे।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग संरचना मैनुअल के अध्याय 6 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था और इसके अतिरिक्त यह अपनी आवश्यकताओं की अग्रिम में योजना बना सकता था।

6.6.6 मरम्मत और रखरखाव कार्य में विलम्ब

सीसीआइटी में निर्माण कार्य के परिणामस्वरूप अधिक संख्या में पूँजीगत परिसंपत्तियां अर्थात् कार्यालय और आवासीय बिल्डिंग, अतिथिग्रह आदि बने। बिल्डिंग अधिकार में लेने के बाद, उसकी उचित देख-रेख और अधिक समय तक प्रयोग हेतु रखरखाव अनिवार्य है। बिल्डिंग के अपर्याप्त रखरखाव के कारण बिल्डिंग समय से पूर्व खराब हो जायेगी और सुरक्षा चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। सीमित संसाधनों का लाभप्रद रूप से उपयोग करके समन्वित तरीके से कार्य को समय से पूर्ण करना आवश्यक है। मैनुअल का अध्याय 7 मरम्मत और रखरखाव कार्य की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो कहता है कि मरम्मत और रखरखाव के प्रस्तावों को सभी पहलुओं में पूर्ण होना चाहिये और निर्धारित जांच सूची का पालन करना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग मैनुअल के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप आठ¹⁰⁴ राज्यों से संबंधित 25 मामलों में ₹ 5.92 करोड़ की अनियमितता हुई। मरम्मत कार्य पूर्ण करने में विलम्ब एक वर्ष से 22 वर्षों के बीच का था। नौ मामलों में विलम्ब तीन वर्ष से अधिक का था। एक मामले में, 22 वर्षों से अधिक का विलम्ब देखा गया था। एक मामले का उदाहरण नीचे उल्लिखित है:

आवासीय टावरों का लंबित मरम्मत कार्य

निर्माण कार्य नीतियों और खरीद की प्रक्रिया पर मैनुअल के पैरा 5.2.1 में स्पष्ट है कि प्रत्येक खरीद कार्य के लिये कार्य शुरू होने से पहले परियोजना निगरानी की प्रणाली तैयार की जानी चाहिये और उसे कार्य की साइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये। कार्य की निर्माण कार्य समिति द्वारा तिमाही/मासिक आधार पर निगरानी की जानी चाहिये और संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रभारी सचिव को स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये।

प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत दिल्ली में, विभाग ने वैशाली, गाजियाबाद में धाधरा, सरस्वती और शारदा टावर के पूर्ण रूप से विशेष मरम्मत/सुधार का प्रस्ताव रखा। यह आवासीय टावर खराब स्थिति में थे। इन टावरों के मरम्मत कार्य हेतु सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिया गया अनुमान ₹ 12.78 करोड़ था। सीबीडीटी ने ₹ 14.18 करोड़ (इलैक्ट्रिक कार्य हेतु ₹ 1.40 करोड़ सहित) के लिये मई 2011 में अनुमोदन दिया। कार्य 18 माह अर्थात् अक्टूबर 2012 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीपीडब्ल्यूडी ने उपरोक्त उल्लिखित कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया क्योंकि कार्य अप्रैल 2014 तक पूर्ण नहीं किया गया था। परियोजना की मौजूदा स्थिति प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली के पास उपलब्ध नहीं थी। यह दर्शाता है कि प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली/निदेशालय में चालू निर्माण कार्य परियोजनाओं के लिये प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव था।

6.6.7 अतिथि गृह के रखरखाव में अनियमितता, स्टॉक रजिस्टर आदि न बनाना

लेखापरीक्षा ने छह राज्यों¹⁰⁵ से संबंधित 15 मामलों में अतिथिगृह का उचित रखरखाव न करना, स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाना, निरीक्षण नहीं करने जैसी अनियमितताएँ देखीं।

104 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना-1, असम-1, बिहार-1, दिल्ली-9, गुजरात-1, कर्नाटक-4, तमिलनाडु-1 और पश्चिम बंगाल-7

105 गुजरात-5, हिमाचल प्रदेश-1, झारखंड-4, केरल-1, तमिलनाडु-3, पश्चिम बंगाल-1

6.6.8 अचल परिसंपत्ति रजिस्टर, अचल संपत्तियों का केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार न करना आदि

6.6.8.1 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 190(2)(i) में अपेक्षित है कि फार्म जीएफआर-40 में संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर, फिक्चर्स आदि जैसी अचल परिसंपत्तियों का अलग लेखा बनाया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार¹⁰⁶ कमिश्नरियों में जीएफआर 190(2)(i) में अपेक्षित अचल परिसंपत्ति का रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा था। अन्य कमिश्नरियों ने अचल परिसंपत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया।

6.6.8.2 मई 2000 में, आईटीडी ने विभाग की सभी अचल परिसंपत्ति के लिए केन्द्रीय डाटाबेस बनाने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य हेतु आईटीडी ने दिनांक 08.05.2000 के अपने पत्र संख्या एफ.संख्या 208/2/2000-एडी-VIII(डीटी) के माध्यम से सभी सीसीआईटी/डीजीआईटी को प्रत्येक प्रभार द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को विभाग की अचल परिसंपत्ति की उपलब्धता और कमी पर वार्षिक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये। फरवरी 2016 में निदेशालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, विभाग के कब्जे में भूमि के 75 प्लाट थे। यद्यपि, भूमि के इन प्लाटों की वर्तमान स्थिति निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं थी (अप्रैल 2016)। अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि आईटीडी के कब्जे में भूमि के और 22 प्लाट थे (परिशिष्ट 6.3)। जो लेखापरीक्षा को निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में अभिलिखित नहीं थे। यह दर्शाता है कि दिनांक 08.05.2000 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था और निदेशालय द्वारा परिसंपत्तियों का कोई भी केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था।

6.6.8.3 लंबित और चालू संरचना परियोजनाओं की सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिसके अभाव में लेखापरीक्षा आईटीडी के पास वास्तविक निर्धारित परिसंपत्तियों के विवरण की जांच करने में असमर्थ था।

6.7 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निदेशालय/प्रधान सीसीआईटी द्वारा संरचनात्मक कार्य की योजना और क्रियान्वयन में कमियां देखीं। हमने मामले देखे जहां सीसीआईटी ने सभी पहलुओं में पूर्ण भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा जिसके परिणामस्वरूप अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। ऐसे मामले देखे गये जहां कार्यालय/आवासीय बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि अधिग्रहण

106 दिल्ली, लुधियाना, मुंबई और रांची

की गई भूमि निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं थी। भूमि की अनुपयुक्तता भूमि अधिग्रहण से पूर्व समुचित जांच पड़ताल न करना दर्शाता है। निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएँ शुरू नहीं हुईं। परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिये योजना और अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने निदेशालय द्वारा निर्माण कार्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय प्रबंधन में भी कमियां देखीं। निदेशालय पूर्ण रूप से बजटीय आबंटन का उपयोग करने में समर्थ नहीं था यद्यपि कार्यालय स्थल में कमी थी। हमने ऐसे मामले देखे जहां सक्षम अधिकारी द्वारा धन के व्यय हेतु अनुमोदन नहीं दिया गया था और पट्टा करार नवीनीकृत किये बिना पट्टे के किराये का भुगतान किया जा रहा था।

हमने इसे अक्टूबर 2016 में वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणी हेतु संदर्भित किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2016)।

अध्याय VII: केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलुरु

7.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) ने कारोबार प्रक्रिया पुनर्गठन समिति (बीपीआर कमेटी) की सिफारिशों पर ₹ 255 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर भारी मात्रा में आयकर विवरणियों (आईटीआर) के प्रसंस्करण हेतु केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना की मंजूरी दी (फरवरी 2009)। देय कर अथवा निर्धारिती को बकाया प्रतिदाय के शीघ्र निर्धारण के नजरिए से आयकर विवरणियों (आईटीआर) के केंद्रीकृत प्रसंस्करण की योजना बनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) को शक्ति प्रदान करते हुए धारा 143 के तहत उप-धारा 1ए जोड़कर वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में संशोधन कर दिया गया। तदनुसार, आयकर विभाग (आईटीडी) ने कर्नाटक और गोवा में कागजी विवरणियों और ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त आयकर विवरणियों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण हेतु बेंगलुरु में सीपीसी की स्थापना की।

बेंगलुरु में सीपीसी की स्थापना एवं उसके संचालन से जुड़े कार्य के लिए एक 'मास्टर सर्विसेज़ एग्रीमेंट' (एमएसए) करते हुए मै. इंफोसिस टेक्नालॉजीज़ लि., सेवा प्रदाता (एसपी) की अगुवाई वाले संघ को प्रदान किए गए। ठेका अक्टूबर 2010 से अगले पांच वर्षों तक के लिए था। सीपीसी बेंगलुरु के लिए ठेके में दो वर्षों अर्थात् सितम्बर 2017 तक का विस्तार दिया गया (दिसम्बर 2014)।

7.2. संगठनात्मक ढांचा

सीपीसी आयकर महानिदेशक (प्रणाली), नई दिल्ली के पूर्ण नियंत्रण में था। परियोजना के कार्यान्वयन एवं उसकी दैनिक निगरानी के लिए सीपीसी साइट पर आयकर निदेशक (डीआईटी) की अध्यक्षता में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित की गई है। अतिरिक्त/संयुक्त, उप/सहायक निदेशकों, आयकर अधिकारियों, आयकर निरीक्षकों और कर सहायकों द्वारा डीआईटी को सहायता प्रदान की जाती है। आईटीडी की भूमिका में इसके प्रयोक्ता प्रबंधन के साथ-साथ सीपीसी का नीतिगत नियंत्रण और सीपीसी, बजटीय नियंत्रण से संबंधित सफलता व्यूह और नीतियां बनाना, वित्तीय अधिनियमों, प्रणाली उन्नयन के आधार पर परिवर्तनों के साथ-साथ कारोबारी नियम परिवर्तनों को प्राधिकृत करना तथा सेवा प्रदाता की गतिविधियों की निगरानी शामिल है।

7.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा की गई कि क्या:

- क. सीपीसी ने आईटीआर के दक्ष एवं प्रभावी प्रसंस्करण, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अभिलेख भण्डारण तथा बहाली प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने; और एक मजबूत, विश्वसनीय और मापनीय लेखांकन प्रणाली का अपना वांछित उद्देश्य प्राप्त कर लिया है;
- ख. प्रणाली में एप्लीकेशन नियंत्रण, प्रणाली में कारोबारी नियमों का खाका बनाने और डाटा एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त थे;
- ग. प्रणाली में आईटी के सामान्य नियंत्रण, प्रणाली की सुरक्षा, विश्वसनीयता और अखण्डता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त थे;
- घ. एसपी से अनुबन्धित एमएसए और एसएलए वित्तीय स्वामित्व के सिद्धांतों का पालन करते हैं।

7.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

सीपीसी के निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु मानदण्ड के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार किया गया:

- क. सेवा प्रदाता के साथ मानक सेवा करार;
- ख. सेवा प्रदाता के साथ सेवा स्तर करार;
- ग. आयकर अधिनियम, 1961 एवं आयकर नियमावली, 1962;
- घ. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000;
- ङ. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सूचना प्रौद्योगिक लेखापरीक्षा नियमावली;
- च. सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005;
- छ. 2009 का पहला कैबिनेट नोट;
- ज. 2014 का दूसरा कैबिनेट नोट;
- झ. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी इसेफ-जीडी 210 एवं इसेफ-जीडी220-निर्धारण दिशा-निर्देश संस्करण 1.0;
- ञ. सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित अधिसूचनायें/परिपत्र निर्देश तथा प्रक्रियाओं की आईटीडी की नियमावली।

7.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

इस प्रतिवेदन में सीपीसी बेंगलुरु की कार्यप्रणाली निहित है, जिसका मूल्यांकन प्रणाली लेखापरीक्षा तथा ठेका प्रबंधन लेखापरीक्षा के पश्चात किया गया था। प्रस्तावित लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में सॉफ्टवेयर आवश्यकता विशेषताओं (एसआरएस) वाले प्रणाली प्रलेखन, डिजाइन दस्तावेज (एसडीडी), मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की जांच, प्रयोक्ता नियमावली, प्रशासन नियमावली और एमएसए/एसएलए में अन्य प्रदेयों; असंगतियों की जांच के लिए डम्प डाटा पर चल रहे प्रश्नों, त्रुटियों, चूकों, अपवाद रिपोर्टों तथा मिलान हेतु लंबित डाटा की जांच; लेखापरीक्षा में शामिल क्षेत्रों से संबंधित विभागीय अभिलेखों की जांच जैसे- आउटसोर्सिंग नीति, ठेका दस्तावेजों, सेवा स्तर करार, मास्टर सेवा करार, एप्लीकेशन नियंत्रण, सामान्य नियंत्रण, अभिलेख प्रबंधन आदि शामिल हैं।

यद्यपि उपरोक्त कार्यप्रणाली को 'डम्प' के रूप में प्रसंस्कृत डाटा के रूप में नहीं अपनाया जा सकता और मांगे गए लगभग 40 प्रतिशत अभिलेख आईटीडी द्वारा नहीं प्रदान किए। सीपीसी ने सीपीसी पोर्टल में प्रसंस्कृत व्यक्तिगत विवरणियों (उपलब्ध कराए गए नमूने से) के 'फार्म व्यू' (केवल पठित) का सीमित अभिगम अनुमत किया, जिसमें व्यक्तिगत पैन आधारित विवरणियों की नमूना जांच की गई।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा करने के दौरान सीपीसी, बेंगलुरु की लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक विभिन्न अभिलेखों/सूचना की मांग करते हुए आईटीडी को 138 लेखापरीक्षा अनुरोध ज्ञापन जारी किए गए थे। इसके प्रति केवल 87 लेखापरीक्षा ज्ञापनों का उत्तर (उनमें से कुछ का आंशिक उत्तर) प्राप्त हुआ। यहां तक कि पत्राचार, बैठकों और विभिन्न स्तरों पर मौखिक अनुरोध करने के बावजूद भी लेखापरीक्षा को प्रमुख दस्तावेज जैसे कि (i) परिवर्तन अनुरोध दस्तावेज (आंशिक), (ii) सेवा स्तर के करारों (आंशिक) से संबंधित अभिलेख, (iii) निविदाकरण दस्तावेज, (iv) कारोबार निरंतरता नीति और आपदा वसूली नीति, (v) जुलाई 2013 से सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए इन्वाइस सहित भुगतानों का विवरण, (vi) सीपीसी बेंगलुरु में संस्वीकृत कार्यबल और तैनाती की स्थिति, (vii) आईटीडी विवरणियों के प्रसंस्करण हेतु आईटीडी स्टॉफ को प्रदान किए गए प्रशिक्षण आदि की जानकारी लेखापरीक्षा को नहीं प्रदान की गई। अभिलेख/सूचना न प्रदान करना लेखापरीक्षा करने में प्रमुख बाधा सिद्ध हुई।

हमने 28 अक्टूबर 2016 को सीबीडीटी के साथ एक्जिट कांफ्रेंस किया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। हमने इस प्रतिवेदन में मंत्रालय की टिप्पणियों को यथोचित शामिल किया है।

7.6 नमूना आकार का चयन

इस आशय से समीक्षा करते हुए कि क्या सीपीसी में अपनाई गई प्रक्रियायें और कार्यवाहियां नियमों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं, लेखापरीक्षा ने 2012-13 से 2014-15 तक तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत विवरणियों से संबंधित 'डम्प डाटा' की मांग की। हालांकि, डम्प डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बजाए 29.07.2015 को एंटी कांफ्रेंस के दौरान डीआईटी-सीपीसी ने सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा दल सीपीसी के संचालनात्मक पहलुओं को समझने के लिए प्रसंस्कृत विवरणियों के कुछ विशिष्ट मामलों की जांच कर सकता है।

यद्यपि इस सुझाव में बाधाओं को ध्यान रखने के बावजूद भी लेखापरीक्षा ने अपने अधिदेशों के निर्वहन हेतु उच्च मूल्य प्रतिदाय/मांग मामलों, 'शून्य' आय वाली विवरणियों, हानि विवरणियों, बीते हुए/संशोधित विवरणियों वाले मामलों, ऐसे मामले जहां सुधार के बाद प्रतिदाय/मांग बढ़/घट गई हो, ऐसे दस मापदण्डों के आधार पर 2012-13 से 2014-15 तक तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत आईटीआर, सभी निर्धारित आईटीआर फार्मों के अंतर्गत फाइल किए जाने वाली विवरणियों, विभिन्न प्रकार के निर्धारितियों के व्यापक प्रतिनिधित्व वाले पैन (50 मामले प्रति) की सूची की मांग की।

इसके प्रति, डीआईटी-सीपीसी ने उपरोक्त उल्लिखित मापदण्डों के अंतर्गत केवल 58 पैन की सूची उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की अन्य मांग के प्रति 13 पैन की सूची प्रदान की गई। नमूना आकार बढ़ाने के आशय से लेखापरीक्षा ने प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (केंद्रीय), बंगलुरु कार्यालय द्वारा की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के अभिलेखों से भी कुछ मामलों का चयन किया।

तदनुसार, सीपीसी सर्वर में लेखापरीक्षा को प्रदत्त "फार्म व्यू एक्सेस" (केवल पठित) में 2011-12 और 2014-15 के बीच विभिन्न नि.व. से जुड़े सभी संबंधित 557 पैन की जांच की। सीपीसी सर्वर में सीमित अभिगम और अभिलेख/डाटा न प्रदान करने से प्रभावी रूप से लेखापरीक्षा करने में प्रमुख बाधाएँ उत्पन्न हुईं।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा इस प्रकार है।

7.7. आईटीआर का प्रसंस्करण, अभिलेख संग्रहण और पुनर्प्राप्ति प्रबंधन प्रणाली, लेखांकन प्रणाली और करदाता सेवायें

7.7.1 आईटीआर का प्रसंस्करण

सीपीसी ने 3.78 लाख विवरणी प्रतिदिन की अधिकतम क्षमता के साथ अक्टूबर 2010 में इसके शुरू होने से जनवरी 2015 तक 9.04 करोड़ विवरणियों का प्रसंस्करण किया। 2014-15 के दौरान औसत प्रसंस्करण समय 65 दिन था जो नागरिक चार्टर में विनिर्दिष्ट (छ: महीने) से कम था और मैन्युअल प्रसंस्करण समय (लगभग 14 महीने) से काफी कम था। सीपीसी ने पांच वर्षों की प्रक्रिया में पूरा किए जाने वाले 2.7 करोड़ के लक्ष्य से अधिक ई-फाइल की गई विवरणियों का प्रसंस्करण किया है। प्रसंस्करण में शीघ्रता से प्रतिदायों पर जाने वाले ब्याज में कमी आई।

7.7.2 अभिलेख प्रबंधन

एमएसए के परिशिष्ट-ए के खण्ड 2.3.1 के तहत एसआर 13 के अनुसार, अभिलेख प्रबंधन का उद्देश्य सभी विवरणियों को इसके नष्ट होने तक सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करना और आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र तथा आसानी से पुनर्प्राप्ति करना था। इस संबंध में एसपी की विस्तृत प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों को इसके तहत खण्ड 5.1.3 में परिभाषित किया गया है।

2012-13 से 2014-15 तक तीन वर्षों से संबंधित आईटीआर पेपर विवरणियां, आईटीआर-V वाले लगभग सात करोड़ भौतिक अभिलेखों को वेयरहाउस में संरक्षित किया गया है, जिसमें से अधिकांश डिजिटल हस्ताक्षर के बिना दाखिल इलेक्ट्रॉनिक विवरणियों से संबंधित आईटीआर-V थे।

आईटीआर के लिए इतने व्यापक, सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली की आवश्यकता स्पष्ट नहीं होती, जब कि सीपीसी डाटाबेस में उपलब्ध आईटीआर/आईटीआर-V की पूर्व सत्यापित स्कैन किए गए चित्रों से कानूनी संतुष्टि या सत्यापन किया जा सकता था और जो कि भौतिक अभिलेखों को प्रस्तुत करने के समान होंगे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि यह (अभिलेखों का संरक्षण) सेवा प्रदाता के साथ ठेके का अखण्ड भाग है और ठेके की समाप्ति तक संरक्षित किया जाना है। सीपीसी ठेके के अंतर्गत लेन-देन मूल्य में भौतिक दस्तावेजों के संरक्षण मूल्य सहित सभी लागत निहित हैं। ऐसे संरक्षण के लिए कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं चुकाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि सीपीसी में दस्तावेजों का संरक्षण किया जाता है तो सीपीसी द्वारा कार्यालय स्थल के प्रति अतिरिक्त

लागत का भुगतान देय होगा। आगे यह भी बताया गया कि आईटीआर के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के द्वारा विभाग ने आईटीआर-V प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करने जैसे कई कदम उठाये हैं। वि.व. 2015-16 में लगभग 25 प्रतिशत आईटीआर का सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) अथवा डीएससी का प्रयोग करते हुए किया गया था। इसकी प्रतिशतता में वित्तीय वर्ष 2016-17 से आज की तिथि तक 39 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। ईवीसी या डीएससी का प्रयोग करते हुए आईटीआर का सत्यापन दर्शाता है कि आईटीआर-V की भौतिक प्रति के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लागत के संबंध में आईटीडी एसपी के संरक्षण हेतु भुगतान जारी रखेगा जो प्रति लेन-देन लागत के साथ अंतर्निहित है।

7.7.3 कर लेखांकन प्रणाली स्थापित करना

लेखापरीक्षा ने संबंधित क्षेत्रों अर्थात् मूल एवं गौण लेखांकन कोड्स को परिभाषित करने वाले अंतिम लेखांकन चार्ट, ओल्टास, टीडीएस/टीसीएस, पैन/टैन, प्रतिदाय बैंकर आदि जैसे बाह्य एप्लीकेशन के साथ एकीकरण; कर दावा मिलान, क्षेत्रीय अधिकारियों और लेखापरीक्षा बहियों/ट्रेल के बीच इंटरफेस, सुधार, मांग और प्रतिदायों से संबंधित मिलान एवं टीडीएस/कर क्रेडिट लेखांकन पर सूचना मांगी (अक्टूबर 2015)।

यद्यपि, डीआईटी-सीपीसी ने केवल दो तरह के दस्तावेज प्रदान किए (नवम्बर 2015) अर्थात् नमूना आधार पर प्रत्येक आईटीआर फार्म के तहत एकल पैन से संबंधित एफएएस¹⁰⁷ लेखांकन के स्क्रीन शॉट सहित एफएएस ग्लोबल डिजाइन और एफएएस डिजाइन विशेषतायें।

आवश्यक सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा यह जांच नहीं कर सकी कि क्या मौजूदा लेखांकन प्रणाली वास्तव में निर्धारित मानकों को पूरा करती है और क्या सीपीसी द्वारा दर्शाए गए संग्रहण आंकड़े उन जेडएओ के अनुरूप हैं।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2016) कि आईटीडी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय लेखांकन प्रणाली के वैश्विक डिजाइन में मूल एवं गौण लेखांकन कोड्स को परिभाषित करने वाले अंतिम लेखांकन चार्ट, ओल्टास, टीडीएस/टीसीएस, पैन/टैन, प्रतिदाय बैंकर आदि जैसे बाह्य एप्लीकेशन के साथ एकीकरण; कर दावा मिलान, क्षेत्रीय अधिकारियों और लेखापरीक्षा बहियों/ट्रेल के बीच इंटरफेस, सुधार, मांग और प्रतिदायों से संबंधित मिलान एवं टीडीएस/कर क्रेडिट लेखांकन पर से जुड़ी सभी सूचनायें शामिल थीं। मंत्रालय ने आगे बताया कि

107 वित्तीय लेखांकन प्रणाली

उसने एमआईएस एवं अन्य रिपोर्टें प्रदान की जो लेखांकन नीति को लागू करने में सृजित होती हैं तथा लेखापरीक्षा को एक नजरिया प्रदान करने के लिए विवरणी के प्रसंस्करण में प्रयुक्त होती हैं।

मंत्रालय का उत्तर गलत है कि आईटीडी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय लेखांकन प्रणाली (एफएएस) के वैश्विक डिजाइन से जुड़े दस्तावेजों में लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई सभी सूचना निहित थी, चूँकि डिजाइन दस्तावेज केवल एफएएस एप्लीकेशन की डिजाइन के बारे में बताता है जबकि लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई सूचना उक्त एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के संबंध में थी। लेखापरीक्षा एफएएस एप्लीकेशन की समीक्षा नहीं कर पाई क्योंकि एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के विवरण और सृजित रिपोर्ट/आउटपुट लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए। प्रस्तुत कथित एमआईएस रिपोर्ट केवल रिपोर्ट का एक नमूना स्क्रीनशॉट था जिससे कार्यान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा और एप्लीकेशन के परिणामों/रिपोर्टों का सत्यापन करना संभव नहीं था।


7.8. एप्लीकेशन नियंत्रण

7.8.1 अधिनियम की धारा 143(1ए) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीबीडीटी (बोर्ड) ने “आयकर विवरणियों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के उद्देश्य से ‘विवरणियों की केंद्रीकृत प्रसंस्करण योजना, 2011’ को अधिसूचित किया (जनवरी 2012)। योजना में महानिदेशक और आयुक्त को आईटीआर के प्रसंस्करण हेतु उचित प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों को विनिर्दिष्ट करने/अपनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 143(1ए) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक और योजना अर्थात् ‘विवरणियों का केंद्रीकृत प्रसंस्करण योजना, 2011- अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग’ शुरू किया जिसका उद्देश्य पूर्ववर्णित पर लागू करना था और यह विनिर्दिष्ट करना था कि विवरणियों के प्रसंस्करण के संबंध में अधिनियम का कोई भी प्रावधान ऐसी छूटों, संशोधनों और स्वीकार्यताओं पर लागू नहीं होगा।

आईटीआर के प्रसंस्करण के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों और नियमों को सीपीसी एप्लीकेशन के बैक-एण्ड प्रयोक्ताओं, कारोबारी नियमों के रूप में लागू किया जाता है। फ्रंट-एण्ड प्रयोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के निर्धारितियों पर लागू अलग-अलग आईटीआर फार्मों के तहत निर्धारित अनुसूचियों के अनुरूप एक “फार्म-व्यू” बनाया गया है।

7.8.2 विवरणियों का प्रसंस्करण

मौजूदा कर निर्धारण प्रणाली की कार्यवाही प्रवाह नीचे दिया गया है:



(स्रोत: सीपीसी, बेंगलुरु)

सीपीसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन नियंत्रणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'फार्म व्यू' में प्रसंस्कृत आईटीआर की समीक्षा की गई, जिससे निम्नलिखित कमियों का पता चला:

7.8.3 प्रस्तावित आय के साथ टीडीएस की अनुरूपता संबंधी कारोबारी नियम में त्रुटि

“मूल कमियां - नोटिस भेजे जाने” (नियम _ सीडी 2) को परिभाषित करते हुए “त्रुटिपूर्ण विवरणी” पर आईटीडी के एसओपी के खण्ड 3.1 में प्रावधान है कि विवरणी को मूल कमी के रूप में माना जाएगा यदि “आईटीआर में कोई आय विवरण या कर की गणना नहीं किया गया हो, लेकिन भुगतान किए गए

कर के विवरण प्रदान किए गए हों”। हमने एक ऐसा मामला देखा, जहां निर्धारिती ने कोई आय नहीं दर्शाई लेकिन टीडीएस क्रेडिट का दावा किया। हालांकि, सीपीसी में विवरणी का प्रसंस्करण करते समय टीडीएस के एसओपी के इस खण्ड का अनुपालन नहीं किया गया।

बॉक्स 7.1: प्रस्तावित आय के साथ टीडीएस की अनुरूपता संबंधी कारोबारी नियम में त्रुटि निर्धारिती: मै. सलमा डैम ज्वाइंट वेंचर; पैन: AACAS6491C नि.व. 2014-15

निर्धारिती ने ‘शून्य’ आय घोषित करते हुए नि.व. 2014-15 के लिए डिजिटल साइन वाली आयकर विवरणी दाखिल की (सितम्बर 2014) और टीडीएस क्रेडिट के प्रति ₹ 6.84 करोड़ की वापसी का दावा किया तथा साथ ही चालू वर्ष के ₹ 14,113 की कारोबारी हानि को आगे ले जाने का दावा किया जिसका प्रसंस्करण कर दिया गया (जुलाई 2015) और निर्धारिती को ₹ 7.39 करोड़ (धारा 244ए के तहत ब्याज सहित) का प्रतिदाय जारी किया गया (अगस्त 2015)।

अनुसूची निर्धारिती के प्रसंस्कृत डाटा के तहत आईटीआर संग्रहण रिपोर्ट के सत्यापन पर यह देखा गया कि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची भाग-पीएण्डएल तथा भाग बी-टीआई के तहत बिना कोई आय दर्शाए निर्धारिती द्वारा अनुसूची भाग बी-टीआई में धारा 194सी के तहत दावा किए गए ₹ 6.84 करोड़ के टीडीएस के प्रति ठेका प्राप्तियों के अलावा निर्धारिती को ₹ 342.02 करोड़ की आय प्राप्त हुई। इसके बावजूद भी विवरणी का प्रसंस्करण किया गया और ब्याज सहित ₹ 6.84 करोड़ का प्रतिदाय अनुमत किया गया।

सापेक्षिक आय की घोषणा किए बिना टीडीएस का दावा करने में निर्धारिती द्वारा चूक को उपरोक्त आईटीडी के एसओपी के अनुसार त्रुटिपूर्ण आय माना जाना था। इसमें सीपीसी की ओर से भी स्टेटस कोड 21 (त्रुटिपूर्ण विवरणी) पर प्रसंस्करण में रोक लगाने और निर्धारिती को आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करने में विफलता भी शामिल थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2016) कि 26 एस में दिया गया डाटा प्राप्तियों से संबंधित है और इसी पर टीडीएस किया गया। इसे अनिवार्य रूप से आय नहीं माना जा सकता, उदाहरण के लिए ठेकेदारों के मामले में अग्रिमों पर टीडीएस लगाया जाता है जो आय नहीं है और इसे कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता। संग्रहण रिपोर्ट और विवरणी में दर्शाई गई प्राप्तियों में असमानता के मामले में यह भिन्न राशि पर कर लगाने हेतु धारा 143(1) तथा साथ ही उस शीर्ष जिसके अंतर्गत इस पर कर लगाया जाना है, के दायरे से बाहर हो जाएगा। अन्य फार्मों में दर्शाई गई आय सीधे कटौतियोग्य नहीं हैं और आईटीआर में दर्शाई गई आय से तुलना की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा का अवलोकन तर्कसंगत नहीं है कि सीपीसी प्रणाली को धारा 143(1) के तहत प्रक्रियाधीन आईटीआर में विभाग की अन्य प्रणालियों/अभिलेखों में उपलब्ध आय के विवरण का उपयोग किया जाना चाहिए था, क्योंकि प्रथम दृष्ट्या यह धारा 143(1) के तहत समायोजन के रूप में प्रतीत नहीं होता है।

सीपीसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह त्रुटिपूर्ण विवरणियों के संबंध में कारोबारी नियम लागू करने में सीपीसी की विफलता की लेखापरीक्षा आपत्ति का निवारण नहीं करता है। इसे ‘त्रुटिपूर्ण विवरणी’ के रूप में रोक कर रखा जाना तथा निर्धारिती को आवश्यकतानुसार नोटिस जारी किया जाना चाहिए था।

7.8.4 “प्रसंस्करण” की परिभाषा में परिवर्तन न करने के कारण सीपीसी की पूरी क्षमता का उपयोग न होना

धारा 143 के तहत उप धारा 1ए को जोड़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 में वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधन कर दिया गया जिसमें सीबीडीटी को देय कर के निर्धारण अथवा निर्धारिती के बकाए के प्रतिदाय के लिए आईटीआर के केंद्रीकृत प्रसंस्करण की योजना बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इस संशोधन के पश्चात् आईटीडी के पास अंतर्निहित सीमाओं वाली मैन्युअल प्रणाली वाले नियमों को पूर्णतः नकल करने की बजाए कर निर्धारण/देय प्रतिदाय के लिए तकनीकी का लाभ उठाने का अवसर तथा अधिदेश है। हालांकि, आईटीडी अब तक इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा जिससे आईटीडी के पास सूचना का उपयोग नहीं किया जा सका। ऐसे कुछ मामलों का विवरण इस प्रकार है:

7.8.4.1 मांग/प्रतिदाय सूचना के अभिगम हेतु एएसटी-सीपीसी इंटरफेस

अभिलेखों और फार्म-व्यू अभिगम की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि आईटीडी ने एएसटी डाटाबेस पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए मांग/प्रतिदाय डाटा अभिगम हेतु विशेष क्षेत्रों वाले सीपीसी ‘आईटीआर संग्रहण रिपोर्ट’ और एएसटी के बीच एक इंटरफेस विकसित किया है, जो संवीक्षा/ अपीलीय कार्यवाहियों का परिणाम था। इस डाटा का उपयोग विशेषकर ऐसी विवरणियों के प्रसंस्करण में किया जा सकता था जहां, अधिनियम की धारा 245 के प्रावधानों के अनुसार बकाया प्रतिदाय के प्रति बकाया कर मांग को समायोजित किया जाना था। हालांकि, यह देखा गया कि अपीलीय कार्यवाहियों के आधार पर अथवा संवीक्षा निर्धारणों के आधार पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित आय/हानि की स्थिति के अद्यतन हेतु सीपीसी और एएसटी के बीच कोई इंटरफेस नहीं था।

बॉक्स 7.2: मांग/प्रतिदाय सूचना के अभिगम हेतु एएसटी-सीपीसी इंटरफेस पर निदर्शी मामला निर्धारिती: जीएमआर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.; पैन: AAACN6998D; नि.व. 2014-15
दाखिल/प्रसंस्कृत आय - शून्य

₹ 6.05 करोड़ की दाखिल हानि के प्रति नि.व. 2012-13 के हानि का निर्धारण ₹ 2.83 करोड़ था। हालांकि, नि.व. 2014-15 हेतु अनुसूची सीएफएल¹⁰⁸ के फार्म अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त नि.व. हेतु दाखिल हानि को निर्धारित स्थिति मानने की बजाए अग्रणीत हानि के रूप में माना गया जिसके परिणामस्वरूप अधिक हानि अग्रणीत हुई।

108 आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत की जाने वाली हानियों का विवरण

7.8.4.2 धारा 10(23सी), 10ए, 10एए, 12ए(1)(बी), 44एबी, 44डीए, 50बी, 80आईए, 80आईबी, 80आईसी, 80आईडी, 80जेजेएए, 80एलए, 92ई, 115जेबी और 115वीडब्ल्यू के तहत विवरणियों के प्रसंस्करण में एओ के पास उपलब्ध सूचना का प्रयोग न किया जाना

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12(2) के प्रावधान के अनुसार, जहां निर्धारिती द्वारा उपखण्ड (iv), (v), (vi) या (vi ए) धारा 10 के खण्ड (23सी), धारा 10ए, धारा 10एए, धारा 12ए की उपधारा (1) के खण्ड (बी), धारा 44एबी, धारा 44डीए, धारा 50बी, धारा 80आईए, धारा 80आईबी, धारा 80आईसी, धारा 80आईडी, धारा 80जेजेएए, धारा 80एलए, धारा 92ई, धारा 115जेबी, 115वीडब्ल्यू के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट, धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड 2 के तहत देना आवश्यक है वहां उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसे प्रस्तुत करना होगा।

सीपीसी ने वि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान उपरोक्त धाराओं के तहत दावों सहित क्रमशः 3339, 3989 और 6398 विवरणियों का प्रसंस्करण किया। हालांकि, उपरोक्त धाराओं के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत रिपोर्टों में उपलब्ध सूचना सीपीसी के पास नहीं थी और इसलिए सीपीसी विवरणियों के प्रसंस्करण में उपलब्ध डाटा का उपयोग नहीं कर पाया।

यह बताया गया (दिसम्बर 2015) कि प्रणाली निदेशालय और सीबीडीटी द्वारा अनुदेशों के अनुसार उपरोक्त रिपोर्टों को केवल निर्धारण अधिकारियों को प्रदान किया जाना था और सीपीसी को इन रिपोर्टों की जानकारी नहीं दी जानी थी। इस प्रकार, चूंकि सीपीसी को रिपोर्टें उपलब्ध नहीं कराई गईं, सीपीसी में विवरणियों का प्रसंस्करण करते समय इन रिपोर्टों की सूचनाओं का उपयोग नहीं किया जा सका। सीपीसी द्वारा आगे यह भी बताया गया कि जहां विवरणियों में प्रस्तुत डाटा अपूर्ण या असंगत पाए गए, वहां इन फार्मों/रिपोर्टों के अभिगम हेतु सीपीसी द्वारा संभावनायें तलाशी जा रही थी।

7.8.4.3 पिछले वर्षों के आईटीआर के गैर-संयोजन के कारण अधिक कटौती किया जाना

हानि को अग्रेषित करने, अनावशोषित मूल्यहास, मैट¹⁰⁹ क्रेडिट आदि जैसी कटौतियों के लिए सीपीसी प्रणाली के मौजूदा डाटाबेस का उपयोग करदाताओं के पूर्व में दाखिल विवरणियों से किया जा सकता था। हालांकि फार्म अवलोकन

109 न्यूनतम वैकल्पिक देय कर

के माध्यम से निम्नलिखित मामलों के सत्यापन से यह देखा गया कि पूर्व वर्ष के प्रसंस्कृत विवरणियों के डाटा उपयोग हेतु सीपीसी सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

बॉक्स 7.3: पिछले वर्षों के आईटीआर के गैर संयोजन पर निदर्शी मामले

**(i) निर्धारिती: मै. कारपोरेट इंफ्रॉस्ट्रक्चर सर्विसेज़ प्रा. लि.; पैन: AAACH9815K;
नि.व. 2013-14; दाखिल/प्रसंस्कृत आय - शून्य**

नि.व. 2012-13 के लिए प्रसंस्कृत अभिलेख के अनुसार, नि.व. 2009-10 के लिए कोई भी अग्रेनीत हानि और अनवशोषित मूल्यहास नहीं था। हालांकि, नि.व. 2013-14 के प्रसंस्कृत अभिलेख में नि.व. 2009-10 के लिए अग्रेनीत हानि ₹ 2.08 करोड़ और अनवशोषित मूल्यहास ₹ 60.75 लाख माना गया था। यह अग्रेनीत हानि और अनवशोषित मूल्यहास नि.व. 2008-09 से संबंधित था।

(ii) निर्धारिती: मै. जीएमआर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. पैन: AAACN6998D

नि.व. 2014-15 दाखिल/प्रसंस्कृत आय - शून्य

पूर्व वर्षअर्थात् नि.व. 2013-14 की अनुसूची सीएफएल के अनुसार नि.व. 2009-10 के लिए अग्रेनीत हानि ₹ 1.70 करोड़ थी। हालांकि चालू नि.व. में सीएफएल अनुसूची में अग्रेनीत हानि को बदलकर ₹ 2.47 करोड़ दर्शाई गई थी।

(iii) निर्धारिती: मै. जीएमआर कमलांगा एनर्जी लि. पैन: AADCG0436E

नि.व. 2014-15: दाखिल/प्रसंस्कृत आय - (-) ₹ 1717.28 करोड़

मूल्यहास अनुसूची (अनुसूची डीपीएम¹¹⁰ एवं अनुसूची डीओए¹¹¹) के अनुसार, यह देखा गया कि संयंत्र और मशीनरी पर चालू वर्ष हेतु मूल्यहास की गणना करते समय कुल ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ₹ 136.09 करोड़ मानी गई। लेकिन पिछले वर्ष की (अर्थात् नि.व. 2013-14) की अनुसूची बीएस¹¹² से यह देखा गया कि कुल अवरोधित परिसंपत्ति ₹ 180.08 करोड़ थी (चूँकि नि.व. में पहली बार मूल्यहास का दावा किया गया है)। प्रसंस्कृत विवरणी डाटा में इस अंतर का पता नहीं चल पाया।

(iv) निर्धारिती: मै. छायादीप प्रापट्रीज़ प्रा. लि. पैन: AACCC3489Q

नि.व. 2013-14; दाखिल/प्रसंस्कृत आय - शून्य

नि.व. 2012-13 के लिए अनु. सीएफएल के अनुसार, अग्रेनीत की जाने वाली कुल हानि ₹ 22.11 करोड़ थी (₹ 17.12 करोड़ कारोबारी हानि (बीएल), ₹ 1.61 करोड़ - अल्पावधि पूँजीगत हानि (एसटीसीएल), ₹ 3.39 करोड़ - दीर्घावधि पूँजीगत हानि (एलटीसीएल)); जिसे हालांकि, नि.व. 2013-14 की अनु. सीएफएल में ₹ 22.90 करोड़ माना गया (₹ 18.01 करोड़ - बीएल; ₹ 1.51 करोड़ - एसटीसीएल; ₹ 3.39 करोड़ - एलटीसीएल)। इस प्रकार शेष ₹ 87.62 लाख अधिक अग्रेनीत हुआ। नि.व. 2012-13 और नि.व. 2013-14 के लिए पैन AACCC4259J के मामले में भी यही मुद्दा देखा गया।

110 संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यहास

111 अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यहास

112 तुलन पत्र

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि सभी उल्लिखित धाराओं की संबंधित रिपोर्टें अलग-अलग दाखिल की गई थीं और विवरणी के साथ नहीं थी। अलग-अलग दाखिल फार्मों के आधार पर कटौती अनुमत करना धारा 143(1) के दायरे में नहीं आता है। एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान मंत्रालय द्वारा यह बताया गया कि सीपीसी का उद्देश्य अनुपालन मुद्दे देखने की बजाए आईटीआर का प्रसंस्करण करना था और निर्धारितियों को शीघ्रता से प्रतिदाय जारी करना था। सीपीसी की स्थापना थोक प्रसंस्करण केंद्र के रूप में की गई थी और करदाता का जांच करने के आशय से नहीं। कारोबार प्रसंस्करण पुनर्गठन (बीपीआर) का उद्देश्य केवल प्रसंस्करण से अनुपालन को अलग करना था।

यह सत्य है कि सीपीसी की स्थापना थोक प्रसंस्करण केंद्र के रूप में की गई थी। लेकिन यह भी सत्य है कि एक नई प्रणाली का विकास करते समय आईटीडी के पास उपलब्ध सभी प्रणालियों का लाभ लेने का प्रयास किया जाए। एएसटी, आईटीडी का एक भाग है और एएसटी में उपलब्ध सूचना को विवरणियों के प्रसंस्करण हेतु सीपीसी को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि विवरणी में प्रसंस्करण हेतु हानि, अनवशोषित मूल्यहास आदि की सही राशि को ध्यान में रखा जाए। हालांकि, जैसा कि इस पैरा की शुरुआत में कहा गया है कि आईटीडी इस अवसर का उपयोग केवल बहुत ही सीमित बीपीआर के लिए करता है।

7.9 परियोजना कार्यान्वयन एवं निष्पादन

7.9.1 बेंगलुरु में सीपीसी की स्थापना एवं उसके संचालन से जुड़े कार्य के लिए एक 'मास्टर सर्विसेज़ एग्रीमेंट' (एमएसए) करते हुए मै. इंफोसिस टेक्नालॉजीज़ लि., सेवा प्रदाता (एसपी) की अगुवाई वाले संघ को प्रदान किए गए। एक "मास्टर सर्विसेज़ एग्रीमेंट" (एमएसए) अक्टूबर 2009 में निष्पादित किया गया था। ठेका स्वीकृति तिथि अर्थात् अक्टूबर 2010 से अगले पांच वर्षों तक के लिए था। सीपीसी बेंगलुरु के लिए ठेके में दो वर्षों अर्थात् सितम्बर 2017 तक का विस्तार दिया गया (दिसम्बर 2014)। जिसकी समेकित परियोजना लागत ₹ 1,078.59 करोड़ थी। एसपी के कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है (i) आईटीडी द्वारा प्रदत्त भवन में सीपीसी की स्थापना; (ii) हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग आवश्यकताओं सहित इसके संबंधित कार्य और तकनीकी ढांचा प्रदान करना; (iii) पूरे सीपीसी प्रणाली परिवेश का संचालन एवं अनुरक्षण; (iv) भौतिक आईटीआर के डिजिटलीकरण, भौतिक आईटीआर की स्कैनिंग और करदाता लेखांकन, क्रेडिट गणना, आईटीआर प्रसंस्करण और सुधार प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आईटीडी की बैक-एण्ड प्रक्रियाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु कार्मिकों की व्यवस्था, प्रशिक्षण और उनका प्रशासन; (v) साइट से बाहर संरक्षित अभिलेखों के प्रबंधन सहित सीपीसी हेतु व्यापक अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की स्थापना एवं उसका संचालन।

सीपीसी बेंगलुरु के ठेका प्रबंधन के संबंध में आईटीडी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों/अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित गैर अनुपालन/विचलन देखे गए।

7.9.2 टीडीएस/कर भुगतान दावों के मिलान से संबंधित सहमत प्रक्रियाओं से विचलन के परिणामस्वरूप कर क्रेडिट का मिलान न करने के कारण त्रुटि सुधारों में वृद्धि हुई

एमएसए के अनुसार, इस ठेके की शर्तों एवं निर्बंधनों में कोई परिवर्तन या संशोधन तथा इसके साथ-साथ 'सेवाओं' के कार्यक्षेत्र में कोई संशोधन या परिवर्तन केवल ठेका पक्षों अर्थात् आईटीडी और एसपी के बीच लिखित करार के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि इस ठेके या सेवा स्तर करार (एसएलए) में तब तक कोई संशोधन, बदलाव या कोई परिवर्तन वैध नहीं होगा जब तक कि एमएसए के परिशिष्ट-जी द्वारा 'परिवर्तन नियंत्रण अनुसूची' में निर्धारित परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकृत न किया गया हो।

मई 2009 में संचालन शुरू होने से पूर्व अनुमोदित 25 विचलनों की सूची (प्रक्रिया संवर्धन-13, अतिरिक्त कार्यक्षेत्र-03, मौजूदा शर्तों में संशोधन-06 और मौजूदा शर्तों को हटाना-03) लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, पक्षकारों के बीच विचलन और लिखित करार करने में उचित प्रक्रिया के अनुपालन के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

हमने देखा कि दो विचलन दो मुख्य निर्धारित प्रक्रियाओं को शुरूआती चरण से ही सेवाओं के कार्यक्षेत्र से हटाने से संबंधित थी यथा; "बैंक शाखा/आरबीआई स्तर पर ओल्टास संग्रहण का मिलान" और "कटौतीकर्ताओं के साथ बातचीत और अपवाद सहित टीडीएस भुगतानों का मिलान"। ठेका शर्तों¹¹³ के अनुसार, एसपी द्वारा बैंक शाखाओं/आरबीआई द्वारा अपलोडेड, तथा कटौतीकर्ताओं द्वारा करदाताओं द्वारा भुगतान की गई राशियों का मिलान किया जाना आवश्यक है। यह भी प्रावधान¹¹⁴ था कि ओल्टास और टीडीएस सत्यापन अधिकारियों को अपने मिलान हेतु बैंकों और सीआईटी (टीडीएस) के साथ कार्य और 'झूठी सकारात्मकता' एवं 'सही सकारात्मकता' का सत्यापन करना होता है। हालांकि, इन प्रक्रियाओं को अलग कर दिया गया (मई 2015) जिसके लिए डीआईटी-सीपीसी ने कारण बताया कि टीडीएस विवरणी डाटा के साथ-साथ बैंकों/आरबीआई से फीड डाटा का अभिगम सीपीसी के लिए उपलब्ध नहीं था। आगे यह भी बताया गया कि आईटीडी द्वारा क्रेडिट्स का पूर्व-

113 खण्ड 2.3 के तहत एसआर 08 - परिशिष्ट ए की कार्यात्मक आवश्यकतायें खण्ड 8.4 के साथ पठित एमएसए के सेवा वाले भाग का विवरण - आरएफपी - भाग 1 में उल्लिखित "करदाता भुगतान और टीडीएस लेखांकन" हेतु प्रक्रिया प्रवाह।

114 उक्त आरएफपी के खण्ड 9.4.4-9.4.20 के साथ पठित एमएसए का एसआर 09

मिलान किया गया (सीपीसी के अलावा) और सीपीसी को ओल्टास/टीडीएस डाटाबेस से केवल सही कर/टीडीएस भुगतान उपलब्ध कराए गए थे।

दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापन नहीं कर सकी कि क्या उल्लिखित विचलनों के अनुमोदन में प्रक्रियाओं का पालन किया गया अथवा नहीं। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि 'प्रति विवरणी' के आधार पर एसपी को देय प्रभारों में कमी करने हेतु भुगतान शर्तों पर फिर से बातचीत की गई थी, जबकि इन विचलनों के कारण एसपी को प्रक्रियाओं और लागत दोनों तरह से महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। इसके अतिरिक्त, उक्त विचलन से 'कर क्रेडिट्स की गैर-समरूपता' के कारण निर्धारिती से शुरू सुधार की प्रतिशतता में वृद्धि हुई। तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रसंस्कृत कुल 10,57,381 सुधार अनुरोधों में से 5,69,915 सुधार मामले 'कर क्रेडिट्स के गैर-मिलान' के कारण थे, जो कुल सुधारों का लगभग 54 प्रतिशत था।

इस प्रकार, उक्त विचलन न केवल आईटीडी को मंहगा पड़ा क्योंकि कार्यक्षेत्र में कटौती करने पर सम्पूर्ण आईटीआर प्रसंस्करण में कटौती हेतु बातचीत में विफलता हुई, बल्कि 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए कर क्रेडिट्स के गैर-मिलान के कारण 5,69,915 सुधार मामलों के प्रति एसपी को ₹ 2.93 करोड़ का भुगतान करने पर आईटीडी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। यह अतिरिक्त बोझ आगामी वर्षों में भी लागू होगा जिससे अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि विभाग ने एमएसपी के साथ अंतरण दर पर फिर से बातचीत की और वि.व. 2016-17 में कटौती 25 प्रतिशत थी। बैंक शाखा/आरबीआई स्तर पर ओल्टास संग्रहण के गैर-मिलान और टीडीएस असंतुलन के कारण निर्धारिती सुधारों की बढ़ी प्रतिशतता के संबंध में यह बताया गया कि बैंक शाखा/आरबीआई स्तर पर ओल्टास संग्रहण के मिलान का पैन धारक के खाते में सम्पूर्ण कर क्रेडिट की उपलब्धता पर कोई भी असर नहीं था, चूँकि ऐसे मिलान कुल निधि मिलान के सकल स्तर पर थे। ऐसे मिलान वर्तमान में जेडएओ के कार्यक्षेत्र के भीतर हैं। यह भी बताया गया कि निर्धारिती की प्रतिशतता वृद्धि-चालू सुधार में आपत्ति स्वीकार्य नहीं थी। सीपीसी ने कई प्रक्रिया सुधार किए हैं जिसके परिणामस्वरूप दुबारा कार्य/संशोधन में कमी आई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में कटौती करते समय दुबारा बातचीत नहीं की गई थी। यह केवल ठेके में दो अतिरिक्त वर्षों तक विस्तार

करते समय ठेके की समाप्ति पर तथा लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही किया गया है। जेडएओ के कर्तव्य विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत आईटीडी के कर राजस्व की गणना और मिलान से संबंधित है जबकि एमएसए में व्यक्तिगत करदाताओं के खातों से संबंधित कर क्रेडिट्स का मिलान निहित था। इसके अतिरिक्त, कर दाताओं की ओर से त्रुटियां पूर्णतः निर्धारित आईटीआर के संबंधित क्षेत्रों में नियंत्रण कमी के कारण थी जबकि कटौतीकर्ता की ओर से त्रुटियों को विभाग द्वारा प्रभावी अनुसरण न किए जाने के कारण हो सकती थी।

7.9.3 मूल सेवा करार (एमएसए) के उल्लंघन में सुधार प्रक्रिया

सीपीसी परियोजना की योजना का कार्यान्वयन सीपीसी की परिकल्पित गतिविधियों के निष्पादन हेतु अपेक्षित सभी अवयवों और ढांचे के साथ पूर्ण 'सेवा' के रूप में किया जाना था। एसपी को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रति अंतरण अर्थात् प्रति आईटीआर के आधार पर भुगतान किया जाना था। एमएसए के अनुसार, एसपी सुधार अनुरोध देखने हेतु उत्तरदायी था जो एमएसए के परिशिष्ट ए में परिभाषित कार्यक्षेत्र का भाग था। सुधार अनुरोध के लिए अलग से कोई भी भुगतान नहीं करना था। हालांकि आईटीडी, एसपी के अनुरोध पर इस आधार पर सुधार अनुरोध हैंडलिंग हेतु भुगतान करने पर सहमत हुआ कि सुधार में विवरणियों का प्रसंस्करण किया जाता है और किसी अन्य आईटीआर के प्रसंस्करण के समतुल्य था और आईटीडी ने निम्नलिखित दरों की मंजूरी दी:

तालिका 7:1 सुधार अनुरोध हैंडलिंग के लिए दरों का विवरण			
विवरण	प्रकार	एसपी द्वारा दर उद्धरण (₹ प्रति आईटीआर)	आईटीडी द्वारा मंजूर (₹ प्रति आईटीआर)
खारिज़	ई-रिटर्न	8.25	8.25
	आईटीआर पी		3.88
सुधार	ई-रिटर्न	56.97	56.97
	आईटीआर पी		25.84

इस प्रकार आईटीडी ने निर्धारित सुधारों के लिए एसपी को जून 2013 तक ₹ 5.86 करोड़ का अनियमित भुगतान किया जो एमएसए के परिशिष्ट ए में विवरण के अनुसार 'सेवा' का भाग था। इसके अतिरिक्त, यह व्यय आवर्ती प्रकृति का है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि आरएफपी में सीपीसी पर प्रथम चरण के सुधार के संबंध में मूल अधिदेश भौतिक विवरणियों का प्रसंस्करण

करना था। ई-फाइलिंग विवरणियों में वृद्धि के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुधार फाइल करने के प्रावधान सहित एक नई सुधार प्रणाली बनाई गई। सेवा के कार्यक्षेत्र में काफी परिवर्तन आया और इसमें ई-दाखिल विवरणियों के लिए सुधार सेवाओं में सुविधा प्रदान करने के लिए एसपी द्वारा श्रमबल की तैनाती में वृद्धि भी शामिल है। सेवाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण नई सेवा के रूप में ई-दाखिल विवरणियों में सुधार के कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ठेका बातचीत समूह द्वारा सुधार का प्रसंस्करण दर तय किया गया था। एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया कि सुधारों पर सीबीडीटी समित की सिफारिशों के अनुसार, सुधार प्रसंस्करण के बराबर है।

कई स्थानों पर आरएफपी/एमएसए में सक्रिय प्रावधानों को देखते हुए मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है यथा; आरएफपी भाग II का पैरा 5.3.5.1, पैरा 1.1.5 - कार्यक्षेत्र (आरएफपी भाग II का खण्ड I), एमएसए का परिशिष्ट ए- सेवाओं का विवरण पैरा (1.1) (ए)(v) और परिशिष्ट एच, जिसमें 'सुधार' को ठेका कार्यक्षेत्र भाग के रूप में बताया गया है जिसके आधार पर उद्धृत दरों को मान लिया/ अंतिम रूप दिया गया था। परिशिष्ट एच में परिभाषित प्रथम चरण सुधार में भौतिक एवं ई-दाखिल विवरणियों के बीच अंतर नहीं किया जाता है। इसलिए मंत्रालय का उत्तर तथ्यगत रूप से गलत है कि प्रथम चरण के सुधार में भौतिक विवरणियों के सुधार का मूल अधिदेश था। इसके साथ ही प्रथम चरण के सुधार के प्रक्रिया प्रवाह में स्वतः संज्ञान और निर्धारिती के ओर से दोनों सुधार की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख है। इसको देखते हुए मंत्रालय का तर्क कि उक्त सेवा के कार्यक्षेत्र में भारी बदलाव हुआ, स्वीकार्य नहीं है।

7.9.4 निष्पादन मूल्यांकन

एमएसए के परिशिष्ट ए के खण्ड 12 में उल्लेख था कि सीपीसी परियोजना की महत्वपूर्ण सेवा स्तर आवश्यकतायें एसपी द्वारा पूरी की जानी थी और त्रैमासिक अन्य पक्ष प्रमाणन के पश्चात विषयगत संचालन और अनुरक्षण अवधि के दौरान आईटीडी द्वारा कड़ाई से लागू की जानी थी। एमएसए का संचालनात्मक भाग सेवा स्तर करार (एसएलए) के रूप में था। एसएलए में एसपी द्वारा सीपीसी के विभिन्न हितधारकों को प्रदान की जाने वाली संभावित सेवा, जिसे बेसलाइन सेवा स्तर कहा गया, का उल्लेख था। एसपी को देय आवधिक अंतरण प्रभार (पीटीसी)¹¹⁵ एसएलए मैट्रिक्स के अनुपालन से जुड़े थे जैसा कि उसके तहत 'तालिका' में परिभाषित है। एमएसए में आगे यह

115 एमएसए के परिशिष्ट एफ-भुगतान की शर्तों द्वारा 'प्रति विवरणी' आधार पर दी गई सेवाओं के लिए एसपी को किया गया भुगतान।

भी प्रावधान था कि एसएलए की निगरानी दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक रूप से की जाए, जैसा भी मामला हो।

सूचना के विश्लेषण से निम्नलिखित बातों का पता चला:

7.9.4.1 भौतिक आईटीआर का प्रसंस्करण

एसएलए में अन्य बातों के साथ यह भी प्रावधान था कि एओ के कार्यालय में पिक-अप हेतु विचार किया गया किन्तु 'सीपीसी रेडी' के रूप में खारिज भौतिक आईटीआर को भी इस एसएलए के उद्देश्यों हेतु आईटीआर की गणना संख्या भी शामिल की जाएगी। "सीपीसी रेडी" नहीं में सभी कारण शामिल होंगे। एसएलए के अनुसार, एसपी द्वारा पीक माह/गैर-पीक माह के दौरान 4 लाख/2लाख आईटीआर का या प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध आईटीआर का प्रसंस्करण किया जाना था, जो भी कम हो।

वि.व. 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्राप्त कुल 2,11,741¹¹⁶ भौतिक आईटीआर में से 1,71,173 विवरणियों का प्रसंस्करण मार्च 2014¹¹⁷ की समाप्ति तक किया गया था। शेष 40,568 पेपर विवरणियों की प्रसंस्करण स्थिति का पता नहीं चला। वि.व. 2012-13 में एसपी द्वारा 1.59 लाख पेपर विवरणी प्राप्त हुई थी जिनके प्रति एसपी ने अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक केवल, 1,21,634 विवरणियों का प्रसंस्करण किया था। विवरणियों की उपलब्धता के बावजूद एसपी द्वारा प्रसंस्कृत विवरणियों की संख्या निर्धारित सीमा से काफी कम थी। हालांकि, लक्ष्य पूरा न करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया क्योंकि आईटीडी ने एसएलए को माफ कर दिया। यद्यपि सीपीसी पर प्राप्त अधिकांश भौतिक आईटीआर का प्रसंस्करण कर लिया गया था, एओ के कार्यालयों से सीपीसी पर प्राप्त आईटीआर की मात्रा और समयांतराल, आईटीआर के डाटा एंट्री में त्रुटि दर जैसे एसएलए मैट्रिक्स के संबंध में आईटीडी द्वारा न तो मूल्यांकन किया गया था और न ही में एसटीक्यूसी द्वारा इनकी लेखापरीक्षा की जानी थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2016) कि आईटीडी स्टॉफ के विरोध के कारण आरएफपी में परिभाषित प्रक्रिया के प्रति भौतिक विवरणियों का पिक-अप केवल सीपीसी रेडी विवरणियों के लिए अनुमत था (विवरणियाँ, जहां स्वचालित परिवेश में प्रथम दृष्टया प्रसंस्करण हेतु सभी जरूरी सूचना उपलब्ध थी)। अपर्याप्त सूचना वाली विवरणियों के पिक-अप और हैंडलिंग हेतु एओ के पास से पिक-अप और छोड़ने की अनुमति नहीं थी। सेवाओं के इस पहलू से

116 वि.व. 2012-13: 1,59,541 और वि.व. 2013-14: 52,200

117 वि.व. 2012-13: 1,21,634 और वि.व. 2013-14: 49,539

संबंधित एसएलए कार्यान्वयन हेतु संभव नहीं थे, क्योंकि प्रक्रिया में पिक-अप रणनीति के साथ बदलाव कर दिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह परिभाषित मापदण्डों से एक महत्वपूर्ण विचलन है और परिणामस्वरूप भौतिक आईटीआर से संबंधित एसएलए मैट्रिक्स समीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय बिना निगरानी के और अप्रमाणित थे।

7.9.4.2 इलेक्ट्रॉनिक आईटीआर का प्रसंस्करण

मासिक एसएलए मैट्रिक्स में पीक महीनों¹¹⁸ और गैर-पीक महीनों¹¹⁹ के दौरान क्रमशः 5 लाख और 2.5 लाख आईटीआर के प्रसंस्करण का प्रावधान था। समीक्षा अवधि के दौरान प्रसंस्कृत ई-विवरणियों की संख्या की रेंज गैर पीक महीनों में 2.57 लाख (जुलाई 2012) से 51.31 लाख (दिसम्बर 2014) तथा पीक महीनों में 12.04 लाख (अगस्त 2012) से 30.41 लाख (अक्टूबर 2014) तक थी।

उपलब्धियां, निर्धारित मासिक लक्ष्यों से काफी अधिक थीं जिसके कारण परिणाम असंतुलित रहा जबकि एसएलए मैट्रिक्स की उपलब्धि का मूल्यांकन करते समय अव्यवहारिक तुलना की गई। यह देखा गया कि यद्यपि आईटीआर की ई-दाखिले की संख्या अनुमानित संख्या से बढ़ गई, हालांकि एसएलए में संशोधन नहीं किया गया और एसपी के निष्पादनों की तुलना लगातार मूल लक्ष्यों के प्रति की जाती रही। आईटीडी ने वास्तविक तुलना में सुविधा प्रदान करने हेतु वास्तविक समय क्षमता के अनुरूप मासिक लक्ष्यों में संशोधन करने पर विचार नहीं किया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि मौजूदा एसएलए की समीक्षा की जा रही है और ठेके की विस्तारित अवधि हेतु लागू होगा।

7.9.4.3 भौतिक आईटीआर से संबंधित डाटा एंट्री त्रुटियों की उच्च प्रतिशतता

एसएलए 16 के अनुसार, बेसलाइन मैट्रिक्स, 'मिसमैच मामले' एक प्रतिशत से कम पर निर्धारित किए गए, जबकि निष्पादन का अतिक्रमण समझा जाए, यदि यह पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ जाए। मिसमैच मामलों को पहले और दूसरे डाटा एंट्री आपरेटर की समाप्त डाटा एंट्री की तुलना के आधार पर 'मिसमैच' के रूप में निर्धारित करने के पश्चात्, मिसमैच आपरेटर को भेजे गए मामलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था। निष्पादन अतिक्रमण से ऋणात्मक दो अंक मिले।

118 अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर


119 अप्रैल से जुलाई और नवम्बर से मार्च

यह देखा गया कि सभी महीनों में जिसमें पेपर आईटीआर प्राप्त हुए और उनका प्रसंस्करण किया गया, मिसमैच आपरेटर को भेजे गए मामलों की प्रतिशतता बहुत अधिक बढ़ गई अर्थात्, वि.व. 2012-13 में 12.9 प्रतिशत और 42.7 प्रतिशत के बीच और वि.व. 2013-14 में 55 प्रतिशत और 63 प्रतिशत से अधिक।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि संचालन में एक सुविधा है जिसे मिसमैच आपरेटर कहा जाता है जो दोनों डाटा एंट्री आपरेटर्स के डिजिटलीकरण की तुलना करेगा तथा उसके मिसमैच पर प्रकाश डालेगा। एसएलए 16 में चर्चा किए गए एसएलए मापदण्ड में रिकॉर्ड आगे भेजने के बाद त्रुटि दर और क्यूसी हेतु आईटीडी नामित व्यक्ति को प्रस्तुत करने का प्रावधान है।


उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मिसमैच मामलों को मिसमैच आपरेटर को भेजे गए मामलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि आईटीडी-क्यूसी द्वारा चिह्नित त्रुटियों की संख्या के रूप में।

नई दिल्ली
दिनांक: 25 जनवरी 2017


(संजय कुमार)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 25 जनवरी 2017


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1 (संदर्भ: पैराग्राफ 1.2.2)

प्रत्यक्ष कर प्रशासन के ब्यौरे					
					(₹ करोड़ में)
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
i) निगम कर	3,22,816	3,56,326	3,94,678	4,28,925	4,53,228
ii) आयकर	1,64,525	1,96,843	2,37,870	2,58,374	2,80,390
iii) अन्य प्रत्यक्ष कर	6,646	5,820	6,048	8,493	8,394
iv) कुल	4,93,987	5,58,989	6,38,596	6,95,792	7,42,012
2. निर्धारिती प्रोफाईल¹²⁰	(आंकड़े लाख में)				
i) गैर-निगमित निर्धारिती	357.61	367.87	463.57	599.88	636.04
ii) निगमित निर्धारिती	5.85	5.90	6.75	7.72	7.97
कुल निर्धारिती	363.46	373.77	470.32	607.60	644.01
3. निगम कर तथा आयकर के संदर्भ में संग्रहण के चरण					
क. पूर्व निर्धारण संग्रहण					(₹ करोड़ में)
i) स्रोत पर कर कटौती	1,98,679	2,10,654	2,48,547	2,59,106	2,87,412
ii) अग्रिम कर	2,51,526	2,75,794	2,92,522	3,26,525	3,52,899
iii) स्व-निर्धारण कर	27,648	39,470	44,123	52,050	54,860
कुल पूर्व निर्धारण संग्रहण	4,77,853	5,25,918	5,85,192	6,37,681	6,96,171
ख. पश्च-निर्धारण संग्रहण					
(नियमित निर्धारण कर)					
अधिप्रभार तथा उपकर सहित अन्य प्राप्तियां	50,134	48,596	63,884	81,589	96,940
कुल संग्रहण	5,79,499	6,36,932	7,21,604	7,99,459	8,55,925
निवल संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में पूर्व निर्धारण संग्रहण	82.5	82.6	81.1	79.8	81.2
4. निर्धारणों की स्थिति					(संख्या)
i) निपटान हेतु बकाया संवीक्षा निर्धारण	7,74,807	5,93,761	6,98,652	10,26,575	7,05,177
ii) निपटाये गये संवीक्षा निर्धारण (प्रतिशत)	3,69,320 (47.67)	3,08,398 (51.94)	2,84,750 (40.76)	5,35,444 (52.16)	3,38,898 (48.06)
iii) संसाधन के लिए बकाया गैर-संवीक्षा निर्धारण	3,92,32,628	2,90,37,299	2,68,22,541	1,99,59,846	2,46,16,760
iv) संसाधित गैर-संवीक्षा निर्धारण (प्रतिशत)	2,77,21,088 (70.66)	1,70,47,634 (58.71)	1,75,37,405 (65.38)	1,25,58,932 (62.92)	1,76,18,292 (71.57)
v) निर्धारण कार्य हेतु तैनात अधिकारियों की संख्या	3,737	3,657	4,033	6,576	6,311

स्रोत: क्रम सं. 1 संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे, वि.व. 2015-16 में प्र. सीसीए, सीबीडीटी द्वारा दिए गए आंकड़ों की तुलना में आयकर ₹ 289.07 करोड़ तथा अन्य प्रत्यक्ष करों में 0.57 करोड़ का अंतर है।

120 वह मामलें शामिल हैं जहां गैर-शून्य टीडीएस-26 एस मौजूद है किंतु आयकर विभाग के अभिलेख में कोई आईटीआर दर्ज नहीं थी। वि. व. 2014-15 तथा वि.व. 2016 के आंकड़ों में पिछले दो वर्षों के दौरान डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा कवर किए गए सभी निर्धारिती शामिल हैं।

5. प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले					(आंकड़े लाख में)
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
i) निपटान हेतु बकाया दावे	52.83	38.84	34.53	31.53	38.99
ii) निपटाए गए दावे (प्रतिशत)	40.33 (76.34)	27.65 (71.19)	25.76 (74.60)	22.68 (71.93)	33.45 (85.79)
iii) लंबित दावों की संख्या	12.50	11.19	8.77	8.85	5.54
6. प्रतिदाय और प्रतिदायों पर ब्याज					(₹ करोड़ में)
i) प्रतिदाय	93,814	83,766	89,060	1,12,163	1,22,596
ii) प्रतिदायों पर ब्याज	6,486	6,666	6,598	5,332	6,886
iii) प्रतिदायों की प्रतिशत के रूप में ब्याज	6.9	8.0	7.4	4.8	5.6
7. संग्रहण की दक्षता					(₹ करोड़ में)
i) पूर्व वर्ष के लंबित संग्रहण की मांग	2,65,040	4,09,456	4,80,066	5,68,724	6,67,855
ii) चालू वर्ष के लंबित संग्रहण की मांग	1,43,378	76,724	95,274	1,31,424	1,56,356
कुल लंबित मांग	4,08,418	4,86,180	5,75,340	7,00,148	8,24,211
8. सीआईटी (ए) स्तरों पर अपीलों की स्थिति					(संख्या)
i) निपटान हेतु लंबित अपीलें	3,06,134	2,84,439	3,02,944	3,05,862	3,52,989
ii) निपटायी गई अपीलें (प्रतिशत)	75,518 (24.67)	85,049 (29.90)	87,770 (28.97)	73,736 (24.20)	94,091 (26.66)
iii) लंबित अपीलें	2,30,616	1,99,390	2,15,174	2,32,126	2,58,898
iv) अपीलों में अवरूद्ध राशि	2,42,182	2,59,556	2,87,443	3,83,797	5,16,250
9. कर वसूली अधिकारी					(₹ करोड़ में)
i) कुल प्रमाणित मांग	1,23,288.0 8	1,60,582.32	2,27,950.21	2,43,330.96	2,61,714.00
ii) वसूली गई प्रमाणित मांग (प्रतिशत)	9,756.39 (7.91)	6,764.65 (4.21)	6,703.02 (2.94)	7,391.07 (3.04)	22,089.31 (8.44)
iii) लंबित प्रमाणित मांग (प्रतिशत)	1,13,531.7 (92.09)	1,53,817.7 (95.79)	2,21,247.2 (97.06)	2,35,939.89 (96.96)	2,39,624.69 (91.56)
10. संग्रहण की लागत					(₹ करोड़ में)
संग्रहण की लागत	2,976	3,284	3,642	4,101	4,620

स्रोत: क्रम सं. 5.6 (ii), 8 तथा 9-डीजीआईटी (सांख्यिकी), सीबीडीटी; क्रम सं. 6 (i) तथा 10-प्र. सीसीए, सीबीडीटी, क्रम सं. 7-सीएपी। मांग और संग्रहण विवरण जिसमें आयकर निदेशालय (संगठन तथा प्रबंधन सेवाएं) द्वारा उपलब्ध कराई गई संबंधित वि.व. की मार्च माह के विश्लेषण शामिल है।

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.3)

राज्य	2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु चयनित यूनिटों में वर्ष 2014-15 के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण (पूर्व वर्षों में पूरे किए गए निर्धारणों सहित)	वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण (पूर्व वर्षों में पूरे किए गए निर्धारणों सहित)	त्रुटियों वाले निर्धारण	संवीक्षा निर्धारणों में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता (कॉ. 4/कॉ. 3x100)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
असम	2,971	2,962	345	44.33	11.65
बिहार	2,916	2,612	280	95.14	10.72
छत्तीसगढ़	2,222	1,847	79	178.82	4.28
दिल्ली	41,101	31,573	1,340	2,756.54	4.24
गोवा	1,648	1,602	78	158.66	4.87
गुजरात	26,622	26,055	1,373	1,514.83	5.27
हरियाणा	5,322	4,908	586	370.96	11.94
हिमाचल प्रदेश	1,427	1,207	355	208.05	29.41
जम्मू एवं कश्मीर	866	861	67	2.83	7.78
झारखंड	870	828	100	28.99	12.08
कर्नाटक	8,558	8,037	679	859.66	8.45
केरल	6,742	5,817	579	297.28	9.95
मध्य प्रदेश	9,934	9,741	609	602.19	6.25
महाराष्ट्र	72,610	54,869	3,337	3,581.44	6.08
ओडिशा	3,156	2,860	372	563.48	13.01
पंजाब	7,750	6,949	669	98.24	9.63
राजस्थान	11,805	11,342	735	77.58	6.48
तमिलनाडु	17,084	14,836	1,887	1,285.71	12.72
यूटी चंडीढ़	2,262	2,093	222	59.49	10.61
उत्तराखण्ड	1,981	1,558	74	32.08	4.75
उत्तर प्रदेश	13,176	12,665	907	971.50	7.16
पश्चिम बंगाल	39,997	39,055	3,102	2,460.35	7.94
कुल	2,81,020	2,44,277	17,775	16,248.15	7.28

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.5 देखें)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए आय कर और निगम कर से संबंधित अवनिर्धारणों का श्रेणीवार विवरण		
		(₹ करोड़ में)
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	4,616	3,750.99
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	1,453	2,234.38
ख. कर, अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	309	167.05
ग. विवरणियों की प्रस्तुती में विलम्ब, कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना	2,668	1,219.13
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	145	111.70
ड. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियाँ	41	18.73
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	8,267	8,542.98
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौतियाँ/राहतें	861	1,398.77
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहतें	420	65.30
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौतियाँ/राहतें	338	306.51
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	5,385	5,189.57
ड. मूल्यहास/कारोबारी हानियाँ/पूँजीगत हानियाँ अनुमत करने में अनियमितताएं	1,253	1,533.87
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	10	48.96
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	2,351	1,684.24
क. मेट/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	206	118.95
ख. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट इत्यादि	445	370.09
ग. पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	487	216.08
घ. आर्म लैन्थ मूल्य का गलत आंकलन	62	223.88
ड. पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे की आय को मिलाने में चूक	10	4.16
च. गृह सम्पत्ति से आय की गलत गणना	139	33.20
छ. वेतन आय की अशुद्ध गणना	75	7.33
ज. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियाँ	927	710.55
घ. अन्य	3,251	1,744.29
जोड़	18,485	15,722.50

परिशिष्ट 2.3 (पैराग्राफ 2.3.4, 3.1.2 तथा 4.1.3 देखें)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
निगम कर						
निर्धारणों की गुणवत्ता-आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां						
1	9-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-1, मुम्बई	मै. एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस क. लि.	2010-11	1180.29
2	12-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -10, मुम्बई	मै. पेटन फेशन्स प्रा. लि.	2010-11	50.14
3	19-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (सेंट्रल)-1, दिल्ली	मै. अम्बे वैली लि.	2011-12	549.58
4	20-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -3, दिल्ली	मै. एपीटोम ट्रेवल सोल्यूशन्स (इंडिया) प्रा. लि.	2012-13	96.86
5	21-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -3, दिल्ली	मै. एडुविजार्ड इन्फोसोल्यूशन्स प्रा. लि.	2012-13	86.99
6	22-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -1, दिल्ली	मै. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि.	2012-13	373.05
7	32-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-1, इंदौर	मै. जीनेक्सट टेलीकोम प्रा.लि.	2011-12	568.03
8	43-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 14, मुम्बई	मै. इस्ट हैदराबाद एक्सप्रेस वे लि.	2012-13	1333.44
9	44-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 5, मुम्बई	मै. एयर इंडिया लि.	2012-13	2920.05
10	45-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 6, मुम्बई	मै. एस्सार कैपिटल लि.	2011-12	12608.59
11	55-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी 1, दिल्ली	मै. अलकाटेल लुसेंट इंडिया लि.	2009-10	290.86
12	58-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (सेंट्रल)-1, दिल्ली	मै. सहारा इंडिया कमर्शियल कार्पोरेशन लि.	2011-12	2048.25
13	64-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी 4 कोलकाता	मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लि.	2008-09	64.52
14	70-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी (सेंट्रल)-1, कोलकाता	मै. इएमसी लि.	2010-11	118.45
15	73-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -1, कोलकाता	मै. इन्टैलिसिस टेक्नोलॉजिज एण्ड रिसर्च लि.	2012-13	133.6
16	74-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मै. स्पोकिसी इन्वेस्टमेंट कन्सल्टेशन प्रा. लि.	2012-13	3965.71
17	79-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-2 कोलकाता	मै. विकास मेटल एण्ड पावर लि.	2009-10	56.2
18	86-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-II, चेन्नई	मै. इसफ माइक्रो फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंटस प्राइवेट लि.	2012-13	57.19
19	91-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-3, चेन्नई	मै. तमिलनाडु स्टेट मार्किटिंग कार्पोरेशन लि.	2012-13	9977.77

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
20	100-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी (सेंट्रल) 4, मुम्बई	मै.सीयर ट्रेडिंग प्राइवेट लि.	2012-13	506.93
21	125-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मै.जेकाइल विन्ट्रेड प्रा. लि.	2009-10	51.42
22	135-सीटी	ओडिशा	सीआईटी भुवनेश्वर	मै.पारादीप फॉस्फेट लि.	2011-12	8624.04
23	138-सीटी	ओडिशा	सीआईटी भुवनेश्वर	मै.ओडिशा हाइड्रो पावर कार्पोरेशन लि.	2012-13	1164.5
24	140-सीटी	आन्ध्र प्रदेश	प्र.सीआईटी -केंद्रीय, हैदराबाद	मै.एमआर कन्स्ट्रक्शन्स लि.	2010-11	187.13
25	143-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -3, मुम्बई	मै.बजाज पावर वेन्चर्स प्रा.लि.	2012-13	481.45
26	146-सीटी	दिल्ली	सीआईटी(सेंट्रल)-1, दिल्ली	मै.ग्लोबल हेरिटेज वेन्चर लि.	2012-13	2102.54
27	162-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -2, दिल्ली	मै.भारत संचार निगम लि.	2012-13	30,011.95
28	165-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-2, दिल्ली	मै.बीएसइएस राजधानी पावर लि.	2012-13	306.23
29	173-सीटी	केरल	प्र.सीआईटी कोची-1	मै.लक्षद्वीप डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	2012-13	1694.8
30	175-सीटी	बिहार	प्र.सीआईटी (सेंट्रल) पटना	मै. गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. पटना	2004-05	428.24
31	176-सीटी	बिहार	प्र.सीआईटी (सेंट्रल) पटना	मै.गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग लि. पटना	2008-09	437.79
32	188-सीटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी-3, हैदराबाद	मै.श्रीराम चिट्स प्राइवेट लि.	2010-11	189.17
33	197-सीटी	कर्नाटक	प्र.सीआईटी -केंद्रीय बेंगलोर	मै. एबी गोल्ड प्रा. लि.	2013-14	69.17
34	201-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -3, दिल्ली	मै. एफआईएस ग्लोबल बिजनस सोल्युशन्स इंडिया प्रा. लि.	2010-11	674.81
35	203-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -16, मुम्बई	मै. 9एक्स मिडिया प्रा.लि.	2009-10	6218.3
36	208-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-9, दिल्ली	मै.विध्वेश्वर डेवलपर्स प्रा. लि.	2011-12	788.8
37	214-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -3, दिल्ली	मै. एनर्जी इन्फ्राटैक प्रा. लि.	2010-11	190.97
38	216-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-7, दिल्ली	मै.आरएलएफ लि.	2010-11	113.69
39	229-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -3, मुम्बई	मै.अल्बीना रीयल इस्टेट लि.	2012-13	105.49
40	236-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-2, बेंगलोर	मै.सिस्को सिस्टम कैपिटल इंडिया प्रा. लि.	2008-09	819.31
41	247-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-4, दिल्ली	मै.इमेजिन पिक्चर्स लि.	2010-11	77.03
42	269-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी (सेंट्रल)-1, मुम्बई	मै.परीनी डेवलपर्स प्रा. लि.	2012-13	302.96
43	283-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -10, मुम्बई	मै.फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्रा.लि.	2011-12	77.61

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
44	286-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-भोपाल	मै.एम.पी. लघु उद्योग निगम लि.	2010-11	69.49
45	312-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी - 15, मुम्बई	मै.प्रणव कन्स्ट्रक्शन सिस्टम्स प्रा.लि.	2012-13	121.55
निर्धारणों की गुणवत्ता-कर, अधिभार आदि की गलत दर लगाना						
46	6-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी -2, अहमदाबाद	मै.गणेशसागर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	2012-13	124.18
47	8-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -2, मुम्बई	मै.एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.	2009-10	915.31
48	36-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी केंद्रीय-1, मुम्बई	मै.श्रुति आर्ट प्रा. लि.	2010-11	77.98
49	250-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -5, मुम्बई	मै. कालसरिया डायमन्ड्स प्रा.लि.	2008-09	389.41
50	296-सीटी	उत्तर प्रदेश	प्र.सीआईटी- केंद्रीय कानपूर	मै.स्वर्ण ओवरसीज प्रा. लि.	2011-12	65.96
निर्धारणों की गुणवत्ता-ब्याज न लगाना/कर का कम उदग्रहण/विवरणियों की प्रस्तुति में विलम्ब के लिए शस्ति, कर के भुगतान में विलम्ब इत्यादि						
51	2-सीटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी -3, चेन्नई	मै. टेलीडाटा मरीन सोल्यूशन्स लि.	2007-08	384.57
52	5-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी -3, अहमदाबाद	मै. रेकित बैंकीसर हेल्थकेयर इंडिया लि.	2011-12	61.7
53	14-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -2, मुम्बई	मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	2009-10	2282.5
54	15-सीटी	हरियाणा	प्र.सीआईटी (सेंट्रल) गुडगांव	मै. एशियन कलर कोटेड इस्पात लि.	2006-07 तथा 2007-08	43.86
55	18-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -9, दिल्ली	मै.ट्रांजेक्शन इंडिया प्रा. लि.	2006-07	210.38
56	23-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (सेंट्रल)-2, दिल्ली	मै. एसआर आयरन प्रा. लि.	2010-11, 2011-12 तथा 2012-13	89.5
57	24-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -6, दिल्ली	मै. एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लि.	2012-13	50.42
58	27-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी (सेंट्रल)-2, दिल्ली	मै. बिलीव कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	2012-13	56.09
59	31-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-ग्वालियर	मै. के एस सिटी प्रा. लि. इन्दोर	2007-08, 2008-09 तथा 2009-10	341.86
60	35-सीटी	महाराष्ट्र	डीआईटी(आईटी)-1, मुंबई	मेसर्स एआईजी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एलपी	2005-06	1513.21
61	37-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) 4, मुंबई	मेसर्स रजत फार्माकेम लि.	2007-08	520.27
62	38-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 10, मुंबई	मेसर्स इंडिया मेडट्रॉनिक प्रा.लि.	2007-08	120.91

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिता का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
63	54-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी, दिल्ली	मेसर्स एकोरस यूनिटेक वायरलेस प्रा.लि.	2009-10	246.12
64	57-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी, दिल्ली	मेसर्स टयूलिप टेलिकॉम लि.	2011-12	177.73
65	72-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता	मेसर्स ईएमसी लि	2011-12	71.03
66	78-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -1 कोलकाता	मेसर्स एस.एच. ट्रेडिंग एंड क्रेडिट प्रा.लि.	2009-10	56.37
67	87-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -1, चेन्नै	मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाईनैस लि.	2012-13	625.41
68	99-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) 1, मुंबई	मेसर्स रिलाएबल पेपर इंडिया लि.	2010-11	697.97
69	108-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, ग्वालियर	मेसर्स के.एस.फिन लीज लि.	2006-07, 2007-08 तथा 2008-09	149.88
70	121-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -6, चेन्नै	मेसर्स सुदरलैंड ग्लोबल सर्विसिज प्रा.लि.	2011-12	190.01
71	123-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी -नोएडा	मेसर्स न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण	2010-11 तथा 2011-12	4609.44
72	131-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	मेसर्स इंडियन टेकनोमेटल कंपनी लि.	2011-12	72.67
73	136-सीटी	ओडिसा	सीआईटी - भुवनेश्वर	मेसर्स नेशनल एल्यूमिनम कंपनी लि.	2008-09	126.87
74	147-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -7, दिल्ली	मेसर्स पंजाब एंड सिंड बैंक	2006-07	230.06
75	148-सीटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी -केन्द्रीय, हैदराबाद	मेसर्स शिमोगा एयरपोर्ट डेवलपर्स प्रा.लि.	2012-13	100.53
76	155-सीटी	उत्तर प्रदेश	प्र.सीआईटी -नोएडा	मेसर्स डिजिलेंट रियल एस्टेट प्रा. लिमिटेड	2011-12	281.38
77	161-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी -ग्वालियर	मेसर्स चंबल वैली एग्री प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड	2008-09 तथा 2009-10	194.21
78	184-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी, केन्द्रीय-1, कोलकाता	मेसर्स रश्म मेटालिक्स लिमिटेड	2012-13	65.24
79	185-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -3, कोलकाता	मेसर्स गनेश्वनी सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	344.22
80	186-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी केन्द्रीय-1, कोलकाता	मेसर्स सेंट्रलजोन रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड	2012-13	140.82
81	192-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी केन्द्रीय 1, मुंबई	मेसर्स स्पेशलिटी पेपर लिमिटेड	2009-10	203.61
82	199-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -केन्द्रीय-3, मुंबई	मेसर्स राज ऑयल मिल्स लिमिटेड	2010-11	329.36

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
83	204-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -13, मुंबई	मेसर्स सिरिया एफएम निर्माण प्रा. लिमिटेड	2011-12	156.03
84	210-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कर)-2	मेसर्स नोकिया निगम	2010-11	689.83
85	244-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली	मेसर्स एस आर आयरन प्रा. लिमिटेड	2013-14	74.44
86	282-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -14, मुंबई	मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	267.84
87	285-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी (केन्द्रीय) भोपाल	मेसर्स अजितनाथ हकीकत प्रा. लिमिटेड इंदौर	2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13	477.92
88	303-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -1, चेन्नै	मेसर्स बजरंगबली आयरन एंड स्टील कंपनी प्रा. लिमिटेड	2011-12	78.55
89	305-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -1, चेन्नै	मेसर्स सिटी लुब्रीकेन्टस प्रा. लिमिटेड	2007-08	51.26
निर्धारणों की गुणवत्ता अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज निर्धारण						
90	4-सीटी	केरल	सीआईटी -थ्रिसुर	मेसर्स दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	2003-04	87.84
91	42-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 2, मुंबई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1995-96	439.4
92	93-सीटी	केरल	सीआईटी थ्रिसुर	मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	2004-05	3794.28
93	132-सीटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी -5, हैदराबाद	मेसर्स व्योम नेटवर्क्स लिमिटेड	2009-10	118.02
94	190-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी, मुंबई	मेसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड	2003-04	381.19
95	196-सीटी	कर्नाटका	प्रसीआईटी-मैंगलोर	मेसर्स सिंडिकेट बैंक	2004-05	125
निर्धारणों की गुणवत्ता अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने के दौरान निर्धारणमें त्रुटिया निर्धारण						
96	11-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी एलटीयू, मुंबई	मेसर्स एशियन पेंट्स लिमिटेड	2007-08	92.1
97	76-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मेसर्स गिन्जा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	148.89
98	116-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी -नोएडा	मेसर्स एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा	2008-09	4546.96
99	191-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) 3, मुंबई	मेसर्स गैनन डंकरली एण्ड कंपनी लिमिटेड	2010-11	460.97
100	194-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-एलटीयू, दिल्ली	मेसर्स डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	144.6
101	239-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-2, दिल्ली	मेसर्स बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	2010-11	1823.64
102	240-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-2, दिल्ली	मेसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	2010-11	19187.94

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
103	264-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-2, दिल्ली	मेसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	2010-11	67.15
104	266-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी - 1, पुणे	मेसर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2010-11	622.11
105	321-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -2, मुंबई	मेसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2005-06	2002.34
कर रियायतों/छूट/कटौतियों का प्रशासन-अनियमित छूटों/कटौतियों/सहायता						
106	39-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) 2, मुंबई	मेसर्स ऑरिऑन एंटरप्राइजेज लिमिटेड	2009-10	110.29
107	46-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 2, मुंबई	मेसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2012-13	5332.12
108	51-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 8, मुंबई	मेसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड	2010-11	2980.56
109	56-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी 2, दिल्ली	मेसर्स बुटीक होटल इंडिया प्रा. लिमिटेड	2011-12	4130.17
110	59-सीटी	केरल	सीआईटी त्रिवेन्द्रम	मेसर्स आइम टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	172.82
111	98-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 16, मुंबई	मेसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	620.02
112	106-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -1, मुंबई	मेसर्स एलआईसी इंडिया	2007-08, 2008-09 तथा 2009-10	492.25
113	109-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी केन्द्रीय-1, कोलकाता	मेसर्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड	2012-13	227.61
114	124-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मेसर्स ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2012-13	68.3
115	128-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी 3, चेन्नै	मेसर्स जायलॉग सिस्टम्स लिमिटेड	2010-11	523.9
116	129-सीटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी -1, मदुराई	मेसर्स फेनर इंडिया लिमिटेड	2011-12	414.51
117	130-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -3, दिल्ली	मेसर्स फ्रेसिनियस कबी ऑनकोलॉजी लिमिटेड	2011-12	103.59
118	157-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -केन्द्रीय-2, कोलकाता	मेसर्स कॉनकास्ट बंगाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	58.9
119	166-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -2, दिल्ली	मेसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	2011-12	78.03
120	174-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -4, चेन्नै	मेसर्स एमपीएस लिमिटेड	2010-11 तथा 2011-12	348.13
121	182-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी 2, कोलकाता	मेसर्स एपीजे टी लिमिटेड	2012-13	107.44
122	200-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी - केन्द्रीय, कानपुर	मेसर्स रामा मेडिकेयर लिमिटेड	2011-12	333.89
123	207-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -1, मुंबई	मेसर्स एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2009-10	649.15

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
124	243-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -6, दिल्ली	मेसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	84.08
125	255-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी - एलटीयू, बेंगलूर	मेसर्स टोयोटा किलोस्कर ऑटो पार्ट्स प्रा. लिमिटेड	2010-11	215.51
126	268-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -15, मुंबई	मेसर्स 3 आई इंफोटेक लिमिटेड	2010-11	2428.55
127	275-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी - 3, मुंबई	मेसर्स लाइफ इन्शोरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	2010-11 तथा 2011-12	838.67
128	277-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, मुंबई	मेसर्स रूनवल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	1864.76
129	292-सीटी	कर्नाटका	सीआईटी-2, बेंगलूर	मेसर्स कॉन्टीनेटल ऑटोमोटीव कोमपोनेन्टस प्रा. लिमिटेड	2009-10	459.98
130	302-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी, चेन्नै	मेसर्स ब्लो पैकेजिंग (इंडिया) लिमिटेड	2012-13	67.91
131	304-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -4, चेन्नै	मेसर्स न्यूजेन इमेजिंग सिस्टम प्रा. लिमिटेड	2009-10	93.20
132	316-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -2, मुंबई	मेसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	10094.00
कर नियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-व्यापारिक व्यय की गलत स्वीकृति						
133	10-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -2, नागपुर	मेसर्स मॅगनीज ओर (आई) लिमिटेड	2009-10 तथा 2010-11	237.62
134	34-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -एलटीयू, चेन्नै	मेसर्स ईआईडी पैरी (इंडिया) लिमिटेड	2010-11	301.74
135	40-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 1, पुणे	मेसर्स गेनेज प्रेसिंग प्रा. लिमिटेड	2009-10	73.78
136	60-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी, गाँधीनगर	मेसर्स गुजरात स्टेट लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2009-10	929.07
137	68-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -4, कोलकाता	मेसर्स अर्शोसान्ये कन्सट्रक्शन ग्रूप इंडिया लिमिटेड	2009-10	97.83
138	69-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड	2012-13	449.98
139	71-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-एलटीयू कोलकाता	मेसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	2012-13	197.73
140	83-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-1, हैदराबाद	मेसर्स आंध्र बैंक	2009-10	3464.94
141	90-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-4, चेन्नै	मेसर्स कल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	62.39
142	97-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी एलटीयू, मुंबई	मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड	2010-11	3796.41
143	104-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी एलटीयू, मुंबई	मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड	2010-11 तथा 2011-12	2113.56

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रकार	निर्धारित का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
144	107-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-4, दिल्ली	मेसर्स इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड	2010-11	259.87
145	111-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	2012-13	131.4
146	114-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मेसर्स इंडियन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	83.44
147	115-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -1, कोलकाता	मेसर्स बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	2009-10	55.81
148	119-सीटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी -3, चेन्नै	मेसर्स तमिलनाडु सिविल सप्लाइस कॉरपोरेशन	2012-13	403.84
149	122-सीटी	असम	सीआईटी-शिलॉंग	मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2011-12	71.51
150	144-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -5, मुंबई	मेसर्स ताज एयर लिमिटेड	2009-10	184.34
151	172-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मेसर्स इलाहाबाद बैंक	2010-11	5200.47
152	181-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी 2, कोलकाता	मेसर्स दी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	277.32
153	183-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी 4, कोलकाता	मेसर्स रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2010-11	52.37
154	187-सीटी	ओडिसा	भुवनेश्वर	मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	118.85
155	198-सीटी	हरियाणा	सीआईटी-पंचकुला	मेसर्स हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2009-10	158.28
156	205-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -एलटीयू, मुंबई	मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड	2007-08, 2010-11	2021.06
157	218-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -VI, दिल्ली	मेसर्स एमएमटीसी लिमिटेड	2009-10	210.13
158	223-सीटी	ओडिसा	सीआईटी- भुवनेश्वर	मेसर्स नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रीसिटी स्पलाई कंपनी ऑफ ओडिशा	2011-12	243.19
159	224-सीटी	ओडिसा	सीआईटी- भुवनेश्वर	मेसर्स वेस्टर्न इलेक्ट्रीसिटी स्पलाई कंपनी ऑफ ओडिशा लि.	2012-13	103.1
160	233-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-4, चेन्नै	मेसर्स एल एण्ड टी इन्टरस्टेट रोड कॉरिडोर लिमिटेड	2011-12	183.53
161	252-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -8, मुंबई	मेसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड	2009-10	184.13
162	259-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-1, चेन्नै	मेसर्स बीयर्डसेल साटेक लिमिटेड	2012-13	120.76
163	260-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी- 1, चेन्नै	मेसर्स एग्निस फायर प्रोटेक्शन प्रा. लिमिटेड	2012-13	77.51
164	261-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी- 2, चेन्नै	मेसर्स इक्विटास होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड (पूर्व में इक्विटास	2011-12	200.46

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
माइक्रो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)						
165	265-सीटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी -2, चेन्नै	मेसर्स इंडियन बैंक लिमिटेड	2009-10 तथा 2010-11	1233.16
166	267-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -2, मुंबई	मेसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2005-06	247
167	270-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -2, मुंबई	मेसर्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	2011-12	4870.39
168	271-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -3, मुंबई	मेसर्स नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट	2012-13	2554.72
169	273-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -2, मुंबई	मेसर्स कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	2012-13	1266.82
170	276-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -9, मुंबई	मेसर्स आदित्य बिड़ला रिटेल लिमिटेड	2010-11	2243.18
171	278-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -12, मुंबई	मेसर्स इच इन्वेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड	2010-11	3192.88
172	284-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -3, पुणे	मेसर्स न्यू फलटन शुगर वर्क्स लिमिटेड	2010-11	67.34
173	289-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-6, बेंगलूर	मेसर्स सुब्रमण्य कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	2011-12	153.71
174	298-सीटी	पंजाब	प्र.सीआईटी -1 चण्डीगढ़	मेसर्स रिकार्डर एण्ड मेडिकेयर सिस्टमस् प्रा. लिमिटेड	2012-13	48.06
175	299-सीटी	ओडिशा	सीआईटी- भुवनेश्वर	मेसर्स नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2012-13	978.81
176	301-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-4, चेन्नै	मेसर्स एल एंड टी कृष्णागिरी थोपुर टॉल रोड लिमिटेड	2011-12	98.99
177	317-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -2, मुंबई	मेसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड	2004-05	113.23
178	319-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -1, कोलकाता	मेसर्स बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	2012-13	472.81
179	320-सीटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी-3, हैदराबाद	मेसर्स स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2010-11 तथा 2011-12	11801.46
कर रियायतों/छूटों/कटौतियोंकी व्यवस्था-मूल्यहास/व्यापार हानियों/पूँजी हानियाँ को अनुमत करने में अनियमितता						
180	3-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-2, जयपुर	मेसर्स विवेक फार्मा केम. इंडिया लिमिटेड	2012-13	95.17
181	13-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -6, मुंबई	मेसर्स अग्रवाल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	2009-10	4250.61
182	26-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -3, दिल्ली	मेसर्स ईएफएस फेसिलेटिसज सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	2012-13	260.46
183	41-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 2, मुंबई	मेसर्स डीएसपी इनवेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड	2010-11	50.73

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
184	47-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) 4, मुंबई	मेसर्स मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे लिमिटेड	2012-13	4682.17
185	48-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 8, मुंबई	मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड	2012-13	5860.79
186	50-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 2, नासिक	मेसर्स जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड	2008-09	4705.94
187	61-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी IV, अहमदाबाद	मेसर्स सुयोजीत इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	121.07
188	62-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-5, चेन्नै	मेसर्स आरआर डोनेली पब्लिशिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड	2007-08	122.89
189	63-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी एलटीयू, चेन्नै	मेसर्स एक्सेलस इंडिया लिमिटेड	2010-11	798.62
190	66-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मेसर्स वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2007-08	1781.02
191	80-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-केन्द्रीय 1, कोलकाता	मेसर्स उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनिरलस् लिमिटेड	2012-13	71
192	85-सीटी	हरियाणा	सीआईटी (सी), गुडगाँव	मेसर्स ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	113.96
193	88-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-1, चेन्नै	मेसर्स अंबात्तुर क्लॉथिंग लिमिटेड	2011-12	459.89
194	89-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-4, चेन्नै	मेसर्स कल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	1199.3
195	96-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 10, मुंबई	मेसर्स पटेल केएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2011-12	2738.93
196	101-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 1, पुणे	मेसर्स इलैक्ट्रॉकार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	984.11
197	102-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 3, मुंबई	मेसर्स एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2008-09	486.03
198	105-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -9 मुंबई	मेसर्स फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2009-10	633.15
199	110-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी केन्द्रीय-1, कोलकाता	मेसर्स उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनिरल लिमिटेड	2012-13	154.67
200	112-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -3, कोलकाता	मेसर्स विनसम ब्रेवरीज लिमिटेड	2012-13	111.21
201	117-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-एलटीयू, बेंगलूर	मेसर्स कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12	2607.33
202	118-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-4, चेन्नै	मेसर्स निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	78.91

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
203	127-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मेसर्स सबलाईम एगो लिमिटेड	2011-12	53.28
204	133-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-4, हैदराबाद	मेसर्स लैटर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड	2009-10	817.99
205	139-सीटी	ओड़िशा	सीआईटी- भुवनेश्वर	मेसर्स आदित्य स्पंज एंड पावर प्रा. लिमिटेड	2012-13	26.86
206	141-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-2, हैदराबाद	मेसर्स इन्टेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	2012-13	182.18
207	142-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -3, मुंबई	मेसर्स टीसीएफसी फायनांस लिमिटेड	2011-12	499.37
208	145-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -1, थाने	मेसर्स मेटसो मिनिरलस् मुंबई प्रा. लिमिटेड	2005-06	365.92
209	149-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-8, मुंबई	मेसर्स ट्रांसमार्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड	2012-13	348.23
210	150-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी -3, बडोदा	मेसर्स हुबैक कलर प्रा. लिमिटेड	2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12	1330.5
211	152-सीटी	केरल	प्र.सीआईटी कोच्चि-1	मेसर्स पैट्सपिन इंडिया लिमिटेड	2012-13	155.53
212	153-सीटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी -6, चेन्नै	मेसर्स श्रीनिवास फैशन प्रा. लिमिटेड	2012-13	102.75
213	158-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -2, कोलकाता	मेसर्स कमरहटी पावर लिमिटेड	2012-13	73.08
214	159-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी -5, कोलकाता	मेसर्स श्री मां शारदा ओरस एंड फोर्जिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड	2011-12	54.71
215	163-सीटी	दिल्ली	सीआईटी3, दिल्ली	मेसर्स फूजीफिल्मस इंडिया प्रा. लिमिटेड	2010-11	104.33
216	164-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-6, दिल्ली	मेसर्स मौसम फिल्मस लिमिटेड	2012-13	957.63
217	167-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-2, जयपुर	मेसर्स महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड	2012-13	168.69
218	169-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी -3, अहमदाबाद	मेसर्स राजश्री पैकेजर्स लिमिटेड	2010-11	589.64
219	170-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी -3, बडोदा	मेसर्स हुबैक कलर प्रा. लिमिटेड	2010-11 तथा 2011-12	276.35
220	178-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी 2, कोलकाता	मेसर्स पश्चिम बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	57.49
221	189-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी 7, मुंबई	मेसर्स गंजम ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	2009-10	374.76

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
222	209-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-3, दिल्ली	मेसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड	2012-13	320.42
223	212-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -4, दिल्ली	मेसर्स इंडिपे नेटवर्क प्रा. लिमिटेड	2011-12	62.13
224	217-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -III, दिल्ली	मेसर्स एस्कॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन इन्क्विपमेंट लिमिटेड	2010-11	298.22
225	220-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-एलटीयू, दिल्ली	मेसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2012-13	2123.29
226	221-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-9, दिल्ली	मेसर्स वोइथ हाइड्रो प्रा. लिमिटेड	2011-12	78.94
227	222-सीटी	ओडिसा	सीआईटी-कटक	मेसर्स उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड	2011-12	74.98
228	230-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-3, चेन्नै	मेसर्स टीवीएस ई सर्विस टेक लिमिटेड	2012-13	71.88
229	232-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-केन्द्रीय-2, चेन्नै	मेसर्स एसएनजे डिस्ट्रिबर्स प्रा. लिमिटेड	2011-12	116.03
230	235-सीटी	कर्नाटका	सीआईटी-हुबली	मेसर्स हुबली इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड	2011-12	389.87
231	241-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-3, दिल्ली	मेसर्स फेडरल मोगुल ऑटोमोटीव प्रोडक्टस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	2011-12	133.74
232	242-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी -2, अहमदाबाद	मेसर्स इलिटकोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	276.34
233	246-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी -5, दिल्ली	मेसर्स पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	2010-11	1803.93
234	251-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -7, मुंबई	मेसर्स लक्ष्मी वेंचर्स इंडिया लिमिटेड	2009-10	73.78
235	253-सीटी	झारखण्ड	सीआईटी-जमशेदपुर	मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड	2010-11	58.96
236	254-सीटी	बिहार	प्र.सीआईटी -1, पटना	मेसर्स भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2011-12	240.48
237	257-सीटी	ओडिसा	सीआईटी-भुवनेश्वर	मेसर्स पश्चिमी विद्युत आपूर्ति उड़ीसा लिमिटेड की कंपनी	2011-12	910.13
238	272-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -8, मुंबई	मेसर्स टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	2010-11	108.3
239	274-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -5, मुंबई	मेसर्स लक्ष्मी हीरे प्रा. लिमिटेड	2011-12	144.06
240	279-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -7, मुंबई	मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड	2009-10	390.19
241	290-सीटी	कर्नाटका	सीआईटी-एलटीयू, बेंगलूर	मेसर्स डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्रा. लिमिटेड	2009-10	79.84
242	291-सीटी	कर्नाटका	प्र.सीआईटी -7,	मेसर्स दा मैसूर पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड	2011-12	1182.31
243	293-सीटी	कर्नाटका	सीआईटी-1, बेंगलूर	मेसर्स बीपीएल लिमिटेड	2011-12	522.67

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रकार	निर्धारित का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
244	306-सीटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी -1, मदुराई	मेसर्स थेनी गुरुकृष्णा टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लिमिटेड	2010-11	137.1
245	307-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -8, मुंबई	मेसर्स वेस्टर्न एमपी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टोल रोड्स प्रा. लिमिटेड	2010-11, 2011-12 तथा 2012-13	8387.48
246	308-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -16, मुंबई	मेसर्स 9 एक्स मीडिया प्रा. लिमिटेड	2010-11	1553.95
247	311-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी -16, मुंबई	मेसर्स फ्लेमिंगो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2010-11	300.9
248	313-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी - 1, पूणे	मै. इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमि.	2011-12	179.78
249	314-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी - राजकोट	मै. राजीव मंजी सोराथिया एंड कंपनी	2011-12	81.11
250	322-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -15, मुंबई	मै. वीकेएस प्रोजेक्ट्स लिमि.	2011-12	66.59
चूक के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय - मैट/टनज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित की गई आय/कम निर्धारण						
251	1-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी -3, चेन्नै	मै. विर्गो प्रोपर्टिज लिमि.	2011-12	107.46
252	29-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -(केंद्रीय)-1, दिल्ली	मै. पैनसिया बायोटेक लिमि.	2010-11	145.55
253	33-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -3, अहमदाबाद	मै. निरमा लिमि.	2006-07	412.04
254	52-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -7, दिल्ली	मै. पवन हंस हेलीकोप्टर्स लिमि.	2011-12	108.78
255	65-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी केंद्रीय-1, कोलकाता	मै. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमि.	2013-14	106.86
256	120-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -2, चेन्नै	मै. द इंडिया सीमेंट्स लिमि.	2011-12	98.85
257	154-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी -4, चेन्नै	मै. एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमि.	2012-13	178.57
258	156-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -2, कोलकाता	मै. टीएमटी विनियोजन लिमि.	2012-13	77.02
259	168-सीटी	राजस्थान	सीआईटी -2, जयपुर	मै. डेरेवाला ज्वेलरी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमि.	2012-13	71.68
260	206-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -10, मुंबई	मै. ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमि.	2010-11	1462.92
261	234-सीटी	राजस्थान	सीआईटी -2, जयपुर	मै. सेफलेक्स इंटरनेशनल लिमि.	2012-13	178.19
262	294-सीटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी -नोएडा	मै. जुबीलेंट इन्फ्रो प्रा. लिमि.	2012-13	3222.96
263	300-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -4, चेन्नै	मै. एल एंड टी अर्बन इंफ्रस्ट्रक्चर लिमि.	2012-13	64.13
चूक के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय - पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और आंकलन						
264	84-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी -4, हैदराबाद	मै. महेश्वरी मैगा वेंचर्स लिमि.	2009-10	144.66
265	94-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी -3, बेंगलुरु	मै. हिंदूजा रियल्टर्स प्राइवेट लिमि.	2010-11	218.22

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रकार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
266	231-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -5, चेन्नै	मै. रिनो निसान टैक्नॉलाजी एंड बिजनेस सेटर इंडिया प्रा. लिमि.	2011-12	183.36
267	318-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-1, कोलकाता	मैसर्स बाटा इंडिया लि.	2007-08	100.97
चूक के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय - आय की गलत आंकलन						
268	7-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -3, अहमदाबाद	मै. रैकिट बैंकसिर हेल्थकेयर इंडिया लिमि.	2011-12	432.34
269	67-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-1 कोलकाता	मै. बंगाल इनर्जी लिमि.	2011-12	444.74
270	75-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -2, कोलकाता	मै. आर.पी. इंफो सिस्टमस लिमि.	2012-13	73.94
271	77-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -3, कोलकाता	मै. विनार सिस्टम प्रा. लिमि.	2009-10	64.88
272	95-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी, केन्द्रीय, बेंगलुरु	मै. वृंदावन बेवरेजिज प्रा. लिमि.	2010-11	62.41
273	103-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -14, मुंबई	मै. इंफास्ट्रैक्चर लीजिंग एंड फाईनैशियल सर्विसेज लिमि.	2009-10	641.05
274	126-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -3, कोलकाता	मै. ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमि.	2009-10	258.27
275	171-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी, गांधीनगर	मै. टुरीज्म कार्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमि.	2012-13	86.73
276	177-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 2, कोलकाता	मै. दार्जिलिंग आरगोनिक टी एस्टेट प्राइवेट लिमि.	2012-13	60.31
277	180-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	मै. सुबिर सिरकर ज्वैलर्स प्राइवेट लिमि.	2012-13	901.48
278	256-सीटी	ओडिसा	सीआईटी -संबलपुर	मै. महानदी कोल फील्ड लिमि.	2011-12	1061.45
279	258-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -2, अहमदाबाद	मै. गणेश हाउसिंग कार्पोरेशन लिमि.	2009-10	528.73
280	262-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -2, चेन्नै	मै. इक्विटोस होल्डिंग्स प्रा. लिमि. (फॉर्मली इक्विटोस माइक्रो फाइनेंस इंडिया प्रा. लिमि.)	2010-11 तथा 2011-12	242.88
281	263-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -2, चेन्नै	मै. इक्विटोस होल्डिंग्स प्रा. लिमि. (फॉर्मली इक्विटोस माइक्रो फाइनेंस इंडिया प्रा. लिमि.)	2010-11 तथा 2011-12	147.03
282	287-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी -1, इंदौर	मै. सैज इंदौर लिमि.	2006-07	415.45
283	295-सीटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी -नोएडा	मै. एल जी इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा.लिमि.	2007-08	1073.90
284	309-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी - 2, मुंबई	मै. स्टेट बैंक आफ इंडिया लिमि.	2010-11	1425.03

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
285	310-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -2, मुंबई	मै. आईसीआईसीआई बैंक लिमि.	2011-12	4378.07
286	315-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -4, मुंबई	स्टेनलैस इंडिया प्रा. लिमि.	2011-12	1777.00
चूक के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय - अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट आदि						
287	245-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी -6, दिल्ली	मै. नॉर्थ वैस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग लिमि.	2011-12	1171.66
288	249-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -10, मुंबई	मै. पोलीड्रिल इंजीनियर्स प्रा. लिमि.	2010-11	85.94
चूक के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय - कम कीमत का गलत अनुमान						
289	225-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी (आईटी एंड टीपी), हैदराबाद	मै. जौरी सीमेंटस लिमि.	2012-13	81.87
290	226-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी (आईटी एंड टीपी), हैदराबाद	मै. पृथ्वी इंफरमेशन साल्यूशंस लिमि.	2012-13	246.87
291	227-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी (आईटी एंड टीपी), हैदराबाद	मै. विवीमेड लेबस लिमि.	2012-13	212.07
292	237-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी -3, बेंगलोर	मै. गुगल इंडिया प्रा. लिमि.	2011-12	555.28
293	238-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी -6, बेंगलोर	मै. एसकेएफ टेक्नोलॉजीस इंडिया प्रा. लिमि.	2011-12	792.97
294	280-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (टीपी) 4- मुंबई	मै. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया ब्रांच	2012-13	153.38
295	281-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (टीपी) -1, मुंबई	मै. कैपजेमिनी इंडिया प्रा. लिमि.	2012-13	92.04
296	288-सीटी	गुजरात	सीआईटी 1 & टीपी, अहमदाबाद	मै. एआईए इंजिनियरिंग लि.	2011-12	104.14
297	297-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी - आईटी एंड टीपी	मै. गुजरात एनआरई कोक लिमि.	2009-10	89.91
कर/ब्याज का अधिक-प्रभार - कर का अधिक प्रभार						
298	17-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -7, दिल्ली	मै. पूरी आयल मिल्स लिमि.	2008-09	58.77
299	25-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी -8, दिल्ली	मै. श्री पारसराम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.	2006-07	78.56
300	81-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -3, कोलकाता	मै. बलजीत एगोटैक (प्रा.) लिमि.	2011-12	55.68
301	82-सीटी	उत्तराखंड	प्र. सीआईटी, देहरादून	मै. पतजली फूड एंड हर्बल पार्क प्रा. लिमि.	2012-13	47.22
302	92-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी -4, चेन्नै	मै. निसान अशोक लेलैंड पावरट्रेन लिमि.	2012-13	163.28
303	113-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -1, कोलकाता	मै. नेम्पा इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमि.	2011-12	67.48

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
304	134-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी -1, हैदराबाद	मै. आंध्र प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमि.	2010-11	268.36
305	137-सीटी	ओडिशा	सीआईटी -भुवनेश्वर	मै. नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रीसीटी स्पलाई कंपनी ऑफ ओडिशा लि.	2011-12	289.83
306	151-सीटी	गोआ	सीआईटी -पणजी	मै. सलीथो ओरस प्रा. लिमि.	2012-13	89.42
307	160-सीटी	युटी चंडीगढ़	प्र. सीआईटी -1, चंडीगढ़	मै. मुकुल सैल्स प्रा.लिमि.	2012-13	96.3
308	179-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -4, कोलकाता	मै. खैतान इंडिया प्रा. लिमि.	2011-12	140.79
309	195-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	मै. पिकसन मीडिया प्रा. लिमि.	2011-12	2273.21
310	211-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी -7, दिल्ली	मै. रियो टिटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लिमि.	2011-12	298.96
311	213-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कर)-2, दिल्ली	मै. एमटीआर कार्पोरेशन लिमि.	2011-12	110.22
312	215-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी -9, दिल्ली	मै. टुडे मर्चनडाईज प्रा. लिमि.	2011-12	69.01
313	219-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	मै. पर्ल स्टूडियो प्रा. लिमि.	2011-12	2179.43
314	248-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -3, दिल्ली	मै. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन	2011-12	6501.04
कर/ब्याज का अधिक-प्रभार - ब्याज का अधिप्रभार						
315	16-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) गुडगांव	मै. द्वारिकाधीश बिल्डवेल प्रा. लिमि.	2006-07	80.64
316	28-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी -9, दिल्ली	मै. वोल्वो प्रोर्टीज प्रा. लिमि.	2012-13	50.14
317	30-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -एलटीयु, दिल्ली	मै. रूरल इलैक्ट्रीफीकेशन कार्पो. लिमि.	2012-13	4229.10
318	53-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -7, दिल्ली	मै. रेलीगेयर सिक्वोरिटीज लिमि.	2011-12	388.36
319	193-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी -8, दिल्ली	मै. सबवे सिस्टमस इंडिया प्रा. लिमि.	2012-13	106.37
320	228-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) गुडगांव	मै. वी जी इंडस्ट्रीयल इंटरप्राइजिज प्रा. लिमि.	2009-10	30.79
आयकर और संपत्ति कर						
निर्धारण की गुणवत्ता - आय और कर के आंकलन में अंकगणितीय त्रुटियां						
321	1-आईटी	बिहार	सीआईटी -II, पटना	श्री अमित कुमार सिंह	2011-12	11.23
322	3-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -I, कोल्हापुर	सदाशिवराव मंडलिक कागल तालुका एसएसके लिमि.	2009-10	497.14

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
323	7-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -III, नागपुर	द चंद्रपुर डिस. सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक लि.	2011-12	139.05
324	8-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-केन्द्रीय-IV, मुंबई	श्री मनोज कुमार बाबुलाल पुनामिया	2010-11	289.69
325	9-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -III, नागपुर	नागपुर डिस्ट्रीक सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक लिमि.	2010-11	356.49
326	18-आईटी	दिल्ली	सीआईटी-छूट	सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडियन क्लासीकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट युथ (स्पिक मैक)	2011-12	20.44
327	22-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी -I, भोपाल	श्री आर. के. लालवानी	2010-11	156
328	25-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-बरेली	द किसान सहकारी चिनी मिल्स लिमि.	2008-09	130.36
329	28-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी -9, दिल्ली	श्रीमती मनिंदर बेदी	2011-12	79.7
330	29-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (के.)-I	मै. सहारा इंडिया	2011-12	195.44
331	58-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -I, पुणे	मै. अगस्ती एसएसके लिमि.	2009-10	175.69
332	63-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-II, जयपुर	मै. विनायक डेवलेपर्स	2009-10	13.25
333	71-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -I, नागपुर	मै. द मलकापुर अर्बन कॉप. बैंक लिमि.	2012-13	29.56
334	74-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (केन्द्रिय) लुधियाना	श्री फूमन सिंह	2009-10	20.89
335	75-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (केन्द्रिय) लुधियाना	श्री अवतार सिंह	2009-10	18.32
336	76-आईटी	दिल्ली	डीआईटी (छूट) दिल्ली	मै. इंडिया विजन फाउंडेशन	2010-11	39.06
337	106-आईटी	दिल्ली	सीआईटी -केन्द्रिय-II, दिल्ली	श्री रमेश चंद	2012-13	637.83
338	112-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (के.)- लुधियाना	श्री हरपाल सिंह	2010-11	10.22
339	127-आईटी	ओडिशा	सीआईटी -संबलपुर	मै. बोलांगीर डिस्ट्रीक सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमि.	2012-13	523.56
निर्धारण की गुणवत्ता - कर, अधिभार आदि की दर को गलत लागू करना						
340	2-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -केन्द्रिय, सुरत	श्री पियुश रणछोड़भाई पटेल	2012-13	26.33
341	4-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी (आईटी)-III, मुंबई	प्लेटिनम इन्वेस्टमेंट मनेजमेंट लिमि.	2009-10	50.64
342	15-आईटी	दिल्ली	सीआईटी -19, दिल्ली	श्री विशाल एन. पवन अग्रवाल	2006-07	49.62
343	23-आईटी	राजस्थान	सीआईटी -I, जयपुर	नारायण हाईटस एंड टावर्स	2012-13	23.12

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
344	24-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -I, अहमदाबाद	श्री अयुबखान दौलतखान पठान	2012-13	24.41
345	33-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी केन्द्रिय, सुरत	विमल रणछोड़भाई पटेल	2012-13	26.3
346	43-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी), पुणे	श्रीहरि बचूभाई मुजट	2012-13	44.1
347	46-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी (आईटी)-III, मुंबई	मै. प्लेटिनम इन्वैस्टमेंट मनेजमेंट लिमि. एका प्लेटिनम इंटरनेशनल फंड	2009-10	436.69
348	55-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी -VI, चेन्नै	श्री वाई मीरा रेड्डी	2007-08	43.08
349	92-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी - गाजियाबाद	राम कुमार त्यागी	2008-09	304.15
350	93-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -III (केन्द्रिय), मुंबई	द बोर्ड आफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया	2005-06	111.27
निर्धारण की गुणवत्ता - रिटर्न के प्रस्तुतिकरण में विलंब, कर आदि के भुगतान में विलंब के लिए ब्याज/शुल्क का उद्ग्रहण न किया जाना/कम उद्ग्रहण						
351	12-आईटी	हरियाणा	सीआईटी -फरीदाबाद	श्री जगरूप सिंह	2006-07	11.77
352	16-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (क्रे.)-I, दिल्ली	श्री विक्रम धीरानी	2012-13	39.85
353	17-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (क्रे.)-2	श्री अंतेश कुमार पांडे	2010-11 तथा 2012-13	51.52
354	19-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (क)-II, दिल्ली	रमेश चंद	2013-14	113.74
355	20-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (केन्द्रिय)-II, दिल्ली	श्रीपरमिंदर सिंह कालरा	2011-12	23.06
356	21-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (क)-II, दिल्ली	श्री संजीव शर्मा	2012-13	35.7
357	31-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी -I, हैदराबाद	मै. भावना कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमि.	2009-10	235.31
358	37-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -12, कोलकाता	मै. सितल वर्मा	2009-10	60.52
359	38-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी -1, चंडीगढ़	श्री अजीत सिंह	2006-07	62.47
360	39-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी -2, अमृतसर	श्री सुभाष चंद्र सागी	2008-09, 2009-10, 2010-11	64.84
361	40-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी -II, अमृतसर	श्री दलबीर सिंह	2007-08	13.78
362	41-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी -3, लुधियाना	श्री राजेश बग्गा	2010-11, 2011-12	23.42

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
363	45-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (क), पुणे	मै. सोनम बिल्डर्स	2013-14	66.87
364	50-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -12, कोलकाता	मै. सीतल वर्मा	2009-10	57.68
365	53-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी -IV, चेन्नै	श्री मुकेश पी. हेमदेव	2007-08	68
366	54-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी (आईटी), चेन्नै	श्री मफाज मोहम्मद	2010-11	55.1
367	56-आईटी	दिल्ली	सीआईटी -(केन्द्रिय)- II, दिल्ली	श्री सुरेंद्र मोदी	2012-13	66.07
368	60-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -III, अहमदाबाद	मै. अभिश्री विला कॉ.प. हाउसिंग सोसाइटी लिमि.	2010-11	52.56
369	61-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -III, अहमदाबाद	श्री राजेश सिंह जी राजपुत	2011-12	324.08
370	64-आईटी	राजस्थान	सीआईटी -II, जयपुर	श्री बाबू लाल मीणा	2007-08	88.37
371	65-आईटी	केरल	सीआईटी (केन्द्रिय) एर्नाकुलम	श्री पी ए जोस	2013-14	119.08
372	77-आईटी	दिल्ली	सीआईटी -XXI, दिल्ली	अनुराधा ओवरसीज	2006-07	95.31
373	81-आईटी	गोआ	प्र. सीआईटी, पणजी	श्री एकनाथ अशोक वालवाकोइकर तारी	2009-10 तथा 2010-11	23.68
374	82-आईटी	गोआ	प्र. सीआईटी, पणजी	श्रीमती माधूरी एकनाथ तारी	2009-10 तथा 2010-11	24.05
375	83-आईटी	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी -I, चेन्नै	मै. रत्ना स्टोर्स	2007-08 से 2012-13	196.81
376	84-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -क्रे.-3, कोलकाता	श्री पुष्पेश कुमार वैध	2007-08 तथा 2009-10	23.02
377	85-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी, क्रे.-2, कोलकाता	मै. कनिका मैती	2010-11	25.4
378	94-आईटी	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी -I, त्रिचची	द त्रिरुचिरापली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉप. बैंक लिमि.	2007-08	183.83
379	95-आईटी	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी -VI, चेन्नै	श्री ए. लालीचन	2009-10, 2010-11 तथा 2011-12	82.77
380	96-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी -IV, हैदराबाद	मै. आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड	2010-11	1425.25
381	101-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (के.) लुधियाना	एस. के. टैक्सटाईलस क/प पुनीत फैशन ग्रुप लुधियाना	2009-10 तथा 2010-11	31.63
382	107-आईटी	दिल्ली	सीआईटी -केन्द्रिय - II, दिल्ली	श्री रमेश चन्द्र	2007-08 से 2011-12	1275.27
383	111-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी -I, कानपुर	श्री प्रकाश चंद्र अरोरा	2009-10	23.38
384	113-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (के.) - लुधियाना	श्री पुनी बेदी, प्रो. मै. निखिल एक्सपोर्ट्स	2011-12	26.94

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रकार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
385	115-आईटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी - पंचकुला	मै. हरियाणा स्टेट पालुशन कंट्रोल बोर्ड	2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	1073.71
386	123-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी - केन्द्रिय, कानपुर	मृदुल गर्ग	2006-07 से 2011-12	52.11
निर्धारण की गुणवत्ता - अपीलीय आदेश का लागू करते समय निर्धारण में गलतियां						
387	35-आईटी	राजस्थान	सीआईटी -III जयपुर	मनोज कुमार जोहरी	2010-11	12.26
388	69-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -I, नागपुर	मै. वसीम अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक लि.	2010-11	34.47
कर रियायत/छूट कटौती का प्रशासन - ट्रस्ट/फर्म/सोसाइटी को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत						
389	26-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -I, पुणे	मै. कुकडी सहकारी सखर कारखाना लिमि.	2009-10	106.28
390	49-आईटी	पश्चिम बंगाल	डीआईटी - छूट, कोलकाता	मै. संमर्ग वेलफेयर सोसाइटी	2011-12	195.56
391	68-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -I, पुणे	मै. सहकर्माश्री भाउसाहेब थोरट एसएसके लिमि.	2009-10	1101.53
392	70-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -I, कोहलापुर	राजारामबापू पाटिल एसएसके लिमि.	2011-12	55.09
393	72-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -I, बड़ोदा	मै. फाईन लाईन सर्किट कंपनी	2004-05	23.37
394	73-आईटी	आंध्र प्रदेश	प्र. सीआईटी - विजयवाड़ा	मै. वीजीटीएम अर्बन डेवलेपमेंट अथारिटी	2009-10, 2010-11	906.06
395	78-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी - गांधीनगर	गांधीनगर अर्बन डेवलेपमेंट अथारिटी	2009-10 तथा 2010-11	499.26
396	80-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -II, अहमदाबाद	मै. विनायक कार्पोरेशन	2010-11	23.07
397	88-आईटी	झारखंड	सीआईटी -जमशेदपुर	मै. बी एन ट्रेक्टर	2010-11	15.31
398	104-आईटी	दिल्ली	सीआईटी -छूट, दिल्ली	गुरुद्वारा बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी	2010-11	20.54
399	105-आईटी	दिल्ली	सीआईटी - छूट	श्री रॉबिन रैना चेरीटेबल ट्रस्ट	2011-12	41.18
400	116-आईटी	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी - शिमला	मै. श्री गणेश कानकास्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीस कांगड़ा एचपी	2011-12	12.77
401	117-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी - कुरनुल	मै. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	2009-10	193.38
402	121-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी - ग्वालियर	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित	2010-11	96.23
403	128-आईटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी - पंचकुला	मै. हरियाणा स्टेट कॉरपोरेटिव एपेक्स बैंक लिमि.	2009-10	18.38

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
404	134-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी, III, नागपुर	मै. गोंडिया डिस्ट्रिक सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक	2007-08 से 2010-11	736.93
405	135-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -I, सुरत	मै. नीलकंठ डेवलेपर्स	2010-11	63.85
कर रियायत/छूट कटौती का प्रशासन - व्यक्ति विशेष को दी गई अनियमित/छूट/कटौती/राहते						
406	67-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -XVII, कोलकाता	श्री मानस राय चौधरी	2012-13	21.94
407	79-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी -III, अहमदाबाद	श्री राजेंद्र एच. प्रजापति	2011-12	26.39
408	87-आईटी	झारखंड	प्र. सीआईटी -रांची	श्री ओम प्रकाशसिंह	2009-10	13.18
409	124-आईटी	उत्तरप्रदेश	प्र. सीआईटी -I, कानपुर	श्री उपेन्द्र सिंह	2010-11	20.33
410	126-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी -केन्द्रिय, हैदराबाद	श्री सब्बीनेनी सुरेंद्र	2010-11	290.89
411	133-आईटी	हरियाणा	सीआईटी गुडगांव केन्द्रिय	विनोद जैन, प्रोपराईटर निक्की ज्वैलर्स ज्वैलर्स	2011-12	19.2
कर रियायत/छूट कटौती का प्रशासन - बिजनैस व्यय की गलत अनुमति						
412	14-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी -21, दिल्ली	मै. ब्रीज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी	2009-10	70.65
413	52-आईटी	बिहार	प्र. सीआईटी भागलपुर	मै. के. डी. कंपनी, सुपॉल	2012-13	22.65
414	86-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -12, कोलकाता	कृष्ण गोपाल मोहता	2010-11	29.32
415	90-आईटी	ओडिशा	सीआईटी-कटक	मै. कलिंगा ग्राम्य बैंक	2012-13	31.95
416	99-आईटी	चण्डीगढ़	प्र. सीआईटी -I, चण्डीगढ़	श्री सेवक राम	2009-10	45.46
417	109-आईटी	उत्तराखण्ड	प्र. सीआईटी - देहरादुन	मै. इतिशा गोयल	2012-13	55.48
कर रियायत/छूट कटौती का प्रशासन - मूल्यहास/बिजनैस हानि/पूँजीगत हानि अनुमत करने में अनियमितताएं						
418	5-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -III, मुंबई	श्री के. वी. अब्दुल नजर	2010-11	96.38
419	6-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -VI, पुणे	लोकनेथ बाबूराव पाटिल एसएसके लिमि.	2010-11	256.23
420	11-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -VI, पुणे	श्री विठ्ठल सहकारी सखर कारखाना लि.	2009-10	240.16
421	48-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-III कोलकाता	हर्षवर्धन हिमतसिमका	2012-13	21.01
422	57-आईटी	ओडिशा	सीआईटी -कटक	मै. कटक सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक लि.	2012-13	250.93

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिता का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
423	91-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, औरंगाबाद	डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड	2009-10	481.21
424	102-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-वालसाड	मारोली विभाग खण्ड उद्योग सहकारी मंडी लिमिटेड	2011-12	132.77
425	125-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी- केन्द्रीय, बेंगलोर	श्री बी वी श्रीनिवास रेड्डी	2012-13	81.06
426	129-आईटी	चंडीगढ़	पीआर. सीआईटी-I, चंडीगढ़	एम / एस ठुकराल रीगल शूजस्	2011-12	11.78
पूंजीगत लाभ की संगणना और गलत वर्गीकरण चूक के कारण आय बचाव निर्धारण						
427	34-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-1 जयपुर	सुनील सांखला	2011-12	211.55
428	66-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-मेरठ	श्री प्रवीण गुप्ता	2010-11	21.88
429	103-आईटी	गुजरात	पीआर. सीआईटी-III, अहमदाबाद	श्री इलेशभाई पी शाह	2012-13	45.52
430	119-आईटी	गुजरात	पीआर. सीआईटी- III, अहमदाबाद	श्री हरीश पन्नालाल शाह	2010-11	33.77
431	130-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-I, जोधपुर	श्री भंवर सिंह राठौर	2010-11	17.32
432	131-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV, चैन्नई	श्रीती दीपा विजय	2012-13	206
433	132-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी-VI, चैन्नई	श्री नटराजन निलममेगान	2012-13	23.81
आय के गलत संगणना-चूक के कारण आय बचाव निर्धारण						
434	10-आईटी	महाराष्ट्र	पीआर. सीआईटी-I, पूणे	कोपरगांव सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड	2009-10	98.96
435	32-आईटी	गुजरात	पीआर. सीआईटी-I, अहमदाबाद	केशव दयाल सीतादास जादवानी	2010-11	44.64
436	42-आईटी	महाराष्ट्र	पीआर. सीआईटी-1, पूणे	मैसर्स वीरीदेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड	2009-10	152.22
437	44-आईटी	महाराष्ट्र	पीआर. सीआईटी-I, कोलाहपुर	मैसर्स क्रान्तीग्रानी डा. जी.डी. बापू लाड एसएसके लिमिटेड	2012-13	41.98
438	62-आईटी	गुजरात	पीआर. सीआईटी-वालसाड	श्री संजीत जे बिस्वास	2011-12	54.74
439	97-आईटी	महाराष्ट्र	पीआर. सीआईटी-2, मुम्बई	भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	2010-11	55.84
440	98-आईटी	महाराष्ट्र	पीआर. सीआईटी-I, पूणे	पारनेर तालुक एसएसके लिमिटेड	2009-10	53.8
441	136-आईटी	महाराष्ट्र	पीआर. सीआईटी, बौरगांवा	माजलगाँव सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड	2009-10	125.09

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के क्रियान्वयन में चूको-चूक के कारण आय बचाव निर्धारण						
442	36-आईटी	उत्तर प्रदेश	पीआर. सीआईटी अलाहाबाद	श्री लाल चंद यादव	2009-10	82.3
443	110-आईटी	झारखंड	पीआर. सीआईटी-रांची	श्री संजय कुमार शर्मा	2010-11	11.64
444	120-आईटी	छत्तीसगढ़	सीआईटी-बीलासपुर	मैसर्स बसंत कुमार मिश्रा	2009-10	23.5
धनकर की गैर/अल्प उगाही-चूक के कारण आय बचाव निर्धारण						
445	1-डब्ल्यूटी	गुजरात	पीआर. सीआईटी-II, अहमदाबाद	मधुराम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	2.52
446	2-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-11, कोलकाता	श्री शवकात अली	2010-11	2.29
447	3-डब्ल्यूटी	गुजरात	पीआर. सीआईटी-II, अहमदाबाद	मुद्रा फिनवेस्ट लिमिटेड गुजरात		2.6
448	4-डब्ल्यूटी	कर्नाटक	सीआईटी-गुलबर्गा	श्री प्रभाकर पाथीकोंडा	2011-12	5.45
449	5-डब्ल्यूटी	कर्नाटक	सीआईटी (केन्द्र) बेंगलोर	श्री ए अब्दुल रफीक	2008-09 से 2012-13	23.45
450	6-डब्ल्यूटी	राजस्थान	सीआईटी-I, जोधपुर	मरूधर होटल प्रा. लिमिटेड	2007-08	5.52
451	7-डब्ल्यूटी	गुजरात	पीआर. सीआईटी-II, अहमदाबाद	पनपसंद बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	5.58
चूको-अपरिभाषित निवेश/नकदी क्रेडिट आदि के कारण आय बचाव निर्धारण						
452	114-आईटी	हरयाणा	पीआर. सीआईटी-गुडगाँव	श्री नरेश	2009-10	20
453	122-आईटी	छत्तीसगढ़	सीआईटी-बीलासपुर	श्री बीशम्बर दयाल अग्रवाल	2010-11	12.8
चूक-आर्मख लेन्थ प्राइस के गलत निर्धारण के कारण आय बचाव निर्धारण						
454	118-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-(आईटी एंड मै. वेल्यू लैक्स एलएलपी टीपी) हैदराबाद		2012-13	163.94
कर का अधिक प्रभार/ब्याज-कर का अधिक प्रभार/ब्याज						
455	13-आईटी	पंजाब	सीआईटी (केंद्रीय) लुधियाना	श्री तिलक राज बेदी	2007-08	374.2
456	27-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कर)-12, दिल्ली	मैसर्स पैरसी पुंज लॉयड जॉइंट वेंचर	2011-12	111.76
457	30-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केंद्रीय)-I	श्री संजय कुमार सिंह	2010-11	229.46
458	47-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केंद्रीय)-III, दिल्ली	वीरेन्द्र जैन	2009-10	26585.6
459	51-आईटी	असम	पीआर. सीआईटी-2, गोवाहाटी	श्री सोवीन्द्र सिंह सेठी	2008-09	24.69
460	59-आईटी	दिल्ली	सीआईटी(केंद्रीय)-I, दिल्ली	श्री देव कांत वशिष्ठ	2010-11	20.54

2017 की प्रतिवेदन सं. 2 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	वि.व.	टीई (₹ लाख में)
461	89-आईटी	दिल्ली	पीआर. सीआईटी- XIV, दिल्ली	कानूनी वारिस के माध्यम से श्री ताहार सिंह, श्रीमती सुनीता कुमारी	2007-08	116.46
462	100-आईटी	पंजाब	एडीडीएल. सीआईटी- खानना	श्री बरीन्द्र पाल सिंह	2008-09	21.92
463	108-आईटी	दिल्ली	सीआईटी- छूट	इनोवेटिव वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसायटी	2011-12	28.25

परिशिष्ट 2.4 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.3.4)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में निष्कर्षों के श्रेणीवार ब्यौरे		
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	173	1,550.21
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	64	956.39
ख. कर अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	16	27.12
ग. विवरणियों की प्रस्तुती ,कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना .	75	225.81
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	6	49.46
ड. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियाँ	12	291.43
ख. कर रियायतों/ छूटों/कटौतियों का प्रशासन	183	1497.10
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	27	328.98
ख. ट्रस्टों/ फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	17	41.08
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियों/राहत	6	3.92
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	53	516.65
ड. मूल्यहास/ कारोबारी हानियां/पूजीगत हानियां अनुमत करने में अनियमितताएं	80	606.47
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	75	260.93
क. मेट/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	13	62.35
ख. पूजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	11	12.07
ग. आय की गलत गणना	27	147.03
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	3	1.18
ड. संपत्ति कर का गैर/कम उदग्रहण	7	0.47
च. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट	4	12.91
छ. अर्म्स लेन्थ प्राइज का गलत आकलन	10	24.92
घ. अन्य	32	451.86
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	32	451.86
कुल	463	3760.10

परिशिष्ट 2.5 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.5.2)

वि.व. 2015-16 में समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई वाले मामले		
राज्य	समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	
	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	एनए	उपलब्ध नहीं
असम	1	0.30
बिहार	91	4.02
छत्तीसगढ़	25	4.41
दिल्ली	3	0.06
गोवा	4	2.81
गुजरात	168	31.03
हरियाणा	86	10.81
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	19	27.12
झारखंड	50	13.78
कर्नाटक	12	3.08
केरल	0	0
मध्य प्रदेश	23	8.04
महाराष्ट्र	243	50.61
ओडिशा	117	93.26
पंजाब	59	4.63
राजस्थान	78	24.10
तमिलनाडु	952	851.98
यूटी चंडीगढ़	10	0.80
उत्तराखंड	0	0
उत्तर प्रदेश	103	88.03
पश्चिम बंगाल	30	11.85
कुल	2,074	1,230.72

परिशिष्ट- 2.6 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.6.3)

राज्य	वि.व. 2015-16 में माँगे गए अभिलेख	वि.व. 2015-16 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख	वि.व. 2015-16 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख की प्रतिशतता	वि.व. 2014-15 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख की प्रतिशतता	वि.व. 2013-14 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख की प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	10.43	17.38
असम	2,518	9	0.36	1.21	0.34
बिहार	3,367	473	14.05	13.42	13.52
छत्तीसगढ़	1,859	0	0.00	26.84	1.32
दिल्ली	41,101	9,536	23.20	24.81	18.24
गोवा	1,648	46	2.79	0.39	0.00
गुजरात	27,190	736	2.71	6.43	13.59
हरियाणा	5,258	414	7.87	7.64	3.10
हिमाचल प्रदेश	1,521	270	17.75	11.03	7.94
जम्मू एवं कश्मीर	360	5	1.39	16.01	13.19
झारखंड	876	47	5.37	12.09	6.55
कर्नाटक	8,699	636	7.31	9.56	25.44
केरल	5,203	591	11.36	11.76	9.90
मध्य प्रदेश	11,880	2,086	17.56	20.06	16.87
महाराष्ट्र	68,049	4,589	6.74	5.79	4.85
ओडिशा	4,697	1,379	29.36	9.78	31.62
पंजाब	8,160	1,264	15.49	15.10	17.47
राजस्थान	13,929	888	6.38	8.75	8.27
तमिलनाडु	17,084	2,248	13.16	25.03	22.51
यूटी चंडीगढ़	3,240	1,487	45.90	41.49	17.09
उत्तराखंड	1,981	423	21.35	0.69	4.29
उत्तर प्रदेश	14,001	681	4.86	3.11	5.30
पश्चिम बंगाल	32,173	1,705	5.30	7.01	10.56
कुल	2,74,794	29,513	10.74	12.02	13.44

परिष्ठी 5.1 - (संदर्भ पैराग्राफ 5.4)

बिक्री कर विभाग की अवास्तविक खरीद की सूची में सूचीबद्ध 35 पैस की सूची																	₹ लाख में
क्रम सं.	निर्धारण प्रभार	डीलर नाम/पैन	नि.व 2009-10			नि.व 2010-11			नि.व 2011-12			नि.व 2012-13			नि.व 2013-14		
			खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय
1	आईटीओ 2 (3) ठाणे	श्री विनायक सेल्स कॉर्प./ एक्यूवाईपीपी 4297जे	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया				0	0.99		83.32	94.36		दर्ज नहीं किया गया	
2	आईटीओ 2 (3) ठाणे	पदम इंटरप्राइस/ एवीसीपीके2080आर	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया				दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया	
3	आईटीओ 2 (3) ठाणे	एमी इंटरप्राइस / एजेडपीपीपी4568ई	0	0	0	0	0	2.47	13.30	22.59	3.50	14.06	24.78	5.51		दर्ज नहीं किया गया	
4	आईटीओ 2 (3) ठाणे	समकित ट्रेडिंग कॉर्प./ बीजेएचपीएस7560एल	0	0	0.76	114.70	122.55	2.25	0	0	3.16	दर्ज नहीं किया गया				दर्ज नहीं किया गया	

क्रम सं.	निर्धारण प्रभार	डीलर नाम/पैन	नि.व 2009-10			नि.व 2010-11			नि.व 2011-12			नि.व 2012-13			नि.व 2013-14			
			खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	
5	आईटीओ 2 (3) ठाणे	आर.एन इंटरप्राइस / एआरकेपीके5303के	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			
6	आईटीओ 2 (3) ठाणे	सैम इंटरप्राइस / एडीजीपीजे1815के	दर्ज नहीं किया गया			0	0	0	0	1.59	0	0	1.79	0	0	1.79		
7	आईटीओ 2 (3) ठाणे	अवीनाश ट्रेडिंग कॉर्प/ एपीपीपीपी0806एफ	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			
8	आईटीओ 2 (3) ठाणे	ब्राहमणी इंटरप्राइस / एएचसीपीएन7516के	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			0	0	1.60	0	2.26	1.60	दर्ज नहीं किया गया			
9	आईटीओ 2 (3) ठाणे	मानकी इंटरप्राइस / एएमएचपीके9422एफ	0	0	0	0	0	0	0	4.39	4.39	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			

क्रम सं.	निर्धारण प्रभार	डीलर नाम/पैन	नि.व 2009-10			नि.व 2010-11			नि.व 2011-12			नि.व 2012-13			नि.व 2013-14		
			खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय
10	आईटीओ 2 (3) ठाणे	एन.एस इंटरप्राइस / एआईजीपीए4700पी	72.22	88.49	3.84	114.82	125.47	2.53	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया				\$	
11	आईटीओ 2 (3) ठाणे	मौलिक इंटरप्राइस / बीएमसीपीएस0117डी	0	0	1.12	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया				दर्ज नहीं किया गया	
12	आईटीओ 2 (3) ठाणे	दीप इंटरप्राइस / एएमटीपीएस9884पी	0	0	0	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया				दर्ज नहीं किया गया	
13	आईटीओ 2(3) थाणे	नीमेश ट्रेडिंग कारपोरेशन/ एएलवीपीके4383एल	0	0	0	125.30	130.52	3.31	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया				दर्ज नहीं किया गया	
14	आईटीओ 2(3) थाणे	गीता सेल्स का./ एपीएलपीएम2731ए	24.18	25.51	1.63	35.57	39.91	1.88	82.69	94.85	3.46	दर्ज नहीं किया गया				दर्ज नहीं किया गया	

क्रम सं.	निर्धारण प्रभार	डीलर नाम/पैन	नि.व 2009-10			नि.व 2010-11			नि.व 2011-12			नि.व 2012-13			नि.व 2013-14		
			खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय
15	आईटीओ 2(3) थाणे	आर्यन एंटरप्रराइजेस/ एएपीक्यू1933जी	30.47	37.09	5.32	0	0	0	0	0	0	38.02	48.39	7.99	दर्ज नहीं किया गया		
16	आईटीओ 2(3) थाणे	आदिनाथ ट्रेडिंग कंपनी / एवाईआईपी6959आर	दर्ज नहीं किया गया			0	0	0	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
17	आईटीओ 2(3) थाणे	श्री स्टील कारपोरेशन / एचएलपीडी8520सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
18	आईटीओ 2(3) थाणे	यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस / एबीपीपीवी9606एच	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
19	आईटीओ 2(3) थाणे	एस.आर एंटरप्राइजेस/ एफक्यूपीजी0676पी	0	3.50	1.69	0	5.81	2.12	0	5.74	2.01	0	25.09	4.23	0	0	0

क्रम सं.	निर्धारण प्रभार	डीलर नाम/पैन	नि.व 2009-10			नि.व 2010-11			नि.व 2011-12			नि.व 2012-13			नि.व 2013-14		
			खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय
20	डीसीसीसी 8(1)	सुपरफाइन ट्रेडिंग कं. प्रा.लि./ एएजेसीएस3337जी	6549.39	6575.17	12.08	2938.96	2962.58	10.06	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	
21	डीसीआईटी 3(1)(1)	रिम एसोसिएट्स/ एक्वूएक्सपीएस9886पी	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
22	डीसीआईटी 5(1)(1)	अनिकेत स्टील प्रा. लि./ एएजीसीए0417जे	66.66	70.24	0.07	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
23	डीसीआईटी 5(1)(1)	भाविख स्टील्स प्राइवेट लि./ एएडीसीबी1554जी	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
24	डीसीआईटी 5(1)(1)	अनमोल फेरोमेट प्रा. लि. / एएजीसीए4069सी	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		

क्रम सं.	निर्धारण प्रभार	डीलर नाम/पैन	नि.व 2009-10			नि.व 2010-11			नि.व 2011-12			नि.व 2012-13			नि.व 2013-14		
			खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय
25	डीसीआईटी 5(1)(1)	आदर्श ट्रेडिंग कम्पनी प्रा.लि/ एएजीसीए1090डी	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
26	आईटीओ 26(2)(3)	स्नेहल एंटरप्राइसेस/ एएलओपीआर3012जे	दायर मैनुअल \$			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
27	आईटीओ 26(2)(3)	जिंदल स्टील कारपोरेशन/ एएलईपीबी6133सी	दायर मैनुअल \$			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
28	आईटीओ 26(2)(3)	नेडा एंटरप्राइजेस/ एएमपीपीपी9048क्यू	दायर मैनुअल \$			दायर मैनुअल \$			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
29	आईटीओ 26(2)(3)	सेलेक्शन एंटरप्राइजेस/ एएफवीपीए6789जी	दायर मैनुअल \$			दायर मैनुअल \$			रिर्टन ई-दायर#			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		

क्रम सं.	निर्धारण प्रभार	डीलर नाम/पैन	नि.व 2009-10			नि.व 2010-11			नि.व 2011-12			नि.व 2012-13			नि.व 2013-14		
			खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय
30	आईटीओ 2(1) नासिक	केटना इंजी.*/ डीएसपीएस1751आर	दर्ज नहीं किया गया			0	0	0	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
31	आईटीओ 2(1) नासिक	ब्रिज कारपोरेशन*/ बीबीवाईपीएस6024जी	दर्ज नहीं किया गया		0	0	0	7.92	दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया		
32	आईटीओ 1(3) थाणे	बाथ क्लासिक/ एजीएपीए9867एफ		0	0			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया	22.18	24.25	
33	आईटीओ 1(3) थाणे	प्रथमेश सेल्स कारपोरेशन/ एजेजीपीआर5975ई	दर्ज नहीं किया गया					दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया
34	आईटीओ 1(3) थाणे	क्लासिक एंटरप्राइसेस/ बीएसीपीएम0311एच	दर्ज नहीं किया गया					दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया			दर्ज नहीं किया गया

क्रम सं.	निर्धारण प्रभार	डीलर नाम/पैन	नि.व 2009-10			नि.व 2010-11			नि.व 2011-12			नि.व 2012-13			नि.व 2013-14			
			खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	खरीद	बिक्री	आय	
35	आईटीओ 1(3) थाणे	श्री गणेश एंटरप्राइजेस/ एएनएचपीपी0684एम	पूर्ण रिटर्न उपलब्ध नहीं करवाई गई									111.79	दर्ज नहीं किया गया				92.26	

\$ रिटर्न की प्रति उपलब्ध नहीं है, बाद # धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी, निर्धारण लम्बित, रिटर्न की कापी प्रस्तुत नहीं की गई निरीक्षण विंग से प्राप्त सूचना के आधार पर मैं. ब्रिज कारपोरेशन के मामले में नि.व 2010-11 और 2011-12 के लिए ₹ 2.90 करोड़ और ₹ 4.52 करोड़ और नि.व. 2011-12 के लिए मैं, केतना इंजीनियरिंग के ₹ 1.06 करोड़ की अभिवृद्धि कि गई

परिशिष्ट 5.2 (पैराग्राफ 5.10 देखें)

परिवर्धन की निरंतरता के लिए जाली खरीद के लिए कानूनी मामलों की सूची									
क्र. सं.	आईटीए सं./घोषणा तिथि	एओ प्रभार की	निर्धारिती का नाम नि.व.	एओ द्वारा अननुमत राशि	सीआईटी (ए) द्वारा निर्णित	आईटीएटी द्वारा निर्णित	सस्टेन्ड		
1	4547/मुम/2014/ 01.01.2016	आईटीओ 14(1)(4)	श्री हीरालाल चुनिलाल जैन/ 2009-10	विभाग ने ₹ 7.21 लाख की पूरी जाली खरीद को अनुनुमत कर दिया	सीआईटी (अपील) ने जाली खरीद का 20 प्रतिशत अननुमति प्रतिबंधित कर दी	अपीलकर्ता ने ऐसी खरीद के लिए सभी रिकार्ड और साक्ष्य प्रस्तुत किए अभिवृद्धि हटा दी गई	0		
2	2826/मुम/2013/ 5.11.2014	एसीआईटी 15(3)	श्री गनपतराज ए संघवी/ 2009-10	विभाग ने ₹ 174.01 लाख की पूरी जाली खरीद अननुमत कर दिया	एओ द्वारा किए गए जोड़ की पुष्टि	केवल अनुमांत के आधार पर अभिवृद्धि को हटा दिया गया	0		
3	2959/मुम/2014/ 28.11.2014	एसीआईटी 21(1)	राकेश कुमार एंड कं./ 2010- 11	विभाग ने ₹ 498.80 लाख के जाली खरीद को अननुमत किया	एओ द्वारा किए गए जोड़ की पुष्टि	अभिवृद्धि केवल बिक्री कर विभाग की रिपोर्ट पर किए गए थे, उन्हें हटा दिया गया	0		
4	6727/मुम/2012/ 20.08.2014	डीसीआईटी 25(3)	श्री राजीव जी कालाथिल/ 2010-11	विभाग ने ₹ 13.69 लाख की पूरी जाली खरीद को अनुनुमत कर दिया	निर्धारिती ने खरीदसे संबंधित सभी अभिलेखों को प्रस्तुत किया, अभिवृद्धि हटा दिए गए	आईटीएटी ने सीआईटी (ए) के आदेश को समर्थन किया	0		

क्र. सं.	आईटीए सं./घोषणा की तिथि	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम नि.व.	एओ द्वारा अननुमत राशि	सीआईटी (ए) द्वारा निर्णित	आईटीएटी द्वारा निर्णित	सस्टेन्ड
5	5246/मुम/2013/5.3.2015	डीसीआईटी 25(2)	श्री रमिला प्रवीन शाह/2010-11	विभाग ने ₹ 28.08 लाख की पूरी जाली खरीद को अननुमत कर दिया	अपीलकर्ता ने ऐसी खरीद के लिए सभी रिकार्डों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया अभिवृद्धि हटा दी गई	आईटीएटी ने सीआईटी (ए) के आदेश को समर्थन किया	0
6	5295/मुम/2013/2.2.2016	डीसीआईटी 25(2)	तरलाआर शाह/2010-11	विभाग ने ₹ 74.09 लाख की पूरी खरीद अननुमत कर दी	अभिवृद्धि की पुष्टि	अपीलकर्ता ने ऐसी खरीद के सभी रिकार्ड और साक्ष्य प्रस्तु किए और नकद ट्रेल प्रस्तुत नहीं किया आईटीएटी ने दोबारा निर्णय लेने को कहा	फिर से
7	5920/मुम/2013/27.3.2015	आईटीओ 25(3)(2)	श्री दीपक पोपटलाल गाला/2010-11	विभाग ने ₹ 74.09 लाख की पूरी जाली खरीद को अननुमत कर दिया	अभिवृद्धि हटा दी गई क्योंकि निर्धारिती ने प्रासंगिक रिकार्ड प्रस्तुत कर दिए थे	आईटीएटी ने सीआईटीएस के आदेश के निष्कर्षों का समर्थन किया	0
8	5163/मुम/2013/24.02.2016	एसीआईटी सीआईआर 6(1)	जय भारत टेक्सटाइल्स एंड रियल एसेंट प्रा. लि./ 2010-11	विभाग ने ₹ 118.64 करोड़ की पूरी जाली खरीद अननुमत कर दी	अभिवृद्धि हटा दी गई क्योंकि निर्धारिती ने प्रासंगिक रिकार्ड प्रस्तुत कर दिए	आईटीएटी ने सीआईटीएस के आदेश के निष्कर्षों का समर्थन किया	0

क्र. सं.	आईटीए सं./घोषणा की तिथि	एओ प्रभार	निर्धारित नाम नि.व.	का	एओ द्वारा अननुमत राशि	सीआईटी (ए) द्वारा निर्णित	आईटीएटी द्वारा निर्णित	सस्टेन्ड
9	3823/मुम/2014/09.03.2016	जेसीआईटी (ओएसडी), सेन्ट्रल Circle 39	मै. मारुती इम्पैक्स / 2009-2010		विभाग ने ₹ 7.56 करोड़ की खरीद पूरी अननुमत कर दी	सीआईटी (ए) ने एओ द्वारा की गई अभिवृद्धि की पुष्टि की	अभिवृद्धि हटा दी गई क्योंकि अपीलकर्ता ने की गइ ऐसी खरीद के सभी रिकार्ड और साक्ष्य प्रस्तुत किए थे	0
10	रि. याचिका 2860 of 2012/18.06.2014	एसीआईटी रेन्ज 1(2)	निकुंज एक्सिम्प एटंरप्रासेस प्रा. लि./ 2005-06 to 2010-11		विभाग ने मामलेको दोबारा खोला और ₹ 35 करोड़ की पूरी जाली खरीद अननुमत कर दी		उच्च न्यायालय ने जाली खरीद के आधार पर धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने को अस्वीकार किया	0
11	5706/मुम/2013/13.5.2015	आईटीओ 25 (2)(2)	श्री परेश अरविन्द गांधी/2010-11		विभाग ने पूरी ₹ 1.38 करोड़ की जाली खरीद अननुमत कर दी	अभिवृद्धिको हटा दिया गया क्योंकि खरीद वाजविक थी	आईटीएटी ने सीआईटी (ए) की कार्रवाई का समर्थन किया	0
12	5248/मुम/2013/16.7.2015	एसीआईटी -25(2)	मै. शिवम टेक्सटाइल एंड प्रूफिंग इंडस्ट्रीज/ 2010-11		विभाग ने ₹ 1.27 करोड़ की पूरी जाली खरीद अननुमत कर दी	अपीलकर्ता ने ऐसी खरीद के सभी रिकार्ड और साक्ष्य प्रस्तुत किए अतः अभिवृद्धि हटा दी गई	आईटीएटी ने सीआईटी (ए) की कार्रवाई का समर्थन किया	0
13	2239/मुम/2012/5.12.2014	एसीआईटी -22(1)	मै. जीवी सन्स/ 2007-08		विभाग ने ₹ 16.57 लाख की पूरी जाली खरीद अननुमत कर दी	अभिवृद्धि हटा दी गई	सीआईटी(ए) का आदेश जारी रखा	0

क्र. सं.	आईटीए सं./घोषणा की तिथि	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम नि.व.	एओ द्वारा अननुमत राशि	सीआईटी (ए) द्वारा निर्णित	आईटीएटी द्वारा निर्णित	सस्टेन्ड
14	2240/मुम/2012/ 5.12.2014	एसीआईटी - 22(1)	मै. जीवी सन्स/ 2008-09	विभाग ने ₹ 83.61 लाख की पूरीजाली खरीद अननुमत कर दी	अभिवृद्धि हटा दी गई	सीआईटी(ए) का आदेश जारी रखा	0
15	5427/मुम/2015/ 18.3.2016	आईटीओ 20(1)(5)	मै. इम्पीरियलइम्प एंड एक्स/2009-10	विभाग ने ₹ 77.51 लाख की पूरीजाली खरीद अननुमत कर दी और लाभ की गणना 9.69 लाख के 12.5 प्रतिशत की दर पर की गई थी	सीआईटी (अपील) ने पाया कि निर्धारिती आपूर्तिकर्त्ताओं की मौजूदगी को प्रमाणित नहीं कर पाया तथापि, अभिवृद्धि को 4.19 लाख पर 5.41 प्रतिशत की दर से प्रतिबंधित कर दिया	आईटीएटी ने पाया कि आपूर्तिकर्त्ताओं को दोहरी जांच के लिए कोई अवसर अनुमत नहीं किया गया था, पूरी अभिवृद्धि को हटा दिया गया था	0
16	7593/मुम/2011/ 31.7.2015	डीसीआईटी 18(3)	ट्रीस्टार ज्यूलरी एक्पोर्टस प्राइवेट लि./ 2006-07	विभाग ने ₹ 409.12 लाख की जाली खरीद का 25 प्रतिशत अननुमत कर दिया	सीआईटी (ए) ने अभिवृद्धि का 7 प्रतिशत पर प्रतिबंधित कर दिया	पूरी अभिवृद्धि हटा दी गई	0
17	964/M/2015/19. 06.2015	सीआईटी सेन्ट्रल।	मै. शोरलाइन होटल प्रा.लि../ 2011-12	विभाग ने ₹ 360.24 लाख की जाली खरीद का 15 प्रतिशत अननुमत किया	एओ द्वारा कथित पूरी जाली खरीद को अननुमत किया जाना चाहिए था	आईटीएटी ने मामला एओ को दोबारा भेजा ताकि वह आवश्यक जांच के बाद दोबारा निर्णय ले सके	afresh

क्र. सं.	आईटीए सं./घोषणा की तिथि	एओ प्रभार	निर्धारित नाम नि.व.	का	एओ द्वारा अननुमत राशि	सीआईटी (ए) द्वारा निर्णित	आईटीएटी द्वारा निर्णित	सस्टेन्ड
18	5038/M/2014/2 4.06.2016	डीसीआईटी 5(3)	सीएमएस इप्पे सिस्टमस प्राइवेट लि./ 2010-11		विभाग ने ₹ 11.57 लाख की जाली खरीद को अननुमत कर दिया	सीआईटी (ए) ने एओ द्वारा की गई अभिवृद्धि को पुष्टि किया	आईटीएटी द्वारा निर्णित	0
19	582 & 610/AHD/2012/ 14.03.2016	एसीआईटी, सेन्ट्रल Circle- 1(1),सुरत	श्री जगदीश एच.पटेल/2008 -09		विभाग ने ₹ 566.81 लाख की जाली खरीद को अननुमत कर दिया	सीआईटी (ए) ने एओ को जाली खरीद का 25 प्रतिशत अनुमत करने के निर्देश दिए	आईटीएटी में एओ को जाली खरीद का 8 प्रतिशत अननुमत करने का निर्देश दिया	8 प्रतिशत
20	583 & 611/एएचडी/201 2/14.3.2016	एसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल- 1(1), सूरत	श्री जगदीश एच पटेल/2009-10		विभाग ने ₹ 303.29 लाख की फर्जी खरीद को नामंजूर किया।	दी आईडी सीआईटी(ए) ने एओ को फर्जी खरीदो के 25 प्रतिशत को नामंजूर करने का निर्देश दिया।	आईटीएटी ने एओ को फर्जी खरीदो के 8 प्रतिशत को नामंजूर करने का निर्देश दिया।	8 प्रतिशत
21	1055/केओआई/2 013/10/6/2016	आईटीओ वार्ड-1(2), हुगली	कालीन दत्ता /2008-09		विभाग ने ₹ 29.11 लाख की फर्जी खरीद को नामंजूर किया	की गई अभिवृद्धियों को निकालना	आईटीएटी ने सीआईटी (ए) के कार्य को समर्थित किया।	0

क्र. सं.	आईटीए सं./घोषणा की तिथि	एओ प्रभार की	निर्धारिती नाम नि.व.	का	एओ द्वारा अननुमत राशि	सीआईटी (ए) द्वारा निर्णित	आईटीएटी द्वारा निर्णित	सस्टेन्ड
22	आईटीए सं. 2434/एमयूएम/2 013/8/7/2015	सीआईटी-24(3)	अमिताभ बच्चन/ 2005-06		इस मामले में निर्धारण को कथित फर्जी खरीदो पर 10 प्रतिशत जी.पी. की नामंजूरी के प्रति ₹ 18.76 लाख की अभिवृद्धि करके 31.12.2007 को धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया।	मै. विजय प्रोटीनस के मामले में आईटीएटी अहमदाबाद के निर्णय पर विश्वास करके दिनांक 23/02/2010 की आदेश संख्या सीआईटी (ए)-34/आईटह-20/2007-08 द्वारा सीआईटी (ए) ने ₹ 28.15 लाख की वृद्धि सहित ₹ 46.91 लाख की नामंजूरी में से 25 प्रतिशत के लिए आईटीए संख्या 2434/13 नामंजूरी में वृद्धि की है।	नीचले प्राधिकरणों के निर्णय को खारिज करते समय आदरणीय आईटीएटी ने 6 प्रतिशत पर जीपी दर को बदलकर आय की पुनः संगणना करने के लिए एओ को विशेष निर्देश दिए थे।	6 प्रतिशत
23	आईटीए सं.5120 तथा 5121/11/1/2016	सीसी-4(3)	मै. जया ज्वेलरी प्रा.लि./ 2010-11 तथा 2011-12		विभाग ने नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 के लिए 30 प्रतिशत फर्जी खरीद को नामंजूर किया	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण विभाग ने नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 के लिए 30 प्रतिशत फर्जी खरीद को नामंजूर किया	आईटीएटी ने 20 प्रतिशत तक नामंजूरी को प्रतिबंध किया।	20 प्रतिशत

क्र. सं.	आईटीए सं./घोषणा की तिथि	एओ प्रभार	निर्धारिती का नाम नि.व.	एओ द्वारा अननुमत राशि	सीआईटी (ए) द्वारा निर्णित	आईटीएटी द्वारा निर्णित	सस्टेन्ड
24	आईटीए सं. 136/एमयूएम/2015/29/02/2016	आईटीओ 12(2)(1)	मै. डिजायर ज्वेलस प्रा. लि./ 2008-09	विभाग ने धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके 25 प्रतिशत फर्जी खरीद को नामंजूर किया।	सीआईटी(अपील) ने पुनः निर्धारण प्रक्रियाओं को अमान्य घोषित किया।	आईटीएटी ने पुनः निर्धारण प्रक्रियाओं को अमान्य घोषित करने की सीआईटी (अपील) की कार्रवाई की पुष्टि की।	0 प्रतिशत
25	आईटीए सं.232/एमयूएम/2009और1297/एमयूएम/2012/19/08/2015	रैंज-9(1)	धार्मिक एक्जिम प्रा. लि./ 2000-01 एवं 2001-02	विभाग ने 75 प्रतिशत फर्जी खरीद को नामंजूर किया	सीआईटी(ए) ने की गई अभिवृद्धियों को निकाला	आईटीएटी ने फर्जी खरीदों की नया अभिवृद्धि की पुष्टि की। विभाग ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की तथा उच्च न्यायालय ने यह मामला आईटीएटी को न्यायधिकरण के पुनः विचार हेतु भेजा। मामला दोबारा निर्णय हेतु एओ की फाइल में फिर से चालू किया गया है।	

परिशिष्ट 6.1 (संदर्भ पैरा 6.5.1)

भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों के साथ पूर्ण सूचना प्रस्तुत न होने के कारण विलम्ब						
क्र. सं.	स्टेशन/सी सीआईटी	परियोजना विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	भूमि का आकार	प्रस्ताव की तिथि	लम्बन हेतु कारण
1	हरदोई/बरेली	श्री नरेश कुमार अग्रवाल एवं अन्यो से आईटीडी हेतु कार्यालय एवं आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि की खरीद	उ.न.	3,680 वर्गमीटर	03.06.2015	निदेशक ने सीसीआईटी को सभी सम्बद्ध प्रमाणपत्रों तथा भूमि की संगणना शीट, सरकारी भूमि की उपलब्धता के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी से प्रमाणपत्र, उपयुक्तता/व्यवहार्यता, भूमि की लेआउट योजना, जिला/स्थानीय प्राधिकरणों से ऋणभार न होने का प्रमाणपत्र तथा लागत लाभ विश्लेषण सहित जांच सूची में पूर्ण रूप से भरा हुआ विस्तृत प्रस्ताव प्रदान करने के लिए कहा (जून 2015)। सीसीआईटी से प्रश्नों का उत्तर प्रतिक्रियित था।
2	फैजाबाद/लखनऊ	फैजाबाद में कार्यालय सह आवासीय बिल्डिंग हेतु भूमि की खरीद	उ.न.	उ.न.	22.12.2015	सीसीआईटी, लखनऊ की पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, जिला/स्थानीय प्राधिकरणों से ऋणभार न होने का प्रमाणपत्र, मौजूदा किराए पर ली गई बिल्डिंग का विवरण जिसमें कार्यालय चल रहा है, भूमि को खरीदने के लिए ऑफर की वैद्यता अवधि, सीपीडब्ल्यूडी से सरकारी भूमि प्रमाणपत्र, सीपीडब्ल्यूडी से उपयुक्तता/व्यवहार्यता प्रमाणपत्र, प्रस्तावित भूमि पर निर्माण हेतु सीपीडब्ल्यूडी से लागत उपयुक्तता प्रमाणपत्र, लागत लाभ विश्लेषण, भूमि लेआउट योजना को शामिल करते हुए भूमि की अनुमानित लागत प्रदान करने को कहा (जनवरी 2016)। सीसीआईटी से प्रश्नों का उत्तर प्रतिक्रियित था।

भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों के साथ पूर्ण सूचना प्रस्तुत न होने के कारण विलम्ब						
क्र. सं.	स्टेशन/सी सीआईटी	परियोजना विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	भूमि का आकार	प्रस्ताव की तिथि	लम्बन हेतु कारण
3	हरिद्वार/देहरादून	रोशनाबाद, हरिद्वार में कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	405.77	3,771 वर्गमीटर	02.08.2013	निदेशक ने सीसीआईटी को निम्नलिखित कहा (अप्रैल 2015) (i) अनुमान की वैद्यता (तिथि/माह) के साथ वृद्धि न होने के संदर्भ में पुष्टि प्रस्तुत करना क्योंकि ऑफर केवल सितम्बर 2013 तक मान्य था, (ii) कार्यालय जगह की संगणना में मानदण्डों के अनुसार 15% आगमी विस्तारण तथा 10% आर्थिक कट के प्रावधानों की पुष्टि करना, (iii) वर्तमान वि.व. 2015-16 के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ बजट की उपलब्धता की पुष्टि करना। सीसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित था।
4	मोहाली/चं डीगढ़	मोहाली में कार्यालय बिल्डिंग तथा आवासीय क्वाटरों हेतु भूमि की खरीद	14.52	4,840 वर्ग गज	25.05.2015	कार्यालयी तथा आवासीय उद्देश्य हेतु संशोधित एए एंड एफएस मांगा गया है। निदेशक ने पूछा है कि भूमि का अतिरिक्त टुकड़ा निर्दिष्ट नियमों में अपेक्षित जगह को कैसे कम करेगा। सीसीआईटी से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
5	फतेहबाद/हिसार	फतेहबाद में कार्यालय बिल्डिंग हेतु भूमि की खरीद	241.80	826.77 वर्ग मीटर	23.02.2012	निदेशक ने सीसीआईटी से हुडा से नया तथा वैद्य ऑफर देने को कहा (मई 2015) क्योंकि वर्तमान ऑफर 31.03.2015 को समाप्त होना था। मूल्य में किसी परिवर्तन के मामले के एक संशोधित प्रस्ताव भेजा जाना था। सीसीआईटी से अपेक्षित सूचना प्रतीक्षित थी।
6	रिवाड़ी/रोहतक	अतिरिक्त कार्यालय जगह हेतु नगर परिषद रिवाड़ी की भूमि की खरीद हेतु प्रस्ताव	2.03		07.11.2014	निदेशक ने सीसीआईटी से आवंटित निधि का उपयोग करने में अधिक विलम्ब तथा इससे संबंधित कारण देने हेतु प्रश्न किया (दिसम्बर 2015) कि भूमि की बढ़ी हुई सर्कल दर के संदर्भ में पहले ही स्वीकृत प्रस्ताव को

भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों के साथ पूर्ण सूचना प्रस्तुत न होने के कारण विलम्ब						
क्र. सं.	स्टेशन/सी सीआईटी	परियोजना विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	भूमि का आकार	प्रस्ताव की तिथि	लम्बन हेतु कारण
						पुनःवैद्यीकरण करने के लिए ए/ए एवं एफ/एस कैसे मांगा जा सकता है जबकि आवंटित वास्तविक निधि का उपयोग नहीं किया गया है। सीसीआईटी से प्रश्नों का उत्तर प्रतीक्षित था।
7	रामनाथपुरम/सीसीआईटी, मदुरै	आईटी कार्यालय, रामनाथपुरम के लिए भूमि की खरीद	3.01	1 एकड़	26-05-2014 / 03.11.2014	निदेशक ने सीसीआईटी को श्रमबल की संस्वीकृत तथा कार्याकारी संख्या, ऑफर की वैद्यता, आवासीय क्वार्टरों के लिए जगह की आवश्यकता, बाजार दर के साथ टी.एन. सरकार द्वारा दी गई दर/अन्य विभागों को टी.एन. सरकार द्वारा दी गई बाजार दर की जांच करने, उपलब्ध एफएसआई/एफएआर, सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त की जाने वाली भूमि/बिल्डिंग की अनुपलब्धता के प्रमाणपत्र, आईटीडी के प्रभार के तहत खाली भूमि आदि का मिलान करने को कहा (अगस्त 2015)। सीसीआईटी मदुरै से आपत्तियों का उत्तर प्रतीक्षित था।
8	तम्बरम/प्रधान सीसीआईटी, चेन्नई	तम्बरम, चेन्नई में आईटी विभाग के लिए कार्यालयी बिल्डिंग तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	11.56	उ.न.	10.06.2011	निदेशक ने प्रधान सीसीआईटी, चेन्नई से निम्नलिखित सूचना मांगी (i) निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ण रूप से भरी हुई जांच सूची। (ii) भूमि की खरीद हेतु गठित समिति के कार्यवृत्त की प्रति (iii) सरकारी भूमि की अनुपलब्धता के संदर्भ में सीपीडब्ल्यूडी से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र (iv) सीपीडब्ल्यूडी से लागत औचित्य प्रमाणपत्र (v) विनिर्माण प्रयोजन के कारण सीपीडब्ल्यूडी से उपयुक्तता प्रमाणपत्र

भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों के साथ पूर्ण सूचना प्रस्तुत न होने के कारण विलम्ब						
क्र. सं.	स्टेशन/सी सीआईटी	परियोजना विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	भूमि का आकार	प्रस्ताव की तिथि	लम्बन हेतु कारण
						<p>(vi) संलग्न किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष अवयवों वाले क्षेत्र के साथ मानदण्डों के अनुसार कार्यालयी जगह का व्यवस्थित आकलन</p> <p>(vii) तुष्टि अनुपात के संदर्भ में आवासीय स्थान का विधिपूर्वक आकलन</p> <p>(viii) अतिरिक्त विकास हेतु संदर्भित रूप में प्रस्तावित भूमि की बिक्री के लिये संबंधित सेना प्राधिकारी से दस्तावेज प्रस्तुत करना।</p> <p>(ix) प्रस्तावित भूमि के क्षेत्राधिकार प्राधिकारी होने के कारण, सीईओ सेंट थॉमस माउंट सहित पल्लवरम कैंटोनमेंट से प्राप्त पत्र की प्रति।</p> <p>प्रधान सीसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित है।</p>
9	यवतमाल/ नागपुर	कार्यालय बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	3.51	5574.18 वर्ग मीटर	24.9.2012	निदेशालय ने प्रस्ताव निबंधन एवं शर्तों, लागत के न बढ़ाने की पुष्टि, भूमि के ले-आउट प्लान, जीपीए प्रमाण-पत्र की गैर उपलब्धता आदि पर सवाल उठाये (नवम्बर 2015) सीसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित है।
10	नागपुर	कार्यालय बिल्डिंग और क्वार्टरों के निर्माण हेतु बंगला न.43ए और 43बी सिविल लाइन्स, नागपुर में भूमि अधिग्रहण	102.74	5.77 एकड़	30.9.2015	भुगतान जो पहले ही 16.10.15 को समाप्त हो गया है के लिये प्रस्ताव की वैधता, प्रस्तावित शीर्ष 4059 और 4216 के अंतर्गत राशि का ब्रेक-अप आदि के संबंध में निदेशालय के अवलोकन सीसीआईटी को बता दिये गये थे। सीसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित है।

भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों के साथ पूर्ण सूचना प्रस्तुत न होने के कारण विलम्ब						
क्र. सं.	स्टेशन/सी सीआईटी	परियोजना विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	भूमि का आकार	प्रस्ताव की तिथि	लम्बन हेतु कारण
11	पुणे	महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा खराड़ी पुणे में आबंटित भूमि के प्लॉट की खरीद	3.20	3000 वर्ग मीटर	2.12.2013	भूमि की अंतिम लागत, प्रस्ताव की वैधता, कार्यालय स्थल की कमी और सीपीडब्ल्यूडी से नई भूमि प्राप्त करने पर निदेशालय के अवलोकन (सितम्बर 2015) प्रधान सीसीआईटी को बता दिये गये थे। प्रश्नों का उत्तर प्रतीक्षित है।
12	सूरत	सूरत में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु प्लॉट टीपीएस-7 की संख्या 128 की खरीद	21.81 (एमएफसी)	7789 वर्ग मीटर	15.01.2016	पुनर्संरचना के बाद स्वीकृत संख्या के साथ मौजूदा स्वीकृत संख्या के आधार पर आवासीय क्वार्टरों और कार्यालय स्थल में कमी के संबंध में 24.11.2015 को प्राप्त उत्तर जांच के अधीन था।
13	बुंदी/ उदयपुर	बुंदी में कार्यालय बिल्डिंग और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	1.96	2700 वर्ग मीटर	7.7.2008	भूमि की लागत की वैधता, स्टेशन पर स्वीकृत संख्या और एमओयूडी के पास निधि की उपलब्धता के संबंध में निदेशालय के अवलोकनों (मई 2015) पर उत्तर 20.11.2015 को सीसीआईटी से प्राप्त हुये थे। प्रस्ताव विचाराधीन है।
14	उदयपुर	आयकर हेतु आवासीय क्वार्टरों/ कार्यालय बिल्डिंग, अतिथि गृह आदि हेतु भूमि की खरीद	42.78 (एसएफसी)	30000	11.8.2015	सीसीआईटी से निम्नलिखित पुनः प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था (28.08.2015) (i) उचित दस्तावेजों/विवरण सहित जांचसूची में उचित रूप से भरा गया नया प्रस्ताव। (ii) जगह की गणना प्रत्येक कार्यालय हेतु अलग गणना के बजाय स्टेशन पर समेकित स्वीकृत संख्या के आधार पर की जानी चाहिये। (iii) एसके के लिये स्थान नियमों के अनुसार होना चाहिये। (iv) विशेष घटकों के लिये स्थान की गणना उदयपुर में प्रत्येक कार्यालयक की बजाय बिल्डिंग की श्रेणी के आधार पर की जानी चाहिये। (ii) भूमि प्रमाणपत्र की न्यूनतम आवश्यकता सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त की जानी

भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों के साथ पूर्ण सूचना प्रस्तुत न होने के कारण विलम्ब						
क्र. सं.	स्टेशन/सी सीआईटी	परियोजना विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	भूमि का आकार	प्रस्ताव की तिथि	लम्बन हेतु कारण
						चाहिये और प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
15	जमशेदपुर	कार्यालय और आवासीय बिल्डिंग के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	22.03	4.17 एकड़	3.11.2006 -	निदेशालय ने देखा कि भूमि जून, 2012 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सहमत दर पर खरीदी जा सकती थी। यदि यह संभव नहीं था, राज्य सरकार से भूमि की खरीद अन्य विकल्पों के साथ खोजी जा सकती थी। सीसीआईटी, रांची से निदेशालय के अवलोकन पर की गई कार्यवाही और निधि की उपलब्धता हेतु अनुरोध (20.07.2015) किया गया था। सीसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित है।
16	बोकारो/ रांची	बोकारो में आयकर विभाग के लिये कार्यालय भवन हेतु भूमि की खरीद के लिये ए/ए और एफ/एस की अनुमति हेतु प्रस्ताव संबंध	4.92	0.89 एकड़	09.11.2015	प्रधान सीसीआईटी, रांची से 08.12.2015 को समाप्त प्रस्ताव दर की वैधता बढ़ाने की मांग, सेवा प्रभारों की प्रकृति पर स्पष्टीकरण और पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत सुरक्षा जमा के भुगतान की व्यवहार्यता के बारे में पूछा गया था (26.11.2015)। सीसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित है।
17	बोकारो/ रांची	आवासीय क्वार्टरों हेतु भूमि की खरीद	12.76	4 एकड़	09.11.2015	प्रधान सीसीआईटी, रांची से 08.12.2015 को समाप्त प्रस्ताव दर की वैधता बढ़ाने की मांग, सेवा प्रभारों की प्रकृति पर स्पष्टीकरण और पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत सुरक्षा जमा के भुगतान की व्यवहार्यता के बारे में पूछा गया था (26.11.2015)। सीसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित है।
18	छिंदवाडा/ भोपाल	कार्यालय बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु राज्य सरकार से 30000 वर्ग गज भूमि की खरीद	2.81 (पट्टा किराया)	30000 वर्ग फुट	7.9.2009/ 5.03.2013	सीसीआईटी, भोपाल से संरचना मैनुअल में निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्यालय स्थल की आवश्यकता बताने और सभी सहायक दस्तावेजों सहित जांचसूची को उचित रूप से भरकर प्रस्तुत करने के लिये कहा गया (04.02.2014) सीसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित है।

भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों के साथ पूर्ण सूचना प्रस्तुत न होने के कारण विलम्ब						
क्र. सं.	स्टेशन/सी सीआईटी	परियोजना विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	भूमि का आकार	प्रस्ताव की तिथि	लम्बन हेतु कारण
19	शाजापुर/ इंदौर	कार्यालय और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण	0.02	2 एकड़	23.2.2010	निदेशालय ने सीसीआईटी भोपाल से राज्य सरकार से यह पुष्टि करने को कहा (20.12.2012) कि क्या भूमि का छोटा प्लॉट आबंटित किया जा सकता है क्योंकि 2 एकड़ के प्लॉट के अधिग्रहण का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं है। प्लॉट का प्रस्तावित आकार एक आईटीओ स्टेशन के लिये नियमों से काफी बढ़ा था।
20	सिओनी/ भोपाल	सिओनी में कार्यालय और आवासीय आवास के निर्माण हेतु, म.प्र. सरकार से भूमि (0.34 हेक्टेयर माप की खरीद) हेतु ए/ए और एफ/एस	0.25	0.34 हेक्टेयर	29.11.2013	आवासीय आवास हेतु उचित रूप से भरे गये प्रोफॉर्मा, किराये की जगह और भुगतान किये जा रहे किराये, भूमि के विवरण अर्थात् भूमि की लागत, प्रति वर्ग मीटर दर, कोई अन्य प्रभार; सीपीडब्ल्यूडी से औचित्य/ व्यावहार्यता प्रमाणपत्र, साइट मैप, कार्यालय स्थल और आवासीय क्वार्टरों की आवश्यकता, स्टाफ क्वार्टर लेने की इच्छा, सिओनी में एकत्र राजस्व, निधि के स्रोतों आदि के संबंध में अगस्त 2015 में निदेशालय द्वारा जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा गया था।
21	रायपुर	न्यूरायपुर में आयकर विभाग हेतु न्यू रायपुर विकास प्राधिकरण से 23,372 वर्ग मीटर भूमि का आबंटन	17.31	23,372 वर्ग मीटर	6.11.2008/ 19.3.2014	सीसीआईटी, रायपुर से निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराने के लिये कहा गया (30.04.2014) (i) वास्तविक संख्या के अनुसार कार्यालय और आवासीय स्थान की आवश्यकता और सहायक दस्तावेजों सहित उचित रूप से भरी गई जांच सूची, (ii) यह पुष्टि करना कि प्रस्ताव का बजट कैसे पूर्ण किया जायेगा और उसकी उपलब्धता। सीसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट 6.2 (संदर्भ पैरा 6.5.2)

भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की खराब जांच के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की गई भूमि का उपयोग न होना							
क्र. सं.	प्रधान सीसीआईटी/ सीसीआईटी	भूमि का पता	भूमि का आकार	उद्देश्य	भूमि की लागत (₹ लाख में)	कब्जा करने की तिथि	क्या भूमि में डीआईटी (ईन्फ्रा) का डाटाबेस शामिल है। यदि नहीं, परिशिष्ट 6.3 में क्रम संख्या
1	प्रधान सीसीआईटी, मुंबई	प्लॉट नं. 196, बैंक ने रेक्लेमेशन, नरीमन प्वाइंट, मुंबई	2786.2 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	100.34	1973	नहीं/8
2	प्रधान सीसीआईटी, पुणे	इछालकरणजी, पुणे	7800 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	53	1985	हां
3	प्रधान सीसीआईटी, पुणे	सतारा	2295 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	13	1999	हां
4	प्रधान सीसीआईटी, पुणे	कुडल	865 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	5	2003	हां
5	पंचकुला	भिवानी	549.05 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	47.43	20.01.2011	हां
6	पंचकुला	सिरसा	900 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	8.75	08.01.1996	हां
7	पंचकुला	बे साइट नम्बर 25 से 26 डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेन्टर	549 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	21.27	17.09.2008	नहीं/1
8	गुडगांव	प्लॉट सं. 2-2 बेज़-सेक्टर-32 गुडगांव	539.5 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	17.64	01.02.1996	नहीं/2
9	कुरुक्षेत्र	प्लॉट नं. 4 और 5, सेक्टर 5, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र	1200 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	45.58	05.04.2010	नहीं/3
10	बडौदा	क्र.सं. 31/1 और 31/2, मोजे कांबीवेज, ताल, भारूच	8506 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग और आवासीय आवास का निर्माण	उपलब्ध नहीं	07.28.2011	हां

भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की खराब जांच के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की गई भूमि का उपयोग न होना							
क्र. सं.	प्रधान सीसीआईटी/ सीसीआईटी	भूमि का पता	भूमि का आकार	उद्देश्य	भूमि की लागत (₹ लाख में)	कब्जा करने की तिथि	क्या भूमि में डीआईटी (ईन्फ्रा) का डाटाबेस शामिल है। यदि नहीं, परिशिष्ट 6.3 में क्रम संख्या
11	बडौदा	ऑरोनो-डे सोसाइटी, अलकापुरी, बडौदा	606.04 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग और आवासीय आवास का निर्माण	उपलब्ध नहीं	30 वर्ष से अधिक	हां
12	राजकोट	क्र.सं. 351, उत्तर रेलवे स्टेशन, अमरेली	979.37 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग और आवासीय आवास का निर्माण	28.74	03.16.2006	हां
13	राजकोट	प्लॉट सं. 97 to 101 और 142 से 144, वार्ड नं. 9/ए (ई), भरतनगर, गांधीधाम	2675.8 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग और आवासीय आवास का निर्माण	190.49	18.03.1999	हां
14	राजकोट	क्र.सं.191/1, जूनागढ़	3122.44 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग और आवासीय आवास का निर्माण	109.29	25.01.2001	हां
15	राजकोट	रेस कोर्स सर्किल, राजकोट	1310.14 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	589.56	08.04.2009	हां
16	उदयपुर	गांव, पिपलोड, आईटीआई के सामने, माहीदाम रोड, वंसवारा	2537.18 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	83.66	13.08.2007	नहीं/4
17	जोधपुर	गांव, मंडोर, बासामांड, जोधपुर	15144.65 वर्ग मीटर	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	125.79	12.06.2000	नहीं/5
18	जोधपुर	जसलमेर	4118 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग, स्टाफ क्वार्टरों और अतिथि गृहों का निर्माण	110.78	23.06.2007	नहीं/6
19	जयपुर	टाँक	2391.66 वर्ग यार्ड	कार्यालय बिल्डिंग और आवासीय आवास का निर्माण	7.18	24.07.1997 तथा 16.02.2015	नहीं/7

भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की खराब जांच के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की गई भूमि का उपयोग न होना							
क्र. सं.	प्रधान सीसीआईटी/ सीसीआईटी	भूमि का पता	भूमि का आकार	उद्देश्य	भूमि की लागत (₹ लाख में)	कब्जा करने की तिथि	क्या भूमि में डीआईटी (इन्फ्रा) का डाटाबेस शामिल है। यदि नहीं, परिशिष्ट 6.3 में क्रम संख्या
20	सीसीआईटी, भोपाल	प्लॉट नं. 47, एरियर हिल्स, भोपाल	7082 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	लागत मुक्त	2005	हां
21	प्रधान सीसीआईटी, बेंगलुरु	फाइनेंस सिटी, बेंगलोर	8096 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण	750	31.10.2013	हां
22	प्रधान सीसीआईटी, बेंगलुरु	सं. 4 और 5, इंफेन्ट्री रोड, बेंगलोर	4023.5 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	184	14.06.1993	नहीं/11
23	सीसीआईटी पणजी	सं. 680, अथानी रोड, बीजापुर	4046.85 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	0.71	29.09.1996	नहीं/13
24	सीसीआईटी पणजी	मारगोवा	3130 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	0.85	19.04.2000	नहीं/10
25	सीसीआईटी, पणजी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	उपलब्ध नहीं	पूर्ण कब्जा नहीं लिया गया था	हां
26	भुवनेश्वर	अंबापुआ बरहमपुर	2023.4 3 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	13.75		हां
27	भुवनेश्वर	भवानीपटना	8093.72 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	28.04	31.03.2006	हां
28	भुवनेश्वर	खुर्दा	6313.1 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	5.42	12.05.2005	हां
29	भुवनेश्वर	चरंपा भद्रक	5665.6 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	28.49		हां
30	भुवनेश्वर	गड़काना भुवनेश्वर	20234.3 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	125		हां

भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की खराब जांच के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की गई भूमि का उपयोग न होना							
क्र. सं.	प्रधान सीसीआईटी/ सीसीआईटी	भूमि का पता	भूमि का आकार	उद्देश्य	भूमि की लागत (₹ लाख में)	कब्जा करने की तिथि	क्या भूमि में डीआईटी (इन्फ्रा) का डाटाबेस शामिल है। यदि नहीं, परिशिष्ट 6.3 में क्रम संख्या
31	दिल्ली सीसीआईटी	प्लॉट नं.डी-3, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली	1320 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	1530	11.02.1998	नहीं/22
32	हैदराबाद	अनंथपुर	2105 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	65	जून 1994	हां
33	हैदराबाद	नेल्लौर	970.59 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	166.98 [12.26 (भूमि की लागत 154.71 (किराया)]	26.11.1996	हां
34	हैदराबाद	हिन्दुपुर	809.37 वर्ग फुट	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	10.93 [3.00 (भूमि की लागत) 7.93 (किराया)]	05.02.1996	हां
35	पीसीसीआईटी, प.ब और सिक्किम	46, मूरे एवेन्यू कोलकाता	228960 वर्ग फुट	कार्यालय और आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	160.00	कब्जा नहीं लिया गया	हां
36	पीसीसीआईटी, प.ब और सिक्किम	केआईटी के अंतर्गत प्लॉट नं. 20 योजना संख्या VIIIएम, उल्टादंगा मेन रोड, कोलकाता-700067	14354 वर्ग फुट	आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	23	अगस्त 1981	नहीं/14
37	पीसीसीआईटी, प.ब और सिक्किम	गोपालपुर, असनसोल पश्चिम बंगाल	57456 वर्ग फुट	कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण	1.31	उपलब्ध नहीं	नहीं/16
38	पीसीसीआईटी, प.ब और सिक्किम	पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	10763.91 वर्ग फुट	कार्यालय बिल्डिंग और अतिथिगृह का निर्माण	लागत मुक्त	अक्टूबर 2005	हां

भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की खराब जांच के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की गई भूमि का उपयोग न होना							
क्र. सं.	प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी	भूमि का पता	भूमि का आकार	उद्देश्य	भूमि की लागत (₹ लाख में)	कब्जा करने की तिथि	क्या भूमि में डीआईटी (ईन्फ्रा) का डाटाबेस शामिल है। यदि नहीं, परिशिष्ट 6.3 में क्रम संख्या
39	पीसीसीआईटी, प.ब और सिक्किम	गेंगटॉक, सिक्किम	5705 वर्ग फुट	कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण	31.67	लागू नहीं	हां
40	पीसीसीआईटी, प.ब और सिक्किम	कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल	13824 वर्ग फुट	कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण	38.48	2009	हां
41	पीसीसीआईटी, प.ब और सिक्किम	बलुरघाट, पश्चिम बंगाल	14256 वर्ग फुट	कार्यालय बिल्डिंग और अतिथिगृह का निर्माण	26.26	फरवरी 2008	हां
42	पीसीसीआईटी, प.ब और सिक्किम	प्लॉट नं. 397(पी), 3672(पी), 3673(पी), 3837(पी), मौजा-फरीदपुर, जेएन नं. 74, टौजी नं.1, उप, दुर्गापुर-16 जिला बुर्धवान, पश्चिम बंगाल	41948.28 वर्ग फुट	आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	33.28	जून 2007	नहीं/15
43	गुवाहाटी	गाँव-डिमोरूगनी, मौजा - निज सहर, नौगाँव	1 बीघा 3 काठा 10 लच्छा	कार्यालय भवन और कर्मचारी आवास का निर्माण	1.91	लागू नहीं	नहीं/18
44	शिलांग	डिब्रूगढ़, आसाम	7.5 बीघा	कार्यालय भवन और कर्मचारी आवास का निर्माण	49.09	1995	नहीं/19
45	रांची	पी.एस. सं.-189, मौजा-डाल्टनगंज, होल्डिंग सं.-580, प्लॉट सं.-853 एवं 850	5665.6 वर्ग मीटर	कार्यालय भवन/आवासीय क्वार्टर का निर्माण	43.56	10.03.2008	शून्य/20
46	रांची	पी.एस. सं.-134, मौजा-कोलघाटी हजारीबाग, खाता सं.-8, प्लॉट सं.-54 एवं 55	74907.3 वर्ग मीटर	कार्यालय/ आवासीय बिल्डिंग का निर्माण	208	01.09.2014	शून्य/21

भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की खराब जांच के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की गई भूमि का उपयोग न होना							
क्र. सं.	प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी	भूमि का पता	भूमि का आकार	उद्देश्य	भूमि की लागत (₹ लाख में)	कब्जा करने की तिथि	क्या भूमि में डीआईटी (ईन्फ्रा) का डाटाबेस शामिल है। यदि नहीं, परिशिष्ट 6.3 में क्रम संख्या
47	पटना	गया	2146 वर्ग मीटर	कार्यालय भवन/आवासीय क्वार्टर का निर्माण	155.07	20.12.2013	हां
48	पटना	भागलपुर	7284 वर्ग मीटर	कार्यालय भवन/आवासीय क्वार्टर का निर्माण	189.56	डीड विचाराधीन	हां
49	पटना	बेगूसराय	1942 वर्ग मीटर	कार्यालय भवन/आवासीय क्वार्टर का निर्माण	18	31.12.2002	हां
50	इलाहाबाद	शून्य	2048 वर्ग मीटर	कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण	60.42	11.03.2010	हां
51	कानपुर	शून्य	6000 वर्ग मीटर	कार्यालय भवन और कर्मचारी आवास का निर्माण	340.61	17.10.2012	हां
52	कानपुर	शून्य	9908 वर्ग मीटर	कार्यालय आवासीय बिल्डिंग के निर्माण	122	18.07.1995	हां
53	लखनऊ	शून्य	9160 वर्ग मीटर	कार्यालय आवासीय परिसर का निर्माण	241.29	13.02.2001	हां
54	देहरादून	शून्य	2471.02 वर्ग मीटर	कार्यालय भवन, गेस्ट हाउस और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	123.55	09.02.2000	हां

परिशिष्ट 6.3 (संदर्भ पैराग्राफ 6.6.8.2)

डीआईटी (इंफ्रा) के केंद्रीय डाटाबेस में नहीं अचल परिसंपत्तियां (इंफ्रा)						
क्र. सं.	सीसीआईटी प्रभार	विस्तृत पता	प्लॉट का आकार (वर्ग मी.)	राशि (₹ लाख में)	जमीन की क्रय तिथि	अधिग्रहण तिथि
1	पंचकूला	बेज साइट सं. 25 से 26 जिला शॉपिंग सेंटर जींद	549.045	21.27	08.01.2008	17.09.2008
2	पंचकूला	प्लॉट सं. 2-2 बेज़-सेक्टर-32 गुडगांव	539.5	17.65	01.02.1996	01.02.1996
3	पंचकूला	प्लॉट सं. 4 एवं 5, सेक्टर-5, अर्बन इस्टेट, कुरुक्षेत्र	1200	45.58	27.10.2009	05.04.2010
4	उदयपुर	गांव पिपलोद, आईटीआई के सामने, माहीडैम रोड, बांस वाड़ा	2537.18	83.66	Aug. 2007	13.8.2007
5	जोधपुर	गांव मंडौर बालसमंद, जोधपुर	15144.65	125.79	17.12.1999	12.06.2000
6	जोधपुर	जैसलमेर	4118	110.78	30.5.2007	23.6.2007
7	जयपुर	टोंक	2391.66	7.18	14.9.1994	24.7.1997 & 16.2.2005
8	मुंबई	196, बैकबे, रीक्लेमेशन, नरीमन प्वाइंट, मुंबई	2784	100.34	1973	1973
9	मुंबई	सी 41 से 43, बांद्रा कॉम्प्लेक्स, मुंबई	9500	4750	31.05.2002	31.05.2002
10	पणजी	पीटीएस/Ch. सं. 71/1/1, 71/1/2, 71/1/3, 71/2/1, 71/2/2, 71/2/3, मडगांव सिटी	3130	0.85	19.4.2000	19.4.2000
11	बैंगलुरु	सं. 4 एवं 5, इंफैंट्री रोड, बैंगलुरु	4023.5	184	14.6.1993, acquired u/s. 269D of IT act	14.6.1993, acquired u/s. 269D of IT act
12	पणजी	प्लॉट सं. 324, निकट बेलगांव किला, बेलगांव	18217	16.02	02.02.1982	01.04.1984
13	पणजी	सं. 680, अथानी रोड, बीजापुर	4046.85	0.71	29.3.1996	26.9.1996

डीआईटी (इंफ्रा) के केंद्रीय डाटाबेस में नहीं अचल परिसंपत्तियां (इंफ्रा)						
क्र. सं.	सीसीआईटी प्रभार	विस्तृत पता	प्लॉट का आकार (वर्ग मी.)	राशि (₹ लाख में)	जमीन की क्रय तिथि	अधिग्रहण तिथि
14	प्रधान सीसीआईटी (प.ब और सिविकम)	केआईटी योजना सं. VIIIएम के तहत प्लॉट सं. 20, उल्टाडांगा मेनरोड, कोलकाता-700067	1333.53	23	मार्च 1980	अगस्त 1981
15	प्रधान सीसीआईटी (प.ब और सिविकम)	प्लॉट सं. 397(पी), 3672(पी), 3673(पी), 3837(पी), मौजा-फरीदपुर, जेएल सं. 74, तौजी नं. 1, उप मण्डल दुर्गापुर-16 जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	3897.12	33.28	मई 2007	जनवरी 2007
16	प्रधान सीसीआईटी (प.ब और सिविकम)	गोपालपुर, असंसोल, पश्चिम बंगाल	5337.84	1.31	नवम्बर 1980	शून्य
17	प्रधान सीसीआईटी (प.ब और सिविकम)	प्लॉट सं. 43/70, जेएल सं. 171, मौजा- नरमपुर, पीएस-मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर	983.29	7.86	शून्य	08.08.2005
18	सीसीआईटी गुवाहाटी	गाँव-डिमोरोगिनी, मौजा-निज सहर, नौगाँव	एक बीघा 3 काठा, 10 लच्छा	1.91	27.01.1989 एवं नवम्बर 1990 को किया गया भुगतान	अभी भी हस्तांतरित की जाने वाली जमीन
19	सीसीआईटी, शिलांग	डिब्रुगढ़, असम	7.5 बीघा	49.09	1995	1995
20	रांची	पी.एस. सं.-189, मौजा-डाल्टनगंज, होल्डिंग सं.-580, प्लॉट सं.-853 एवं 850	5665.599	43.56	19.03.2008	19.03.2008
21	रांची	पी.एस. सं.-134, मौजा-कोलघाटी, हजारीबाग, खाता	74907.312	208	फरवरी-04	सितम्बर-14

डीआईटी (इंफ्रा) के केंद्रीय डाटाबेस में नहीं अचल परिसंपत्तियां (इंफ्रा)						
क्र. सं.	सीसीआईटी प्रभार	विस्तृत पता	प्लॉट का आकार (वर्ग मी.)	राशि (₹ लाख में)	जमीन की क्रय तिथि	अधिग्रहण तिथि
सं.-8, प्लॉट सं. 54 एवं 55						
22	दिल्ली	प्लॉट सं.डी-3, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत, नई दिल्ली	1320 वर्ग मी.	1530	25.02.1997	11.02.1998

संकेताक्षर

एए एंड ईएस	प्रशासनिक मंजूरी एवं व्यय मंजूरी
एसीआईटी	सहायक आयुक्त, आयकर
एसीटी	आयकर अधिनियम, 1961
एडीसीआर	बकाया मांग संग्रहण पंजिका
एडीजी	अपर महानिदेशक
एएलपी	आर्म्स लैथ प्राइस
एओ	निर्धारण अधिकारी
एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
एवाई	निर्धारण वर्ष
बीपीआर	कारोबार प्रसंस्करण पुनर्गठन
सीबीडीटी	केन्द्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, बंगलुरु
सीपीसी योजना 1	सीबीडीटी की अधिसूचना सं. एस.ओ. 16 €, दिनांक 4-1-2012 द्वारा अधिसूचित केंद्रीकृत विवरणी प्रसंस्करण योजना, 2011
सीपीसी योजना 2	सीबीडीटी की अधिसूचना सं. एस.ओ.17 €, दिनांक 4-1-2012 द्वारा अधिसूचित अधिनियम के कुल प्रावधानों का लागूकरण - केंद्रीकृत विवरणी प्रसंस्करण योजना, 2011
सीपीसी - टीडीएस	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र - टीडीएस, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीटी	निगम कर
डीजीआईटी (प्रणाली)	आयकर महानिदेशक (प्रणाली)
डीआईटी	- आयकर निदेशक -सीपीसी, बंगलुरु
डीआईटी (इंफ्रा)/डीआईटी(II)	आयकर निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटी	प्रत्यक्ष कर
डीडब्ल्यूएण्डबीआ ई	डाटा वेयरहाउस एण्ड विजनेस इंटेलीजेंस
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक ऋण
एफएस	सीपीसी पोर्टल की वित्तीय लेखांकन प्रणाली
एफटीए	फास्ट ट्रैक अप्रूवल

एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियमावली
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियां
एचओडी	विभागाध्यक्ष
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीटी	सूचना एवं संप्रेषण तकनीक
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय अधिकरण
आईटीबीए	आयकर बिजनस एप्लीकेशन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीडीएमएस	समेकित करदाता डाटा प्रबंधन प्रणाली
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर-पी	आयकर विवरणी-भौतिक
आईटीआर/विवरणी	आयकर विवरणी
जेसीआईटी	संयुक्त आयुक्त, आयकर
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
प्रा. सीसीए	प्रधान मुख्य नियंत्रक एवं लेखा
प्रा. सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालय प्रक्रिया नियमावली
एमएसए	आईटीडी एवं एसपी के बीच 30 अक्टूबर 2009 का मूल सेवा करार
एनआरएनडी	कोई मांग नहीं कोई वापसी नहीं
ओएलटीएएस	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली
पीसीएम	प्रक्रिया नियंत्रण मास्टर कार्यालय
पीडीसी	मूल डाटा केंद्र (डीजीआईटी/प्रणाली), वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थिति
पीडीटी	प्रसंस्कृत डाटा अंतरण
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
क्यूसी	गुणवत्ता नियंत्रण
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएफडी	परिणामी ढांचा दस्तावेज
आरएफपी	एमएसए के भाग वाले प्रस्ताव (3 भाग) का अनुरोध
आरओसी	कम्पनियों का रजिस्ट्रार
नियम	आयकर नियमावली, 1962
एसएफसी	स्थायी वित्तीय समित
एसआईटी	प्रणाली संयोजन जांच

एसएलए	सेवा स्तर करार - अन्य पक्ष एजेंसी (अर्थात् मै. एसटीक्यूसी) द्वारा तिमाही लेखापरीक्षा के विषयगत और मासिक आधार पर एसपी के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु 44 मापदण्डों के तहत बनाई गई मैट्रिक्स
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रियायें - संचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित करना
एसपी	सेवा प्रदाता - मै. इंफोसिस टेक्नॉलाजी लि.
एसटीक्यूसी	मानकीकरण जांच एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय
टीएआरसी	कर प्रशासन सुधार आयोग
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहीत कर
टीडीएस	स्रोत पर काटा गया कर
टीएफआई	इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्यबल
टीआरओ	कर वसूली अधिकारी
जेडएओ	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in